

फ़तावा रसूलुल्लाह ﷺ

मुरत्तिब
इमाम इब्ने क़य्यिम रह.

हिन्दी अनुवाद
सलीम ख़िलजी

فتاوى رسول الله ﷺ



प्रकाशक
सूबाई जमइयत अहले हदीस, राजस्थान
व शहरी जमइयत अहले हदीस, जोधपुर



फ़तावा रसूलुल्लाह ﷺ

मुरत्तिब :

अल्लामा इमाम इब्ने क़य्यिम अल जौज़ी (रह.)

हिन्दी अनुवाद :

सलीम ख़िलजी

शोबा नश्रो-इशाअत

जमइयत अहले हदीस, जोधपुर, राजस्थान

नाम किताब	**: फ़तावा रसूलल्लाह (ﷺ)**
मुरत्तिब	: इमाम इब्ने क़य्यिम अल जोज़ी
हिन्दी अनुवाद	: सलीम ख़िलजी
तस्हीह व नज़रे–सानी	: अबुल कलाम अल फ़ैज़ी, अब्दुस्समद सलफ़ी
तादाद पेज	: 312
संस्करण	: प्रथम (मई 2009/जमादि उल अव्वल 1430 हि.)
तादाद	: 2100
क़ीमत	: 150 रुपये
लेज़र टाइपसेटिंग	: ख़लीज मीडिया जोधपुर (97994-10099)
प्रिण्टिंग	: अनमोल प्रिण्ट्स, जोधपुर (291-2742426)

प्रकाशक : जमइयत अहले हदीष जोधपुर (राज.)

Fatawa Rasoolullah (ﷺ). (A book about islamic concepts.)
Copiled by Imam Ibne Qayyim Al Jozi
Hindi Translation & Editing by Saleem Khilji (+99285-92786)

'रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो
और जिस से रोके रूक जाओ।
और अल्लाह से डरते रहो।'

(अल कुर्आन : सूरह हश्र : 7)

'आपके रब की क़सम! ये लोग
मोमिन नहीं सकते जब तक कि ये
अपने विवादों में आप को फ़ैसला
करने वाला न मान लें। फिर जो भी
फ़ैसला आप कर दें उस पर अपने
दिल में कोई तंगी महसूस न करें
बल्कि उसे सर आँखों पर तस्लीम
कर लें।' (कुर्आन : सूरह अन् निसा : 65)

'जब उनको बुलाया जाता है कि आओ अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे आपसी मुक़दमों का फ़ैसला कर दे तो एक गिरोह कतरा जाता है यानी मुँह मोड़ जाता है। अगर मामला उनके मुवाफ़िक़ हो तो बड़े फ़र्माबरदार बनकर आते हैं। क्या इनके दिल में मुनाफ़िक़त का रोग लगा हुआ है? या ये लोग शक में पड़े हुए हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर ज़ुल्म करेंगे? बात यह है कि ज़ालिम ये ख़ुद ही हैं।'

(क़ुर्आन : सूरह अन् नूर : 48-50)

'जो लोग रसूल (ﷺ) के हुक्म को मानने से मुँह फेरते हैं, उन्हें इस बात से डरना चाहिये कि वे किसी फ़ित्ने का शिकार न हो जाएं या कोई दुःख देनेवाला अज़ाब उनको पकड़ न ले।' (क़ुर्आन : सूरह अन् नूर : 63)

(विषय सूची)

पहला बाब : अक़ीदा, ईमान व तौहीद

दूसरा बाब : तफ़्सीरे क़ुर्आन

तीसरा बाब : अफ़ज़ल अअ़माल

चौथा बाब : नबूवत और वह्य का बयान

पाँचवां बाब : जन्नत और उसकी नेअ़मतें

छठा बाब : तहारत के मसाइल

सातवां बाब : नमाज़ के मसाइल

आठवां बाब : मौत और मय्यित के बारे में सवाल

नवां बाब : ज़कात व ख़ैरात के मसाइल

दसवां बाब :रोज़े से मुतअ़ल्लिक़ फ़तावा

ग्यारहवां बाब : हज्ज के मुतअल्लिक़ फ़तावा

बारहवां बाब : ज़िक्रे–इलाही के फ़ज़ाइल

तेरहवां बाब : माल, कमाई, कारोबार के मसाइल

चौदहवां बाब : मीराष़ के बारे में फ़तावा

पन्द्रहवां बाब : लौण्डी–गुलामों की आज़ादी

सोलहवां बाब : निकाह के बारे में फ़तावा

सत्रहवां बाब : त़लाक़ के बारे में फ़तावा

अठारहवां बाब : मौत, मय्यित व सोग के मसाइल

उन्नीसवां बाब : हुदूदे–शरई बाबत फ़तावा

बीसवां बाब : पानी और शराब बाबत फ़तावा

इक्कीसवां बाब : क़स्मों और नज़्र के मसाइल

बाइसवां बाब : जिहाद के बारे में फ़तावा

तेईसवां बाब : दवा–इलाज के बारे में

चौबीसवां बाब : हुक़ूक़ और आदाब के बारे में

पच्चीसवां बाब : दीगर फ़तावा

अर्ज़े-नाशिर

शोअबा नश्रो–इशाअत जमइयत अहले हदीष़ जोधपुर की पहली पेशकश किताब **'अहकामो मसाइल'** की इशाअत थी। इस किताब को इम्पोर्टेड नफ़ीस काग़ज़ पर, आला तबाअत, जाज़िबे–नज़र (आकर्षक) टाइटल और मज़बूत जिल्दबन्दी के साथ निहायत मुनासिब क़ीमत पर मुहैया कराया गया था। किताब की मक़्बूलियत इस बात से ज़ाहिर होती है कि 2100 कॉपियों का पहला एडीशन कुछ महीनों में ही ख़त्म हो गया। उसके बाद नज़रे–ष़ानी करके इसका दूसरा एडीशन मई 2008 में शाए किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों में इस मुफ़ीद किताब को पहुँचाना अब आपका काम है।

इस शोअबे की जानिब से दूसरी किताब डॉ. फ़ज़्लुर्रहमान मदनी (उस्ताज़ जामिया मुहम्मदिया मालेगाँव) की **'रमज़ान के मसाइल'** का हिन्दी तर्जुमा पेश किया गया। ये किताब तक़रीबन 150 सफ़हात की थी।

शोअबा नश्रो–इशाअत की जानिब से एक और अहम मुफ़ीद किताब **'फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)'** पेशे–ख़िदमत है। ये इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) की तस्नीफ़ है। इमाम साहब ने अहादीष़ की मुस्तनद किताबों बुख़ारी, मुस्लिम, अबूदाऊद, निसाई, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, मुस्नद अहमद, बेहक़ी, मुस्तदरक हाकिम, दारे कुतनी, मौता इमाम मालिक, इब्ने हिब्बान वग़ैरह से लाखों सफ़हात का मुतालआ करके उन मसाइल को जमा किया जो रसूलुल्लाह (ﷺ) से सवाल की शक्ल में सहाब–ए–किराम (रज़ि.) व सहाबियात (रज़ि.) ने दरयाफ़्त किये और आँहज़रत (ﷺ) ने जवाब दिये। **'अअ़लामुल मआरिफ़ीन'** जो इब्ने क़य्यिम (रह.) की ज़ख़ीम व मअरूफ़ किताब है इसके आख़री हिस्से में ये फ़त्वे दर्ज हैं। बैरूत के एक मशहूर इदारे **'दारुल मआरिफ़'** ने इस किताब को **'फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)'** के नाम से छापा है। इसके पहले एडीशन पर मुहक़्क़िक़ व तख़रीख़े अहादीष़ के लिये शैख़ ख़लील मामून का नाम दर्ज है। इसके कई एडीशन फिर शाए हुए। 2007 में इसका जदीद एडीशन शैख़ अबू यह्या मुहम्मद ज़करिया ज़ाहिद से नज़र ष़ानी करवाकर इदारा हुदेबिया लाहौर ने शाए कराया जिसमें अहादीष़ की किताबों के असल नुस्ख़ों से रुजूअ किया गया और कोशिश की गई कि अहादीष़ मुबारका के मतन में ग़लती न रह पाए। हर हदीष़ के साथ किताब का नाम, बाब, हदीष़ शुमार नं. जो आलमी कम्प्यूटराइज़्ड एडीशन के मुताबिक़ है, दर्ज कर दिया गया है।

मुसन्निफ़ ने जो अन्दाज़े–बयान इख़्तियार किया है वो अपनी तरह का अलग ही है। पढ़ते वक़्त वो मंज़र हमारे सामने आ जाता है और हम ख़ुद को उस बाबरकत मजलिस में महसूस करते हैं। अगर आप ज़ौक़ व शौक़ और ग़ौर से मुतालआ करेंगे तो आपको भी यही एहसास होगा। शर्त यह है कि आप यक्सू होकर मुतवज्जुह हों और अपने तसव्वुर और तख़य्युल की ताक़त (कल्पना शक्ति) को काम में लाएं।

एक कमी जो आप महसूस करेंगे कि मुसन्निफ़ ने सहाबी का नाम देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। लेकिन किताब का हवाला, बाब का ज़िक्र और हदीष़ का नम्बर शुमार देने के बाद तलाशो–तह्क़ीक़ की जुस्तजू करने वाले आसानी से तलाश कर सकते हैं। हमारी भी ख़्वाहिश थी कि तहक़ीक़ व तख़रीज के बाद रावी सहाबी का नाम दें लेकिन मअ़लूम हुआ कि कई अहादीष़ की किताबें मक़ामी तौर पर दस्तयाब (उपलब्ध) नहीं हैं। बहरहाल इंशाअल्लाह आइन्दा एडीशन में इस बात की भी कोशिश की जाएगी। हो सकता है कि क़ारेईन में से अल्लाह का कोई बन्दा इस काम का बीड़ा उठाने का अ़ज़्म करे। हम भी इसके मुन्तज़िर रहेंगे।

इसी किताब की तैयारी में जमइयत अहले हदीष़ के कई मक़ामी अफ़राद ने कोशिश की है। फ़रदन् फ़रदन् उनके नामों की ज़रूरत नहीं। अल्लाह तआ़ला तमाम दीनी किताबों की इशाअ़त करने वालों को जज़ा–ए–ख़ैर अ़ता फ़र्माए, आमीन!।

जमइयत अहले हदीष़ जोधपुर

मुक़दमा

क़ुर्आनो-हदीस़ का आलिम और शरीअ़त के अहकाम को जानने वाला जब किसी पेश आए मसअ़ले को शरीअ़त की रोशनी में हल करता है तो उसे '**फ़तवा**' कहते हैं और दीनी अहकाम के बारे में जवाब देने वाले को '**मुफ़्ती**' कहा जाता है। इस्लाम में फ़तवों की अहमियत ज़ाहिर है। इस किताब के मुसन्निफ़ हाफ़िज़ इब्ने क़य्यिम (रह.) फ़र्माते हैं कि फ़तवे के मन्सब पर सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआ़ला ने ख़ुद को फ़ाइज़ किया। इर्शादे बारी तआ़ला है,

'ऐ नबी! लोग तुम से औ़रतों के बारे में फ़तवा तलब करते हैं, कह दो अल्लाह उनके बारे में फ़तवा देता है .....' (सूरह अन् निसा : 127)

फिर अल्लाह ने अपने नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को इस मन्सब पर फ़ाइज़ किया और फ़र्माया,

'लोग आपसे चाँद के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दें कि ये लोगों को अवक़ात की जानकारी और हज्ज (के दिनों) के लिये है।' (सूरह अल बक़र : 189)

इस तरह रसूलुल्लाह (ﷺ) सबसे पहले इस मन्सब पर फ़ाइज़ हुए। आप वह्य-ए-इलाही की रोशनी में जवाब दिया करते थे। आप (ﷺ) के फ़तवे जामेअ़ अहकाम हैं और आप (ﷺ) के फ़ैसले से रूगर्दानी करने की बिल्कुल गुन्जाइश नहीं है क्योंकि आप (ﷺ) के फ़ैसलों पर वाजिबे-इत्तिबाअ़ की मुहर अल्लाह तआ़ला ने लगाई है,

'जिसने रसूल (ﷺ) की इताअ़त की उसने बेशक अल्लाह की इताअ़त की।'
(सूरह अन् निसा : 80)

अल्लाह तआ़ला ने रसूल (ﷺ) को '**मुफ़्ती-ए-आज़म**' का दर्जा इस तरह अ़ता फ़र्माया कि आप (ﷺ) का फ़ैसला आ जाने के बाद किसी हीलो-हुज्जत और क़ील व क़ाल करने की गुन्जाइश नहीं रखी बल्कि फ़र्माया,

'आपके रब की क़सम! ये लोग मोमिन नहीं सकते जब तक कि ये अपने विवादों में आप को फ़ैसला करने वाला न मान लें। फिर जो भी फ़ैसला आप कर दें उस पर अपने दिल में कोई तंगी महसूस न करें बल्कि उसे सर-आँखों पर तस्लीम कर लें।' (सूरह अन् निसा : 65)

यानी आप (ﷺ) के फ़ैसलों को तस्लीम (स्वीकार) न करने वाला शख़्स अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा और किसी सूरत में मुस्लिम नहीं रहेगा।

इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने बड़ी सख़्त मेहनत के बाद कुत्ब अहादीष़ की किताबों में हज़ारों सफ़हात पर फैले हुए इन ज़ख़ीरा-ए-फ़तावा को जमा किया जिनको मुख़्तलिफ़ सहाबा ने मुख़्तलिफ़ अवक़ात में रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरयाफ़्त फ़र्माया था। इनमें वो अहादीष़ हैं जिन्हें आप (ﷺ) के सहाबा ने सवाल की शक्ल में पूछा था। ये हिस्सा अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) की मशहूर व मअ़रूफ़ किताब '**अअ़लामुल मुआरिफ़ीन**' के आख़री हिस्से में दर्ज है। इसका उर्दू तर्जुमा मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी (रह.) ने किया है जिसके मुताबिक़ इस किताब '**फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)**' का हिन्दी तर्जुमा अज़ीज़ सलीम ख़िलजी ने किया है और इसकी नज़रे-षानी व तस्हीह का काम मौलाना अबुल कलाम अल फ़ैज़ी और मौलाना अब्दुस्समद सलफ़ी ने किया है। अल्लाह इन अस्हाब को बेहतरीन अज्र अता फ़र्माए, आमीन!!

इस बात की हर मुमकिन हद तक कोशिश की गई है कि हिन्दी तर्जुमे और प्रूफ़ में कोई ग़लतियाँ न रहने पाए फिर भी इन्सान से ग़लती हो सकती है, किताब के मुतालअ़े के दौरान भी ऐसी कोई बात आप के इल्म में आए तो आप सफ़हात के हवाले के साथ तहरीरी शक्ल में आगाह फ़र्माएं ताकि आइन्दा एडीशन में तस्हीह की जा सके। ये किताब जमइयत अहले हदीष़ सूबा राजस्थान और शहरी जमइयत अहले हदीस जोधपुर के तआवुन से शाए की जा रही है।/

वस्सलाम,

अब्दुर्रहमान ख़िलजी

ख़ादिमे जमइयत अहले हदीष़ राजस्थान

फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ) एक जाइज़ः

ज़ेरे नज़र किताब **'फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)'** जिसका हिन्दी तर्जुमा जनाब सलीम ख़िलजी ने किया है, इस किताब से पहले वे जमइयत अहले हदीस की इशाअत **'अहकामो–मसाइल'** का हिन्दी तर्जुमा कर चुके हैं। अल्लाह मौसूफ़ को हर तरह की आफ़ात व मुश्किलात से महफ़ूज़ रखे, आमीन!

'फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)' शाए होकर आज क़ारेईन के हाथों में पहुँच रही है। दरअसल यह किताब अल्लामा इब्ने क़य्यिम अज जौज़ियह (रहिमहुल्लाह) की एक मअरिकतुल आरा किताब **'इअलामुल मूक़ेईन अर्रब्बिल आलमीन'** का आख़री हिस्सा है, जिसमें मौसूफ़ ने आख़री नबी हज़रत मुहम्मद (ﷺ) से किये गये 1200 सवालात और जवाबात को दर्ज फ़र्माया है। इसको किताबी शक्ल में अलग से छापने का काम बेरूत (लेबनान) के एक मअरूफ़ इदारे (विख्यात संस्थान) 'दारुल मआरिफ़' ने पहले–पहल 2003 में किया था। जो कि **'फ़तावा रसूल (ﷺ)'** के नाम से शाए हुई थी। जबकि मज़्कूरा अस्सदर किताब का उर्दू तर्जुमा हिन्दुस्तान के एक मशहूर आलिमे दीन ख़तीबुल हिन्द मौलाना मुहम्मद बिन इब्राहीम मुहद्दिष जूनागढ़ी (रहिमहुल्लाह) ने **'दीने मुहम्मदी'** के नाम से बहुत पहले शाए किया था। फ़जज़ाहुल्लाह अह्सनल जज़ा!

पर इसको उर्दू क़ालिब में मुहतरम यह्या मुहम्मद ज़करिया ज़ाहिद (हफ़िज़हुल्ललाह) ने इस तरह ढाला है कि इअलामुल यूक़ेईन अर्रब्बिल आलमीन मुतर्जिम अज़ मौलाना मुहम्मद बिन इब्राहीम जूनागढ़ी (रह.) से उन अहादीष का तर्जुमा जमा किया जो इअलाम में मौजूद है और **'फ़तावा रसूल (ﷺ)'** में भी ज़िक्र की गई थी। बड़ी अर्क़–रेज़ी से इसका मसौदा तैयार हुआ और मतबअ कुद्दूसिया से यह किताब शाए होकर मंज़रे–आम पर आई। अल्लाह इन तमाम अहबाब की काविशों को कुबूल फ़र्माए, आमीन!

बहरकैफ़! इन तमाम मराहिल से गुज़रकर यह किताब हिन्दी ज़बान में होकर आज हमारे हाथों में है। किताब की अफ़ादियत के तअल्लुक़ से सिर्फ़ इतना अर्ज़ है कि ख़ाकसार ने इस किताब को ब–नज़रे–ग़ायर दो बार पढ़ा है और इसके तमाम गोशों का

बड़ी अमानतदारी से जाइज़ः लिया है। इसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि यह किताब इन्सान की मुकम्मल रहनुमाई के लिये मुस्तक़िल एक मशअ़ले–राह (हिदायत का रास्ता) है। ख़ास़ तौर पर हिन्दी जानने वाले इलाक़ों में इसकी सख़्त ज़रूरत है, जहाँ जिहालत ने अपना दबीज़ पर्दा, मुस्लिम समाज पर पूरी तरह डाल रखा है।

इंशाअल्लाह! उम्मत की इस्लाह के लिये यह किताब बड़ी मुफ़ीद स़ाबित होगी क्योंकि इसके तमाम मबाहिस़ मुफ़्ती अय्यूब के अन्दाज़ में मुरत्तब हैं। कुल्लियात अ़लावा जुज़िय्यात के तमाम मसाइल के मुहीत (आधारित) है, जिसमें रोज़मर्रा के पैदाशुदा तमाम मसाइल का तसल्लीबख़्श जवाब भी मौजूद है।

इसलिये इस किताब का वक़्त पर शाए होना एक अहम ज़रूरत की तकमील है और इस लायक़ भी है कि हर शख़्स़ अपने घर में दर्स के अन्दाज़ में थोड़ा–थोड़ा पढ़कर सबको सुनाए जिससे अपनी हर त़रह की कमी का सुधार हो सके।

'फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)' किताब में अहादीस़ की सेहत पर मुकम्मल तर्ज़ीह दी गई है और हर हदीस़ की इस्नादी हैस़ियत को वाज़ेह करने की पूरी कोशिश की गई है। इसलिये यह किताब हर रूत्ब व याबिस से पाक है। इसमें किसी त़रह का कोई झोल नहीं है और न किसी की राय को बिला दलील राज़िह क़रार दिया गया है जैसा कि और दूसरी किताबों में यह ऐ़ब जगह–जगह पर देखने में आता है और जैसा कि फ़िक़्ही जुमूद का अस़र ग़ालिब होने की बिना पर या औलिया–ए–किराम की मलफ़ूज़ात को दीने–इस्लाम की अ़ज़ीम तअ़लीमात का ह़िस्सा शुमार करने की बिना पर पाया जाता है। अल्लाह इन कमियों से सबको महफ़ूज़ रखे, आमीन!

अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त से दुआ–गो हूँ, 'बारे–इलाहा! तू इस किताब को सबके लिये मुफ़ीदे–आ़म बना और इसमें हर त़रह का तअ़वुन देने वाले तमाम बहीख़्वाहों के लिये स़दक़–ए–जारियः बना, आमीन!'

वस्सलाम,

अबुल कलाम स़नाउल्लाह अल फ़ैज़ी

उस्ताज़ दारूल उलूम अहले हदीस़ जोधपुर

इमाम व ख़तीब मस्जिद मुहम्मदी जोधपुर

अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) का एक मुख़्तसर तअर्रुफ़

जमइयत अहले हदीस जोधपुर की जानिब से एक और अहम किताब आपकी ख़िदमत में पेश है। इमाम इब्ने क़य्यिम अज् जौज़ी (रह.) सातवीं सदी हिजरी के अज़ीम इमामों में शुमार होते हैं, आप शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमिया (रह.) के शागिर्द थे। अल्लामा इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) की सवानिह उमरी या तअर्रुफ़ (जीवन परिचय) के लिये चन्द औराक़ नाकाफ़ी हैं। तवालत (विस्तार) से बचते हुए आपकी हयाते मुबारक के मुख़्तसर ज़िक्र के चन्द अहम और रोशन पन्ने आपकी नज़र किये जा रहे हैं।

पैदाइश व तअ़लीम :

अल्लामा इब्ने क़य्यिम 7 सफ़र सन् 691 हिजरी में पैदा हुए और इल्मो–फ़ज़्ल व अदब व अख़लाक़ के गहवारे में परवरिश पाई। आपका पूरा नाम मुहम्मद बिन अबू बक्र बिन अय्यूब बिन सअ़द हरीज़ुज़्ज़रई अद् दिमश्क़ी शम्सुद्दीन था व अल मअ़रूफ़ (विख्यात नाम) इब्निल क़य्यिम अज जौज़ी है। जौज़ी एक मदरसे का नाम था जो इमाम जौज़ी का क़ायमकर्दा था, इसमें आपके वालिदे माजिद क़य्यिम यानी निगरां व नाज़िम थे। अल्लामा इब्ने क़य्यिम (रह.) एक अर्से तक इससे मुन्सलिक (सम्बद्ध) रहे।

बचपन से ही आपको निहायत आला इल्मी माहौल मयस्सर आया। आपने मज़्कूरा मदरसे में उलूम व फुनून की तअ़लीम व तर्बियत हासिल की, नीज़ दूसरे उलमा से भी फ़ायदा हासिल किया, जिनमें शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमियः का नामे–गिरामी सबसे ज़्यादा अहम और क़ाबिले–ज़िक्र है। आपके उस्ताज़ों ने आपकी सलाहियतों को निखारने और संवारने की कोशिश फ़र्माई और आपका शुमार जलीलुलक़द्र उलमा में होने लगा। इनके शागिर्दे–रशीद की हैषियत से ज़िन्दगी भर रफ़ीक़े–सादिक़ (सच्चे दोस्त), क़ैदख़ाने के साथी और मैदाने–जिहाद में हमेशा साथ रहे। आप अपने उस्ताद के बाद उनके उलूम को निहायत क़ीमती इज़ाफ़े के साथ बेहतरीन उस्लूब पर शाए किया।

मुतअख़्ख़ेरीन (बाद वालों) में शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमियः के बाद इब्ने

क़य्यिम के पाए (स्तर) का कोई मुहक़्क़िक़ नहीं गुज़रा। आप फ़न्ने–तफ़्सीर (व्याख्याकारी) में अपना जवाब आप थे। उसूले–दीन के रम्ज़–शनास थे और फ़िक़्ह पर गहरी नज़र रखते थे। इस्तिम्बात व इस्तिख़राजी मसाइल में आप अपनी मिसाल आप थे। आदाबे–सहरगाही से आश्ना (जानकार) थे और निहायत ही इबादतगुज़ार थे। मुसीबतों को ख़न्दा–पेशानी से बर्दाश्त करते थे। सब्र व शुक्र के ज़ेवर से आरास्ता थे। आप शे'र व अदब आला नमूना और उम्दा मज़ाक़ रखते थे। आप एक माहिर तबीब भी थे।

उलमा–ए–तिब्ब का बयान है कि अल्लामा मौसूफ़ ने अपनी किताब **'तिब्बे–नबवी'** में जो तिब्बी फ़वाइद, नादिर तज़र्बात और बेशबहा नुस्ख़े पेश किये हैं, वो तिब्बी दुनिया में उनकी तरफ़ से ऐसा इज़ाफ़ा है जिसकी वजह से वे तिब्ब की तारीख़ में हमेशाा याद रखे जाएंगे। क़ाज़ी शहाबुद्दीन का बयान है, 'इस आसमान के नीचे, कोई भी उनसे ज़्यादा वसीउल इल्म न था।'

अल्लामा के रफ़ीक़े–दर्स (दर्स के साथी) हाफ़िज़ इब्ने–कषीर (रह.) फ़र्माते हैं, 'इब्नुल क़य्यिम (रह.) ने हदीष की समाअत की और ज़िन्दगी भर इल्मी मशग़ले में मसरूफ़ (व्यस्त) रहे। उन्हें मुतअद्दिद उलूम (अनेकानेक ज्ञानों) में कमाल हासिल था। ख़ास तौर पर इल्मे–तफ़्सीर और हदीष वग़ैरह में ग़ैर–मअमूली (असाधारण) दस्तगाह थी। चुनाञ्चे थोड़े ही अर्से में आप यगानह रोज़गार बन गये। वो अल्लाह की इबादत और इनाबत की सिफ़त से इस क़दर मुत्तसिफ़ हो गये कि शायद ही उस दौर में इनसे ज़्यादा कोई इबादतगुज़ार रहा हो। उस्तादे–मुह्तरम शैख़ुल इस्लाम इब्ने तैमियः के उलूम के सहीह वारिष और उनकी मस्नदे–तदरीस (दर्स की गद्दी) के कमा हक़्क़हू जानशीन थे।'

अल्लामा मौसूफ़ ने अपने उस्तादे–गिरामी की इल्मी ख़िदमात और इल्मी कारनामों की तौसीअ (विस्तार) व इशाअत (फैलाव) में ग़ैर–मअमूली हिस्सा लिया। उनकी तरफ़ से दअवत और दिफ़ाअ का फ़रीजा सरअंजाम दिया और इसकी ताईद के लिये तहक़ीक़ व तन्क़ीद की पूरी कोशिश की। उनकी फ़िक़ही तहक़ीक़ात और उनके फ़तावा व उसूल का बड़ी अर्क़–रेज़ी से जमा किया। बल्कि मज़ीद तहक़ीक़ व मेहनत से कुर्आन व सुन्नत की दलीलों से मुदल्लल किया।

इस तरह अल्लामा मुह्तरम ने बहुत बड़ा इल्मी ज़ख़ीरा छोड़ा है जो एक तरफ़ अल्लामा इब्ने तैमियः (रह.) के इल्म का ख़ुलासा है और दूसरी तरफ़ उस्ताद की तहक़ीक़ात के नताइज व षम्रात (फलस्वरूप) में तौज़ीहात का बेहतरीन लब्बे–लुबाब (सार) भी है। उन्होंने मुख़्तलिफ़ फ़ुनून व उलूम पर क़ाबिले–क़द्र किताबें तस्नीफ़ की हैं जिनमें फ़िक्र की गहराई थी, कुव्वते–इस्तिदलाल, हुस्ने–तर्तीब और जोशे–बयाँ पूरे तौर पर नुमायां है। इन किताबों में किताबो–सुन्नत का नूर और सलफ़ की हिकमत व बसीरत मौजूद है।

एक पहलू जो जो ख़ास तौर पर इन किताबों के मुतालए से, इनकी शख़्सियत और अक़ीदे के मुतअल्लिक़ वाज़ेह होता है कि वो सुन्नते–रसूल (ﷺ) से मुहब्बत करते थे और बिदअतों के सख़्त मुख़ालिफ़ थे। जो चीज़ उन्हें सुन्नते–रसूल (ﷺ) के मुताबिक़ नज़र आती उसे दिलो–जान से कुबूल कर लेते थे और जो चीज़ सुन्नते–रसूल (ﷺ) के ख़िलाफ़ नज़र आती उसे जड़ से उखाड़ने में अपनी पूरी ताक़त लगा देते थे। इस सिलसिले में वो न किसी के साथ रिआयत करते थे, न मुसालिहत और न रवादारी करते थे। उनका दिल मुहब्बते–रसूल (ﷺ) के नशे से सरशार था लेकिन उनकी यह मुहब्बत हद से तजावुज़ (सीमोल्लंघन) नहीं करती थी। वो किसी सूरत में और किसी हैषियत में भी मुहब्बते–रसूल (ﷺ) को जज़्ब–ए–तौहीद से मुतसादिम नहीं होने देते थे। उनकी तौहीद इतनी शदीद (तीव्र), ख़ालिस (शुद्ध) और वाज़ेह (स्पष्ट) थी कि उनके दुश्मनों ने उन्हें हर्फ़े–सितम बनाने में कोई दक़ीक़ः उठा नहीं रखा था। उन्हें तरह–तरह से तकलीफ़ें दी गई, उन पर ना–रवां पाबन्दियां आइद की गईं, नज़रबन्दी व ज़िलावतनी (देश निकाले की सज़ा) से दो–चार किया गया। उन्हें क़ैदो–बन्द की सऊबतों से गुज़ारा गया, लेकिन इन तमाम ज़ुल्मो–सितम के बावजूद उनके अज़्म व इस्तिक़ामत में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क़ नहीं आया।

अल्लामा इब्ने क़य्यिम अज जौज़ी (रह.) की चन्द मशहूर व मक़बूल तसानीफ़ यह हैं :–

01. तहज़ीब सुनन अबी दाऊद
02. इअलामुल मूक़ेईन
03. मिदराजुस्सालकीन
04. ज़ादुल मआद
05. इद्दतुस्साबेरीन व ज़ख़ीरतुश्शाकिरीन
06. मिफ़्ताहुस्सआदह
07. अल फ़वाइद
08. अल वाबिस्सैब
09. तुह्फ़तुल मौदूद फ़ी अह्कामिल मौलूद
10. हादियुल अरवाह
11. अस् सिरातुल मुस्तक़ीम
12. शिफ़ाउल अलील
13. अस्सवाइक़ुल मंज़िलः आलल जहनिय्यति वल मुअतिलह
14. जलाउल इफ़्हामि फ़ी ज़िक्रि अष्षलातु वस्सामु अला ख़ैरिल अनाम

इनके अलावा भी अनेक गिरां–क़द्र तस्नीफ़ात हैं जो ज़ेवरे–तबअ से आरास्ता हो चुकी हैं। आप की वफ़ात 13 रजब 751 हिजरी में हुई और दिमश्क़ के बाबे–सग़ीर के मक़बरे में अपने वालिद के पहलू में दफ़न किये गये। अल्लाह तआला आप को दर्जाते–आलिया और रहमते–अबदी से नवाज़े, आमीन!

अर्ज़े मुतर्जिम

सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो–षना (प्रशंसा–वन्दना) करता हूँ जिसने मुझ जैसे एक आम इन्सान को उर्दू में छपी **'फ़तावा रसूलुल्लाह (ﷺ)'** जैसी अहम दीनी किताब का हिन्दी तर्जुमा आपके सामने पेश करने की सलाहियत (योग्यता) बख़्शी।

आम तौर पर यह बात मशहूर है कि लोगों में दीनी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी ख़त्म होती जा रही है और बरसों–बरस तक दीनी किताबों के पहले एडीशन भी किताबघरों में पड़े रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह! यह भरम अब टूटा है, हिन्दी भाषी लोगों में दीनी किताबों की ओर ज़बरदस्त रूझान देखने को मिला है। इस किताब से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद से नाचीज़ के हाथों उर्दू किताब **'अहकामो–मसाइल'** का हिन्दी तर्जुमा मंज़रे–आम पर आ चुका है जिसके पहले एडीशन की 2100 किताबें महज़ तीन महीने में आऊट ऑफ़ स्टॉक हो गई और मई 2008 में उसका दूसरा एडीशन प्रकाशित हुआ जिसकी भी अब थोड़ी ही प्रतियां बची हैं। हाल ही में अल्लाह के करम से डॉ. ज़ाकिर नाइक द्वारा लिखित अंग्रेज़ी किताब **'कुर्आन और मॉडर्न साइंस'** का इसी नाम से रंगीन हिन्दी संस्करण नाचीज़ के हाथों क़ारेईन तक पहुँचा। इस किताब की मक़्बूलियत का आलम यह है कि बड़ी तादाद में लोगों की डिमाण्ड है। ये दोनों किताबें जमइयत अहले हदीष राजस्थान और शहरी जमइयत अहले हदीष़ जोधपुर के ज़रिये आप तक पहुँची है।

इनके अलावा नाचीज़ द्वारा डॉ. ज़ाकिर नाइक की एक और किताब **'आन्सर टू नॉन मुस्लिम्स कॉमन क्वेश्चन'** का अनुवादित व इज़ाफ़ाशुदा (परिवर्धित) संस्करण **'सवाल इस्लाम के बारे में'** शाए किया गया। **'वो अल्लाह है'**, **'अन् निकाह'**, **'औरत इस्लाम के आइने में'** जैसी किताबें लिखने और **'गवाही'** व **'कुर्आन का पैग़ाम, इन्सानियत के नाम'** जैसी किताबें शाए करने का शरफ़ (श्रेय) नाचीज़ को अल्लाह की मदद से ही मिल पाया है जिसके लिये मैं बारगाहे इलाही में जितना शुक्र अदा करूं, कम है। ये किताबें पाठकों ने न सिर्फ़ ख़ुद पढ़ी बल्कि अपने पैसों से अपने मुस्लिम व ग़ैर–मुस्लिम दोस्तों को तोहफ़े के तौर पर दी।

हिन्दी में मोअ़तबर व अ़अ़ला मेअ़यारी (विश्वसनीय एवं उच्च स्तरीय) दीनी किताबों की ज़बरदस्त डिमाण्ड है हिन्दी भाषी लोग दीने इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं। अभी और भी कई किताबों को आसान हिन्दी में अनुवादित किया जाना वक़्त की अहम ज़रूरत है, जिनमें सिहाहे सित्ता (अहादीस की छह मोतबर किताबें) भी शामिल हैं। कोशिशें जारी हैं, अल्लाह की मदद व नुसरत से हिन्दी में दीनी किताबों को आप तक पहुँचाने का यह सिलसिला जारी रहेगा, इंशाअल्लाह!

प्रिय पाठकों! जो किताब इस वक़्त आपके हाथों में है, यह कोई मामूली किताब नहीं है **बल्कि यह एक दस्तावेज़ है।** हमारी–आपकी ज़िन्दगी में पेश आने वाले बहुत सारे मसाइल का विश्वसनीय हल है। आगे सफ़हात पर जो जवाब दर्ज हैं वो किसी आम इन्सान द्वारा दिये हुए नहीं है कि उनकी वैधानिकता पर सवालिया निशान लगा दिया जाए। आइन्दा हर पेज पर एक कोने में छपी मोहरे नुबूवत महज़ एक डिज़ाइन नहीं है बल्कि इस बात की दलील है कि ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़तवा है जिनको मानने से इन्कार करना कुफ़्र को दअ़वत देना है। क़ुर्आन मजीद में अल्लाह तआ़ला इर्शाद फ़र्माता है,

> **'रसूल जो कुछ तुम्हें दे उसे ले लो और जिस से रोके रूक जाओ। और अल्लाह से डरते रहो।'** (सूरह हश्र : 7)

> **'आपके रब की क़सम! ये लोग मोमिन नहीं सकते जब तक कि ये अपने विवादों में आप को फ़ैसला करने वाला न मान लें। फिर जो भी फ़ैसला आप कर दें उस पर अपने दिल में कोई तंगी महसूस न करें बल्कि उसे सर आँखों पर तस्लीम कर लें।'** (सूरह अन् निसा : 65)

इन्सानों की यह फ़ितरत होती है कि जो बात उनके अनुकूल नहीं हो उसमें वे कोई न कोई हुज्जत करके मानने से इन्कार कर देते हैं लेकिन आप (ﷺ) का फ़ैसला सबसे अलग है। उसे मानने से इन्कार करना दुःखदायी अ़जाब की तयशुदा गारण्टी है।

> **'जब उनको बुलाया जाता है कि आओ अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे आपसी मुक़दमों का फ़ैसला कर दे तो एक गिरोह कतरा जाता है यानी मुँह मोड़ जाता है। अगर मामला उनके मुवाफ़िक़ हो तो बड़े फ़र्माबरदार बनकर आते हैं। क्या इनके दिल में मुनाफ़िक़त का रोग लगा हुआ है? या ये लोग शक में पड़े हुए हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर ज़ुल्म करेंगे?**

बात यह है कि ज़ालिम ये ख़ुद ही हैं।' (सूरह नूर : 48-50)

'जो लोग रसूल (ﷺ) के हुक्म को मानने से मुँह फेरते हैं, उन्हें इस बात से डरना चाहिये कि वे किसी फ़ित्ने का शिकार न हो जाएं या कोई दुःख देनेवाला अ़ज़ाब उनको पकड़ न ले।' (सूरह नूर : 63)

कहने का मतलब यह है कि **आगे सफ़हात पर छपे सवालात और जवाबात रसूलुल्लाह (ﷺ) से ष़ाबितशुदा हैं, जिन्हें मानना हर मोमिन व मुस्लिम पर लाज़िम है, चाहे उसका तअ़ल्लुक़ किसी भी मसलक या फ़िर्क़े से हो क्योंकि आप (ﷺ) का मर्तबा हर मस्लक व फ़िर्के के आ़लिम से सिर्फ़ ऊँचा ही नहीं बल्कि बहुत अ़ज़ीमुश्शान है। मुझे यक़ीन है कि आप इनकी अहमियत की क़द्र करेंगे।** इस किताब को नाचीज़ ने रस्मी तौर पर टाइप नहीं किया बल्कि एक-एक लाइन को कई-कई बार पढ़ा है; एक-एक नुक्ते की ग़लती को भी सुधारने की भरसक कोशिश की है, इसलिये इस किताब की इशाअ़त (प्रकाशन) में कुछ ज़्यादा समय लगा है। हद दर्जा एहतियात बरतने के बावजूद अगर कोई ग़लती रह गई हो तो आपसे गुज़ारिश है कि उसकी तरफ़ तवज्जुह दिलाएं, ताकि आइन्दा इस्लाह की जा सके। उर्दू से हिन्दी में तर्जुमा करते वक़्त पूरी-पूरी कोशिश की गई है कि उर्दू अल्फ़ाज़ को हिन्दी में नुमाया तौर पर अलग दर्शाया जाए; मिसाल के तौर पर **हे** के लिये **ह़** के नीचे, **तोय** के लिये **त़** के नीचे, **साद** के लिये **स़** के नीचे नुक्ता लगाकर उच्चारण में उनके जैसे दूसरे लफ़्ज़ों से अलग दिखाने की कोशिश की गई है, इसी तरह **से** को सीन से जुदा दर्शाने के लिये **ष़** अक्षर के ज़रिये लिखा गया है।

आपसे एक गुज़ारिश यह भी है कि इस किताब को एक ही बार में न पढ़ डालें बल्कि थोड़ा-थोड़ा करके, समझकर पढ़ें और फिर उस पर ग़ौर करें। इस किताब को आप न सिर्फ़ ख़ुद पढ़ें बल्कि अपनी बीवी और दीगर घरवालों को भी पढ़ने की तर्ग़ीब दिलाएं। अगर मुमकिन हो सके तो यह किताब ख़रीदकर अपने दोस्तों-अहबाब को तोहफ़े में दें, इंशाअल्लाह! ये काम आपके लिये स़द्क़-ए-जारिया बनेगा। आख़िर में एक बार फिर मैं अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ जिसकी तौफ़ीक़ से इस किताब की इशाअ़त मुमकिन हो सकी। मैं अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त की बारगाह में यह भी इल्तिजा करता हूँ कि बारे-इलाहा इस हकीर सी (तुच्छ) कोशिश को क़ुबूल फ़र्माकर उन तमाम लोगों को ष़वाब का मुस्तहिक़ बना, जिन्होंने इसकी इशाअ़त में मदद की है। ऐ अल्लाह मुझ नाचीज़ पर रहम फ़र्मा, मेरे वालिदैन को अपनी रहमत से नवाज़ दे जिनकी दुआ़ओं से मैं किसी क़ाबिल बन सका, आमीन! तक़ब्बल या रब्बिल आ़लमीन!! दुआ़गो

सलीम ख़िलजी

पहला बाब :

अक़ीदा, ईमान व तौहीद

अल्लाह का दीदार

सवाल : क्या मोमिन अपने परवरदिगार को क़यामत के दिन देख सकेंगे?

जवाब : अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ठीक दोपहर को जब आसमान साफ़ और बादल क़त्अन न हो, (उस वक़्त) सूरज को देखने में क्या तुम्हें कोई ज़हमत होती है? इसी तरह (जब) चौदहवीं का चाँद सर पर हो और आसमान में एक बालिश्त भर बादल न हो तो चाँद के देखने में कोई दिक़्क़त क्या तुम्हें होती है? लोगों ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं! ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)!! आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तुम को अल्लाह तआला को देखने में उतनी ही तकलीफ़ होगी जितनी कि चाँद और सूरज को देखने में।'

(**बुख़ारी**/अल अज़ान/फ़स्लुल सुजूद : 806, **मुस्लिम**/अल ईमान/मआरिफ़त् तरीक़ुर्रुयह : 182, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/16)

========================

सवाल : हम सब अल्लाह तआला को कैसे देख सकेंगे? जबकि वो तो एक है और हम सबसे तमाम रू–ए–ज़मीन भरी हुई होगी?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'देखो! उसकी मख़्लूक़ में भी उसे देखने की मिसाल मौजूद है। सूरज, चाँद जो अल्लाह की मख़्लूक़ है और वो भी छोटी सी मख़्लूक़। मगर तुम सब लोग एक ही वक़्त पर उन दोनों को देखते हो और वो दोनों तुम सबको। न कोई घमासान होता है न कोई भीड़–भाड़। फिर अल्लाह जो बहुत ही क़ुदरत वाला है तेरे उस मअबूद के दवाम (स्थायित्व) की क़सम! वो इस पर बहुत ज़्यादा क़ादिर है कि वो तुम्हें देखे और तुम उसे देखो।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) 4/14)

========================

सवाल : आंहज़रत (ﷺ) से पूछा गया कि क्या आपने रब्बे तबारक व तआला को देखा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो तो सरापा नूर है, मैं उसे कैसे देख सकता हूँ?' (**मुस्लिम**/ अल ईमान/ फी कौलिही ﷺ (नूरून् अन्ना अराहु) 178, **अहमद** फी किताबिही (अल मुस्नद) 5/157)

यहाँ जवाज़ भी बयान फ़र्मा दिया और उसके साथ ही दीदार से रोक की चीज़ भी वाज़ेह फ़र्मा दी (यानी स्पष्ट कर दी)। यानि वो नूर जो अल्लाह तआला का हिज़ाब (पर्दा) है, अगर वो खुल जाए तो कोई चीज़ उसके सामने क़ायम न रह सके।

========================

सवाल : आयत, '(हालाँकि) पैग़म्बर तो उसको एक बार और देख चुका है। (अन् नज्म : 13)' की तफ़्सीर जब नबी (ﷺ) से पूछी गई?

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इस से मुराद मेरा जिबईल (अलैहिस्सलाम) को उनकी असली सूरत में देखना है जिस पर मैने उन्हें सिवाय उन दो मर्तबा के और कभी नही देखा।' (**मुस्लिम**/अल ईमान/ मआना कौलहु तआला (व लक़द रआहु नज़्लतन् उख़रा) 177)

(एक मर्तबा नुबूवत के शुरू में, कि जिस की तरफ़ सूरह अन् नज़्म की ही आयत नं. 5 से 9 में इशारा मौजूद है और दूसरी मर्तबा मेअराज के मौक़े पर कि जिसका ज़िक्र आयत नं. 13 से 18 में मौजूद है)

========================

तक़दीर पर ईमान

सवाल : मसला–ए–तक़्दीर क्या है? लोग जो कुछ कर रहे हैं, क्या यह उसमें शामिल है जो पहले से ही फ़ैसला हो चुका है और उससे फ़राग़त हासिल कर ली गई है? या उस में से है जो अज-सरे नौ (नये सिरे से) पैदा होकर अब वजूद में आएगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं, बल्कि जो कुछ लोग कर रहें हैं, यह उसमें से है जो मुक़र्रर कर दिया गया है और जिसका फ़ैसला उन पर हो चुका है।'

फिर सवाल पूछा गया, फिर अआमाल किस चीज़ में दाख़िल हैं?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अमल (कर्म) किये चले जाओ, हर एक पर वही अआमाल आसान होंगे जिन के लिए वो पैदा किया गया है। अगर वो अहले सआदत (भाग्यवानों में) से है तो उस पर नेकी वालों के अआमाल ही आसान होंगे और अगर वो बदबख़्तों (दुर्भाग्यशालियों) में से है तो अहले शक़ावत (बुरे लोगों) के ही अआमाल उस पर आसान

होंगे।' (**बुख़ारी**/अत् तफ़्सीर/ क़ौलहु तआला (फ़सनयस्सिरोहु लिल युस्रा) अल हदीस 4141, **मुस्लिम** /अल क़द्र/ कैफ़ियतुल ख़लक़िल आदमि फ़ी बतनि उम्मिही 265, **तिर्मिज़ी**/ अल क़दर/ माजा फ़िश्शिक़ाइ वस्सआदह 2136, **इब्ने माजा**/अल मुक़द्दमह/ फ़िल क़द्र 78, **अहमद** फ़ी किताबेही अल मुस्नद 1/6)

फिर आपने अपने फ़र्मान की दलील के लिए सूरह लैल की नीचे लिखी आयात तिलावत फ़रमाई,

'तो जिस ने (अल्लाह की राह में) दिया और वो (हराम कामों से) बचा रहा। और अच्छी बात पर यक़ीन करके उसे सच माना, तो मैं उसके लिए आसान कर दूँगा (नेकी के काम) आसानी वाले घर(जन्नत) के लिए। और जिसने (अल्लाह की राह पर देने में) कंजूसी से काम लिया और (दुनिया के ख़्याल में आख़िरत से) बेपरवाही की और अच्छी बात (दीने-हक़) को झुठलाया तो मैं उसके लिए सख़्ती(जहन्नम) का रास्ता आसान कर दूँगा।' (सूरह लैल : 5-10)

======================

सवाल : लोग अपने दिलों में जो छुपाते हैं क्या अल्लाह तआला उसे जानता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ,जानता है।'

(**सहीह मुस्लिम**/ किताबुल ईमान/हदीष 340)

======================

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया कि दुआएँ और दम क्या तक़्दीर की किसी बात को लौटा देते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया,'वो ख़ुद तक़्दीर में शामिल हैं।'

(**अल बुख़ारी**/ अल क़द्र/ इल्क़ाउल अब्दिन् नज़्रि इलल क़द्र 6609)

======================

ख़ल्क़े-इलाही

सवाल : आसमान और ज़मीन को पैदा करने से पहले अल्लाह तबारक व तआला कहाँ था?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'बादल में था,ऊपर भी हवा और नीचे भी हवा। फिर उसने अपने अर्श को पानी पर पैदा किया।'

(**तिर्मिज़ी**/अत् तफ़्सीर/ व मिन् सूरह हूद : 3109)

======================

सवाल : इस आलम की पैदाइश की इब्तिदा के बारे में जब नबी (ﷺ) से सवाल हुआ? (यानी ये कायनात कैसे वजूद में आई?)

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, 'अल्लाह तआला था और उसके सिवा कोई दूसरा न था। उसका अर्श (सिंहासन) पानी पर था। उसने ज़िक्र (लौह महफ़ूज़) में हर चीज़ लिख ली।' (बुख़ारी/ बदउल् ख़ल्कि/ हदीस इमरान बिन हसीन : 3191)

========================

लड़का/लड़की

सवाल : क्या वजह है कि बच्चे कभी बाप पर जाते हैं तो कभी माँ पर?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब मर्द औरत से जिमाअ करता है (तो उस वक़्त) अगर मर्द का पानी औरत के पानी पर सबक़त कर जाता है तो तश्बीह (सूरत) बाप की होती है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर सबक़त (प्रभुत्व) कर जाता है तो औलाद की मुशाबिहत (समरूपता) माँ से होती है।'

सहीह मुस्लिम की हदीष में है कि, 'मर्द का पानी (माद्दा–ए–मन्विया) सफ़ेद होता है जबकि औरत का पानी (माद्दा–ए–मन्विया) ज़र्द रंग का। पस जब दोनों पानी इकट्ठे हो जाएँ और मर्द का पानी जब औरत के पानी पर चढ़ जाए और ग़ालिब आ जाए तो उन दोनों से अल्लाह के हुक्म से लड़का होता है और जब औरत का पानी मर्द के पानी पर ग़ालिब आ जाए तो अल्लाह के हुक्म से लड़की पैदा होती है।' (बुख़ारी/ अहादीषुल अम्बिया/ खलक आदमा व ज़ुर्रियतहु : 3329, मुस्लिम/ अल हैज़/ बयानु सिफ़तु मनियुर्रजुलि वल मरअति : 315)

इस हदीष की बाबत हमारे शेख़ (रह.) तवक़्क़ुफ़ (सुकूत/ चुप्पी) फ़र्माते थे कि यह लफ़्ज़ महफ़ूज़ हों। (शैख़ से मुराद शैख़ुल इस्लाम इमाम अहमद बिन अब्दुल हलीम इब्ने तैमिया (रह.) हैं।)

वे फ़र्माते थे कि महफ़ूज़ पहले ही अल्फ़ाज़ हैं। लड़का, लड़की होने का कोई तबई सबब (फ़ितरी कारण) नहीं। यह तो सिर्फ़ अल्लाह का हुक्म होता है फ़रिश्तों के लिए कि वो उसको पैदा करे जिस तरह अल्लाह चाहता है। इसीलिए यह रोज़ी ,अजल और सआदत व शक़ावत के साथ ही होता है। मैं कहता हूँ अगर यह लफ़्ज़ महफ़ूज़ हो तो भी दोनों हदीषों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। पानी की सबक़त मुशाबिहत का सबब है और पानी का ग़लबा लड़का, लड़की होने का बाइष है, वल्लाहु अअलम!!

========================

हिसाब-किताब

सवाल : नबी (ﷺ) से सवाल किया गया कि आयत ('फ़-सौफ़ युहासबु हिसाबय्यंसीरा') का क्या मतलब है? यानी नेक लोगों से हिसाब ब–आसानी लिया जाएगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह तो सिर्फ़ रूबरू हो जाना है।' (**बुख़ारी**/ अर्रिक़ाक/ मन्नुक़िशल हिसाब उज़्ज़िब : 6536, **मुस्लिम**/ अल जन्नत व सिफ़तु नईमिहा व अहलिहा/ षबातुल हिसाब : 2876, **तिर्मिज़ी**/ सिफ़तुल क़ियामः/माजाअ फ़िल अर्ज़ : 2426)

========================

सवाल : नबी करीम (ﷺ) से पूछा गया कि मुश्रिकीन की किसी बस्ती पर छापा या शबख़ून (रात्रिकालीन छापा) मारा जाए और उनके साथ ही उनकी औरतें और बच्चे क़त्ल हो जाएँ तो क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो भी उन्हीं में से हैं।' (**बुख़ारी**/ अल जिहाद वल सीर/ अहलुद्दारि यबीतूना फयुसिबुल विल्दान वज़्ज़रारी : 3012)

यह हदीष सहीह है। नबी (ﷺ) के इस फ़र्मान का मतलब कि **'वो भी उन्हीं में से हैं'** यह है कि दुनियावी अहकाम और ज़मानत न होने में, यह नही कि अज़ाबे आख़िरत में। इसलिए कि जब तक किसी पर हुज्जते रब्बानी पूरी न हो जाए अल्लाह तआला उसे अज़ाब नही देता।

========================

सवाल : मुश्रिकों के जो छोटे बच्चे मर जाते हैं उनके बारे में आप (ﷺ) से सवाल किया गया (यानी उनका हश्र क्या होगा?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो क्या कुछ अमल करने वाले थे, उसका अल्लाह को बख़ूबी इल्म था।' (**बुख़ारी**/अल क़द्र/ अल्लाहु अअलमु बिमा कानू आमिलीन : 9597, मुस्लिम/अल क़द्र/मअना कुल्लु मौलूदिन् यूलदो अलल फ़ितरः 2659)

इस जवाब से यह न समझा जाए कि नबी ने उनके बारे में तवक्कुफ़ फ़र्माया, न यह समझा जाए कि यह बड़े होकर जो अमल करने वाले थे वो चूँकि अल्लाह को अभी से मअलूम था इसलिए उन अअमाल के मुताबिक़ जो उसके इल्म में था, उन्हें जज़ा या सज़ा दी जाएगी। नहीं! बल्कि अल्लाह का इल्म उनके रोज़े क़यामत के इम्तिहान में ज़ाहिर हो जाएगा और उस पर जज़ा व सज़ा मुरत्तब होगी जैसे और बहुत–सी अहादीष में इसकी तशरीह (व्याख्या) मौजूद है और मुहद्दिसीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ (सर्वसम्मति) है कि उनसे क़यामत के दिन इम्तिहान लिया जाएगा, इताअतगुज़ार जन्नत में दाख़िल किये

जाएँगे और नाफ़र्मान जहन्नम में जाएँगे।

========================

सवाल : जब सूरह ज़ुमर की आयात 'बेशक (ऐ नबी!) तुम भी मौत से हमकिनार होने वाले हो और वो भी मरने वाले हैं। फिर क़यामत के दिन तुम सब अपने मालिक के सामने झगड़ा करोगे।' नाज़िल हुई तो सवाल किया गया कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या दुनिया की हमारी यह आपस वाली बातें वहाँ पर दोहराई जाएँगी हालाँकि गुनाह अलग हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ यक़ीनन यह तो होना ही है, जब तक तुम हर ह़क़्दार को उसका ह़क़ न पहुँचा दो। ह़ज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) ने कहा कि क़सम अल्लाह की! यह अम्र बड़ा ही सख़्त है।' (अल मुस्नद अहमद, जामेअ तिर्मिज़ी हदीष 3236, तफ़्सीर इब्ने कषीर (रह.)

========================

अज्र व इन्आम

सवाल : आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि जन्नती सबसे पहले क्या खाएँगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मछली की कलेजी की ज़्यादती। (तौशा)।'

फिर पूछा गया, 'उसके बाद उनके सुबह का खाना क्या होगा?'

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जन्नती बैल जो जन्नत के अतराफ़ (क्षैत्र) में चरता होगा, वो उनके लिए ज़िब्हः किया जाएगा।'

फिर सवाल हुआ, 'उस पर वो क्या पिएँगे?'

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सलसबील नामी चश्मे (झरने) का पानी।' (बुख़ारी/अर्रिक़ाक़ यक़्बिज़ुल्लाहुल अर्ज़ यौमल क़ियामति : 652, मुस्लिम/ अल हैज़/ सिफ़तु मनीयुर्रजुलि वल मरअति : 315)

========================

यौमे ह़श्र व क़यामत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब हवाएँ, दरिन्दे और सड़ना–गलना हमारे बदन का रेज़ा–रेज़ा अलग कर देंगे तो फिर हमारा रब हमें कैसे जमा करेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसकी निशानी और नज़ीर तो तुम ख़ुद मुलाहिज़ा (देखा) करते हो। ज़मीन ख़ुश्क व बंजर (सूखी व अनुपजाऊ) पड़ी है जिसे देखकर तुम्हारे दिल में ख़्याल गुज़रता है कि यह कैसे आबाद हो सकती है? लेकिन जब बारिश होती है तो

वही ज़मीन लहलहाने लगती है, सरसब्ज़ (हरी–भरी) हो जाती है। लिहाज़ा जो अल्लाह ज़मीन को उगाने और उसको ज़िंदगी बख़्शने पर क़ादिर है तुम्हारे उस मअ़बूद के दवाम (स्थायित्व) की क़सम! वो उससे भी ज़्यादा क़ादिर है कि मुर्दों को ज़िन्दा कर दे।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/13)

=======================

सवाल : जिस दिन ज़मीन व आसमान बदल जाएँगे, उस दिन लोग कहाँ होंगे?

जवाब : आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'पुल सिरात पर', और एक और रिवायत में हैं कि 'पुल सिरात के पास अँधेरे में।' फिर सवाल किया गया कि सबसे पहले पुल सिरात पार कौन लोग करेंगे? फ़र्माया, 'मुहाजिर व फ़ुक़रा (हिजरत करने वाले और ग़रीब लोग)।' (मुस्लिम/ अल हैज़/ बयान सिफ़तु मनियुर्रजुलि वल मरअति : 315)

इन दोनों रिवायतों में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं। तब्दीली के आग़ाज़ (परिवर्तन के प्रारम्भ) में लोग पुल सिरात के अगले हिस्से पर ज़ुल्मत (अंधेरे) में होंगे, और जब वो सब पुल सिरात पर होंगे जब तब्दीली तमाम हो जाएगी।

=======================

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया कि काफ़िर का हश्र उसके मुँह के बल कैसे होगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या जो अल्लाह (लोगों को) पैरों के बल दुनिया में चलाता है वो इस पर क़ादिर नहीं कि (उनको) सर के बल आख़िरत में चलाए?' (यह सुनकर) हज़रत क़तादा (रज़ि.) ने कहा, 'क्यों नहीं! हमारे रब की इज़्ज़त की क़सम!' (वो ऐसा कर सकता है) (बुख़ारी/अर्रिक़ाक़/ अल हश्र : 6523)

=======================

सवाल : आपसे दरयाफ़्त किया गया कि आप (ﷺ) क्या अपने अह्ल को बरोज़े क़यामत याद भी फ़र्माएँगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! लेकिन तीन जगहों में कोई किसी को याद नहीं करेगा।

(1) उस वक़्त कि जब तराज़ू रखी जाएगी और जब तक यह न मअ़लूम हो जाए कि नेकियाँ बढ़ीं या बुराइयाँ बढ़ीं।

(2) जब कि अअ़माल–नामे दिए जाएँ तब कहा जाएगा कि आओ! पढ़ो!! अपना–अपना अअ़माल-नामा, जब तक कि यह न मअ़लूम हो जाए कि दाएँ हाथ में आया या बाएँ हाथ में या पीठ पीछे से?

(3) जिस वक़्त जहन्नम पर पुल सिरात रखा जाए (और उससे पार गुज़रने का

हुक्म हो जाएगा। उसके दोनों जानिब आँकस होंगे और लोहे के आँकड़े, जिससे लोग पकड़ लिए जाएँगे और उनके जिस्म छिल जाते होंगे जब तक कि यह मअ़लूम न हो जाए कि वोह निजात पाता है या नहीं?)'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/110, अबूदाऊद : 4755 ज़ईफुन/अल्बानी रह.)

=======================

अल्लाह से मुलाक़ात

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब हम अपने परवरदिगार से मुलाक़ात करेंगे तो अल्लाह तआ़ला हमारे साथ क्या तरीक़ा इख़्तियार करेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम सब खुल्लम खुला बग़ैर छिपे उसके सामने पेश किए जाओगे, वो अपने हाथ से पानी का एक चुल्लू तुम पर डालेगा जिसके क़तरे (बून्दें) तमाम मख़्लूक़ के मुँह पर आ पड़ेंगे। मुस्लिमीन के मुँह तो नूरानी सफ़ेद हो जाएँगे और काफ़िरों के चेहरे कोयले जैसे स्याह पड़ जाएँगे।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/13)

=======================

सवाल : आँहज़रत (ﷺ) से पूछा गया कि उस दिन सूरज चाँद तो रोक लिए जाएँगे फिर हम कैसे देख सकेंगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब फ़र्माया, 'जैसे तुम इस वक़्त देख रहे हो।'

यह सूरज के तुलूअ़ होने (सूर्योदय) से पहले का वक़्त था, ज़मीन पर रोशनी फैल चुकी थी लेकिन सूरज पहाड़ों की ओट में था।

फिर आप (ﷺ) से पूछा गया नेकियों और बदियों की जज़ा हमें कैसे दी जाएगी? (तो आप ﷺ ने फ़र्माया, 'नेकियाँ दस गुना करके और बुराइयाँ बराबर–बराबर। इल्ला (सिवाय) यह कि वो भी मुआ़फ़ कर दी जाएगी।'

फिर पूछा गया, जन्नत में हम किस चीज़ को देखेंगे? (कि जिन से हम फ़ायदा उठाएँगे।)

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'साफ़ शहद की नहरों को, पाक शराब की नहरों को, जिन पर जाम तैर रहे होंगे जिससे न सर चकराए न नदामत हो, दूध के जारी चश्मों को, जिनका मज़ा न बिगड़े, पानी के दरयाओं को जो कभी मुताग़य्यिर न हों (यानी जिसके पानी का मज़ा नहीं बदलेगा) और उन मेवों को जिन्हें तुम जानते हो और उन के साथ उन्हीं जैसे और, जो उन से बहुत ही बेहतर हैं और पाक–साफ़ बीवियों को।'

फिर सवाल हुआ, क्या वहाँ हमारे लिए बीवियाँ भी होंगी?

(आप (ﷺ) ने), फ़र्माया, 'हाँ! निहायत नेकबख़्त!! जो नेकबख़्तों के लिए होगी, जिनसे तुम और वो तुम से लज़्ज़त व सुरूर (ख़ुशी) हासिल करेंगी जैसे कि दुनिया में लज़्ज़त हासिल करते थे। हाँ! वहाँ बाल बच्चों की झंझट नहीं होगी।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/13)

=========================

ईमान और गुनाह की तारीफ़ (परिभाषा)

सवाल : ईमान क्या चीज़ है?

जवाब : 'जब तुझे नेकी से ख़ुशी और मुसर्रत हासिल हो, गुनाह से रंज और तकलीफ़ हो तो तू मो'मिन है।'

=========================

सवाल : गुनाह क्या है?

जवाब : 'कोई काम जो तेरे दिल में धकड़–पकड़ करे, उसे छोड़ दे।' (**अहमद** 2/252)

=========================

सवाल : नेकी क्या है और गुनाह क्या है?

जवाब : 'नेकी वो है जिससे नफ़्स सुकून हासिल करे और दिल मुतमईन (संतुष्ट) हो, गुनाह वो है जिससे नफ़्स सुकून हासिल न करे और दिल मुतमईन न हो।'

(**अद् दारमी**/ अल बुयूअ : 2/246, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/194)

=========================

आख़िरत का मामला

सवाल : सवाल हुआ कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! एक शख़्स एक क़ौम से मुहब्बत तो करता है लेकिन अमल में उनकी बराबरी नहीं कर सकता, क्यों?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इंसान उनके साथ है जिनसे मुहब्बत रखे।' (**बुख़ारी**/ अल अदब/ अलाक़तुल हुब्बि फ़िल्लाह : 6170, **मुस्लिम**/ अल बिर्रू वस्सिलह/ अल मरउ मआ मन् अहब्बः 2640, **तिर्मिज़ी**/ अज़ ज़ोहद/ म-जाअ अन्नल मरअह मन् अहब्बह 2385)

=========================

सवाल : कौसर क्या चीज़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो एक नहर है जो अल्लाह ने मुझे दी है। उसका पानी

दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा मीठा है, वहाँ वो परिन्दे हैं जिनकी गर्दनें बुख़्ती ऊँटों की गर्दनों के बराबर हैं।'

(**अहमद** फी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/220)

सय्यिदिना उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने कहा कि फिर तो वो परिन्दे बेहतरीन चीज़ हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! ऐ उमर! उनके खाने वाले सबसे ज़्यादा इन्आम वाले हैं।'

========================

सवाल : सबसे ज़्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीज़ क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह का डर और अख़्लाक की अच्छाई।'

दूसरी बार पूछा गया, इंसान को सबसे ज़्यादा जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दो खोखली चीज़े। मुँह और शर्मगाह।' (**इब्ने माजा**/ अज़ ज़ुहद/ जिक्रूज़्ज़ुनूब : 4246, अहमद फी किताबेही अल मुस्नद : 2/291, वहुव हसनुन/ अल अल्बानी रहिमुहुल्लाह)

========================

सवाल : जिस औरत के दो–तीन ख़ाविन्द दुनिया में हो गए हों, वो जन्नत में किस को मिलेगी?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे इख़्तियार दिया जाएगा कि जिसे चाहे पसन्द कर ले? वो उनमें से उसे पसन्द करेगी जो दुनिया में उससे अच्छे अख़्लाक से पेश आता रहा हो।' (**अत् तबरानी** फी (अल मुअजमिल कबीर) : 411)

========================

सवाल : पूछा गया कि क़यामत की शर्तों में से पहली शर्त क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'आग जो लोगों को मश्रिक़ (पूरब) से मग़्रिब (पश्चिम) की तरफ़ इकट्ठा करेगी।'

हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से जो तीन सवालात किये थे उनमें से एक यही था। दूसरा जन्नतियों के खाने का। तीसरा औलाद की मुशाबिहत (समरूपता) के सबब का, लेकिन उसमें ग़लत–सलत्, वाही और झूठ मिला–मिलाकर लोगों ने एक मुस्तक़िल किताब लिख दी, जिसका नाम मसाइल अब्दुल्लाह बिन सलाम रख दिया हालाँकि आप (ﷺ) के यह तीनों सवाल सही बुख़ारी में नबी (ﷺ) के जवाब समेत मौजूद हैं। (**बुख़ारी**/ अहादीषुल अम्बिया/ ख़लक आदमा व ज़ुर्रियतहु : 3329)

========================

सवाल : एक सहाबी की वफ़ात पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'काश कि यह ग़ैर वतन में फ़ौत होता तो आपसे दरयाफ़्त किया गया कि यह किस लिए?'

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया, 'इसलिए कि वो जब परदेस में मरता है तो उसकी जाए पैदाइश (जन्म–स्थान) से लेकर उसके पैरों के निशानात ख़त्म होने तक जगह नाप कर उसे जन्नत में जगह मिलती। यह सब अहादीष़ इमाम इब्ने हातिम और इब्ने हिब्बान अपनी सहीह में लाए हैं।' (**अन् निसाई**/ अल जनाइज़/ अल मौतु बिग़ैरि मौलदिही : 1832, **इब्ने माजा**/ अल जनाइज़/ फ़ी मन् माता ग़रीबा : 1614, **इब्ने हिब्बान** फ़ी किताब : अल जनाइज़ : 2934, हसनुन/ अल अल्बानी)

========================

सवाल : हज़रत अनस (रज़ि.) आप (ﷺ) से अपनी शफ़ाअत की दरख़्वास्त के बारे सवाल किया

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं करूँगा।'

फिर कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं आपको कहाँ तलाश करूँगा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अव्वल तो पुल सिरात पर।' अच्छा अगर वहाँ आप (ﷺ) न मिलें? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तराज़ू के पास।' और अगर वहाँ भी आपसे मुलाक़ात न हो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हौज़े कौष़र के पास। बस इन तीन जगहों में से किसी न किसी जगह में ज़रूर मिल जाऊँगा।' (**अत् तिर्मिज़ी**/ सिफ़तुल क़ियामति/ मा-जाअ फ़ी शअनिस्सिरात : 2433, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/178, सहीहुल अल अल्बानी)

========================

इस्लाम, ईमान व अअ़माल

सवाल : आपसे सवाल किया गया कि इस्लाम क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह के सिवा किसी के मअबूदे बरहक़ न होने की गवाही देना, और मुहम्मद (ﷺ) के रसूल होने की गवाही देना, नमाज़ का क़ायम करना, ज़कात अदा करना,रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह शरीफ़ का हज्ज करना।' (**अल बुख़ारी**/ अल ईमान/ दुआउकुम ईमानुकुम : 8, **अल मुस्लिम**/ अल ईमान/ बयानु अरकानिल् इस्लाम व दुआइमिहिल इज़ाम : 16, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/27)

========================

सवाल : आपसे ईमान की बाबत सवाल किया गया (यानी ईमान क्या है?)

जवाब : 'अल्लाह पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, उसकी मुलाक़ात पर,

उसके रसूलों पर, मरने के बाद जीने पर यक़ीन रखना और ईमान लाना।' (**बुखारी**/ अल ईमान/ सवालु जिब्रिलिन् नबिय्यि अनिल ईमान : 50, मुस्लिम/ अल ईमान मअ हुव व बयानु खिसालिही? : 9)

========================

सवाल : एहसान की निस्बत सवाल हुआ (यानी एहसान क्या है?)

जवाब : 'अल्लाह की इबादत इस तरह करना कि गोया तू अल्लाह को देख रहा है। पस अगर तू उसे देख नहीं रहा तो वो तुझे देख रहा है।' (**अल बुखारी**/ अल ईमान/ सवालु जिब्रिलिन् नबिय्यि अनिल ईमान वल इस्लामि वल एहसानि वल इल्मुस्साअ : 50, **मुस्लिम**/ अल ईमान/ अल ईमानु मा-हुव व बयानु खिसालिही : 9)

========================

सवाल : हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने पूछा कि हम जो अमल करते हैं वो किसी बिल्कुल नई चीज़ में है या उससे फ़राग़त हासिल कर ली गई है? (यानी क्या तक़्दीर में पहले से ही फ़ैसला कर लिया गया है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बल्कि उसमें जिससे फ़राग़त हासिल कर ली गई है, ऐ इब्ने ख़त्ताब! और हर शख़्स के लिए उसकी राह आसान कर दी गई है। सो जो आदमी अहले सआदत में से होता है वो सआदत (आख़िरत की कामयाबी और अल्लाह की रज़ा) के लिए अमल करता है और जो अहले शक़ावत में है वो शक़ावत व बदबख़्ती के लिए (बुरे) अमल करता है।'

फिर फ़र्माया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अमल किस हैषियत में है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ उमर! वो हासिल नहीं हो सकती मगर अमल से ही।' (**अत् तिर्मिज़ी**/ अल क़द्र मा-जाअ फ़िश्शिकाई वस्सआदह : 2135, **अहमद** फ़ी किताबेही अल मुस्नद : 1/29, सहीहुन/ अल अल्बानी)

अब हज़रत उमर (रज़ि.) कहने लगे कि फिर तो हम पूरी कोशिश करते रहेंगे या रसूलल्लाह (ﷺ)!

जनाब उमर (रज़ि.) का यही सवाल एक बार आप (ﷺ) से सुराक़ः बिन जअशम (रज़ि.) ने किया आप (ﷺ) ने यही जवाब दिया? उन्होने पूछा फिर ऐसी सूरत में अमल की क्या ज़रूरत है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अमल किए जाओ कि जिसे लिखकर क़लमें सूख गई हैं और तक़्दीर जारी हो चुकी। पस अमल करते चले जाओ। हर राह आसान कर दी जाएगी।' (**मुस्लिम**/ अल क़द्र/ कैफ़ियतु खलकल आदमा फ़ी बतनि उम्मिह : 2648/6735)

सुराक़ः (रज़ि.) ने कहा कि मैं तो उस वक़्त से बराबर अमल में आगे ही बढ़ रहा हूँ।

=======================

नेकी और बुराई का मेअ़यार

सवाल : सबसे बड़ा गुनाह कौनसा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करना बावजूद यह कि पैदा करने वाला वही है।'

पूछा गया, फिर कौनसा गुनाह है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह कि तू अपनी औलाद को क़त्ल कर दे इस डर से कि वो तेरे साथ खाएगी।'

पूछा गया फिर कौनसा? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसके बाद सबसे बड़ा गुनाह यह है कि तू अपनी पड़ोसन से बदकारी करे।' (**बुख़ारी**/ अत् तफ़्सीर क़ौलुहू तआला (फ़ला तज्अलू लिल्लाहि अन्दादंव् व अन्तुम तअलमून) : 4477, **मुस्लिम**/ अल ईमान/ बयानु कौनुश्शिर्कि अक़्बहाज़्ज़ुनूबि व बयानु अअज़मुहा बअदह : 86, वल्लफ़्ज़ु लिल बुख़ारी)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! तमाम अअ़माल से ज़्यादा महबूब अ़मल अल्लाह के यहाँ कौनसा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़ को वक़्त पर अदा करना और एक रिवायत में है, अव्वल वक़्त में अदा करना।'

पूछा गया, फिर कौनसा?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'माँ-बाप से (अच्छा) सुलूक व एहसान।'

पूछा गया, फिर कौनसा?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की राह का जिहाद।'

(**बुख़ारी**/ मवाक़ितुस्सलात/ फ़ज़्लुस्सलाति लि वक़्तिहा : 527, **मुस्लिम**/ अल ईमान/ बयानु कौनिल ईमानि बिल्लाहि तआला अफ़ज़लुल अअमाल : 85)

=======================

सवाल : सहीह इब्ने हिब्बान में है कि किसी ने आप (ﷺ) से पूछा, आप (ﷺ) को अल्लाह तआला ने किस किस चीज़ के साथ मबऊ़स फ़र्माया है (यानी भेजा है)?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इस्लाम के साथ।'

उसने कहा, इस्लाम क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू अपना दिल अल्लाह का मुतीअ़ (फ़र्मांबरदार/आज्ञाकारी) कर दे, अपना चेहरा अल्लाह की तरफ़ कर दे, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ता रह, फ़र्ज़ ज़कात देता रह, दोनों भाई हैं मददगार, अल्लाह तआला उस बन्दे की तौबा क़बूल नहीं करता जो अपने ईमान के बाद शिर्क करे।' (**इब्ने हिब्बान** फ़ी (सहीहहु) : 160)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग शख़्स कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सबसे ज़्यादा ख़ौफ़े इलाही रखने वाला।'

(पूछने वाले ने) कहा, यह हमारा मतलब नहीं।

(तब आप (ﷺ) ने) फ़र्माया, 'फिर क्या तुम अ़रब के क़बीलों के बारे में दरयाफ़्त करना चाहते हो? सुनो! जाहिलियत के ज़माने में जो बेहतर थे वही इस्लाम में भी बेहतर हैं, जब दीन की समझ हासिल कर लें।' (**बुख़ारी**/ अहादीसुल अम्बिया (अम् कुन्तुम शुहदाअ इज़् हज़रा यअ़कूबल मौत) : 3374)

=======================

सवाल : आप (ﷺ) से सवाल हुआ कि अहले किताब नंगे पांव कर लेते हैं और जूतियों समेत नमाज़ नहीं पढ़ते।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम नंगे पैरों भी रहो और जूतियाँ भी पहनो और अहले किताब के ख़िलाफ़ भी करो।'

उन्होंने कहा कि अहले किताब अपनी दाढ़ियाँ भी मुँडवाते हैं और अपनी मूँछों को बढ़ाते हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम अपनी मूँछें कटवा दिया करो और अपनी दाढ़ियाँ बढ़ाया करो, अहले किताब के ख़िलाफ़ करो।'

(**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/265)

=======================

दूसरा बाब :

तफ़सीरि-क़ुर्आन

नोट: इस बाब में इमाम इब्ने क़य्यिम (रह.) ने नबी मुकर्रम (ﷺ) से रिवायतशुदा उन्हीं आयात व सूरह की फ़ज़ीलत दर्ज की है जिनसे मुतअल्लिक़ आप (ﷺ) से कोई सवाल पूछा गया था। वरना सूरह अल फ़ातिहा से लेकर क़ुर्आन की आख़री सूरत सूरह नास तक तक़रीबन सभी सूरतों की फ़ज़ीलत आपने बग़ैर पूछे बयान फ़र्माई है। लिहाज़ा इन अहादीष़ और यहाँ पर दर्ज अहादीष़ में कोई तआरुज़ (एतिराज़) व तनाक़ुज़ (कमी) नहीं है। (सं.)

क़ुर्आनी आयात की तफ़सीर

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया कि क़ुर्आन में है, 'वो देते हैं जो देते हैं लेकिन दिल उनके डरते रहते हैं।' (अल् मोमिनून : 60) इस से मुराद कौन लोग हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह वो लोग हैं जो रोज़े रखते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, स़दक़े व ख़ैरात करते हैं ता–हम (यहाँ तक कि) दिल में ख़ौफ़ ज़िन्दा रखते हैं कि कहीं हमारी यह नेकियाँ ग़ारत न हो जाएँ, क़ुबूलियत से रुक न जाएँ।'

चुनाञ्चे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़र्माता है, 'यही लोग है जो जल्दी–जल्दी नेकियाँ,भलाइयाँ ह़ासिल कर रहे हैं और यही वो अहले ईमान हैं जो उन नेकियों की तरफ़ दौड़ कर जाते हैं।' (तिर्मिज़ी/ अत् तफ़्सीर/ व मिन् सूरतिल् मुअमिनून : 3175, इब्ने माजा/ अज़् ज़ुहद/ अत् तौक़ीअ अलल अमल : 4198)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ुर्आन में है, (या उख़्त हारून) इससे मअलूम होता है कि हज़रत मरयम, जनाब हारून, बिरादरे हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) की बहन थीं? हालाँकि उन दोनों के ज़माने में बहुत फ़ासला है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हारून से मुराद मूसा (अलैहिस्सलाम) के भाई नहीं बल्कि बनी इस्राईल अपने नबियों के नाम पर अपने नाम बराबर रखा करते थे और नेक लोगों के नामों पर भी।' (**अल कुर्तुबी** फ़ी किताबिह : अल जामिअ लि अहकामिल कुर्आन : 11/100)

=======================

सवाल : नबी (ﷺ) से आयत (व इज़् अख़ज़ रब्बुकः मिन् बनी आदमा मिन् ज़ुहूरिहिम् ज़ुर्रियतहुम् व अश्हदहुम् अला अन्फ़ुसिहिम् अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिद्ना अन् तक़ूलू यौमल क़ियामति इन्ना कुन्ना अन् हाज़ा ग़ाफ़िलीन. अल अअराफ़ : 172) **'और जब तुम्हारे परवरदिगार ने बनी आदम से, यानि उनकी पुश्तों से उनकी औलाद निकाली तो उनसे ख़ुद उनके मुक़ाबले में इक़रार करा लिया (यानि उनसे पूछा) क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? तो वो कहने लगे, क्यों नहीं? हम गवाह हैं (कि तू ही हमारा परवरदिगार है, उनसे यह इक़रार इसलिए कराया था) ताकि क़यामत के दिन (कहीं यूँ न) कहने लगो कि हमें तो इसकी ख़बर ही न थी.' की तफ़्सीर दरयाफ़्त की गई?**

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला ने हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) को पैदा किया फिर अपना दाहिना हाथ उनकी पीठ पर फेरा, उससे उनकी औलाद निकल आई। फ़र्माया, मैंने उन्हें जन्नत के लिए पैदा किया है और यह जन्नत वाले अअमाल करेंगे। फिर हाथ फेरकर और औलाद निकाली और फ़र्माया, यह सब जहन्नमी हैं और जहन्नम वाले अमल करेंगे। एक शख़्स ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर अमल का क्या शुमार रहा? सय्यिदिना उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) बयान करते हैं कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! जिस किसी को जन्नत के लिए बनाया गया है उसे जन्नत वाले अअमाल की तौफ़ीक़ दी जाती है। वो मरते दम तक यही अमल करता रहता है।' (**मालिक**/ अल क़द्र/ अन् नही अनिल क़ौलि बिल क़द्र : 11726, **तिर्मिज़ी**/ अत् तफ़्सीर व मिन् सूरतिल अअराफ़ : 3075, **अबू दाऊद** : 4703 व हुव सहीहुन/ अल्बानी रह.)

=======================

सवाल : नबी करीम (ﷺ) से आयत (या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अन्फ़ुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन् ज़ल्ला इज़ः तदैयतुम इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन्

फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअ़मलून0 अल माइदह : 105) **'ऐ ईमान वालों! तुम अपनी फ़िक्र करो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ़ लौट कर जाना है। उस वक़्त वो तुम्हें, तुम्हारे सब कामों से जो तुमने दुनिया में किये होंगे आगाह करेगा (और उनका बदला देगा)' की तफ़्सीर के बाबत सवाल किया गया।**

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बल्कि तुम अच्छाइयों का हुक्म किये चले जाओ और बुराइयों से रोकते रहा करो। यहाँ तक कि जब तुम देखो, बख़ीली (कंजूसी) की पैरवी की जाए, ख़्वाहिशों के पीछे लगा जाए, दुनिया को तरजीह दी जाए, हर ज़ी–राय (राय देने वाला) अपनी राय को पसंद करने लगे, ऐसे वक़्त तुम सिर्फ़ अपनी इस्लाह में लग जाओ और अ़वामुन्नास (आ़म लोगों) को बिल्कुल ही छोड़ दो। बिलाशुब्ह: तुम्हारे बाद ऐसा दौर आने वाला है (ज़ुल्म व इस्तिबदाद का) कि उस ज़माने में सब्र करना हाथ में अंगारा पकड़ने की मानिन्द होगा। उन दिनों में सुन्नत पर अ़मल करने वालों को (ऐ मेरे सहाबा!) तुम्हारे जैसे स्वालेह (नेक) लोगों में से 50 आदमियों के अज्र बराबर सवाब मिलेगा।' (**अबूदाऊद**/ अल मुलाहिम/ अल अम्र व वन् नही : 4341, **तिर्मिज़ी**/ अत् तफ़सीर व मिन् सूरतिल माइदह : 3058, **इब्ने माजह**/ अल फ़ितन/ क़ौलुहू तआ़ला (**या अय्युहलल्लज़ीन आमनू** ....) : 4014)

=======================

सूरह सबा आयत नं. 15 की तफ़्सीर

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) सबा किसी ज़मीन का नाम है या किसी औ़रत का?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सबा न ज़मीन का नाम है न औ़रत का। बल्कि यह एक शख़्स था जिसके 10 अ़रब (नस्ल के) बच्चे हुए, उनमें से छः तो यमन में रहे और चार शाम में, लख़्म, जुज़ाम, ग़स्सान और आ़मिलः यह क़बीले शामी हैं। अज़्द, अश्अ़री, ह़िमयर, मुज़हिज और अन्मार, किन्दा यमनी क़बीले हैं।' इस पर किसी ने पूछा अन्मार कौन हैं?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अन्मार वो हैं जिनसे बन्द (ख़ष्अम) और (बजीलह) हैं।' (अबूदाऊद/ अल हुरूफ़ वल क़िराआत/ अव्वल किताबतुल हुरूफ़े वल क़िराआत : 3988, तिर्मिज़ी/ अत् तफ़्सीर व मिन् सूरति सबा : 3222, हसनुन सहीहुन/ अल्बानी रह.)

=======================

नेक ख़्वाब

सवाल : आयत (लहुमुल बुशरा फ़िल् ह़यातिद्दुन्या व फ़िल आख़िरति0 सूरह यूनुस : 64) 'इन (ईमान वाले मुत्तक़ी लोगों) के लिए दुनिया की ज़िंदगी में भी बशारत है और आख़िरत में भी...' की तफ़्सीर के बारे में आप (ﷺ) से सवाल किया गया.

जवाब : 'इस आयत में जिस बशारत का ज़िक्र है, उससे मुराद सच्चे व नेक ख़्वाब हैं, जो मुस्लिम आप ख़ुद देखे या उसके बारे में किसी और को दिखाए जाएँ' (तिर्मिज़ी/ अर्रुअयह/ व फ़ित् तफ्सीर : 2273, इब्ने माजा/ अत् तअबीर् र्रुअयह/ तअबीरुर्रुअयह : 3898)

========================

बाज़ क़ुर्आनी सूरतों और आयात की फ़ज़ीलत पर फ़तवा

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) क़ुर्आन में (फ़ज़ीलत के ऐतबार से) सबसे बड़ी आयत कौनसी है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहुवल हय्युल क़य्यूम (यानी आयतुल् कुर्सी : अल बक़र 255)' (मुस्लिम/ सलातुल मुसाफ़िरीन/ फ़ज़्लु सूरतुल कह्फ़ व आयतुल कुर्सी : 810, अबूदाऊद/ अस् सलाह/ माजाअ फ़ी आयतिल कुर्सी : 1460)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैने एक क़ब्र पर बेख़बरी में ख़ैमा गाड़ दिया। मुझे क्या ख़बर थी कि यहाँ किसी आदमी की क़ब्र है, कोई आदमी सूरह मुल्क पढ़ रहा था यहाँ तक कि उसने उसे ख़त्म किया (फ़र्माइए, इसके बारे में क्या हुक्म है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह अज़ाबों को रोकने वाली सूरत है, यह निजात दिलवाने वाली है, उसे अज़ाबे क़ब्र से निजात दिलवाएगी।' (तिर्मिज़ी/ फ़जाइलुल क़ुर्आन/ माजाअ फ़ी फ़ज़्लि सूरिल मुल्क : 2890, जईफ़/ अल अल्बानी रह.)

इमाम इब्ने अ़ब्दुल बर्र (रह.) कहते हैं कि यह ह़दीष़ सह़ीह़ है।

========================

सवाल : एक स़ह़ाबी ने दरख़्वास्त की कि मुझे कोई जामेअ़ सूरत पढ़ाइए।

जवाब : आप (ﷺ) ने उसे सूरह ज़िलज़ाल पूरी पढ़ाई। जब ख़त्म कर चुके तो वह

कहने लगा उस अल्लाह की क़सम! जिसने आप (ﷺ) को हक़ के साथ मबऊष़ फ़र्माया है कि मैं तो हरगिज़ इस पर ज़्यादती न करूँगा। जब वो पीठ फेरकर जाने लगा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उस शख़्स ने फ़लाह हासिल कर ली' दोबारा यही फ़र्माया। (**अबूदाऊद**/ अस् सलाह/ तहज़ीबुल कुर्आन : 1399, **अहमद** फ़ी किताबिह अल मुस्नद : 2/169, ज़ईफ़)

=======================

सवाल : एक साहब ने कहा ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मेरे दिल में सूरह इख़्लास की बड़ी ही मुहब्बत है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसकी मुहब्बत ने तुझे जन्नती बना दिया' (**बुख़ारी**/ अत् तौहीद/ माजाअ फ़ी दुआइन् नबिय्यि ﷺ उम्मति इला तौहीदिल्लाह : 7375, **तिर्मिज़ी**/ फ़ज़ाइलुल कुर्आन/ माजाअ फ़ी सूरतिल इख़्लास : 2901)

=======================

सवाल : हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) ने कहा कि मैं तो सूरह हूद और सूरह युसुफ़ पढ़ा करता हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू किसी सूरह को न पढ़ेगा जो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा मुबालिग़ा (अहमियत) वाली हो बनिस्बत सूरह फ़लक़ और सूरह नास के। (यानी नफ़ा पहुँचाने के लिए)।' (मुस्लिम/ सलातुल मुसाफ़िरीन/ फ़ज़्लुल मअव्वज़तैन : 814, अबूदाऊद/ अस् सलात : 1462, निसाई/ अल इफ़्तिताह/ अल फ़ज़्लु फ़ी क़िरातिल मअव्वज़तैन : 954)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक कौनसा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ठहरते ही कूच कर देने वाला।'

(**तिर्मिज़ी**/ अल किराआत / 13 : 2948)

इससे बाज़ लोगों ने यह समझा है कि कुर्आन ख़त्म करते ही फिर शुरू कर दें यानी फ़ातिहा और तीन आयतें सूरह बक़रः की शुरू की तिलावत करें तो ख़त्म करना गोया की ठहरना हुआ और शुरू करना गोया कूच करना हुआ। लेकिन हक़ीक़त यह है कि किसी सहाबी या ताबेई से ऐसा करना ष़ाबित नहीं। अइम्मा में से किसी ने इसे मुस्तहब नहीं कहा। असल मुराद इस हदीष़ से यह है कि एक ग़ज़्वे से फ़ारिग़ हुआ और दूसरे जिहाद के लिए मशग़ूल हो गया। एक नेकी ख़त्म की, दूसरी शुरू की कि उसे भी जल्दी से पूरी करें। लेकिन यह जो क़ारियों में दस्तूर पड़ा हुआ है यह मुराद इस हदीष़ की क़त्अन

नहीं वबिल्लाहित्तौफ़ीक़। तफ़्सीरे–हदीष़, हदीष़ के साथ ही मुत्तसलन भी आई है कि अव्वल से आख़िर क़ुर्आन तक इस तरह से पढ़े कि इधर ख़त्म हुआ और उधर नया दौर भी शुरू हो गया। इधर उतरा और उधर चढ़ा। इस जुम्ले के भी दो मअ़नी हैं, एक यह कि कोई सूरह या कोई जुज़ ख़त्म किया और दूसरा शुरू किया। दूसरा मतलब यह है कि क़ुर्आन ख़त्म किया और उधर शुरू कर दिया।

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो बताइए कि अह्लुल्लाह (अल्लाह वाले) कौन लोग हैं ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जो क़ुर्आन वाले हैं , वो अल्लाह वाले हैं और उसके ख़ास लोग हैं।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/128)

=======================

सवाल : हज़रत अब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं क़ुर्आन कितने दिनों में ख़त्म करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक माह में'

उन्होंने कहा, मुझे तो इस से भी ज़्यादा ताक़त है।

तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बीस दिन में।'

उन्होंने कहा, मैं इससे भी ज़्यादा ताक़त रखता हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पन्द्रह दिन में।'

उन्होंने कहा, मैं इससे भी ज़्यादा ताक़त रखता हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दस दिन में'

उन्होंने फिर कहा, मुझे तो इससे भी ज़्यादा ताक़त है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छा, पाँच दिन में'

तो उन्होंने कहा, मैं तो इससे भी कम दिनों में ख़त्म कर सकता हूँ।

तब आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तीन दिन से कम में जिसने क़ुर्आन ख़त्म किया उसने क़ुर्आन को समझा ही नहीं।' (**तिर्मिज़ी** / अल क़िराआत/ 13: 2946, सहीहुन फ़ंजुर सुनन अबी दाऊद : 1390)

=======================

सवाल : दो शख़्स किसी आयत के बारे में इख़्तिलाफ़ करने लगे जिनमें से एक ने नबी (ﷺ) से ही पढ़ा था। दोनों ने नबी (ﷺ) से पूछा तो,

जवाब : आप (ﷺ) ने दोनों से फ़र्माया, 'इसी तरह उतारी गई है।' फिर फ़र्माया, 'क़ुर्आन सात क़िरअतों पे उतरा है।' (**बुख़ारी** / फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन / उंज़िलल क़ुर्आनु अला सबअती अहरुफ़ : 4992– व **मुस्लिम** / सलातुल मुसाफ़िरीन / बयानुह अन्नल क़ुर्आन अला सबअती अहरुफ़ : 818)

========================

क़ारी-ए-क़ुर्आन की फ़ज़ीलत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) मुझे क़ुर्आन के सीखने से इस डर ने रोक दिया है कि शायद मैं इसके साथ क़याम न कर सकूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क़ुर्आन को सीखो, उसे पढ़ो और सो जाया करो, क़ुर्आन को सीखकर, उसे पढ़कर, उसके साथ क़याम करने वाले की मिषाल मुश्क की उस भरी हुई थैली जैसी है जिसकी ख़ुश्बू हर जगह महक रही हो और जो उसे सीख कर सो जाए और वो उसके पेट में हो उसकी मिषाल उस बरतन की सी है जिसमें मुश्क भरकर उसे बंद करके मुहर लगा दी जाए।' (**तिर्मिज़ी**/ फ़ज़ाइलुल क़ुर्आन /माजाअ फ़ी फ़ज़्ली सुरतिल बक़रति वआयतिल कुर्सी : 2876, **इब्ने माजा**/ अल मुक़द्दमह / फ़ज़्लु फ़ी तअल्लुमिल क़ुर्आनि व अल्लमहू : 217, व इब्नु ख़ुज़मह फ़ी किताबिह (अस्सहीहा) : 1509 ज़ईफ़ /अल अल्बानी रह.)

========================

तीसरा बाब :

अफ़ज़ल अअमाल

सबसे अफ़ज़ल चीज़ क्या है?

सवाल : पूछा गया सबसे अफ़ज़ल किस गुलाम की आज़ादी है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो गुलाम जिसकी क़ीमत बहुत ज़्यादा हो और जो अपने मालिक को बहुत ज़्यादा प्यारा हो।' (**बुख़ारी**/ अल इत्क/अय्युर्रिकाबि अफ़जल : 2518)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) सबसे अफ़ज़ल जिहाद कौनसा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसकी सवारी काट दी जाए और जिसका ख़ून बहा दिया जाए।' (**अहमद** की किताबिही : (अल मुस्नद) : 3/303)

=======================

सवाल : कौनसा सदक़ा सबसे ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तंदुरुस्ती और माल की मुहब्बत और चाहत के वक़्त फ़क़ीरी के ख़ौफ़ और अमीरी की तमन्ना के वक़्त का।' (**बुख़ारी**/अज़्ज़कात/फज़्लु सदकतुश्शहीह, **मुस्लिम**/अज़्ज़कात/बयानु अन्न अफजलुस्सदकति सदकतुस्सहीहिश्शहीह : 1032, **इब्ने माजा**/ अल वसाया/ अन्नहि अनिल इम्साकि फिल हयाति वत्तब्जिरि इन्दल मौत : 2706, **अहमद** की किताबिही : (अल मुस्नद): 2/231)

=======================

सवाल : कौनसा कलाम अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जिसे अल्लाह ने अपने बंदों या फ़रिश्तों के लिए

पसंद फ़र्मा लिया यानी (सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही)' (मुस्लिम/ अज़्ज़िक्र वद्दुआ/ फ़ज्लु सुब्हानल्लाह : 272)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) कौनसा सदक़ा अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फर्माया, '(प्यासों को) पानी पिलाना' (**अबू दाऊद**/अज़्ज़कात : 1679, निसाई/अल वसाया/ज़िक्रुल इख़्तिलाफ़ि अला सुफ़ियान : 6/255, **इब्ने माजा**/ अल अदब /फ़ज्लु सदकतिल माइ : 3684, **अहमद** फी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/284, **हाकिम** फी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 1/414 हसनुन/अल अल्बानी रह.)

========================

ईमान, इस्लाम व अअ़माले स्वालेह

ईमान व इस्लाम की हक़ीक़त के सिलसिले में क़ुर्आन व हदीष़ के मुतालए (अध्ययन) से यह बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम पूरी जिंदगी में, नेकी को जारी व सारी देखने का ख़्वाहिशमंद है, और उसके नज़दीक नेकी का दायरा, फ़राइज़ और रस्मों व शआइर (निशानियों) की पाबंदी तक ही महदूद (सीमित) नहीं, इसमें यह भी दाख़िल है कि तुम मेहमानों से मिलो–जुलो, उन्हें नेकी की तल्क़ीन करो, उनकी तकलीफ़ों को दूर करो, अपने माल व दौलत से हस्बे–तौफ़ीक़ कुछ न कुछ ख़र्च करते रहो। यतीम के सर पर दस्ते–शफ़क़त फेरो, मरीज़ की इयादत (मिज़ाज़पुर्सी) करो, किसी को राह दिखाओ। नेक बात बताओ। सिलारहमी करो और जिहाद के लिए तैयार रहो।

========================

सवाल : हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछाकि मुझे किसी ऐसे अमल की ख़बर दीजिए जो मुझे जन्नत में पहुँचा दे और जहन्नम से दूर कर दे।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारा सवाल बहुत बड़े अम्र (काम) का है। हाँ! वो उस पर आसान है जिस पर अल्लाह आसान कर दे। अल्लाह की इबादत कर, उसके साथ किसी को शरीक न कर, नमाज़ क़ायम रख, ज़कात देता रह, रमज़ान के रोज़े रख और बैतुल्लाह का हज्ज कर। आ मैं तुझे भलाई के दरवाज़े भी बतला दूँ। रोज़ा ढ़ाल है, सदक़ा इस तरह ख़ताओं को मिटा देता है जिस तरह पानी आग को बुझा देता है और इंसान की आधी रात की तहज्जुदगुज़ारी। अब मैं तुझे इस तमाम अम्र का सर, इसका सुतून और इसके कौहान की बुलन्दी भी बतला दूँ। तमाम अम्र का सर तो इस्लाम है, इसका सतून

नमाज़ है और इसके कोहान की बुलन्दी जिहाद है।'

फिर आप (ﷺ) ने पूछा, अब मैं तुझे इस तमाम काम का ख़ुलासा बतलाऊँ?

मैंने कहा, हाँ! या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़रूर बतलाइए।

'नबी मुकर्रम (ﷺ) ने अपनी ज़ुबान को थामा और फ़र्माया, इसे रोक लो। यह फ़र्माकर आप (ﷺ) ने अपनी ज़ुबान की तरफ़ इशारा किया।'

मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या जो बातें हम करते हैं उन पर भी हमारी पकड़ होगी?

आपने इर्शाद फर्माया, 'मुआज़! तेरी अक़्लमंदी पर अफ़सोस, इंसान को औंधे मुँह जहन्नम में डालने वाली चीज़ इसके ज़ुबान का किनारा ही तो है। (**तिर्मिज़ी**/अल ईमान/ माजा फ़ी हुर्मतिस्सलात : 2616, **इब्ने माजा**/ अल फ़ितन/ कफ़्फ़ुल्लिसानी फ़िल फ़ित्ना : 3973, अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/ 231)

यह हदीष सहीह है।'

=======================

सवाल : एक अअराबी ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइए कि जिसके करने से मैं जन्नती बन जाऊँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फ़र्ज़ नमाज़ बराबर पढ़ते रहो, फ़र्ज़ ज़कात बराबर देते रहो, रमज़ान के रोज़े पाबंदी से रखो। वो कहने लगा, उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं न इस पर ज़्यादती करूँगा न इसमें कमी करूँगा।'

जब वो जाने लगा तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो कोई शख़्स किसी जन्नती को देखना चाहता है वो उसे देख ले।' (**बुख़ारी** अज़्ज़कात/ वुजूबुज़्ज़कात : 1397, **मुस्लिम**/ अल ईमान/ बयानुल ईमानिल्लज़ी युदख़िलुल जन्नह : 14)

=======================

सवाल : एक शख़्स ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मुझे किसी ऐसे अमल की ख़बर दीजिए कि जो मुझे जन्नत में ले जाए और आग से दूर कर दे।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'गोया तूने बात तो मुख़्तसर (छोटी) कही है लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। नस्मा आज़ाद कर और गर्दन छुड़ा।'

उसने ने कहा, क्या यह दोनों एक ही बात नहीं?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं नस्मा की आज़ादी तो यह है कि अकेला तू ही

एक गुलाम आज़ाद करे और गर्दन की ख़ुलासी यह है कि तू किसी गुलाम की आज़ादी में कोई हिस्सा ले और बेहतर चीज़ का तोहफ़े में देना और ज़ुल्म करने वाले रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करना। अगर तुझे इसकी ताक़त न हो तो भूखे को खिला, प्यासे को पिला, लोगों को नेक बातें बतला, बुरी बातों से रोक, अगर यह भी मुमकिन न हो तो सिवाय ख़ैर के अपनी ज़ुबान न खोल।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/299)

========================

सवाल : एक अअराबी ने आप (ﷺ) से पूछा कि मुझे कोई ऐसा अमल बतलाइये जो मुझे जन्नत में दाख़िल कर दे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की इबादत करते रहो और उसके सिवा किसी को शरीक मत बनाओ, नमाज़ पढ़ते रहो, ज़कात देते रहो, और रिश्तेदारों से अच्छा सुलूक करते रहो।' (**बुख़ारी**/ अज़्ज़कात/ वुजूबुज़्ज़कात : 1396, **मुस्लिम**/ अल ईमान बयानुल ईमानिल्लज़ी युदखिलु बिहिल जन्नह : 13)

========================

सवाल : एक सहाबी ने नबी (ﷺ) से पूछा कि इस्लाम क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह कि तेरा दिल अल्लाह का फ़र्मांबरदार बन जाए और तमाम मुस्लिम तेरी ज़ुबान और तेरे हाथों से बेख़ौफ़ रहे।'

फिर उसने पूछा, अच्छा ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ) कौनसा इस्लाम अफ़ज़ल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ईमान।'

उसने फिर पूछा, ईमान क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह को, उसके फ़रिश्तों को, उसकी किताबों को, उसके रसूलों को मानना। मौत के बाद की ज़िन्दगी को मानना।'

उसने फिर पूछा, कौनसा ईमान अफ़ज़ल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हिजरत।'

उसने फिर पूछा, हिजरत क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बुराइयों को छोड़ देना।'

फिर उसने पूछा, कौनसी हिजरत अफ़ज़ल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिहाद।'

उसने फिर पूछा, जिहाद क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कुफ़्फ़ार से मौक़ा पड़ने पर जंग लड़ना।'

उसने फिर पूछा, कौनसा जिहाद ज़्यादा फ़ज़ीलत वाला है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसकी सवारी भी काट दी जाए और जिसका ख़ून भी बहा दिया जाए।' 'फिर दो अ़मल और हैं जो सब अअ़माल से अफ़जल हैं सिवाय उनके जो उन जैसे अ़मल करे, मक़्बूल हज्ज या उ़मराह।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/114, हाशिया : 16579)

========================

सवाल : कौनसा अ़मल अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना।'

पूछा गया, फिर कौनसा?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर सुन्नत के मुताबिक़ मक़्बूल हज्ज।' (बुख़ारी/ अल ईमान/ मनक़ाला अन्नल ईमान हुवल अमल : 26)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह कौनसा अ़मल अफ़जल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह के लिए मुहब्बत रखना, अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र में ज़ारी रखना।'

साइल ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ) और क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'लोगों के लिए वो चाहना जो ख़ुद अपने लिए चाहता है और भली बात ज़ुबान से निकालना या चुप रहना।' (अहमद फ़ी किताबिही अल मुस्नद : 5/247)

========================

सवाल : चंद सहाबा (रज़ि.) आपस में मुज़ाकिरा करने लगे, किसी ने कहा कि सबसे बेहतर अ़मल हाजियों को पानी पिलाना है। किसी ने कहा कि मस्जिदे हराम की ख़िदमत व आबादी करना है। किसी ने कहा कि हज्ज है। किसी ने कहा कि राहे इलाही का जिहाद है। हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने यह आयत उतारी, 'क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिदे हराम को आबाद करना इसके बराबर कर दिया जो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है और राहे इलाही में जिहाद करता है, अल्लाह रब्बे ज़ुल् जलाल वल् इकराम के नज़दीक यह बराबर के लोग नहीं। अल्लाह तआ़ला ज़ालिम

लोगों की रहबरी नहीं फ़र्माता, (अल फ़ाइज़ून) तक।' (मुस्लिम/ अल इमारह : 1878, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/269)

========================

सवाल : एक शख़्स ने रसूलल्लाह (ﷺ) से सवाल किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अल्लाह के सिवा और मअबूदे बरहक़ न होने की और आप (ﷺ) के रसूलल्लाह होने की मैं गवाही देता हूँ, पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, अपने माल की ज़कात देता हूँ, माहे रमज़ान के रोज़े रखता हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो इस पर मरेगा वो अम्बिया, सिद्दीक़ों और शहीदों के साथ क़यामत के दिन होगा। बिल्कुल इस तरह। यह फ़र्माकर आप (ﷺ) ने अपनी उँगलियाँ खड़ी करके दिखाईं और फ़र्माया जब तक कि वो माँ–बाप की नाफ़र्मानी न करे।'

(अल हैसमी फ़ी किताबिही (मजमउज़्ज़वाइद) : 1/46)

========================

सवाल : एक और सहाबी ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! यह तो बतलाइये कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ूँ, रमज़ान के रोज़े रखूँ, हलाल को हलाल और हराम को हराम समझूँ और इस पर कोई ज़्यादती न करूँ तो क्या मैं जन्नत में जाऊँगा ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ!'

उसने कहा, 'वल्लाह! मैं इन कामों पर और किसी ज़ाइद काम को न करूँगा।'

(मुस्लिम/ अल ईमान/ बयानुल ईमानिल्लज़ी युदखिलुल जन्नह : 15)

========================

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया कि कौनसा अमल सबसे बेहतर है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह कि तू खाना खिला और सलाम करता रह ख़्वाह किसी को पहचानता हो या नही।' (बुख़ारी/ अल ईमान/ इफ़्शाउस्सलाम : 28, मुस्लिम/ अल ईमान/ बयानु तफ़ाज़ुलुल इस्लाम वअय्यू उमूरिहि उमूरहू अफ़ज़ल : 39)

========================

सवाल : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! जब मैं आप के नूरानी चेहरे को देखता हूँ तो मेरा जी ख़ुश हो जाता है, मेरी आँखें ठंडी हो जाती हैं, बस आप (ﷺ) मुझे सब चीज़ें बतला दीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तमाम चीज़ें पानी से पैदा की गई है।'

उन्होंने कहा, मुझे कोई ऐसा काम भी बतला दीजिए कि जब मैं उसे ले लूँ तो जन्नती बन जाऊँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सलाम फैला, खाना खिला, रिश्ते जोड़ और जब रात को लोग नींद में हो तो तहज्जुद पढ़, फिर तू सलामती के साथ जन्नत में जाएगा।' (तिर्मिज़ी/सिफ़तुल क़ियामह/ 42 :2485, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 8/295 सहीहुन/ अल अल्बानी वल्लफ़्ज़ु लि अहमद)

========================

सवाल : एक सहाबी ने आप (ﷺ) से अपनी संगदिली की शिकायत की।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तू अपना दिल नरम करना चाहे तो मिस्कीन को खाना खिला और यतीम के सर पर हाथ फेर।'

(**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/263)

========================

सवाल : नबी (ﷺ) से सवाल किया गया कि कौनसा अमल अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'लम्बे क़याम की नमाज़'

फिर उसने पूछा, कौनसा सदक़ा अफ़जल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कम माल वाले की ख़ैरात।'

फिर उसने पूछा, कौनसी हिजरत अफ़जल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की हरामकर्दा चीज़ों को छोड़ देना।'

फिर उसने पूछा, कौनसा जिहाद अफ़ज़ल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो मुश्रिकों से अपने माल और जान से जिहाद करे।'

फिर उसने पूछा, कौनसी शहादत अफ़जल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसका ख़ून बहे और जिसकी सवारी भी काट दी जाए।'

(**अबूदाऊद**/ अस्सलात/ तूलुल क़ियाम : 1449)

नोट : पीछे अल मुस्नद अहमद के हवाले से गुज़रने वाली एक हदीष और इस हदीष में बअ़ज़ अअ़माल की फ़ज़ीलत के ऐतेबार से एक वाजेह फ़र्क़ मौजूद है।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह कौनसा अमल अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो ईमान जिसमें कोई शक व शुब्हः न हो, वो जिहाद

जिसमें कोई ख़यानत न हो, वो हज्ज जो नेकी वाला, पाक व साफ़ हो।'
(निसाई / अज़्ज़कात जुह्दुल मक़िल्ल : 2527 सहीह अल अल्बानी)

========================

सवाल : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मेरे पास माल तो है नहीं मैं सदक़ा कहाँ से करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '(अल्लाहु अकबर) कहना सदक़ा है और (सुब्हानल्लाहि वल् हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु) भी सदक़ा है, इस्तिग़फ़ार करना भी सदक़ा है, अच्छी बात बतलाना भी सदक़ा है, बुरी बात से रोकना भी सदक़ा है, लोगों के रास्ते से काँटे का, पत्थर का, हड्डी का हटाना भी सदक़ा है, अँधे को राह सुझा देना, बहरे को बात सुना देना, गूँगे को समझा देना भी सदक़ा है। कोई शख़्स अपनी हाजत की तलाश में हो और तुझे उसका इल्म हो उसे बतला देना भी सदक़ा है। किसी हाजतमंद फ़रयादी की फ़रयादरसी करना और दौड़–भाग कर उसका दुख टाल देना भी सदक़ा है। कमज़ोर, ज़ईफ़ लोगों की अपनी कुव्वते बाज़ुओं से मदद करना भी सदक़ा है। सुन! तू जो अपनी बीवी से जिमाअ करे उस पर भी तुझे अज्र है।'

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने कहा, मुझे अपनी शहवत पूरी करने में अज्र कैसे मिलेगा?

रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छा बतला अगर तेरी औलाद होती और तू उसका अज्र चाहता फिर वो मर जाती और तू उस पर सब्र करता तो क्या तुझे उसका अज्र मिलता?

मैंने कहा, जी हाँ।' (ज़रूर मिलता)

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तूने उसे पैदा किया था?

मैंने कहा, जी नहीं! बल्कि अल्लाह तआला ने।'

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तूने उसे हिदायत की थी?'

मैंने कहा, जी नहीं! बल्कि अल्लाह तआला ने दी।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या उंसे तू रोज़ी देता है?'

मैंने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं! उसका राज़िक़ तो अल्लाह तआला है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बस इसी तरह उसका हलाल में रखना और हराम कारी से बचना है। और अगर अल्लाह तआला चाहे तो उसे ज़िन्दा रखे और चाहे तो उसे मार डाले तुझे तो अज्र है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/168)

========================

सवाल : अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने एक दिन अपने सहाबा-ए-किराम से सवाल किया, 'तुम में से आज रोज़े से कौन है?'

जवाब : हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैं।

आप (ﷺ) फिर पूछा, 'तुम में से आज किसी मुस्लिम के जनाज़े में किसने शिर्कत की है?'

अब भी सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने।

आप (ﷺ) फिर सवाल किया, 'आज तुम में से किसने मिस्कीन को खाना खिलाया है?'

हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) ने जवाब दिया, मैंने।

आप (ﷺ) ने फिर पूछा, 'तुम में से आज बीमार की इयादत किसने की है?'

हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) ने फ़र्माया, मैंने।

रसूलल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'यह नेक ख़सलतें जिस शख़्स में जमा हो जाए वो जन्नती हो गया।' (**मुस्लिम**/ अज़्ज़कात/ मन् जमअस्सदक़त व अअमालल बिर्रे : 1028)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक इंसान कोई नेकी निहायत पोशीदगी (गुप्त रूप) से करता है। फिर औरों को इसकी इत्तिला हो जाती है तो यह ख़ुश होता है? (क्या इसका अज्र ज़ाए तो न हो जाएगा?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे दोहरा अज्र है पोशीदगी का एक अज्र और ज़ाहिर होने का दूसरा अज्र।' (**तिर्मिज़ी**/ अज़्ज़ुहद/ अमलुस्सिर्रे : 2384, **इब्ने माजा**/ अज़्ज़ुहद/ अष्षनाउल हसन : 4226)

========================

सवाल : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! कोई शख़्स नेक काम करता है, लोग उस पर उसकी तअरीफ़ करते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह तो मोअमिन के लिए जल्दी की ख़ुशख़बरी है।' (**मुस्लिम**/ अल बिर्रे वस्सिलह/ इज़ा अष्ना अलस्स्वालिही फ़हिय बुशरा वला तज़ुर्रु : 2642)

========================

सवाल : एक साइल ने पूछा कि कौनसा अमल अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'अल्लाह पर ईमान लाना, उसकी तस्दीक़ करना, उसकी राह में जिहाद करना।'

साइल कहता है, मैं तो इससे आसान चीज़ चाहता हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नर्मी और सब्र।'

उसने कहा कि मैं तो इससे भी आसान चीज़ का तालिब हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो फैसला तक़्दीरे इलाही की तरफ़ से हो उसमें नाराज़ न रहा।' (अहमद/ फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/319)

========================

सवाल : हज़रत उक़बा (रज़ि.) ने बेहतरीन अअ़माल के बारे में आप (ﷺ) से सवाल किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो तुझ से तोड़े तू उसे जोड़, जो तुझे महरूम करे तू उसे दे, जो तुझ पर ज़ुल्म करे तू उस से दरगुज़र कर।'

(अहमद/ फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/158)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे कैसे इल्म हो कि मैं बुरा हूँ या भला हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तेरे पड़ोसी तुझे भला कहने लगे तो तू भला है और वो तुझे बुरा कहने लगे तो तू बुरा है।' (इब्ने माजा/ अज़्ज़ुहद/ अष्नाउल हसन : 4222)

अल मुस्नद अहमद में है, 'जबकि तू उनके मुँह से सुने कि वो कह रहे हैं ,तूने अच्छा किया तो तू समझ ले कि वाक़ई तूने अच्छा किया और जब उनकी ज़ुबानी सुने कि तूने बुरा किया तो यक़ीन कर ले कि तूने बुरा किया।' (इब्ने माजा/ अज़्ज़ुहद/ अष्नाउल हसन : 4223, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/401, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहते हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ) एक शख़्स है जो एक क़ौम से मुहब्बत तो करता है लेकिन उन जैसे अअ़माले स्वालेहा उसके पास नहीं। (उसके बारे में क्या इर्शाद है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ अबू ज़र! तू उन्हीं लोगों के साथ होगा जिनसे तू मुहब्बत करता है।'

हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) कहने लगे कि मैं अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) से मुहब्बत करता हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू उन्हीं के साथ है जिनकी मुहब्बत तेरे दिल में है।' (बुख़ारी/ अल अदब/ अलामतुल हुब्बि फ़िल्लाह : 6169, मुस्लिम/ अल बिर्रु वस्सिलह/

अल मरउ मअ मन अहब्ब : 2639)

========================

क़ुबूलियते अअ़माल के लिये ईमान बिल्लाह और इख़्लास शर्ते-अव्वल

सवाल : इब्ने हिब्बान में है कि हातिम ताई के बेटे हज़रत अ़दी (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा कि क्या मेरा बाप सिलारहमी, सदक़ा व ख़ैरात, सख़ावत बहुत किया करता था उसके लिए क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो तालिबे शोहरत था वो उसे हासिल हो चुकी।'

या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं किसी किसी खाने को छोड़ देता हूँ घिन और नफ़रत करके?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किसी ऐसी चीज़ को न छोड़ कि जिसके छोड़ने में नस्रानियत की मुशाबिहत (ईसाइयत की समरूपता) हो।'

या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं अपने शिकारी कुत्ते को शिकार पर छोड़ता हूँ, वो शिकार को पकड़ लेता है लेकिन ज़िब्हः करने के लिए मैं बजुज़ धारदार पत्थर और लकड़ी के और कोई चीज़ नहीं पाता?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिस चीज़ से चाहे ख़ून बहा दे और अल्लाह का नाम ले ले।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/258, **इब्ने हिब्बान** फ़ी किताबिल बिर्रि वल इह्सान : 332)

========================

सवाल : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से इब्ने जिदआ़न की ख़ैरात व सख़ावत, मेहमांन नवाज़ी, हुस्ने सुलूक वगैरह का ज़िक्र करके पूछा, क्या यह नेकियाँ इसे कुछ नफ़ा देंगी?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं! इसलिए कि उसने एक दिन भी नहीं कहा, (रब्बिग़फ़िर्ली ख़तीअती यौमद्दीन)' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/120, **हाकिम** फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक : 2/405)

========================

सवाल : हज़रत सुफ़यान बिन अब्दुल्लाह स़क़फ़ी के इस सवाल पर कि मुझे ऐसी जामेअ बात बतला दी जाए कि फिर किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही न रहे।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ज़ुबान से अल्लाह पर ईमान लाने का इक़रार करके, इस पर जम जा।' (मुस्लिम/ अल ईमान/ जामिओ औसाफ़िल इस्लाम : 38, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/413)

==========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) ! अफ़ज़ल अमल क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़।'

साइल ने फिर पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ) फिर क्या?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़।' तीन मर्तबा यही जवाब दिया।

जब और भी पूछा गया तो फ़र्माया, 'राहे इलाही का जिहाद।'

साइल ने कहा, मेरे माँ—बाप ज़िन्दा हैं ?

तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तो तेरे हक़ में बेहतरी उनकी ख़िदमत है।'

उसने कहा उसकी क़सम! जिसने आप (ﷺ) को नबी-ए-बरहक़ बनाकर भेजा है कि मैं तो उन्हें छोड़कर जिहाद करूँगा।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू बेहतर जानता है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/172)

==========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) ! मुझे कोई ऐसी बात सिखाइये जो मुझे नफ़ा दे।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुनो, किसी छोटी से छोटी नेकी को हकीर न समझो चाहे तुम अपने डोल में से किसी प्यासे को पानी ही डाल दो। ग़ुरूर से बचो, इसलिए कि अल्लाह तआला ग़ुरूर को पसंद नहीं फ़र्माता और यह कि तुम अपने किसी मुस्लिम भाई से ख़ंदा पेशानी से गुफ़्तगू ही कर लो, यह भी नेकी है। अपने तहबन्द को आधी पिंडली तक उठाकर रखो और टख़ने से नीचे लटकाने से परहेज़ करते रहो, यह तकब्बुर है जिसे अल्लाह तआला नापसंद करता है। देखो! किसी को तुम्हारी कोई बात मअलूम हो और वो तुम्हें बतौर ताअने और ग़ाली जताए तो तुम जो ऐब उसका जानते हो तो उसे मुँह पर न लाओ, इसका अज्र तुम्हें मिलेगा और उसका वबाल उस पर होगा।' (अबू दाऊद/ अल्लिबास/ माजाअ फ़ी इस्बालिल इज़ार : 4084, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/63 सहीहुन/ अल अलबानी रह. (दारुल मअरिफ़ह/ बैरूत की तिबाअ शुदा असल किताब में दिए गए हवाले के मुताबिक़ यह हदीस़ हमें मुस्नद अहमद में नहीं मिल सकी। -अबू यह्या)

==========================

चौथा बाब :

नबूवत और वह्य का बयान

सवाल : आप (ﷺ) की तरफ़ वह्य कैसे आती है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कभी तो जैसे घंटी की पैहम् आवाज़ हो और यह मुझ पर सबसे ज़्यादा भारी गुज़रती है। वो जब ख़त्म होती है तो जो कुछ मुझसे फ़र्माया गया होता है वो मुझे बिल्कुल याद होता है। और कभी फ़रिश्ता इंसान की सूरत में मेरे पास आता है।' (**बुख़ारी**/ बदउल वह्य/ मिन हदीषि आइशा रज़ि. : 2, **मुस्लिम**/ अल फ़ज़ाइल/ अर्क़न्नबिय्यि (ﷺ) फ़िल बर्द व हीन यअती हिल वह्य : 2333, **तिर्मिज़ी**/ अल मनाक़िब/ माजाअ कैफ़ कान यन्ज़िलुल वह्य आलन्नबिय्यि (ﷺ) : 3634)

========================

सवाल : पूछा गया कि आप (ﷺ) के लिए नबूवत कब वाजिब हुई? या यूँ सवाल करते हैं कि आप कब नबी बने?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब आदम (अ़लैहिस्सलाम) रूह और जिस्म के दरम्यान थे।' (**तिर्मिज़ी**/ अल मनाक़िब/ फ़ी फ़ज़्लिन्नबिय्यि (ﷺ) :3609, व क़ाल : हाज़ा हदीषुन हसनुन सहीहुन, अहमद फ़ी किताबिहि : (अल मुस्नद) : 4/66)

सह़ीह़ लफ़्ज़े–ह़दीष़ यही हैं, अ़वाम की रिवायत में है कि जब आदम (अ़लैहिस्सलाम) पानी और मिट्टी के दरम्यान (मध्य) थे। हमारे शेख़ (रह.) का बयान है कि यह लफ़्ज़ बातिल हैं , महफ़ूज़ लफ़्ज़ पहले वाले ही हैं।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) आपकी नबूवत का शुरू क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मेरे वालिद ह़ज़रत इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) की दुआ। ह़ज़रत ईसा (अ़लैहिस्सलाम) की बशारत और मेरी वालिदा का ख़्वाब कि उनके

जिस्म से एक नूर निकला कि जिससे उनके सामने शाम के महल रोशन हो जाते हैं।'
(अहमद फ़ी किताबिहि (अल मुस्नद) : 5/262)

======================

सवाल : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! नबूवत का सबसे पहला अम्र आप (ﷺ) ने क्या देखा?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया, 'जब मैं दस साल कुछ माह का था और एक बार जंगल में जा रहा था कि मैंने आसमान की तरफ़ अपने सर के पास ही बातों की आवाज़ सुनी। एक शख़्स दूसरे से कह रहा था, क्या यह वही हैं? पहले ने कहा, जी हाँ।

अब दोनों मेरे सामने आए, उन जैसे नूरानी, पाक और ख़ूबसूरत चेहरे मैंने पहले कभी नहीं देखे, न उन जैसी दिमाग़ को महका देने वाली रूह परवर ख़ुश्बू मैंने कभी सूँघी और न उन जैसे कपड़े कभी किसी के ऊपर देखे। उन्होंने मेरे सामने आते ही मेरे बाज़ू थाम लिए लेकिन पकड़ने की कोई हिस् मैंने नहीं पाई। फिर एक ने दूसरे से कहा कि इन्हें लिटा दो। चुनाँचे दोनों ने मिलकर मुझे लिटाया लेकिन लेटने में भी मुझे कोई हरकत या तकलीफ़ न हुई।

फिर एक ने दूसरे से कहा, इनका सीना चाक कर दो। चुनाँचे एक साहब ने मेरा सीना चाक कर दिया लेकिन न मुझे उसमें कोई तकलीफ़ हुई, न ख़ून निकला और न कुछ महसूस हुआ। अब दूसरे ने कहा कि इसमें से हसद व बुग़्ज़ (ईर्ष्या–द्वेष), बुराई और बदी निकाल डालो। पस उसने कोई चीज़ निकाली जैसे कोई बोटी हो, उसे अलग फेंक दिया फिर कहा, इसे शफ़क़त और मेहरबानी से पुर कर दो। फिर चाँदी जैसी शफ़्फ़ाफ़ कोई चीज़ इस निकाली हुई चीज़ के बदले रख दी गई।

फिर उन्होंने मेरे दाहिने पांव का अँगूठा हिलाकर कहा, जाओ! अल्लाह सलामत रखे। चुनाँचे मैं चला आया लेकिन मैंने देखा कि हर छोटे शख़्स पर मेरे दिल में मुहब्बत व रहमत है और बड़े के लिए मेरे दिल में उल्फ़त व मुहब्बत है।'

(अहमद फ़ी किताबिहि (अल मुस्नद) : 5/139)

======================

पांचवाँ बाब

जन्नत और उसकी ने'अमतें

सवाल : अल मुस्नद अहमद में है कि एक अअराबी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारा आप (ﷺ) की तरफ़ हिजरत करना क्या चीज़ है कि जिसमें ख़ुद आप (ﷺ) भी थे? या मख़्सूस है किसी क़ौम के साथ? या ख़ास है किसी ख़ास ज़मीन की तरफ़? या आप (ﷺ) के फ़ौत होने के बाद यह हिजरत भी मुनक़तअ हो जाएगी? तीन बार उसने अपने सवाल को दोहराया, फिर बैठ रहा। आप (ﷺ) ख़ामोश ही रहे।

जवाब : फिर कुछ देर के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, साइल कहाँ है?

उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मैं यह रहा।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हिजरत उसका नाम है कि तू ज़ाहिर व बातिनी (दृश्य व अदृश्य) बुराइयों को छोड़ दे। नमाज़ की पाबन्दी करे, ज़कात अदा करता रहे फिर तू मुहाजिर है, चाहे अपने देश में ही मरे।'

एक और शख़्स खड़ा हुआ और पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! यह तो बताइए कि जन्नतियों के कपड़े पैदा किये जाएँगे या बुने जाएंगे?

उसके इस सवाल पर सहाबा हँस पड़े तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तुम इस बात पर हँस रहे हो कि एक जाहिल एक आलिम से सवाल कर रहा है?' फिर कुछ देर की ख़ामोशी के बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जन्नतियों के कपड़े के बारे में सवाल करने वाला कहाँ है?

उसने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं हाज़िर हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! बल्कि उनसे अहले जन्नत के फल शक होंगे। तीन

बार यही फ़र्माया।' (अहमद फ़ी किताबिहि (अल मुस्नद) : 2/224)

======================

सवाल : आँहज़रत (ﷺ) से सवाल किया गया कि क्या जन्नत में हम अपनी औरतों से मिलेंगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, जन्नती सुब्ह ही सुब्ह एक सौ कुँवारियों से मिलेगा। हाफ़िज़ अबू अब्दुल्लाह मुक़द्दसी (रह.) फ़र्माते हैं कि इसकी सनद के रावी मेरे नज़दीक तो सहीह की शर्त के हैं।' (तिर्मिज़ी/ सिफ़ातुल जन्नह/ माजाअ फ़ी सिफ़ति जिमाइ अहलिल जन्नह :2536)

======================

सवाल : सवाल हुआ कि क्या हम जन्नत में वती करेंगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है बार–बार तुम अपनी जन्नती बीवियों के पास जाओगे और जब फ़ारिग़ होगे, उसी वक़्त वो फिर से पाक व साफ़ बाकिरः (कुँआरी) हो जाएँगी।' (इब्ने हिब्बान/ फ़ी वस्फ़िल जन्नहः 7402)

इसकी सनद के रावी भी सहीह इब्ने हिब्बान की शर्त पर हैं।

मुअजम तबरानी में इसी सवाल के जवाब में आप (ﷺ) का फ़र्मान है, 'शौक़ से और ख़ुशी से और कामिल शहवत से बार–बार जन्नती मुजामअत करेंगे, लेकिन फिर भी न उज़ू में सुस्ती आएगी और न शहवत मुन्क़तअ होगी।' (तबरानी फ़ी किताबिहि (अल मुअज़मिल कबीरि) : 7541)

इस रिवायत में लफ़्ज़े 'दहम्' है और 'दहम्' के लफ़्ज़ी माअ़ने सख़्ती से दिखा देने के हैं। रिवायत के इसी मुअ़जम में इसी सवाल के जवाब में यह भी है, 'दोनों जानिब से घिनौना ख़ास पानी न होगा।'

======================

सवाल : सवाल हुआ कि अहले जन्नत सोएँगे भी?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नींद मौत की बहन है,अहले जन्नत सोएँगे नहीं।' (तबरानी फ़ी किताबिहि (अल मुअजमिल कबीरि) : 7541, बज़्ज़ार : 3017)

======================

सवाल : पूछा गया कि क्या जन्नत में घोड़े भी होंगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तू जन्नत में दाख़िल हो गया तो तुझे ऐसा घोड़ा

मिलेगा, जिसके दो पर होंगे जो बिल्कुल याक़ूत का होगा। तू उस पर सवार होगा और जहाँ चाहेगा वो तुझको उड़ा कर ले जाएगा।' (तिर्मिज़ी/ सिफ़ातुल जन्नह/ माजाअ फी सिफ़ति ख़यलुल जन्नह : 2544 ज़ईफ/ अल अलबानी रह.)

=========================

सवाल : ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ) क्या जन्नत में ऊँट होंगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर अल्लाह तआला ने तुझे जन्नत में पहुँचा दिया तो वहाँ जिस चीज़ को तेरा जी चाहेगा और जिस चीज़ से तेरी आँखें लुत्फ़अंदोज़ होंगी सब कुछ मिलेगा। उससे आपने वो नहीं फ़र्माया जो घोड़े के बारे में सवाल करने वाले से फ़र्माया था।' (तिर्मिज़ी/ सिफ़तुल जन्नह/ माजाअ फ़ी ख़यलिल जन्नह : 2543– ज़ईफुन/ अल अलबानी रह.)

=========================

जन्नती हूरों की ख़ूबियाँ

सवाल : मुअजम तबरानी में है कि हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! (हूरुन ईन) की तफ़्सीर क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो हूरें होंगी सफ़ेद नूरानी चेहरों वाली, बड़ी–बड़ी आँखों वाली, स्याह (काली) पल्कों वाली और स्याह बालों वाली।' (तबरानी फी किताबिही (अल मुअजमिल कबीरि) : 27541)

=========================

सवाल : किसी ने पूछा (कअम्सालिल् लुअलुइल् मक्नून0 अल वाक़िअः 23) की तफ़्सीर क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सफ़ाई में मोतियों जैसे हैं, जो लड़ी में पिरोए हुए हों, लेकिन किसी इंसानी हाथों से नहीं।'

पूछा गया, (**फ़ीहिन्नः ख़ैरतुन् हिसान अर् रहमान : 70**) का क्या मतलब है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बेहतरीन आदतों व अख़्लाक़ वाली, ख़ूबसूरत नूरानी चेहरों वाली।'

पूछा गया, (**कअन्ना बैज़ुम् मक्नून अस् साफ़्फ़ात : 49**) के क्या माअने हैं?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनकी नज़ाकत ऐसी होंगी कि अण्डे के छिलके के अंदर की झिल्ली।'

पूछा गया, (उरूबन् अतराबा अल वाक़िया : 37) की क्या तफ़्सीर है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो मुस्लिम दीनदार औरतें बुढ़ापे की हालत में दुनिया से रुख़्सत हुई थीं, उन्हें अल्लाह तआला नये सिरे से पैदा करेगा और उन्हें बाकिरः (कुँआरी) बना देगा। यह अपने ख़ाविन्दों से बेहद इश्क़ व मुहब्बत करने वाली होंगी और नौ–उम्र कमसिन ही रहेंगी।'

फिर उम्मे सलमा (रज़ि.) पूछती हैं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! दुनिया की औरतें जो जन्नत में जाएँगी वो अफ़ज़ल होंगी या हूरें?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बल्कि दुनिया की जन्नती औरतें हूरों से बहुत अफ़ज़ल व बेहतर होंगी। जैसे कि ऊपर का कपड़ा नीचे के कपड़े से अफ़ज़ल व बेहतर होता है।'

सय्यिदः उम्मे सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! इसकी वजह क्या होगी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनका नमाज़, रोज़ा और इबादते इलाही। उनके चेहरे नूर में डूबे हुए होंगे। उनके लिबास ख़ालिस रेशमी होंगे, उनके रंग सफ़ेद और नूरानी होंगे, उनके कपड़े सब्ज़ होंगे। उनके ज़ेवर ज़र्द होंगे, उनकी अँगूठियाँ भी मोतियों की होंगी, उनकी कंघिया भी सोने की होंगी, यह मिल–जुलकर यह तराना गाएँगी कि हम हमेशा रहने वाली हैं, कभी मरने वाली नहीं। हम आसूदा हाल हैं, कभी तंगहाल होने की नहीं। हम हमेशा यहीं रहने वालियाँ हैं, न कभी नाराज़ हों न कभी नाराज़ करें। ख़ुशनसीब है वो जो हमें पा लें और हम भी ख़ुशनसीब है कि हमें ऐसे ख़ाविन्द मिल गए।'

फिर पूछती हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! बाज़ औरतों के (तलाक़ या फ़ौतगी) से दो–दो, तीन–तीन, चार–चार ख़ाविन्द हो जाते हैं, अगर वो भी जन्नत में गई और उसके तमाम ख़ाविन्द भी जन्नत में गए तो वहाँ यह किस को मिलेगी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उम्मे सलमा! उसे इख़्तियार होगा कि उनमें से जिसे चाहे पसंद कर ले। फिर यह उसे पसंद करेगी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ख़ुशख़ल्क़ी के साथ उससे पेश आया हो, कह देगी कि इलाही! मैं तो इसके पाकीज़ा अख़्लाक़ से आराम में रही थी। इसको सब पर तरजीह देती हूँ, इसी के निकाह में मुझे दे दिया जाए। सुनो उम्मे सलमा! ख़ुशअख़्लाक़ी से ही दुनिया व आख़िरत की भलाई मिलती है।' (कुर्तुबी फ़ी किताबिही : अल जामिउ लि अहकमिल क़ुर्आन : 17/205)

======================

छठा बाब :

तहारत के मसाइल

पानी के मसाइल

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि क्या समुन्दर के पानी से हम वुज़ू कर लिया करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसका पानी पाक है और उसका मुर्दा जानवर (हर तरह की मछली) हलाल है।' (मालिक/ अत्तहारह/ अत्तुहूर लिल वुज़ू : 40, अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ अलवुज़ू बि माईल बहरि :83, तिर्मिज़ी/ अब्वाबुत्तहारति/ माजाअ फ़िल बहरि अन्नहू तुहूरुन : 69, निसाइ/ अत्तहारतु माउल बहरि : 1/59, इब्ने माजा/ अत्तहारतु/ अलवुज़ूउ बिमाइल बहरि : 3869)

========================

सवाल : पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! जिसमें हैज़ के कपड़े और गंदगी और कुत्तों के गोश्त डाले जाते हैं क्या उससे वुज़ू हो सकता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पानी पाक है उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ फ़ी बिअरि बुज़ाअ : 66, सहीह/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : पूछा गया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! जो पानी जंगल बयाबान में हो जहाँ चौपाए और दरिन्दे भी आते जाते रहते हों उसका क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब पानी दो कुल्ले (यानी दो घड़े) हो जाए तो उसे कोई चीज़ नजिस नहीं कर सकती।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ मायुनजिसुलमआ : 63, तिर्मिज़ी/ अब्वाबुत्तहारति/ माजाअ अनिल माइ ला यन्जिसहू शैइन : 67, इब्ने माजा/ अत्तहारतु :520,

अद्दारमी/ अत्तहारतु/ क़दरुल्ल माइल्लजी ला युनज्जिसुहू : 1/186)

=======================

निजासत की क़िस्में और पाकी के दीगर मसाइल

सवाल : आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि चूहा घी में गिर पड़े तो क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे और उसके आस–पास के घी को फेंक दो और बाक़ी घी अपने खाने के लिए इस्तेमाल में लाओ।' (**बुख़ारी**/ अज़्ज़बाएहू वस्सैद/ इज़ा वक़अतिल फ़ारतु फ़िस्समनिल जामिद अविल मज़ाब : 5540, **अबू दाऊद**/ अल अत इमह/ फ़िल फ़ारति तक़उ फ़िस्समनि : 3841, **तिर्मिज़ी**/ अल अत इमतु/ माजाअ फ़िल फ़ारति तमूतु फ़िस्समनि : 1798, **अहमद** फ़ी किताबिही : (अल मुस्नद) : 2/233)

इसमें घी के पिघला हुआ और जमा हुआ होने की कोई तफ़्सील साबित नहीं होती।

=======================

सवाल : हज़रत मैमूना (रज़ि.) की बकरी मर गई, तो उन्होंने उसे उसकी खाल समेत फिंकवा दिया। नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुमने उसका चमड़ा क्यों न उतार लिया?' तो आप (रज़ि.) ने पूछा, क्या मुर्दा बकरी की खाल हम उतार लेते?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुनो! जनाबे बारी तआला का इर्शाद है, आप कह दीजिए कि जो कुछ अहकाम बज़रिए वह्य के मेरे पास आए हैं, उनमें तो मैं तो कोई हराम नहीं पाता किसी खाने वाले के लिए जो उसे खाए, मगर यह कि वो मुर्दार हो या बहा हुआ ख़ून हो या ख़िन्ज़ीर का गोश्त हो, क्यों कि वो बिल्कुल नापाक है। या जो शिर्क का ज़रिया हो कि गैर अल्लाह के लिए नामज़द कर दिया गया हो। फिर जो शख़्स मजबूर हो जाए बशर्ते कि न तालिबे लज़्ज़त हो और न हद से तजावुज़ करने (आगे बढ़ने) वाला तो बिला शुब्हा (इस हालत मजबूरी में) तुम्हारा रब बख़्शने वाला निहायत मेहरबान है।'

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम उसे खाते तो नहीं हो, उसे दबाग़त देकर उससे नफ़ा उठा सकते हो।' (**बुख़ारी**/ अल ऐमानु वन्नुज़ूर/ इज़ा हलफ़ अल्ला यश्रिब नबीज़न फ़शरिब: 6686, **मुस्लिम**/ अल हैज़/ तहारतु जुलूदिल मयतति बिद्दिबाग़ : 363, **अबू दाऊद**/ अल लिबास/ फ़ी असबिल मयतता : 4120, **तिर्मिज़ी**/ अल लिबास/ माजाअ फ़ी जुलूदिल मयतति इज़ा दुबिग़त : 1727, **इब्ने माजा**/ अल लिबास/ लुब्सो जुलूदिल मयतति इज़ा दुबिग़त : 3610, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/327,328)

यह सुनकर हज़रत मैमूना (रज़ि.) ने आदमी भेजकर उसकी खाल उतरा ली और उसे रंग कर उसकी एक मश्क बनवा ली जो पुरानी होने तक उनके काम आती रही।

========================

सवाल : मुर्दार की खाल की निस्बत पूछा गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसकी पाकी दबाग़त दे लेना है।' (अबू दाऊद/ अल् लिबास/ फ़ी इहाबिल मयतति : 4125, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/476)

========================

सवाल : ढेलों की निस्बत सवाल हुआ तो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तुम तीन पत्थर नहीं पाते? उनमें से दो ढेले सुरीन के दोनों अतराफ़ के लिए और एक पाख़ाना निकलने की जगह के लिए।'

यह हदीस़ हसन है जबकि मालिक के नज़दीक मुर्सलन् यूँ मरवी है, 'क्या तुम में से कोई तीन पत्थर नहीं पाता? इस रिवायत में और ज़्यादती नहीं।' (अद्दारे कुत्नी : अत्तहारतु/ अल् इस्तिंजा : 1/ 56)

========================

सवाल : हज़रत सुराक़ा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पाखाने के मसले से पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि क़िब्ले की जानिब से हट जाएँ, न क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे न पीठ और हवा के रुख़ भी न बैठें (शायद इसलिए कि ऐसा न हो कि हवा से पेशाब के छींटे कपड़ों या बदन पर उड़ें) और तीन पत्थरों से इस्तिंजा करें, उनमें लीद, गोबर न हो, या तीन लकड़ी के टुकड़ों से, या तीन मिट्टी के चुल्लू से। (अद्दारे कुत्नी : अत्तहारतु/ अल् इस्तिंजा : 1/ 57)

========================

अहले किताब के बर्तन

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) से सवाल करते हुए हज़रत अबू स़अलबा (रज़ि.) ने कहा कि हम अहले किताब की बस्ती में रहते हैं, यह लोग ख़िन्ज़ीर खाते हैं, शराबें पीते हैं. क्या हम उनके बरतनों को इस्तेमाल में ला सकते हैं?

जवाब : रसूलल्लाह (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'अगर तुम्हें उनके अलावा बरतन मिल जाएँ तो उनमें खाओ-पियो लेकिन और बरतन अगर न मिले तो उन्हें धोकर उनमें खा पका और पी सकते हो।' (अबू दाऊद/ अल् अतइमतु/ अल् अक्लु फ़ी आनियति अहलिल

किताब : 3839, तिर्मिज़ी/ अस्सीर/ माजाअ फ़िल् इंतिफ़ाअ बिआनियतिल मुश्रिकीन : 1560 सहीह/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : सहीहैन में है (सहाबा किराम ने पूछा,) हम अहले किताब की ज़मीन में हैं, क्या हम उनके बरतनों में खाना खा लिया करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'न खाओ मगर और बरतन न मिले तो, फिर उन्हें धो लो और फिर उनमें खाओ।' (बुख़ारी/ अज़्ज़बाइहू वस्सैद/ आनियतुल मजूस, वल् मयतति : 5496, मुस्लिम/ अस्सैद वज़्ज़िबाइहू/ अस्सैद बिल किलाबिल मुअल्लमति : 1930)

=======================

सवाल : अल मुस्नद अहमद और सुनन् अरबाअ में सहाबा (रज़ि.) का सवाल है, क्या मजूसियों के बरतनों में खा सकते हैं? (जबकि हम उनकी तरफ़ बेबस कर दिए जाएँ।)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐसी मजबूरी की सूरत में उन्हें धो लो और उनमें खा लो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/184)

=======================

सवाल : तिर्मिज़ी में है कि मजूसियों की हंडिया की बाबत आप (ﷺ) से सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उन्हें धोकर ख़ूब साफ़ कर लो फिर उनमें पका सकते हो।' (तिर्मिज़ी/ अल अत्इमतु/ माजाअ फ़िल् अकलि फ़ी आनियतिल् कुफ़्फ़ार : 1796, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

वस्वसे

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस शख़्स के बारे में क्या फ़त्वा है जिसके दिल में वस्वसा गुज़रता है कि शायद हवा निकल गई हो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो नमाज़ से न फिरे जब तक कि आवाज़ न सुन ले या बू न आए।' (बुख़ारी/ अल वुज़ूउ/ ला यत्वज़्ज़ा मिनश्शकि हत्ता यस्तयकिन :137, मुस्लिम/ अल हैज़/ अद्दलीलु अला अन् मैंय्यतक़िनुत्तहारता षुम्मा यशुकु : 361)

=======================

वुज़ू, ग़ुस्ल, तयम्मुम और मसह के मसाइल

सवाल : आप (ﷺ) से मज़ी के बारे में सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसमें तुझे वुज़ू काफ़ी है।'

साइल पूछा कि मेरे कपड़े पर जो लग जाए उसका क्या करूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक चुल्लू पानी का लेकर जहाँ कपड़ा सना हो वहाँ बहा दो। इसे इमाम तिर्मिज़ी सही बतलाते हैं।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ फ़िल् मज़ी :210, तिर्मिज़ी/ अब्वाबुत्तहारति/ माजाअ फ़िल् मज़ी युसीबुष्षवब : 115, इब्ने माजा/ अत्तहारतु व सुननहा/ अल वुज़ूउ फ़िल् मज़ी : 506, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) :3/485, दारमी/ अत्तहारतु : 1/184)

========================

सवाल : ग़ुस्ल को कौनसी चीज़ वाजिब करती है? और (इंज़ाल वाले) पानी के बाद के पानी का क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसे मज़ी कहते हैं हर नर मज़ी डालता है तो उससे अपनी फ़र्ज को और (उन षयथिन) को धो डाल और नमाज़ की तरह वुज़ू कर लो।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ फ़िल् मज़ी : 211, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/342)

========================

सवाल : हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश (रज़ि.) आप (ﷺ) से अर्ज़ करती हैं कि मुझे इस्तिहाज़ा की बीमारी है, मेरा ख़ून आता ही रहता है तो क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं यह तो एक रग है यह ख़ूने हैज़ नहीं है। जब तेरे हैज़ का जमाना आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब चला जाए तो अपने जिस्म से ख़ून को धो डाल और नमाज़ शुरू कर दो। (बुख़ारी/ अल् हैज़/ अल् इसति हाज़िही/ 306, मुस्लिम/ अल हैज़/ अल् मुस्तिहाज़तु व ग़ुस्लुहा व सलातुहा : 333, तिर्मिज़ी/ अब्वाबुत्तहारति/ माजाअ फ़िल मुस्तिहाज़ति : 125)

========================

सवाल : ऐसी ही औरत के बारे में सवाल पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि,

जवाब : 'जिन मुक़र्ररः दिनों में वो हैज़ से से हो जाया करती है, उन दिनों में वो नमाज़ छोड़ दे, फिर ग़ुस्ल कर ले और नमाज़ रोज़े को बजा लाया करो। हाँ! हर नमाज़ में वुज़ू

कर लिया करो।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ मन काल तग़तसिलु मिन तुहरिन इला तुहर : 297, तिर्मिज़ी/ अब्वाबुत्तहारति/ 94:26, इब्ने माजा/ अत्तहारतु सुननहा/ माजाअ फ़िल् मुस्तिहाज़ति : 625)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या बकरी का गोश्त खाने से वुज़ू करना लाज़िम है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर चाहो कर लो और चाहो न करो।'

(मुस्लिम/ अल हैज़/ अल वुज़ूउ मिन लुहूमिल इब्लि :360)

========================

सवाल : किसी ने पूछा, क्या ऊँट के गोश्त खाने से वुज़ू है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! ऊँट के गोश्त खाने पर वुज़ू कर लिया करो।'

(मुस्लिम/ अल हैज़/ अल वुज़ूउ मिन लुहूमिल इब्लि :360)

========================

सवाल : हज़रत उम्मे सुलैम (रज़ि.) पूछती है कि या रसूलल्लाह (ﷺ) अल्लाह तआला हक़ से नहीं शर्माता। क्या औरत को एह्तेलाम हो तो उस पर भी ग़ुस्ल वाजिब है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! जब वो ख़ास पानी को देख ले।'

तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पूछा, क्या औरतों को भी एह्तेलाम होता है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! क्यों नहीं? सुब्हानल्लाह! फिर बच्चे की मुशाबिहत (समरूपता) उससे कैसे हो जाती है?।' (बुख़ारी/ अल् इल्म/ अल हयाउ मिनल इल्मः 130, मुस्लिम/ अल हैज़/ वुजूबुल ग़ुस्लि आलल मरअति बि ज़वजिल मनी मिन्हा :313)

========================

सवाल : एक रिवायत में है कि हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पूछा, अगर औरत अपने ख़्वाब में वही देखे जो एक मर्द देखता है, तो वो क्या करे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब वो यह देखे तो ग़ुस्ल कर ले।' (तिर्मिज़ी अब्वाबुत्तहारति/ माजाअ फ़िल मरअति तराफ़िल मिष्ली मा यर्रजुल : 122 सहीहुन)

========================

सवाल : अल मुस्नद् अहमद में है कि हज़रत ख़ौला बिन्ते हकीम (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से सवाल किया उस औरत के बारे में जिस ख़्वाब में वो,

वही कुछ देखती है जो मर्द देखता है, तो उस वक़्त वो क्या करे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तक इंज़ाल न हो उस पर गुस्ल नहीं, जैसे कि इंज़ाल के बग़ैर मर्द पर गुस्ल नहीं।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/409, इब्ने माजा/ अत्तहारतु व सुननहा/ फ़िल मरअति तरा फ़ी मनामिहा मा यर्रजुल : 602)

========================

सवाल : अमीरुल् मुअमिनीन हज़रत अली (रज़ि.) बिन अबी तालिब ने नबी (ﷺ) से (किसी आदमी के ज़रिये) मज़ी के बारे में सवाल किया.

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मज़ी से वुज़ू है और मनी से गुस्ल है। और रिवायत में है कि जब तू मज़ी देखे तो वुज़ू कर, अपना ऊज़ू धो डाल और जब मनी देखे तो गुस्ल कर लिया करो।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/79)

========================

सवाल : नबी (ﷺ) से सवाल हुआ कि एक शख़्स तरी तो देखता है लेकिन एह्तेलाम याद नहीं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो गुस्ल कर ले।'

किसी ने पूछा, और जो शख़्स समझता हो कि उसे एह्तेलाम हो गया लेकिन तरी नहीं पाता वो क्या करे?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसके ज़िम्मे नहाना नहीं है।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ अर्रजुलु यजिदुल बल्लत फ़ी मनामिह : 236, तिर्मिज़ी/ अब्वाबुत्तहारति/ फ़ीमन यस्तयक़िज़ फ़यरा बलालन वला यज़कुरू एहतिलामन : 113, इब्ने माजा/ अत्तहारतु/ मन इह्तलम वलम यरा बलालन : 612, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/256)

========================

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) से सवाल किया गया कि एक शख़्स अपनी बीवी से मुजामिअत करता है और थक कर अलग हो जाता है। वो क्या करे?

जवाब : उस वक़्त हज़रत आइशा (रज़ि.) जो वहाँ बैठी हुई थीं उनकी तरफ़ इशारा करते हुए आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं और यह ऐसी हालत में गुस्ल करते हैं।'

(मुस्लिम/ अल हैज़/ नसख़ुल माइ व वुजूबुल गुस्लि बिल तिक़ाइल ख़तानैन : 250)

========================

सवाल : उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पूछा कि मैं अपने बालों की मैंडियाँ बहुत मजबूती

से गूँधती हूँ तो क्या गुस्ल जनाबत के लिए उसे खोलना ज़रूरी है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं! तुम्हें सिर्फ़ यह काफ़ी है कि तीन लपें भर कर पानी बहा लो, फिर सारा जिस्म धो डालो।' (मुस्लिम/ अल हैज़/ हुक्मु ज़फ़ाइरि अल मुग़्तसिलह : 330)

अबू दाऊद में यह है कि, 'हर लप के साथ बालों को मल लिया करो।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ फ़िल मरअति हल तन्क़ुज़ शअरहा इन्दल गुस्ल : 252 हसन/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से कहा कि जिस राह पर चलते हुए हम मस्जिद में आते हैं वो रास्ता बड़ा गंदा है। बारिश जब हो रही हो तो हम क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या इसके बाद कोई इसके ज़्यादा साफ़ रास्ता नहीं ? उसने कहा हाँ है।'

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बस तो उसका बदला हो गया और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया कि क्या उसके बाद उससे तय्यब रास्ता नहीं?

साइला कहती हैं, मैंने जवाब दिया कि हाँ है।

तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर वो उसे ले जाएगा' (अबू दाऊद/ अततहारतु/ फ़िल अज़ा युसीबुज़्ज़ैल : 384, इब्ने माजा/ अत्ताहरतु व सुननहा/ अल अर्ज़युतह्हिरू बअज़ुहा बअज़न : 533, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/435/ सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि हम मस्जिद के इरादे से चलते हैं और हमें गंदे रास्तों से चलना पढ़ता है, उस वक़्त क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ज़मीन का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पाक कर देता है।' (इब्ने माजा/ अत्तहारतु व सुननहा/ अल अर्ज़ यत्तह्हिरू बअज़हा बअज़न :532)

=======================

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि हमारे कपड़े पर ख़ूने हैज़ लग जाए तो हम क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे ख़ुरच डालो, पानी डाल कर ख़ूब धो लो फिर

उसमें नमाज़ पढ़ सकती हो।' (बुख़ारी/ अल हैज़/ गुस्लुहम : 307, मुस्लिम/ अत्तहारतु/ बि नजासतिद्दीम व कैफ़ियतु गुस्लिही : 491, अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ अल मरअतु तग़सिलु सोवबहल्लज़ी तलबिसूहु फ़ी हैज़िहा : 360, तिर्मिज़ी/ अत्तहारतु/ माजाअ फ़ी गुस्लि दमिल हैज़ि मिनष्षवबि : 138)

========================

सवाल : वुज़ू के बारे में आप (ﷺ) से सवाल हुआ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वुज़ू पूरा कामिल करो। उँगलियों के दरम्यान ख़िलाल करो, नाक में पानी डालने में मुबालिग़ा करो। हाँ, रोज़े से हो तो नहीं।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ फ़िल इस्तिनषार : 142, निसाई/ अत्तहारतु/ अल मुबालिग़तु फ़िल इसतिनशाक़ : 871)

========================

सवाल : हज़रत अ़म्र बिन अ़म्बिसा (रज़ि.) आप (ﷺ) से वुज़ू के बारे में सवाल किया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू जब वुज़ू करने को बैठेगा, अपने दोनों हाथ ख़ूब साफ़ करेगा तो हाथों के गुनाह पोरों और नाख़ूनों तक से निकल जाएँगे और फिर जब तू कुल्ली करेगा, नाक झाड़ेगा, मुँह धोएगा, हाथ कोहनियों समेत धोएगा और अपने सर का मसह करेगा और अपने पाँव धोएगा तो तेरी तमाम ख़ताएँ झड़ जाएँगी जैसे कि अब पैदा हुआ।' (निसाइ/ अत्तहारतु/ :147, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : एक अ़अराबी ने आप (ﷺ) से वुज़ू के बारे में सवाल किया?

जवाब : आप (ﷺ) ने उसे तीन बार अअ़ज़ा-ए-वुज़ू को धोकर दिखाया।

फिर फ़र्माया, 'वुज़ू इस तरह है, जिसने इस पर ज़्यादती की, उसने बुरा किया, ह़द से गुज़र गया और ज़ुल्म किया।' (निसाइ/ अत्तहारतु/ अल इअतिदाल फ़िल वुज़ूइ : 140, इब्ने माजा/ अत्तहारतु व सुननहा/ माजाअ फ़िल क़सदि फ़िल वुज़ूइ व कराहियतुत्तअद्दी फ़ीह :422, हसन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : एक अ़अराबी ने आप (ﷺ) से पूछा कि हम में से कोई नमाज़ में होता है और दूसरे रास्ते से कुछ हवा निकल जाती है, तो वो क्या करे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुम में से किसी की हवा नमाज़ में निकल जाए तो वो वुज़ू करे। आप (ﷺ) ने यह भी फ़र्माया, औरतों के पाख़ाने की जगह वती न करो, अल्लाह तआ़ला ह़क़ से शर्माता नहीं।' (तिर्मिज़ी/ अर्रिज़ाअ/ माजाअ फ़ी कराहयति

इत्यानिन्निसाइ फ़ी अदबारिहुन्न : 1164, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) 1/86, अद्दारमी/ मन अता इमरातुहू फ़ी दुबुरिहा : 1142)

========================

जुराबों पर मसह

सवाल : जुराबों पर मसह करने की बाबत आप (ﷺ) से सवाल हुआ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मुसाफिर के लिए तीन दिन और मुक़ीम के लिए एक दिन–रात।' (**अबू दाऊद**/ अत्तहारतु/ अत्तवक़ीतु फ़िल मसह :157, **तिर्मिज़ी**/ अब्वाबुत्तहारति/ अल मसहु अलल ख़ुफ़्फ़ैन लिल मुसाफ़िरि वल मुक़ीमि : 95, **निसाई**/ अत्तहारतु/ अत्तवक़ीतु फ़िल मसहि अलल ख़फ़ीन : 1/84, **इब्ने माजा**/ अत्तहारतु माजाअ फ़ित्तवक़ीति फ़िल मसहि लिल मुक़ीमि वल मुसाफ़िर : 554, सहीह/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत इब्ने अबी अम्मारः (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं मोज़ों पर मसह कर लूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! (कर लो)'

पूछा गया, एक दिन?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दो दिन भी।'

पूछा गया और तीन दिन भी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! और भी जिस क़दर तू चाहे।'

अहले इल्म की एक जमाअ़त तो कहती है कि बग़ैर किसी तक़र्रुर मुद्दत के जुराबों पर मसह जाइज़ है। वो लोग इस हदीष़ के ज़ाहिर पर आ़मिल हैं। दूसरी जमाअ़त कहती है कि यह मुतलक़ हैं और तक़र्रुर औक़ात वाली अहादीष़ मुक़य्यद हैं जबकि मुक़य्यद मुतलक़ पर क़ाज़ी हैं। पस मुसाफ़िर ज़्यादा से ज़्यादा तीन दिन तक जुराबों पर मसह कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। (**अबू दाऊद**/ अत्तहारतु/ अत्तवक़ीतु फ़िल मसहि : 158, **इब्ने माजा**/ अत्तहारतु/ माजाअ फ़िल मसहि बिग़ैरि तवक़ीति : 557, **अद्दारे क़ुत्नी**/ अत्तहारतु/ अर्रुख़्सतु फ़िल मसहि अलल ख़ुफ़्फ़ीन : 1/198)

========================

तयम्मुम

सवाल : एक अअ़राबी ने आप (ﷺ) से पूछा कि हम रेतीले मैदानों में 4–4,

5–5 माह गुज़ारते हैं, हम में निफ़ास और हैज़ वाली औरतें भी होती हैं, जुनुबी मर्द भी होते हैं, फ़र्माइए कि हम क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि, 'मिट्टी को लाज़िम पकड़े रहो। (यानी तयम्मुम कर लिया करो)' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/278)

========================

सवाल : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मैं पानी से दूर होता हूँ, मेरे साथ मेरी अहलिया भी होती है और मुझे नहाना ज़रूरी हो जाता है तो मैं क्या करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पाक मिट्टी, पाक करने वाली है, चाहे दस साल तक तुझे पानी न मिले तो, जब मिल जाए तो गुस्ल कर लिया करो वरना तयम्मुम काफ़ी है। यह हदीष हसन है।' (अबू दाऊद/अत्तहारतु/अल जुनुबु यतयम्मुम : 332, तिर्मिज़ी/अब्वाबुत्तहारति : 124, निसाइ/अत्तहारतु/ अस्सलवाति बितयम्मुमिन वाहिद : 1/171, सहीह/अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत अली (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से सवाल पूछा कि मैंने अपने पहुंचे टूट जाने की वजह से पट्टी बाँध रखी है, (इस हालत में क्या करूँ?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसी पर मसह कर लिया करो।' (इब्ने माजा/ अत्तहारतु/ अल मसहु अलल जबाइरि : 657 ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : सहाबा किराम (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से गुस्ले जनाबत के बारे में सवाल किया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मर्द अपना सर खोलकर उसे धोए यहाँ तक कि बालों की जड़ें तर कर ले। औरत पर अपने सर का खोलना ज़रूरी नहीं। उसे यही काफ़ी है कि तीन लपें पानी को अपने सर पर बहा ले।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ फ़िल मरअति हल तनक़ुज़ु शअरिही इन्दल गुस्लि : 255 सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : किसी ने आँहज़रत (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मैंने जनाबत का गुस्ल किया, फिर सुब्ह की नमाज़ भी अदा कर ली, फिर दिन निकले मअलूम हुआ कि ब–क़द्र नाख़ून के जिस्म में ऐसी जगह रह गई है कि जहाँ पानी नहीं पहुँचा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तू इस पर तर हाथ फेर लेता तो काफ़ी था।' (इब्ने माजा/ अत्तहारतु/ मनिग़्तसल मिनल जनाबिति फ़यक़िय फ़ी जसदिही लुमअतुन :664, ज़ईफ/ अल अलबानी रह.)

========================

औ़रतों के मसाइल

सवाल : एक ओ़रत के हैज़ से मुतअ़ल्लिक़ सवाल हुआ?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया, 'ऐसी ओ़रत पानी और बैरी के पत्ते लेकर बैठे, ख़ूब सफ़ाई करे, अपने सर बालों को ख़ूब मल–मलकर धोए यहाँ तक कि जड़ें भी धुल जाएँ, फिर अपने ऊपर पानी बहा ले, फिर एक मुश्क़ आलूद रूई का फाहा लेकर सफ़ाई करे।' (मुस्लिम/ अल हैज़/ इस्तिहबाबु इस्तिअमालिल मुग़तसिलति मिनल हैज़ : 332, इब्ने माजा/ अत्तहारतु/ अलहाइज़ु कैफ़ तग़्तसिलु : 642)

========================

सवाल : आप (ﷺ) से एक ओ़रत ने जनाबत के ग़ुस्ल की निस्बत सवाल किया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पानी लेकर ख़ूब पाकीज़गी ह़ासिल करो फिर अपने सर पर बहा कर ख़ूब मलो यहाँ तक कि जड़ें भी भीग जाएँ फिर अपने जिस्म पर पानी बहा लो।' (मुस्लिम/ अल हैज़/ इस्तिहबाबु इस्तिअमालिल मुग़तसिलति मिनल हैज़ : 332, इब्ने माजा/ अत्तहारतु/ अलहाइज़ु कैफ़ तग़्तसिलु : 642) .

========================

सवाल : एक स़ह़ाबी ने आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि ओ़रत की हालते हैज़ में मेरे लिए क्या हलाल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो तहबन्द बाँध ले। फिर ऊपर के जिस्म से तो फ़ायदा उठा सकता है।' (बुख़ारी/ अल हैज़/ मुबाशिरतुल हाइज़ि अन इमरअतिही वहिया हाइज़ : 302, मालिक/ अत्तहारतु/ मा यहिल्लु लिर्रजुलि मिन इमरअतिही वहिय हाइज़ि : 126)

========================

सवाल : आप (ﷺ) से सवाल किया गया क्या हाइज़ा ओ़रत के साथ खा सकते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने खाने की इजाज़त देते हुए फ़र्माया, 'हाँ! उसके साथ खा लिया करो।' (तिर्मिज़ी/ अत्तहारतु/ माजाअ फ़ी मुआकिलतिल जुनुबि वल हाइज़ि वसूअरिहुमा :

133, सहीह/ अल अल्बानी रह.)

=========================

सवाल : आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि निफ़ास वाली औरतें कब तक बैठी रहें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '40 दिन तक नमाज़, रोज़े और तवाफ़े बैतुल् हराम वगैरह से रुकी रहे मगर यह कि इससे पहले पाकीज़गी देख ले।' (अद्दारे कुत्नी/ अल हैज : 1/220)

=========================

सातवाँ बाब

नमाज़ के मसाइल

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया, क्या बकरियों के बाँधने की जगह में नमाज़ पढ़ सकते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! वहाँ नमाज़ पढ़ लिया करो।'

=======================

सवाल : इसी सिलसिले में पूछा गया कि ऊँटों के बंधने की जगह में?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं।' (मुस्लिम/ अल हैज़/ अल वुज़ूउ मिन लुहूमिल इबिलि : 360)

=======================

सवाल : एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा कि किसी आदमी ने ग़ैर औरत से वो सब कुछ किया जो ख़ाविन्द अपनी बीवी से करता है, सिर्फ़ मुजामिअत नहीं की, उसके लिये क्या हुक्म है?

जवाब : इस पर आयत (**व अक़ीमिस्सलाति त-र-फ़िन् नहारि व ज़ुलफ़म्मिनल्लैलि. इन्नल हसनाति युज़्हिब्नस्सय्यआति‌. ज़ालि-क ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन0** सूरह हूद : 114) नाज़िल हुई यानी **'दिन के दोनों हिस्सों में और रात की घड़ियों में नमाज़ क़ायम करो यक़ीनन नेकियाँ बुराईयों को दफ़्आ कर देती हैं। यह उनके लिए नसीहत हैं जो नसीहत क़बूल करने वाले हैं।**

आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू वुज़ू कर, फिर नमाज़ पढ़।'

हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने पूछा, क्या यह हुक्म ख़ास उसी के लिए है या आम मुस्लिमीन के लिए?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बल्कि तमाम मुस्लिमीन के लिए यह हुक्म आम है।' (बुख़ारी/ अल मवाक़ीतु/ अस्सलातु कफ्फ़ारतुन : 526, मुस्लिम/ अत्तौबा/ क़ौलुहू तआला (इन्नल हसनति युज़्हिबनस्सय्यिआति) : 2763)

नोट : मोमिन बन्दा पहली बात तो यह है कि इरादे के साथ कोई बुरा काम करता ही नहीं है और अगर किसी मोमिन बन्दे से नफ़्स के ग़ालिब आ जाने पर ग़लती से वो ख़ता हो जाए जिसका ज़िक्र ऊपर गुज़रा है तो वो अपने गुनाह पर शर्मिन्दा होता है। इसी शर्मिन्दगी और नदामत की वजह से अल्लाह उसे माफ़ कर देगा जबकि वो नमाज़ के वक़्त पर वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले। यहाँ यह याद रखना चाहिये कि जान–बूझकर किये गये गुनाह और बे–इरादतन हुई ग़लती में बहुत बड़ा फ़र्क़ है। यह समझने के लिये नीचे दी गई मिसालों पर ग़ौर करें,

✲ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) को पैदा फ़र्माया, अल्लाह ने फ़रिश्तों और इबलीस को उनके आगे सज्दा करने का हुक्म दिया। फ़रिश्तों ने अल्लाह से जब इस बारे में सवाल किया तो अल्लाह ने उन्हें यह फ़र्माते हुए रोक दिया कि जो अल्लाह जानता है उसका इल्म किसी को नहीं है, उसके बाद फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म की तामील में हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) को सज्दा किया। लेकिन शैतान ने यह कहते हुए सज्दा करने से इन्कार कर दिया कि वो आग से बना है और हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) मिट्टी से, वो अफ़ज़ल है इसलिये अपने से कमतर को सज्दा नहीं कर सकता। शैतान ने इरादतन गुनाह किया तो अल्लाह ने उसको मलऊन करके जन्नत से निकाल दिया और उससे सारी नेअमतें छीन ली।

✲ अल्लाह ने हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) और उनकी बीवी हज़रत हव्वा (अलैहिस्सलाम) को जन्नत में रहने की इजाज़त दी और एक ख़ास किस्म के पेड़ का फल न खाने की हिदायत दी। शैतान के बहकावे में आकर दोनों ने उस पेड़ के फल को खा लिया नतीजन उन्हें भी जन्नत से निकलना पड़ा लेकिन चूँकि उन्होंने यह गुनाह शैतान के बहकावे में आकर किया था, जान–बूझकर नहीं किया था इसलिये जब उन्होंने अल्लाह के आगे तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया।

इससे ज़ाहिर होता है कि जान–बूझकर किया गया गुनाह शैतानी अमल है इसलिये बेहतर यही है कि इन्सान अपने नफ़्स पर क़ाबू रखे और जहाँ तक हो सके ज़िना और बदकारी की ओर ले जाने वाले कामों से दूर रहे।

======================

सवाल : हज़रत षोअबान (रज़ि.) ने पूछा, तमाम अअमाल में सबसे ज़्यादा प्यारा अमल अल्लाह के नज़दीक कौनसा है?

जवाब : रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू अल्लाह तआला के लिए बहुत ज़्यादा सज्दे करता रह, हर सज्दे पर अल्लाह तआला तेरे दर्जे बढ़ाएगा और तेरे गुनाह मुआफ़ फ़र्माएगा।' (मुस्लिम/ अस्सलात/ फ़जलुस्सुजूद वल हष्षु अलैहि : 488)

======================

सवाल : हज़रत अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद (रज़ि.) बयान करते हैं, मैंने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा, नमाज़ घर में बेहतर है या मस्जिद में अफ़ज़ल?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम नहीं देखते कि मेरा घर सबसे ज़्यादा मस्जिद के क़रीब है। मुझे घर में नमाज़ पढ़ना मस्जिद की नमाज़ से ज़्यादा महबूब है, सिवाय फ़र्ज़ नमाज़ के।' (इब्ने माजा/ इक़ामतुस्सलात/ माजाअ फ़ित्तौई फ़िल बयति : 1375)

======================

सवाल : आप (ﷺ) से घरों में नमाज़ पढ़ने का सवाल किया गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपने घरों को (अल्लाह के ज़िक्र और नमाज़ से) नूरानी बना लिया करो।'

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म कब करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब वो दाएँ- बाएँ में तमीज़ करने लगें तो उन्हें नमाज़ का हुक्म करो।' (अबू दाऊद/ अस्सलातु/ मता युअमरुल गुलामु बिस्सलाति : 497 ज़ईफ़/ अल अलबानी रह.)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम उस मुख़न्नस (हिजड़े) को क़त्ल कर दें जो मर्द होकर औरतों से मुशाबिहत (समरूपता) करता है? (मगर नमाज़, रोज़ा अदा करता है।)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़ियों को क़त्ल से मुझे मुमानिअत है।' (अबू दाऊद/ अल अदब/ फ़िल हुक्मि)

यानी नमाज़ियों के क़त्ल से मुझे रोका गया है।

======================

सवाल : नमाज़ के वक़्तों के बारे में आप (ﷺ) से सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने सवाल करने वाले से फ़र्माया, 'दो दिन हमारे साथ नमाज़ें पढ़ो।'

सूरज ढलते ही हज़रत बिलाल (रज़ि.) को अज़ान देने का हुक्म हुआ फिर तक्बीर कहने का। फिर जबकि सूरज बहुत ऊँचा था, बिल्कुल चमकदार, पूरी तेज़ी पर, अस्र की इक़ामत का हुक्म हुआ। सूरज के गुरूब होते ही मग़्रिब की (अज़ान और) इक़ामत का हुक्म दिया गया। शफ़क़ के ग़ायब होते ही ईशा की इक़ामत कही गई। सुब्हः सादिक़ के तुलूअ होते ही नमाज़े फ़ज्र का हुक्म हुआ।

दूसरे दिन जुहर की नमाज़ आप (ﷺ) ने ठंडी करके पढ़ी, अस्र की नमाज़ कुछ देर करके पढ़ी, लेकिन सूरज उस वक़्त भी ऊँचा ही था (बिल्कुल बुलंद, वाजेह और रोशन), मग़्रिब की नमाज़ शफ़क़ गायब होने से पहले पढ़ ली, ईशा की नमाज़ तिहाई रात गुज़र जाने के बाद अदा की, और अगले दिन सुब्ह की नमाज़ कुछ सवेरा करके अदा की।

आप (ﷺ) ने फिर फ़र्माया, 'नमाज़ के वक़्तों का पूछने वाला कहाँ है?'

उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी! मैं हाज़िर हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़ का वक़्त वो है जो तुमने देख लिया।' (मुस्लिम/ अल मसाजिदु व मवाजिउस्सलाति/ औक़ातुस्सलाति खम्स : 613)

========================

औरतों की नमाज़ कहाँ अफ़ज़ल है?

सवाल : एक सहाबिया ने आप (ﷺ) से कहा, मेरा जी चाहता है कि आप (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा करती रहूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ, मुझे मअलूम हो गया है कि तुम्हारी चाहत मेरे साथ नमाज़ अदा करने की है। सुनो! तुम्हारा अपने घर में नमाज़ पढ़ना हुजरे में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और दालान में नमाज़ पढ़ना मुहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है और मुहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना मेरी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से बेहतर है।' (अबू दाऊद/ अस्सलातु/ अत्तशदीद फ़ी ख़रूजुन्निसाइ इलल मसाजिदी : 570, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/371 सहीहुन/ अल अलबानी रह. वल्लफ़्ज़ुल लि अहमद)

चुनाँचे इस नेक बीवी ने अपने घर के अंदरूनी इंतिहाई कोने में जो सबसे कम रोशनी वाली जगह थी वहाँ अपनी मस्जिद बनाने का हुक्म दिया और वहीं इंतिक़ाल के वक़्त तक नमाज़ पढ़ती रही।

सवाल : नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इंसान में तीन सौ साठ जोड़ हैं, उस पर ज़रूरी है कि हर जोड़ पर सद्क़ा दे। तब लोगों ने कहा, इस क़दर सद्क़ा करने की ताक़त किसे है?'

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रेंट या थूक मस्जिद में देखकर उसे दफ़न कर देना, रास्ते में से किसी तकलीफ़ देने वाली चीज़ को हटा देना भी सद्क़ा है, अगर तू यह भी न कर पाए तो ज़ुहा के वक़्त की दो रकअ़त तुझे काफ़ी है।' (**अबू दाऊद**/ अल अदब/ फ़ी इमाततिल अल अज़ी अनित्तरीक़ : 5242 सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) बैठकर नमाज़ पढ़ने के बारे में क्या इर्शाद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो खड़ा होकर पढ़े वो अफ़ज़ल है और जो बैठकर पढ़े उसे आधा अज्र है और जो लेटकर पढ़े उसे उससे भी आधा अज्र है।' (**बुख़ारी**/ तक़सीरुस्सलाति/ सलातुल क़ाएदि बिल ईमाअ : 1116, अबू दाऊद/ अस्सलाह : 951, **तिर्मिज़ी**/ अस्सलाह : 371, **निसाई**/ क़ियामुलैल/ फ़ज़्लु सलातिल क़ाउदि अला सलातिन्नाईम3/223)

इसके दो मतलब हो सकते हैं, एक तो यह कि यह हुक्म नफ़्ली नमाज़ का है। यह मतलब तो उनके नज़दीक हैं जो लेटकर नवाफ़िल का पढ़ना ज़ाइज़ जानते हैं। दूसरा मतलब यह है कि यह मअ़ज़ूर (बीमार व असमर्थ) लोगों के लिए है। उसे अपने फ़अ़ल (काम) पर आधा अज्र मिलता है और निय्यत पर पूरा अज्र मिलता है।

========================

सवाल : नबी (ﷺ) से उन उमरा (ज़िम्मेदारों) के बारे में सवाल हुआ जो नमाज़ को वक़्त से ताख़ीर (देरी) करके पढ़ते हैं, कि उनके साथ कैसे किया जाएगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़ को उसके वक़्त पर अदा कर लो, फिर उनके साथ भी अदा कर लिया करो, वो तुम्हारे लिए नफ़्ल हो जाएगी।' (**मुस्लिम**/ अल मसाजिद/ कराहियतुत्ताख़ीरुस्सलाति अन वक़्तिहा अल मुख़्तार : 648, **अबू दाऊद**/ अस्सलाति : 431, तिर्मिज़ी/ अस्सलाति : 176, निसाई/ अल इमामह/ अस्सलातु मअ अइम्मतिल जवरि : 2/75) यह हदीष़ सह़ीह़ है।

========================

सवाल : हज़रत स़फ़वान बिन मुअत्तल सुलमी की बीवी साहिबा (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) के सामने अपने ख़ाविन्द की शिकायत की कि जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो वो मुझे मारते हैं और जब मैं रोज़ा रखती हूँ तो वो मुझे रोज़ा तुड़वा देते हैं और सुब्ह की नमाज़ नहीं पढ़ते यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाए। आप (ﷺ) ने सब बातें स़फ़वान् से पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, कि यह दो–दो सूरतें मिलाकर पढ़ती हैं जिससे मैंने इन्हें मना कर रखा है।

जवाब : यह सुनकर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर एक सूरत होती तो तमाम दुनिया के लिए काफ़ी थी।'

फिर कहा कि रोज़ों की निस्बत यह गुज़ारिश है कि यह नफ़्ली रोज़े रखती चली जाती हैं। मैं नौजवान आदमी हूँ कब तक स़ब्र करता रहूँ?

उसी वक़्त नबी (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'कोई औरत नफ़्ली रोज़े अपने ख़ाविन्द की इज़ाज़त के बगैर न रखे।'

कहा, मेरी सुब्ह की नमाज़ की ताख़ीर की वजह यह है कि हम लोग काम–काज वाले आदमी हैं, सूरज तुलूअ हो जाने तक आँख नहीं खुलती।

नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तो जब जागे नमाज़ अदा कर लो।' (अबू दाऊद/ अस्सौम/ अल मरअतु तसूमु बिग़ैरि इज़्न ज़वजिहा : 2459, इब्ने हिब्बान फ़ी (सहीहिन) : 1488)

मैं कहता हूँ चूँकि यह काम–काज वाला घराना था इसीलिए तोहमते सि़द्दीक़ा में उनका नाम आया, इसलिए कि यह क़ाफ़िले में सबसे पीछे थे। तोहमत के क़िस्से में उनके जो अल्फ़ाज़ हैं कि वल्लाह! मैंने किसी औरत का बाज़ू नहीं खोला, यह इस ह़दीस़ के ख़िलाफ़ नहीं इसलिए कि उस वक़्त तक उनका निकाह़ नहीं हुआ था, न यह किसी औरत से मिले थे, इसके बाद उनका निकाह़ हो गया था।

======================

तहज्जुद

सवाल : पूछा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! क्या किसी वक़्त अल्लाह की नज़दीकी बनिस्बत दूसरे वक़्त के ज़्यादा भी होती है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! अल्लाह तआला आधी रात के वक़्त अपने बन्दों से बहुत ही क़रीब होता है। पस अगर तुम उस वक़्त अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हो तो ज़रूर कर लो।' (तिर्मिज़ी/ अद्दअवात/ 119 : 3579 स़हीहुन अल अलबानी रह.)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) सलाते वुस्ता कौनसी नमाज़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अस्र की नमाज़।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/122)

========================

सवाल : क्या रात में ऐसा वक़्त भी है कि उस वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! सुब्ह की नमाज़ के बाद रुक जाओ जब तक कि सूरज तुलूअ न हो जाए। वो शैतान के दोनों सींगों के दरम्यान से तुलूअ होता है। फिर नमाज़ पढ़ सकते हो, नमाज़ हाज़िर है और क़ुबूलियत के लिए क़ाबिल है जब तक कि आफ़ताब बीच में न आ जाए। (दूसरा मम्नूअ वक़्त वो है कि) जब सूरज तेरे सर पर आकर ऐसा खड़ा हो जाए जैसे कोई नेज़ा हो। तो उस वक़्त भी नमाज़ छोड़ दे। उस वक़्त जहन्नम भड़काई जाती है, उसके दरवाजे खुल जाते हैं, (अगर तेरा चेहरा मश्रिक़ की तरफ़ हो) और जब सूरज तेरे दाएँ जानिब ऊँचा चढ़ कर ढल जाए तो फिर नमाज़ हाज़िर और क़ुबूलशुदा है, अस्र की नमाज़ तक (तीसरा मम्नूअ वक़्त) जब अस्र की नमाज़ पढ़ ले तो फिर सूरज छुप जाने तक नमाज़ न पढ़ो।' (इब्ने माजा/ इक़ामतिस्सलात/ माजाअ फ़िस्साअतिल्लति तकरुहा फ़ीहस्सलाति : 1252, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/312 सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

इसमें नमाज़ की मुमानिअत का तअल्लुक़ सुब्ह की नमाज़ के पढ़ने से है न कि उसका वक़्त हो जाने से।

========================

एक वित्र

सवाल : रात की तहज्जुद की नमाज़ की बाबत आप (ﷺ) से सवाल किया गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'दो रकअत है। जब सुब्ह हो जाने का डर हो तो एक वित्र पढ़ लो।' (बुख़ारी/ अत्तहज्जुद/ कयफ़स्सलातुन्नबिय्यि (ﷺ) वकम काननबिय्यि (ﷺ) 1137, मुस्लिम/ सलातुल मुसाफ़िरीन/ सलातुल लैलि मषना मषना, वल वित्र रकअतुन मिन आखिरिल्लैल : 749)

========================

सवाल : हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) ने पूछा कि वित्र की नमाज़ कितनी रकअत पढ़ूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'एक रकअत।'

उन्होंने कहा, मुझे इससे ज़्यादा की भी ताक़त है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तीन रकअत।

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, पाँच रकअत, फिर फ़र्माया, सात रकअत।'

तिर्मिज़ी में है कि, (**वश्शफ़्इ वल् वत्रि0** अल फ़ज्र : 3) की बाबत आप (ﷺ) से सवाल हुआ तो आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि इससे मुराद, 'जुफ़्त और ताक़ रकअत की नमाज़ है।'

सनन् दारे कुत्नी में है कि एक स़ाहब ने आप (ﷺ) से वित्र की बाबत पूछा तो आप (ﷺ) ने तीन वित्रों की निस्बत फ़र्माया, 'दो पढ़कर सलाम फेर लो फिर एक पढ़ो।' (**अद्दारे कुत्नी**/अस्सलातु/अल वित्रु बि ख़मसिन अव बि षलाषिन अव बि वाहिदतिन : 2/24)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) अफ़ज़ल नमाज़ कौनसी है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसका क़याम लम्बा हो।' (**मुस्लिम**/ स़लातुल मुसाफ़िरीन/अफ़ज़लुस़्स़लाति तूलुल क़ुनूत : 756, **अबू दाऊद**/अस़्स़लातु/ इफ़्तिताहो स़लातल्लैल बि रकअतैन : 1325, **इब्ने माजा**/ इक़ामतिस्सलाति /माजाअ फ़ी तूलुल क़ियामि फ़िस्सलाति : 1421, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/302)

=======================

सवाल : पूछा गया कि रात के किस वक़्त तहज्जुद पढ़ना अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'आधी रात को और उसके आ़मिल बहुत कम हैं।'

=======================

सवाल : निसाई शरीफ़ में है कि आप (ﷺ) से पूछा गया, क्या कोई साअ़त ब-निस्बत दूसरी साअ़त के अल्लाह से ज़्यादा क़रीब करने वाली है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! दरम्यान (आधी) रात का वक़्त।' (**निसाइ** : 557)

=======================

नाख़्वान्दा आदमी की नमाज़ में क़िरअ़त

सवाल : एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा, मैं क़ुर्आन में से कुछ भी याद करने की ताक़त नहीं रखता। आप (ﷺ) मुझे वो सिखा दीजिए जो मुझे काफ़ी हो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह कह! **सुब्हानल्लाहि वल् हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बर. व ला-हौल व-ला क़ुव्वत इल्लाबिल्लाहिल् अलिय्यिल अज़ीम.**

उसने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो सब अल्लाह के लिए हुए मेरे लिए क्या बतलाते हैं?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कह! **अल्लाहुम्-मर्हम्नी वर्ज़ुक़्नी व आफ़िनी वह्दिनी.**

जब वो खड़ा हुआ तो उसने अपने दोनों हाथों से इस तरह इशारा किया जैसे कोई चीज़ ले रहा हो।

यह देखकर नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसने अपने दोनों हाथ ख़ैर से पुर कर लिए।' (अबू दाऊद/ अस्सलातु/ मा यजज़िउल उम्मी वल आअजमी फ़िल किराअति : 1/832, निसाई/ अल इफ़्तिताह/ मा यजज़िउ मिनल क़िराअति लिमल्ला यहसुनुल क़ुर्आन : 2/143, हसनुन/ अल अलबानी रह.)

========================

मरीज़ की नमाज़

सवाल : हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) को बवासीर की बीमारी थी। नबी (ﷺ) से नमाज़ का सवाल किया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'खड़े होकर पढ़ो, न पढ़ सको तो बैठकर पढ़ो। उसकी भी ताक़त न हो तो लेटे– लेटे करवट के बल पर।' (बुख़ारी/ तक़सीरुस्सलात/ इज़ालम युतिक़ क़ाअिदन सल्लु अला जमबिन : 1117, अहमद फ़ी कित्ताबिही (अल मुस्नद) : 4/426)

========================

इमाम के पीछे क्या पढ़ें?

सवाल : एक शख़्स ने नबी (ﷺ) से पूछा, क्या मैं इमाम के पीछे कुछ पढ़ूं? या चुप रहूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चुप रहो यही तुझे काफ़ी है।'

(अद्दारे क़ुत्नी/ अस्सलातुः 1/330)

(मुराद अल हम्दु के सिवा किरअत के वक़्त चुप रहना है क्यों कि अल् हम्दु का ख़ास आप (ﷺ) का हुक्म है और इसके बग़ैर नमाज़ के न होने को आप (ﷺ) ने

साफ़–साफ़ लफ़्ज़ों में फ़र्मा दिया है कि, (ला सलाता इल्ला बि फ़ातिहातिल किताब)

========================

मुसाफ़िर की नमाज़

सवाल : लकड़हारों ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! हम तो बराबर सफ़र में ही रहा करते हैं। हम नमाज़ के बारे में क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रुकूअ में तीन तस्बीहें पढ़ लो और सज्दे में भी तीन तस्बीहें पढ़ लिया करो।' (अश्शाफ़ेई फ़ी मुस्नदिही : 1/89)

========================

नमाज़ में शैतानी ख़यालात आने पर

सवाल : हज़रत उस्मान बिन अबुल आस (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे तो शैतान ने बड़ा तंग किया। नमाज़ भी मुझपर मुश्किल हो पड़ी है, ख़ल्त मल्त कर देता है।?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उस शैतान का नाम ख़ंज़ूब है, जब तुझे उसका एहसास हो तो अल्लाह से पनाह माँग और अपने बाएँ तरफ़ तीन मर्तबा थूक दे।' (मुस्लिम/ अस्सलामु/ अत्तअवुज़ मिनश्शैतानिल वस्विसाति फ़िस्सलाति : 2203)

कहते हैं कि मैंने यह अमल किया तो अल्लाह तआला ने शैतानी हरकत मुझसे दूर कर दी।

========================

मुजामिअत वाले लिबास और एक कपड़े में नमाज़

सवाल : एक साहब पूछते हैं कि जिन कपड़ों को पहने हुए मैं अपनी बीवी से मुजामिअत करूँ उन्हीं में नमाज़ अदा कर सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! शर्त यह है कि उसमें कोई नापाकी न हो, अगर हो तो उसे धो डाला।' (अबू दाऊद/ अत्तहारतु/ अस्सलातुल्लज़ी युसीबू अह्लहू फ़ीहि : 366, निसाइ/ अत्तहारतु/ अल मनी युसीबुष्षवबि : 1/155, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत मुआविया बिन हैदः (रज़ि.) रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछते हैं कि हम अपनी शर्मगाहों के बारे में कहाँ तक मुक़य्यद (बंधन में) हैं और कहाँ तक आज़ाद हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपनी शर्मगाह की हिफ़ाज़त कर बजुज़ अपनी बीवी के और अपनी मिल्कियत की लौण्डी के।'

पूछा गया कि अगर मर्द, मर्द के साथ ही हो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जहाँ तक हो सके ख़्याल रख कि कोई भी शर्मगाह देखने न पाए।'

पूछा गया कि अगर तन्हाई हो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर भी लोगों की निस्बत अल्लाह तआला इस बात का ज़्यादा हक़ रखता है कि उससे शर्म व लिहाज़ ज़्यादा रखा जाए।' (**अबू दाऊद**/ अल हम्माम/ माजाअ फ़ित्तअरि : 4017, **तिर्मिज़ी**/ अल अदब/ माजाअ फ़ी हिफ़्ज़िल औरति : 2796, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/3, हसनुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : सवाल हुआ क्या एक कपड़े से नमाज़ हो जाती है?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया, 'क्या तुम में से हर शख़्स दो कपड़े पाता है?' (**बुख़ारी**/ अस्सलातु/ अस्सलातु फ़िष्षवबिल वाहिदी मुलतहफ़न बिही : 358, **मुस्लिम**/ अस्सलातु/ अस्सलातु फ़ी षवबि वाहिद व सिफ़ति लुबसिही : 515, **अबू दाऊद**/ अस्सलातु/ जमाउ अष्वाबिन मा युसल्ली बिही : 625, **मालिक**/ सलातुल जमाअति/ अर्रुख़सतु फ़िस्सलाति फ़िष्षवबिल वाहिदी : 320)

========================

सवाल : हज़रत सलमा बिन अकूअ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं शिकार में होता हूँ और सिर्फ़ एक कुर्ता ही पहने हुए होता हूँ तो क्या मैं उसी में नमाज़ अदा कर सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'घुँडी लगा लिया करो और कुछ न मिले तो काँटे से ही सही।' (**अबू दाऊद**/ अस्सलातु : 632, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/49, **निसाई**/ अल क़िब्लतु/ अस्सलातु फ़ी क़मीसिन वाहिद : 764)

निसाई में यह भी है कि गर्मी का ज़माना होता है और मैं सिर्फ़ कुर्ता ही पहने हुए होता हूँ।

========================

सवाल : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने पूछा कि क्या औरत चादर और दुपट्टे से नमाज़ अदा कर सकती है जबकि तहबन्द बांधे हुए न हो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! उस वक़्त पढ़ सकती है जब चादर इतनी लम्बी चौड़ी हो कि क़दम ढाँप ले।' (**अबू दाऊद**/ अस्सलातु/ फ़ीकुम्मिन तुसल्लिल मरअतु : 640, **मालिक** : सलातुल जमाअतु/ अर्रुख़्सति फ़ी सलातुल मरअति फ़िद्दरई वल ख़िमार : 326)

======================

पोस्तीन और अस्लहा समेत नमाज़

सवाल : एक साहब ने सवाल किया कि क्या पोस्तीन (चमड़े का लम्बा कोट) पहने हुए मैं नमाज़ पढ़ लूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चमड़ा दबाग़त से पाक हो जाता है।' (**मुस्लिम**/ अल हैज/ तहारतु जुलूदिल मयतति : 366)

======================

सवाल : कमान और तरकश के होते हुए नमाज़ पढ़ने का मसला पूछा गया.

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'तरकश को अलाहिदा कर दो। हाँ! कमान रहते हुए नमाज़ पढ़ सकते हो।' (**अद्दारे कुत्नी**/ अस्सलातु/ अस्सलातु फ़िल क़वसि वल क़रनि वन्नअलि : 1/399)

======================

दुनिया की सबसे पहली मस्जिद

सवाल : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि ज़मीन में सबसे पहले कौनसी मस्जिद बनाई गई है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '(मक्का वाली) मस्जिदे हराम।'

उन्होंने पूछा, इसके बाद कौनसी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मस्जिद अक़्सा।'

पूछा गया इन दोनों के बनने के दरम्यान का फ़ासला कितने साल का है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चालीस बरस का।' (**बुख़ारी**/ अल अंबिया/ 10: 3366, **मुस्लिम**/ अल मसाजिद/ फ़ी फ़ातिहाति : 520, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/34)

======================

कश्ती में नमाज़

सवाल : मुस्तदरक हाकिम में हैं कि हज़रत जअफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से कश्ती में नमाज़ पढ़ने का मसला पूछा?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया, 'कश्ती में खड़े होकर नमाज़ पढ़ो हाँ! अगर डूबने का डर हो तो और बात है।' (बुख़ारी/ अल मसाजिद/ अस्सलातु अलल हसीर : 371)

========================

हालते-नमाज़ में जाइज़ व नाजाइज़ हरकतें

सवाल : आँहज़रत (ﷺ) से सवाल हुआ कि नमाज़ में सज्दे की जगह से कंकरियों का ठीक करना सही है या नहीं?

जवाब : 'अगर ऐसा करना ज़रूरी है तो सिर्फ़ एक बार कर लो।' (बुख़ारी/ अल अअमालु फ़िस्सलाति/ मसहुल हसा फ़िस्सलाति : 1207, मुस्लिम/ अल मसाजिद/ कराहियतु मसहुल हस्रा वतसवियतुत्तुराबि फ़िस्सलाति : 546, अबू दाऊद/ अस्सलातु/ मसहिल हिस्रा फ़िस्सलाति : 946, तिर्मिज़ी/ अस्सलातु/ माजाअ फ़ी कराह्यति मसहिल हिस्रा फ़िस्सलात : 380)

========================

सवाल : हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने इसी तरह का एक सवाल किया.

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक बार, लेकिन एक बार भी न करना तेरे लिए बेहतर है, बल्कि यह इससे भी अच्छा है कि तुझे सौ ऊँटनियाँ मिले जिनमें से हर एक बहुत अच्छी और स्याह रंग की हो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/328)

याद रहे कि मस्जिदे नबवी के फ़र्श पर कंकरियाँ बिछी हुई थीं तो सहाबा (रज़ि.) सज्दे के वक़्त उन्हें सही कर लेते थे। आँहज़रत (ﷺ) ने एक बार तो ऐसा करने की रुख़सत दे दी। ता-हम उसके छोड़ने की फ़ज़ीलत बयान फ़र्मा दी। यह हदीष़ अल मुस्नद में है।

========================

सवाल : आप (ﷺ) से नमाज़ के अंदर इल्तिफ़ात करने (कनखियों से देखने) के मसले को पूछा गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'यह तो उचक लेना है। इससे शैतान बन्दे की नमाज़ का हिस्सा छीन लेता है।' (बुख़ारी/ अल अज़ान/ अल इल्तिफ़ात फ़िस्सलातु : 751, अबू दाऊद/ अस्सलातु/ अल इल्तिफ़ातु फ़िस्सलात : 909, निसाई/ अस्सह्व/ अत्तशदीद फ़िल

इख़्तिफ़ाति फ़िस्सलात : 3/8)

========================

एक ही नमाज़ को दोबारा पढ़ना

सवाल : आप (ﷺ) से एक सहाबी पूछते हैं कि हम में से कोई अपनी मंज़िल में नमाज़ पढ़ ले फिर मस्जिद में आए और यहाँ नमाज़ खड़ी हो तो क्या उनके साथ भी नमाज़ पढ़े?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तो यह उसके लिए इकट्ठा मिला हुआ हिस्सा है।' (अबू दाऊद/ अस्सलाह/ फ़िल जमई फ़िल मस्जिदि मर्रतैन : 578)

यानी उनमें से एक नफ़्ल और दूसरी फ़र्ज़ अदा हो जाएगी।

========================

कुत्ते का नमाज़ी के सामने से गुज़रना

सवाल : हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) आप (ﷺ) से स्याह रंग के कुत्ते के गुज़र जाने से नमाज़ के टूट जानने की बाबत पूछते है कि न सुर्ख़ रंग का कुत्ता हो न ज़र्द रंग का?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'स्याह रंग का कुत्ता शैतान है।' (मुस्लिम/ अस्सलातु/ क़द्रु मा यस्तिरुल मुसल्ली : 510)

========================

सज्दा-ए-सह्व का बयान

सवाल : एक शख़्स ने आप (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मैं नमाज़ में खड़ा हुआ लेकिन ऐसा ख़्याल चूका कि न मअ़लूम ताक़ रकअ़तें हुईं या जुफ़्त?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इससे बहुत बचना चाहिए कि शैतान तुम से तुम्हारी नमाज़ में खेल करे, जो नमाज़ पढ़े और उसे यह भी पुख़्तगी न हो कि उसने ताक़ नमाज़ें पढ़ी या जुफ़्त, तो उसे दो सज्दे सह्व (भूल) के कर लेने चाहिये। यह दोनों उसकी नमाज़ को पूरी कर देंगे।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/63)

========================

जुम्आ की फ़ज़ीलत

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया कि जुम्अे के दिन को फ़ज़ीलत क्यों दी गई है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसी दिन तुम्हारे बाप आदम (अ़लैहिस्सलाम) की शक्ल व सूरत पैदा की गई, इसी में क़यामत की बेहोशी होगी, इसी में मौत के बाद की ज़िंदगी होगी, इसी में पकड़–धकड़ है। इसी में आख़री जानिब तीन साअ़तों में एक साअ़त है कि उसमें जो शख़्स अल्लाह तआ़ला से जो माँगे, अल्लाह उसकी दुआ़ क़बूल फ़र्माता है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/311)

======================

सवाल : आप (ﷺ) से जुम्अे की साअ़ते इजाबत के बारे में पूछा गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमाज़े जुम्आ के खड़ा होने से ख़त्म होने तक के अ़र्से में यह साअ़त है।' (इब्ने माजा/ इक़ामतुस्सलाति : माजाअ फ़िस्साअतिल्लती तुरज फ़िल जुमअति : 1138)

कोई यह ख़्याल न करे कि पहली और इस दूसरी ह़दीष़ में इख़्तिलाफ़ है। नहीं! बात यह है कि आख़री साअ़त साअ़ते इजाबत है लेकिन जब वो साअ़ते इजाबत है तो नमाज़ खड़ी होने की साअ़त में भी इजाबत के लिए बेहतरीन साअ़त है जैसे कि वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तक़्वे पर है, तो मस्जिदे क़ुबा लेकिन मस्जिदे नबवी इस बारे में इससे औला है। बअ़ज़ ने यह तत्बीक़ दी है कि यह साअ़त बदलती रहती है। कभी दिन की आख़री साअ़त, कभी नमाज़ के वक़्त की साअ़त लेकिन इस तत्बीक़ से भी अच्छी वो तत्बीक़ है जो हमने पहले बयान की।

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमें जुम्अे के दिन की भलाइयाँ बतलाइए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसमें पाँच फ़ज़ीलतें हैं।

(1) इसी दिन में ह़ज़रत आदम (अ़लैहिस्सलाम) पैदा किये गए।

(2) इसी दिन वो ज़मीन की तरफ़ उतारे गये।

(3) इसी दिन उनकी तौबा क़बूल हुई और इसी दिन वफ़ात पाई।

(4) इसमें एक स़ाअ़त ऐसी है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआ़ला से जो दुआ़ की जाए अल्लाह तआ़ला उसे क़ुबूल फ़र्माता है जब तक कि गुनाह की और क़तअ़ रहमी की दुआ़ न हो।

(5) इसी दिन क़यामत क़ायम होगी, कोई मुक़र्रब फ़रिश्ता, कोई आसमान, कोई ज़मीन, कोई पहाड़, कोई पत्थर ऐसा नहीं जो जुम्अे के दिन से डरता न हो।' (अबू दाऊद/ अस्सलातु/ फ़ज़्लु यौमिल जुमअति : 1046, तिर्मिज़ी : अब्वाबुस्सलाति/ माजाअ फ़ी फ़ज़्लि यौमिल जुमअति : 1048, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/284, अश्शाफ़ेई फ़ी मुस्नदह : 1/127, सहीहुन)

========================

तीन मुक़द्दस मसाजिद

सवाल : एक सहाबी ने बैतुल् मुक़द्दस में नमाज़ अदा करने के लिए जाने की आप (ﷺ) से इजाज़त तलब की?

जवाब : आप (ﷺ) ने उन्हें मक्का शरीफ़ में ही नमाज़ पढ़ने का फ़त्वा दिया। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/363)

========================

सवाल : एक और शख़्स आप (ﷺ) ने फ़त्हे मक्का वाले दिन आप (ﷺ) से पूछा कि मैंने नज़्र मानी थी, अगर अल्लाह तआला आप (ﷺ) के हाथ पर मक्का फ़त्हे कर दे तो मैं बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ूँगा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यहीं पढ़ लो।'

उसने फिर सवाल दोहराया।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अब तुम्हें इख़्तियार है।' (अबू दाऊद/ अल ईमानु वन्नुज़ूर/ मन नज़र अय्युँसल्ली फ़ी बैतिल मक़्दिस : 3305, अद्दारमी/ अल ईमान वन्नुज़ूर/ मन नज़रा अय्युँसल्ली फ़ी बैतिल मक़्दिस अयुजज़िउहू अय्युँसल्ली बि मक्कति : 2339, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/363)

========================

सवाल : सवाल, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इन दोनों मस्जिदों में किस मस्जिद की बुनियाद तक़्वे पर रखे जाने का ज़िक्र क़ुर्आन में है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारी इस मस्जिद का यानी मस्जिदे मदीना का। अल मुस्नद अहमद में इसके बाद नबी (ﷺ) का यह फ़र्मान भी है इसमें बहुत भलाई है यानी मस्जिदे क़ुबा में।' (मुस्लिम/ अल हज्ज/ बयानु अनिल मसाजिदिल्लज़ी उस्सिसा अलत्तक़्वा : 1398)

========================

आठवाँ बाब

मौत और मय्यित के बारे में सवाल

अचानक मौत

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया कि अचानक मौत की बाबत क्या इर्शाद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो मुअमिन के लिए राहत और फ़ासिक़ शख़्स के लिए अफ़सोसनाक पकड़ है।'

इसीलिए दो रिवायतों में से एक रिवायत हज़रत इमाम अहमद (रह.) से भी रिवायतशुदा है कि आप (ﷺ) ने अचानक मौत को मकरूह नहीं समझा। हाँ! दूसरी रिवायत में आप (ﷺ) से कराहत भी मरवी है। अल मुस्नद की एक और हदीष़ में है कि आप (ﷺ) एक मर्तबा जा रहे थे कि एक दीवार झुक रही थी आप (ﷺ) तेज़ी से उसके नीचे से गुज़र गए। इसके बारे में आप (ﷺ) से पूछा गया तो

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं तो ऐसी नागहानी मौत (आकस्मिक मृत्यु) को पसंद नहीं करता।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/136)

याद रहे कि इन दोनों अहादीष़ में कोई मतभेद नहीं (अचानक मौत का राहत होना और बात है और ऐसे मवाक़ेअ से बचने की इमकानी कोशिश दूसरी बात है।)

========================

जनाज़े के लिये खड़े होना

सवाल : आप (ﷺ) से पूछा गया कि किसी काफ़िर का जनाज़ः गुज़रे तो भी हम खड़े हो जाएँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! तुम जनाज़े के लिए नहीं खड़े होते तो तुम्हारा

खड़ा होना तो उनकी बुज़ुर्गी के लिए जो जान क़ब्ज़ करते हैं।'

एक यहूदी के जनाज़े के लिए जब आप (ﷺ) खड़े हो गए तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मौत घबराहट की चीज़ है, जब तुम जनाज़ः देखो तो खड़े हो जाया करो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/168)

========================

मौत के बाद सदक़ा

सवाल : एक औरत ने वसीयत की थी कि उसकी तरफ़ से एक ईमानवाली लौण्डी आज़ाद की जाए।

जवाब : आप (ﷺ) ने उस लौण्डी को बुलवाया।

उससे पूछा, 'तेरा रब कौन है?'

उसने कहा, अल्लाह तआ़ला।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'मैं कौन हूँ?'

उसने कहा, आप (ﷺ) रसूलल्लाह हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बेशक यह मोअमिना है, इसे आज़ाद कर दो।' (अबू दाऊद/ अल ईमान वन्नुज़ूर/ फ़िर्रक़बतिल मोअमिनाति : 3283, निसाई/ अल वसाया/ फ़ज़्लुस्सदक़ाति अनिल मय्यित : 6/252)

========================

अहवाले क़ब्र

सवाल : हज़रत उमर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि क्या क़ब्र में सवाल व जवाब के वक़्त हमारी अक़्लें हमारी तरफ़ लौटाई जाएँगी?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! ठीक उसी तरह जिस तरह आज हैं।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/172)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) अज़ाबे क़ब्र होगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! अज़ाबे क़ब्र बरहक़ हैं।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) 6/174)

========================

नवाँ बाब

ज़कात व ख़ैरात के मसाइल

सवाल : ऊँट की ज़कात की बाबत सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'जो ऊँट वाला ऊँट के हुक़ूक़ अदा न करेगा और उनके हुक़ूक़ में यह भी दाख़िल है कि जिस दिन वो पानी के घाट पर जाएँ मिस्कीनों की ख़बरगीरी उनके दूध से भी की जाए। ग़र्ज़ उनके हुक़ूक़ अदा न करने वालों को क़यामत के दिन एक चटियल मैदान में लिटाया जाएगा और उसके वो तमाम ऊँट जिनमें छोटे बच्चे भी होंगे उसे अपने क़दमों से रौंदेंगे और मुँह से काटेंगे। लेकिन दौड़ जहाँ ख़त्म हुई फिर से रौंदना और कटना शुरू हुआ पचास हज़ार साल वाले क़यामत के दिन उसे यही अज़ाब होता रहेगा यहाँ तक कि बन्दों के फ़ैसलों से फ़राग़त हो जाए। फिर वो अपना रास्ता देख लेगा। तो जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ़।'

(मुस्लिम/ अज़्ज़कात/ इस्मु मानिइज़्ज़कात : 987)

=======================

सवाल : गायों और बकरियों के बारे में सवाल हुआ।

जवाब : आप (ﷺ) ने गाय और बकरियों के ज़कात अदा न करने वाले के बारे में यही भी फ़र्माया। (मुस्लिम/ अज़्ज़कात/इस्मु मानिउज़्ज़कात : 987)

=======================

सवाल : घोड़ों की निस्बत सवाल हुआ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'घोड़े पालने वाले तीन तरह के हैं, एक के ऊपर तो वो बोझ हैं, दूसरे के लिए पर्दा हैं, तीसरे के लिए अज्र, तो जो शख़्स फ़ख़्र व गुरूर के लिए अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ उसे पाले उस पर यह घोड़े बोझ और गुनाह हैं। पर्दा उस आदमी के लिए है जो राहे इलाही के लिए इन्हें पाले। फिर वो पालने वाला उन घोड़ों की

न तो उनकी पुश्तों में अल्लाह का हक़ भूले और न ही उनकी गर्दनों में। तो यह उसके लिए पर्दा होंगे। अलबत्ता वो घोड़े के जो अपने पालने वाले के लिए अज्र व सवाब का बाइष होंगे? तो ऐसा आदमी कि जिसने उन्हें मुस्लिमीन के लिए जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की ख़ातिर किसी चारागाह या किसी बाग में रख कर पाला (बाँधा, खोला और देखभाल की) तो यह जिस चरागाह में चरेंगे, चुगेंगे उसके पालने वाले को उसके गिनती की मुआफ़िक़ षवाब मिलता है। उसके निशाने क़दम और उसकी लीद भी उसके पालने वाले की नेकियों में दाख़िल है। अगर यह किसी नहर पर से गुज़रे और अगर अपने पालने वाले के इरादे के बगैर ही उसमें से पानी पी ले तब भी उसके लिए उन क़तरों के मुआफ़िक़ षवाब है। अल ग़र्ज़ यह घोड़ा तो अपने मालिक के लिए सरासर नेकी ही नेकी है।' (मुस्लिम/ अज़्ज़कात/इष्मु मानिइज़्ज़कात : 987)

========================

सवाल : गधों की बाबत सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनके बारे में मुझ पर सिवाय इस जामेअ और शामिल आयत के और कोई फ़र्मान नाज़िल नहीं हुआ, (मुस्लिम/ अज़्ज़कात/इष्मु मानिउज़्ज़कात : 987) (**फ़मंय्यअ्मल् मिष्क़ाल ज़र्रतिन् ख़ैरंय्यरा0 व मंय्यमल् मिष्क़ाला ज़र्रतिन् शर्रंय्यरा0** अल ज़िलज़ाल : 7-8)'

========================

ज़ेवरात पर ज़कात

सवाल : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) पूछती हैं कि मेरे पास सोने के कंगन है तो क्या यह इस ख़ज़ाने में दाख़िल है कि जिस पर जहन्नम की वईद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो चीज़ ज़कात के निसाब को पहुँच जाए फिर उसकी ज़कात निकाल दी जाए तो खज़ाने में दाख़िल नहीं।'

(अबू दाऊद/ अज़्ज़कातु/ अल कन्ज़ु मा हुआ वज़्ज़ाकतुल हल्यि : 1564)

========================

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ) मेरे पास कुछ ज़ेवर हैं, मेरा ख़ाविन्द भी मिस्कीन आदमी है और मेरा भतीजा भी। तो क्या मैं अपने उन ज़ेवरों की ज़कात उन्हें दे दूँ तो काफ़ी है?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'हाँ।' (इब्ने माजा/ अज़्ज़ाकतु/ अस्सदक़तु अला ज़िल क़राबति : 1830, अद्दारे कुत्नी/ अज़्ज़कात/अज़्ज़कातुल हुलयि : 2/108)

========================

ज़कात के अ़लावा माल पर हक़

सवाल : या रसूलल्लाह(ﷺ)! क्या माल में ज़कात के सिवा भी और हक़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ है।'

(अद्दारे कुत्नी/ अज़्ज़काह/ ज़कातुल हुलयि : 2/1078)

सुनो! क़ुर्आन फ़र्माता है,

'(नेकी सिर्फ़ यह नहीं है कि तुम (नमाज़ों में) अपने चेहरे मश्रिक़ व मग़रिब की जानिब कर लो बल्कि दर-हक़ीक़त नेक, स्वालेह आदमी वो है जो अल्लाह तआला पर, क़यामत के दिन पर, फ़रिश्तों, अल्लाह की किताब और नबियों पर ईमान रखने वाला हो) और वो माल से मुहब्बत रखने के बावजूद उसे क़राबतदारों, यतीमों, मिस्कीनों (ग़रीबों), मुसाफ़िरों, माँगनेवालों और ग़ुलामों की आज़ादी दिलाने में ख़र्च करे और नमाज़ क़ायम करे और फ़र्ज़ ज़कात अदा करे और यही वो लोग हैं जो अपने अ़हदे मुआ़हिदों को उस वक़्त पूरा करते हैं जब वो वअ़दे कर लें।' (अल बक़र : 188)

======================

शहद पर ज़कात

सवाल : इब्ने माज़ा में है कि हज़रत अबू सय्यारः (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से कहा, शहद की मक्खियों के छत्ते मेरे पास हैं। (तो क्या मैं शहद की ज़कात अदा करूँ?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसमें से 10वाँ हिस्सा अदा करते रहो।'

(इब्ने माजा/ अज़्ज़ाकह/ ज़कातुल असलि : 1823)

उन्होंने कहा, फिर उन्हें मेरे हक़ में महफ़ूज़ कर दिया जाए। आप (ﷺ) ने ऐसा ही किया। मदीना मुनव्वरा के मुज़ाफ़ात में एक जंगल था जिसके पेड़ों पर शहद के छत्ते मक्खियाँ लगाती थीं। यह जंगल मम्लिकत इस्लामिया (इस्लामी राष्ट्र) की मिल्कियत में था। अबू सय्यारा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से उस ज़मीन का ठेका तलब किया था, जो आप (ﷺ) ने उन्हें दे दिया।

======================

माल पर साल पूरा होने से पहले ज़कात अदा करने की इजाज़त

सवाल : हज़रत अब्बास (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, क्या साल गुज़रने से पहले मैं ज़कात दे दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने उन्हें इसकी इज़ाज़त फ़र्माई। (**अबू दाऊद**/ अज़्ज़काह/ फ़ी तअजीलिज़्ज़काह : 1624, **तिर्मिज़ी**/ अज़्ज़काह/ माजाअ फ़ी तअजीलिज़्ज़काह : 478, **इब्ने माजा**/ अज़्ज़काह/ तअजीलुज़्ज़काह कब्ली महिल्लिहा : 1795, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/104/ हसन)

========================

सदक़तुल फ़ित्र

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) ज़काते फित्र का क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'हर मुस्लिम पर, छोटे पर, बड़े पर, आज़ाद पर, गुलाम पर एक स़ाअ है ख़जूर का या जौ का या पनीर का।' (**बुख़ारी**/ अज़्ज़कात/ सदक़तुल फ़ित्रि अलल अब्दि वग़ैरुहू मिनल मुस्लिमीन : 1504, **मुस्लिम**/ अज़्ज़कात/ ज़कातुल फ़ित्रि अलल मुस्लिमीने अत्तमरु वशशईर : 984, **अबू दाऊद**/ अज़्ज़कात : 1611, **तिर्मिज़ी**/ अज़्ज़काह : 676, **निसाई**/ अज़्ज़काह : 2507, **मालिक**/ अज़्ज़काह/ मिकयिलतु ज़कातल फ़ित्रि : 632) (यानी हर एक पर वाजिब है)

========================

ज़कात वसूलने वालों और माले-ज़कात के बारे में हुक्म

सवाल : मालदार लोग पूछते हैं कि ज़कात के तह्सीलदार (वसूल करने वाले) हम पर ज़्यादती करते हैं तो उनकी ज़्यादती के अंदाज़ से हम अपना माल उनसे छुपा लें?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'नहीं।'

(**अबू दाऊद**/ अज़्ज़काह/ रिज़ल मुसद्दिक़ : 1586)

========================

सवाल : एक शख़्स ने रसूलल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि मैं मालदार हूँ,

साथ ही अयालदार (बाल–बच्चों वाला) हूँ। मुझे बतलाएँ कि कैसे ख़र्च करूँ और क्या करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपने माल की ज़कात निकाल, वो पाकीज़गी है जो तुझे पाक व स़ाफ़ कर देगी। स़िलारहमी कर और अपने रिश्तेदारों की ख़बरगीरी कर, साइल का, पड़ौसी का, मिस्कीन का ह़क़ पहचाना'

उसने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मेरे लिए तो इन लफ़्ज़ों में कुछ कमी कीजिए। आप (ﷺ) ने यह आयत तिलावत फ़र्मा दी, (**व आतिज़ल् क़ुर्बा हक़्क़हू वल् मिस्कीना वब्नस्सबीलि वला तुबज़्ज़िर् तब्ज़ीरा०** इल इस्राअ : 26) 'क़राबतदारों को उनका ह़क़ पहुँचा और मिस्कीन को और मुसाफ़िर को और इस्राफ़ व फ़िज़ूलख़र्ची न कर।' उसने कहा, बस यह काफ़ी है।

फिर उसने पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ) जब मैं अपनी ज़कात आप (ﷺ) के क़ासिदों को दे दूँ तो मैं अल्लाह और रसूल (ﷺ) के नज़दीक बरी हो गया?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ जब तू मेरे क़ासिद को दे दे तो उससे बरी हो गया। तेरा अज्र ष़ाबित हो गया, फिर उसे जो बदल डाले उस पर गुनाह रहेगा।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/136)

========================

आले नबी (ﷺ) पर सदक़ात की हुर्मत

सवाल : आप (ﷺ) से सवाल हुआ कि आप (ﷺ) के मौला (आज़ाद कर्दा गुलाम) ह़ज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) को हम सद्क़ा दे सकते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'आले मुह़म्मद के लिए सद्क़ा हलाल नहीं, क़ौम का मौला भी उन्हीं में से है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/448, तिर्मिज़ी/ अज़्ज़काह/ माजाअ फ़ी कराहयतिस्सदक़ति लिन्नबिय्यि (स.) : 657)

========================

अपना माल वक़्फ़ करने का हुक्म

सवाल : ह़ज़रत उमर (रज़ि.) ने इरादा किया कि अपनी ख़ैबर वाली ज़मीन से क़ुर्बे इलाही ह़ासि़ल करूं। आप ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा कि मैं किस तरह करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर चाहो तो अस़्ल रोक कर सद्क़ा कर दो यानी वक़्फ़ कर दो।'

चुनाँचे हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने यही किया।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (रज़ि.) ने अपना बाग़ राहे इलाही में दे दिया, उन के वालदेन रसूलल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! हमारी रोज़ी का ज़ाहिर ज़रिया तो सिर्फ़ यही था। इसके सिवा हमारे पास तो कोई माल नहीं। आप (ﷺ) ने उसी वक़्त हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) को बुलवाया और फ़र्माया, 'अल्लाह के यहाँ तेरा सद्क़ा तो क़बूल हो गया और वो तेरे माँ–बाप पर वापिस है।' (बुख़ारी/ अश्शुरूत/ अश्शुरूतु फ़िल वक़्फ़ : 2737, मुस्लिम/ अल वसिय्यतु : 1633, अबू दाऊद/ अल वसाया/ माजाअ फ़िर्रजुलि यूक़िफ़ुल वक़्फ़ : 2878, तिर्मिज़ी/ अल एह्काम/ फ़िल वक़्फ़ : 1375, निसाई/ अल इह्बास/ कैफ़ा यक्तुबुल हब्स : 3627)

चुनाँचे इसके बाद वो उनके माँ–बाप के पास ही रहा।

========================

अफ़्ज़ल सद्क़ा

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) पूछा गया, कौनसी ख़ैरात अफ़्ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'तोहफ़ा देना, इस त़रह़ कि तुम में से कोई दिरहम या सवारी के जानवर या दूध के लिए बकरी या गाय तोहफ़ा दे दे।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/463)

========================

सवाल : इसी सवाल के जवाब में इर्शाद है,

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बावजूद माल की कमी के सद्क़ा करना और सबसे पहले अपने अ़याल से शुरू करो।' (अबू दाऊद/ अज़्ज़कात/ अर्रजुलू यख़रुजु मिम्मालिही : 1677/ सहीहुन)

========================

सवाल : यही बात एक और मर्तबा पूछी गई।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'स़ेहत और माल की चाहत, मिस्कीनी के ख़ौफ़ और अमीरी के तमन्ना के वक़्त की ख़ैरात सबसे अफ़्ज़ल है।' (मुस्लिम/ अज़्ज़कातु/ बयानु अन्ना अफ़ज़लुस्सदक़ति सदक़तुस्सहीहिश्शहीहि : 1032, निसाई/अज़्ज़कातु/अय्युहस्सदक़ति अफ़्ज़ल? : 2382, इब्ने माजा/ अल वसाया/ अन्नही अनिल इम्साकी फ़िल हयाति वत्तब्ज़ीरि ई़न्दल मौत : 2706, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/231: 250)

========================

सवाल : यही सवाल एक और मौक़े पर पूछा गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पानी पिलाना भी अफ़ज़ल दर्ज़ा है।'

(**अबू दाऊद**/ अज़्ज़कातु/ फ़ी फ़ज़लि सुक़यिल माइ : 1681, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/7)

=======================

सवाल : इसी सवाल के जवाब में एक बार फ़र्माया,

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पानी पिलाने का सद्क़ा सबसे अफ़ज़ल है।'

(**अबू दाऊद**/ अज़्ज़कातु/ फ़ी फ़ज़लि सुक़यिल माइ : 1679)

=======================

सवाल : हज़रत सुराक़ा बिन मालिक (रज़ि.) पूछते हैं कि मेरे हौज़ पर किसी के ऊँट आकर पानी पी जाएँ तो मुझे सवाब मिलेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! हर एक गर्म कलेजे में अज्र है। (इसलिए कि जब कोई जानवर पानी पीएगा तो उसका प्यास की वजह से गर्म कलेजा, ठण्डा होगा।)'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/175)

=======================

बेहद क़रीबी रिश्तेदारों को सद्क़ा

सवाल : दो औरतों ने पूछा, क्या वो अपना सद्क़ा अपने ख़ाविन्दों को दे सकती है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! उन्हें दोहरा अज्र मिलेगा, एक क़राबतदारी का अज्र दूसरा सद्क़े का अज्र।'

इब्ने माजा में है, क्या मैं अपने ख़ाविन्द को और अपने यहाँ पलने वाले यतीमों को सद्क़ा दे दूँ तो काफ़ी है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसके लिए दो अज्र हैं, सद्क़े का और क़राबत का।'

(**बुख़ारी**/ अज़्ज़काह/ अज़्ज़कातु अलज़्ज़वजि वल अयतामि फ़िल हिजरि : 1466, **मुस्लिम**/ अज़्ज़कातु/ फ़ज़्लुन्नफ़क़ति वस्सदक़ति अलल अक़रबीन : 1000)

=======================

सदक़ा, ख़ैरात की तरग़ीब

सवाल : हज़रत अस्मा (रज़ि.) ने पूछा कि मेरे पास सिवाय इसके जो हज़रत ज़ुबैर (रज़ि.) मुझे दें और माल तो है नहीं तो क्या मैं सदक़ा करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'हाँ! सद्क़ा कर रोक न रख, वर्ना अल्लाह भी तुमसे रोक लेगा। जहाँ तक हो सके लोगों में ख़ैर ख़ैरात तक़्सीम करती रहा' (**बुख़ारी**/ अज़्ज़कातु/ अस्सदक़तु/ फ़ीमस्तताअ : 1434, **मुस्लिम**/ अज़्ज़कातु/ अल हिष्षु फ़िल इन्फ़ाक़ : 1029)

=======================

सवाल : आप (ﷺ) से माअरूफ़ के बारे में पूछा गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किसी नेकी को हल्की न गिनो, चाहे एक रस्सी का टुकड़ा दे दो या एक जूती का तस्मा, चाहे तुम अपने डोल में से किसी प्यासे को पानी ही पिला दो या रास्ते से किसी तकलीफ़ देनेवाली चीज़ को दूर हटा दो या किसी मुस्लिम से खंदापेशानी (ख़ुशअख़लाक़ी/सुशीलता) से मुलाक़ात करो या किसी मुस्लिम से सलाम करो या किसी अनजान की वहशत (डर) को दूर कर दो।' (**अबू दाऊद**/ अल लिबास/ माजाअ फी इसाबालिल् इज़ार : 4084, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/483)

नाज़िरीने किराम! तुम्हें रब की क़सम!! सच कहो यह पाक फ़त्वे कैसे प्यारे, कितने पसंदीदा, किस क़दर नफ़ा देने वाले और कैसे जामेअ हैं!! वल्लाह अगर लोग अपनी तवज्जुह इसी तरफ़ कर लें तो फिर न उन्हें दूसरे के फ़त्वों में यह नूरानियत नज़र आए और न यह लज़्ज़त पाएँ, न यह हलावत (मिठास, मधुरता) मिले और न उसकी ज़रूरत रहे कि फ़ला ने यह फ़त्वा दिया और फ़ला ने यह। अल्लाह हमारी मदद फ़र्माए और अपने नबी (ﷺ) के कलाम की जुस्तजू की तौफ़ीक़ दे और उस पर अमल करने की भी, आमीन!

=======================

ग़ुलाम/नौकर का अपने मालिक के माल से सदक़ा करना

सवाल : एक ग़ुलाम आप (ﷺ) से पूछता है कि क्या मैं अपने मालिक के माल से ख़ैरात कर सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! षवाब तुम दोनों में आधा-आधा है।'

(मुस्लिम/ अज़्ज़कातु/ मा अनफ़क़ल अब्दु मिम्मालि मौलाहू : 1025)

======================

सदक़े का माल वापस लेने वाले का हुक्म

सवाल : हज़रत उमर (रज़ि.) ने एक घोड़ा राहे इलाही में दिया, फिर नबी (ﷺ) से पूछा कि ख़रीददार उसे बेचता है क्या मैं ख़रीद लूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'न ख़रीदो (अपने सदक़े को वापिस न लो) चाहे वो तुम्हें एक दिर्हम का ही दे। अपने सदक़े को वापिस लेने वाला ऐसा है जैसे कोई कुत्ता क़ै (उल्टी/वमन) करके वापिस चाट ले।' (**बुख़ारी**/ अल वसाया/ वक़्फ़ुहवाब्बि वल कराइ वल ऊरूज़ि वल आम्मति : 2775, **मुस्लिम**/ अल हिबात/ कराहतु शराइल इंसान मा तसद्दक़ा बिही : 1621, **अबू दाऊद**/ अज़्ज़काह/ अर्रजुलू यबताउ सदक़तहू : 1793, **तिर्मिज़ी**/ अज़्ज़काह/ फ़ी कराहियतिल औदि फ़िस्सदक़ति : 668, **निसाई**/ अज़्ज़काह/ शिराउस्सदक़ति : 5/108, **मालिक**/ फ़ी किताबिही (अल मुअत्ता) : 624)

======================

सवाल : एक सहाबी ने आप (ﷺ) से कहा कि मैंने ख़ैरात का एक गुलाम अपनी वालिदा को दिया था, अब उनका इंतिक़ाल हो गया है? (तो गुलाम का क्या करें?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरे सदक़े का सवाब तुझे मिल गया और अब बतौर वरषे के वो तेरी चीज़ है।' (**इब्ने माजा**/ अस्सदक़तु/ मन तसद्दक़ा बि सदक़तिन षुम्मा वरिषहा : 2395, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/185, **शाफ़ेई**/ फ़ी मुस्नदेही : 2/192)

======================

सवाल : एक औरत आप (ﷺ) से कहती है कि मैं ने अपनी माँ को एक लौण्डी दी थी, अब वो फ़ौत हो गई। (तो उस लौण्डी के बारे में क्या हुक्म है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरा अज्र वाजिब हो गया और मीराष ने उस लौण्डी को अब फिर तेरी लौण्डी बना दिया।' (**मुस्लिम**/ अस्सियामा/ क़ज़ाउस्सियामा अनिल मय्यिति : 1149, **इब्ने माजा**/ अस्सदक़ात/ मन तसद्दक़ा बि सदक़तिन षुम्मा वरिषहा : 2394)

======================

फ़ौतशुदा लोगों की तरफ़ से सदक़ा

सवाल : एक सहाबी ने सवाल किया कि मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं और मेरा ख़याल है कि अगर वो बोलती तो ज़रूर सदक़ा करने को कहतीं अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या इसका सवाब उन्हें मिलेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ।' (**बुख़ारी**/ अल वसाया/ इज़ा काला अरज़ी वयसतानी सदकतिन अन अबी : 2756)

(इन दोनों रिवायतों में सिर्फ़ अल्फ़ाज़ का फ़र्क़ है, मफ़्हूम दोनों का एक है।)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वालिदा फ़ौत हो गई हैं, मेरा ख़याल है कि अगर वोह (वफ़ात से पहले) बोलती तो ज़रूर सदक़ा करने को कहतीं अगर मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या इसका सवाब उन्हें मिलेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, (नअम) 'हाँ' (**बुख़ारी**/ अल वसाया/ यस्तहिब्बु लिमन तवफ़्फ़ा फ़ज़ाअ अय्यँतसद्दिक़ अनहू : 2760, **मुस्लिम**/ अज़्ज़कातु/ वुसूलो सवाबिस्सदक़ति अनिल मय्यिति इलैहि व फ़िल वसिय्यति : 1004, **इब्ने माजा**/ अल वसाया/ मम्मात वल मूसिहल यतसद्दकु अन्हू? : 2717, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/330)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे वालिद इंतिक़ाल कर गए हैं। कोई वसीयत उन्होंने नहीं की। मैं उनकी तरफ़ से सदक़ा करूँ तो क्या उन्हें सवाब पहुँचेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! पहुँचेगा।' (**मुस्लिम**/ अल वसिय्यतु/ वुसूलु सवाबिस्सदक़ति इलल मय्यिति : 1630, **इब्ने माजा**/ अल वसाया/ मम्माता वलम यूसी हल यतासद्दकु अन्हू? : 2716, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/371)

========================

इस्लाम लाने के बाद अय्यामे जहालत का हुक्म

सवाल : हकीम बिन हज़्ज़ाम (रज़ि.) कहते हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़माना जाहिलियत में जो मैं नेकी किया करता था, सिलारहमी, गुलामों की आज़ादगी, सद्क़ा वगैरह तो क्या मुझे अब जब कि मैं मुस्लिम हो गया हूँ, उनका बदला मिलेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो नेकियाँ तूने की हैं वो सब इस्लाम लाने के बाद तुझे मिलेंगी।' (**बुखारी**/ अज़्ज़कातु/ मन तसद्दका फ़िश्शिकि षुम्मा असलमा : 1436, **मुस्लिम**/ अल ईमान/ बयानु हुक्मि अमलिल काफ़िरि इज़ा असलमा बअदहू : 123)

======================

सवाल : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि इब्ने जदआन जाहिलियत के ज़माने में सिलारहमी करता, मिस्कीनों को खाना देता था तो क्या उसे कुछ नफ़्आ होगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे कुछ नफ़्आ न होगा क्यों कि उसने पूरी उम्र में किसी दिन नहीं कहा कि इलाही क़यामत के दिन मेरे गुनाह मुआफ़ कर देना।' (**मुस्लिम**/ अल ईमान/ अद्दलीलु अला अन् मम्माता अलल कुफ़्रि ला यनफ़उहू अमल : 214, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/93)

======================

माँगने की हुर्मत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तवंगरी क्या है जिसके बाद सवाल करना हराम हो जाता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पचास दिर्हम या उसकी क़ीमत का सोना।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/388)

और रिवायत में ऐसे सवाल का जवाब है कि सुब्ह व शाम का खाना। इन दोनों जवाबों में कोई मतभेद नहीं, क्योंकि यह एक दिन की तवंगरी है और वो आम हालात पर नज़र डाल कर साल भर की तवंगरी है। यह जवाब बइख़्तिलाफ़ हाले साइल जुदागाना न होते थे, वल्लाहु अअ़लम।

======================

बग़ैर माँगे किसी की तरफ़ से मिलने वाले माल का हुक्म

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उमर (रज़ि.) के पास एक तोहफ़ा भेजा। उमर (रज़ि.) दौड़े भागे नबी (ﷺ) के पास पहुँचकर कहने लगे कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया था, इसमें कोई भलाई नहीं कि तुम में से कोई किसी से कुछ ले।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह उस वक़्त है जब सवाल किया हो। और बिना सवाल किये जो मिल जाए वो तो अल्लाह तआला का दिया हुआ रिज़्क़ है।' (मालिक/ अस्सदक़ति/ माजाअ फ़ित्तअफ़्फ़ुफ़ि अनिल मसअलति : 1882)

तब उमर (रज़ि.) ने फ़र्माया, वल्लाह! न मैं किसी से कुछ माँगूगा और न बिन माँगे आई हुई चीज़ को वापिस लौटाऊँगा।

==========================

मेहमानदारी के मसाइल

सवाल : हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) कहते हैं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) हमें काम–काज को भेजते हैं। हम कहीं जाकर क़याम करते हैं, वाह लोग हमारी मेहमानदारी ही नहीं करते तो फ़र्माइए कि उस वक़्त हमें क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुम किसी क़ौम में उतरो और वो तुम्हारे लिए इंतिज़ाम कर दे जो मेहमान के लिए होना चाहिए तो तुम कुबूल करो अगर न करें तो फिर तुम उनकी हैसियत के मुताबिक़ हक़्क़े मेहमानदारी वसूल कर लो।' (बुख़ारी/ अल अदब/ इक्रामुज़्ज़ैफ़ि व ख़िदमतिहि इय्याहू बिनफ़्सिहि : 6137, मुस्लिम/ अल क़ित्तु/ अज़्ज़ियाफ़तु वनहूहा : 1727, अबू दाऊद/ अल अत्इमहू/ माजाअ फ़िज़्ज़ियाफ़ति : 3752)

==========================

सवाल : तिर्मिज़ी शरीफ़ में हैं हम लोगों के पास उतरते हैं, वो न हमारी मेहमान दारी करते हैं, न हमारे हक़ अदा करते हैं जो उन पर हैं और न हम उनसे लेते हैं। (तब क्या करें?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर वो इंकार करें मगर यह कि तुम उनसे मेहमानी ज़बरदस्ती लो तो ले लो।' (तिर्मिज़ी/ अस्सैर/ मा यहिल्लु मिन अमवालि अहलिज़्ज़िम्मह : 1589, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

:: **फ़त्वा** :: अबू दाऊद में है, 'ज़ियाफ़त की रात हर मुस्लिम पर हक़ है। अगर उसके आँगन पर कोई महरूम रहा तो उस पर क़र्ज़ है अगर चाहे तक़ाज़ा करे अगर चाहे छोड़ दे।' (**अहमद** फ़ी फ़िताबिही (अल मुस्नद) : 4/ 130, **अबू दाऊद**/ अल अतइमह्/ माजाअ फ़िज़्ज़ियाफ़ति : 3750, **इब्ने माजा**/ अल अदब/ हक़्क़ुज़्ज़ैफ़ि : 3677, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

:: **फ़त्वा** :: अबू दाऊद में यह भी है कि, 'जो शख़्स किसी क़ौम का मेहमान ठहरे तो उन पर उसकी मेहमानदारी ज़रूरी है अगर वो मेहमानदारी न करे तो उसे हक़ है कि अपनी मेहमानदारी जितना उनसे वसूल कर ले बतौरे सज़ा के।' (**अबू दाऊद**/ अस्सुन्नह/ फ़ी लुज़ूमिस्सुन्नह : 4604, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

वजूबे ज़ियाफ़त की दलील यह है, और यह दलील है इस बात की कि जिसका कोई हक़ किसी पर हो और वो देने से इंकारी हो तो उसके बराबर वो वसूल कर सकता है। मसला ज़फ़र की दलील भी इसी से ली गई है लेकिन दरअसल इसकी कोई दलील इसमें नहीं क्योंकि यहाँ तो सबब हक़ ज़ाहिर है लेने वाले पर किसी क़िस्म का इल्ज़ाम नहीं आ सकता जैसे कि हिन्दा और अबू सुफ़ियान के क़िस्से के बारे में पहले बयान हो चुका है।

======================

सवाल : हज़रत औफ़ बिन मालिक (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि एक शख़्स के यहाँ मैं गया और उसने मेरी मेहमानी नहीं की। अब मेरे यहाँ आए तो मैं भी उसकी मेहमानी न करूँ, इसमें कोई हर्ज तो नहीं?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'नहीं, ऐसा न कर, बल्कि उसकी मेहमानी कर।'

वो कहते हैं कि मुझे रसूलल्लाह (ﷺ) ने मैली–कुचैली हालत में देखकर मुझसे पूछा, 'तेरे पास माल है।'

मैंने कहा, जी हाँ! हर क़िस्म का माल है। अल्लाह ने मुझे अपनी मेहरबानी से ऊँट, बकरियाँ वगैरह दे रखी हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसका असर भी तुझ पर ज़ाहिर होना चाहिए।' (**तिर्मिज़ी**/ अल बिर्रु वस्सिलह/ माजाअ फ़िल इहसानि वल अफ़ुव्व : 2006, **बुखारी**/ अन्नफ़क़ातु/ क़वलुहू तआला : (वअलल वारिषि मिष्लु ज़ालिक) : 5370)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) मेहमान के लिए तकल्लुफ़ कब तक करना चाहिए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो शख़्स अल्लाह अज़्ज़ व जल और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि अपने मेहमान की तकरीम (सम्मान) करे। उसकी

ख़ातिरदारी बस एक दिन और एक रात की है। और ज़ियाफ़त तीन दिन और रात की, फिर उसके बाद सद्क़ा है। और किसी को हलाल नहीं कि दूसरे के यहाँ इतना ठहरे कि उसे मुश्किल पड़ जाए और वो उक्ता जाए।' (बुख़ारी/ अल अदब/ इक्रामुज़्ज़ैफ़ि व ख़िदमतिही इय्याहु बि नफ़्सिही : 6135, मुस्लिम/ अल किततु/ अज़्ज़ियाफ़तु वनहवुहा : 48)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं एक शख़्स के यहाँ गया। उसने न मेरी ज़ियाफ़त की, न मेरी मेहमानदारी, तो क्या वो जब मेरे यहाँ आए तो मैं भी उसके साथ ऐसा ही कर सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, '(नहीं!) बल्कि तू उसकी मेहमानदारी कर।' (तिर्मिज़ी/ अल बिर्रु वस्सिलह/ माजाअ फ़िल इहसानि वल अफ़ुव्व : 2006, इब्ने हिब्बान/ अन्निकाह/ अल मसइलतु वल अख़्ज़ु वमा यतअल्लकु बिही : 3410, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

अक़ीक़ः के मसाइल

सवाल : अक़ीक़ः की बाबत आप (ﷺ) से सवाल हुआ तो गोया आप (ﷺ) ने यह नाम मकरूह जाना।

जवाब : और आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो और वो ज़बीहः करना पसंद करे तो कर ले।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/ 430)

दूसरी रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उक़ूक़ को मैं पसंद नहीं करता।' गोया कि इस नाम को आप (ﷺ) ने मकरूह समझा।

तो लोगों ने कहा कि हम, हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं उनकी बाबत सवाल करते हैं?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसका बच्चा हो और वो उसकी तरफ़ से कुर्बानी देना चाहे तो लड़के की तरफ़ से दो बराबर की बकरियाँ और लड़की की तरफ़ से एक बकरी।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/ 194)

=======================

दसवाँ बाब

रोज़ों से मुतअल्लिक़ फ़तावा

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसे नफ़्ली रोज़े अफ़ज़ल हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तअजीमे रमज़ान के लिए शअबान के रोज़े।'

=========================

सवाल : कौनसा सद्क़ा अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रमज़ानुल् मुबारक के महीने में जो दिया जाए।' (तिर्मिज़ी/ अज़्ज़काह/ माजाअ फ़ी फ़ज़्लिस्सदक़ति : 663, वला किन्नुहू ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

=========================

सबसे अफ़ज़ल नफ़्ली रोज़े

सवाल : सहीह हदीष़ में है कि आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि रमज़ान के बाद किस महीने के रोज़े अफ़ज़ल हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह के महीने के जिसे तुम मुहर्रम कहते हो।'

=========================

सवाल : एक शख़्स ने रसूलल्लाह (ﷺ) अर्ज़ किया, रमज़ान के बाद और किस महीने के रोज़ों को आप (ﷺ) मुझे हुक्म देते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तू रमज़ान के बाद रोज़े रखना चाहता है तो मुहर्रम के रोज़े रख, यह अल्लाह का महीना है। इस महीने में अल्लाह तआला ने एक क़ौम की तौबा क़बूल फ़र्माई और इसमें एक दूसरी क़ौम की तौबा क़बूल फ़र्माएगा।' (मुस्लिम: अस्सियाम/ फ़ज़्लु सौमिल मुहर्रम : 1163, तिर्मिज़ी/ अस्सौम/ माजाअ फ़ी सौमिल मुहर्रम

: 741, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/154, अद्दारमी/ अस्सियाम/ फ़िस्सियामिल मुहर्रम : 1756)

========================

सवाल : अल मुस्नद अहमद में है या रसूलल्लाह (ﷺ)! किसी महीने में आप (ﷺ) को हम शअबान जितने बकसरत रोज़े रखते नहीं देखते?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! अमूमन लोग इस महीने से ग़ाफ़िल हैं। यह महीना रजब व रमज़ान के बीच है, इसी में आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ़ चढ़ते हैं, मेरी चाहत है कि मेरे अमल मेरे रोज़े की हालत में चढ़ें।' (निसाई/ अस्सौम/ सौमुन्नबिय्यि (ﷺ) : 2221, अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/201, हसन/ अल अलबानी रह)

========================

सवाल : सवाल हुआ फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कौनसी नमाज़ अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'आधी रात की नमाज़।'

(सहीह मुस्लिम/ किताबुस्सियाम : 2756)

========================

नफ़्ली रोज़ा तोड़ देने का मसला

सवाल : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) से पूछते हुए अर्ज़ किया कि आप (ﷺ) मेरे पास तशरीफ़ लाए तो आप रोज़े से थे, फिर मलीदः कैसे खा लिया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! रमज़ान के सिवा और दिनों में या क़ज़ाए रमज़ान के रोज़े रखने वाले क़ायम मुक़ाम उस शख़्स के हैं जो अपने माल में से कोई रक़म ख़ैरात की निय्यत से निकाले, फिर उसमें से जितना दिल बढ़े दे दे और जितना दिल बख़ीली करे, रोक लो।' (निसाई/ अस्सौम/ अन्निय्यत फ़िस्सियामि : 2323, हसन/ अल अलबानी रह.)

एक बार हज़रत उम्मे हानी (रज़ि.) के यहाँ आप (ﷺ) तशरीफ़ ले गये। वहाँ कुछ पीकर फिर हज़रत उम्मे हानी को इनायत किया, आप (रज़ि.) ने पी लिया फिर कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मैं रोज़े से थी।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नफ़्ली रोज़ा रखने वाला अपने नफ़्स का अमीर है, अगर चाहे तो पूरा करे चाहे तो तोड़ दे।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/ 341)

जनाब हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने खाना तैयार करके नबी (ﷺ) और आप के चन्द साथियों को बुलवाया। इनमें से एक बुज़ुर्ग फ़र्माने लगे कि मैं तो रोज़े से हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इस तुम्हारे भाई ने खाना तैयार करवाया है, उसने तक्लीफ़ उठाई है, अब तुम रोज़ा तोड़ दो, फिर किसी दिन क़ज़ा कर लेना।' (अदारे कुत्नी फी (सुननुह्) : 2/ 177)

(इमाम अहमद (रह.) बयान करते हैं कि) सय्यिदा हफ़्सा और हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास कहीं से हद्ये में गोश्त आया, दोनों रोज़े से थीं, रोज़ा तोड़ कर उसे खा लिया, नबी करीम (ﷺ) के आने पर आप (ﷺ) से मसला पूछा।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम दोनों किसी और दिन इसकी क़ज़ा कर लेना।'

=======================

हालते-रोज़ा में जाइज़ और मम्नूअ़ काम

सवाल : एक शख़्स ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी आँखें दर्द कर रही हैं जबकि मैं रोज़े से हूँ, तो क्या मैं सुर्मा लगा सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'हाँ! लगा सकते हो।'

(यह तिर्मिज़ी की रिवायत है। दारे कुत्नी में है कि आप (ﷺ) से पूछा गया)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) क्या क़ै आने से वुज़ू करना फ़र्ज़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं! अगर फ़र्ज़ होता तो कुर्आन में पाता।' (तिर्मिज़ी/ अस्सौम/ माजाअ फ़िल कुहली लिस्साइमि : 726, दारे कुत्नी। मगर इन दोनों अहादीष की असनाद कुतुबुर्रिजाल जिरह में दर्ज है। वक़ालल अलबानी रह. : जईफुल असनाद)

इन दोनों हदीषों की सनद में कलाम है।

=======================

सवाल : हज़रत उमर बिन सलमा (रज़ि.) आप (ﷺ) से पूछते हैं, क्या रोज़ेदार अपनी बीवी का बोसा ले सकता है?

जवाब : आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'इनसे यानी उम्मे सलमा (रज़ि.) से पूछ लो।'

उन्होंने उमर बिन अबू सलमा (रज़ि.) को बतलाते हुए फ़र्माया कि नबी (ﷺ) ऐसा करते हैं। वो कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ) आप (ﷺ) के तो अल्लाह तआला ने अगले पिछले सारे गुनाह बख़्श दिये हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की क़सम! सुनो, मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और उसका तक़्वा रखने वाला हूँ।' (मुस्लिम/ अस्सियाम/ बयानु अनिल क़िब्लति फ़िस्सौमि लयसतु मुहर्रमह : 1108) (यह सहीह मुस्लिम की रिवायत है)

अल मुस्नद अहमद में है कि, किसी शख़्स ने रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में अपनी बीवी का बोसा ले लिया, फिर बहुत घबराया, आख़िर अपनी बीवी को इस मसले की तहक़ीक़ के लिए भेजा। उनसे हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने फ़र्माया कि नबी (ﷺ) ऐसा कर लिया करते हैं। उसने जाकर अपने ख़ाविन्द से कहा, उसकी बेचेनी बढ़ गई और कहने लगा कि हम नबी (ﷺ) की मिस्ल नहीं हैं। अल्लाह तआला ने रसूलल्लाह (ﷺ) के लिए जो चाहा हलाल कर दिया। तुम फिर जाकर मसला पूछो। यह दोबारा आईं तो रसूलल्लाह (ﷺ) भी घर में मौजूद थे।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'यह बीवी कौन हैं, कैसे आई हैं?'

उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बयान किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तुमने उन्हें ख़बर न कर दी कि मैं ख़ुद ऐसा करता हूँ।'

अर्ज़ किया, कह तो दिया लेकिन इनके ख़ाविन्द तो इससे बुराई में और बढ़ गए और यूँ यूँ कहा। अब तो नबी (ﷺ) को बड़ा ही गुस्सा आ गया और फ़रमाने लगे, 'वल्लाह! मैं तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ और तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह की हदों को जानने वाला हूँ।' (मुस्लिम/ अस्सियामु/ बयानु अन्नालकु बिम्लति फ़िस्सौमि लयसतु मुहर्रमह : 1108, मालिक/ अस्सियाम/ माजाअ फ़िर्रुख़सति फ़िल कुब्लति लिस्साइमि : 13, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/434, शाफ़ेई फ़ी (मुसनदिहि) : 1/ 257)

========================

सवाल : एक नौजवान ने आप (ﷺ) से पूछा, क्या मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी से बोसा ले सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं!'

एक बूढ़ी उम्र के शख़्स ने भी आप (ﷺ) से यही सवाल पूछा आप (ﷺ) ने उन्हें इज़ाज़त दी फिर फ़र्माया, 'बूढ़े लोग अपने नफ़्स रोकने पर ज़्यादा क़ादिर होते हैं।' (हवाला साबिक़:)

========================

सवाल : एक शख़्स ने आप (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मैं था तो रोज़े से, लेकिन मैंने भूले से खा-पी लिया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह ने तुझे खिलाया-पिलाया।' (बुख़ारी/ अस्सौम/ अस्साइमि इज़ा अकला अव शरिबा नासियन : 1933, मुस्लिम/ अस्सियाम/ उकिलन्नासी व शरिबुहू व जमाउहू ला यूफ़तिरा : 1155, अबू दाऊद/ अस्सौम : मन अकला नासियन : 2398)

दारे कुत्नी में है कि फ़र्माया, 'अपना रोज़ा पूरा कर, अल्लाह ने तुझे खिला-

पिला दिया, तुझ पर क़ज़ा नहीं।' (अदारे कुत्नी फ़ी (सुननुहू) : 2/180)....और यह वाकिअः रमज़ानुल मुबारक के पहले ही रोज़े का है।

======================

सवाल : एक औरत आप (ﷺ) के पास खाने को बैठ गई, फिर यकायक हाथ रोक लिया। आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या बात है?'

जवाब : उसने कहा, मैं रोज़े से थी, लेकिन भूले से खाने को बैठ गई। हज़रत जुलयदेन (रज़ि.) कहने लगे कि वाह-वाह पेट भर लिया फिर रोज़ा याद आया।

इस पर नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम अपना रोज़ा पूरा करो। यह तो अल्लाह तआला ने तुम्हें अपनी तरफ़ से रोज़ी पहुँचा दी।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/367)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) यह सफ़ेद धागे और स्याह धागे का क़ुर्आन में जो ज़िक्र है, इससे क्या मुराद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इससे मुराद रात की स्याही और दिन की तुलूअे फ़ज्र वाली सफ़ेदी है।' (अबू दाऊद/ अस्सौम/ वक़्तुस्सुहूर : 2349, निसाई/ अस्सौम/ तावीलु क़ौलिल्लाहि तआला : (वकूलु वशरबू) : 2181)

======================

सवाल : ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! आप हमें तो रोज़े पर रोज़े रखने की मुमानिअत फ़र्माते हैं, फिर ख़ुद क्यों रखते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं तो तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरा रब खिला-पिला देता है।' (मालिक/ अस्सियाम/ अन्नही अनिल विसाल फ़िस्सियाम : 670, बुख़ारी/ अस्सौम/ बरक्तुस्सुहूब फ़ी ग़ैरि ईजाब : 1922, मुस्लिम/ अस्सियाम/ अन्नही अनिल वसाया फ़िस्सौम : 1105, अबू दाऊद/ अस्सौम/ फ़िस्सौम : 2360)

======================

हालते-जनाबत में रोज़ा रखना

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! सुब्ह की नमाज़ का वक़्त आ जाता है और गुस्ले जनाबत मुझ पर अभी वाजिब होता है तो क्या मैं रोज़े रख लिया करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यही मेरी हालत होती है और मैं रोज़ा रखता हूँ। उसने कहा हममें और आप (ﷺ) में बराबरी ही क्या? आप (ﷺ) के तो सब अगले-पिछले

गुनाह मुआफ़ हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, वल्लाह! मुझे तो जनाबे बारी सुब्हानः से उम्मीद है कि तुम सबसे ज़्यादा ख़ौफ़े इलाही मेरे दिल में है। तुम सबसे ज़्यादा इल्म मुझे है कि किस चीज़ से बचना चाहिए।' (मुस्लिम/ अस्सियाम/ सिहतु सौम मन तलआ अलैहिल फ़ज्रो वहुवा जुनुबि : 1110)

========================

हालते-सफ़र में रोज़ा

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) क्या सफ़र में रोज़ा रखें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इख़्तियार है ख़्वाह रखो ख़्वाह न रखो।' (**बुख़ारी**/ अस्सौम/ अस्सौमु फ़िस्सफ़रि वल इफ़्तारि : 1943, **मालिक**/ अस्सियाम/ माजाअ फ़िस्सियाम फ़िस्सफ़रि : 656, **मुस्लिम**/ अस्सियाम/ अत्तख़य्यिरु फ़िस्सौमि वल फ़ित्रि फ़िस्सफ़रि : 1121, **अबू दाऊद**/ अस्सौम/ अस्सौमु फ़िस्सफ़रि : 2402, **तिर्मिज़ी**/ अस्सौमि/ माजाअ फ़िर्रुख़सति फ़िस्सफ़रि : 711, **निसाई**/ अस्सौम/ ज़िक्रुल इख़्तिलाफ़ि अला सुलैमान बिन यस्सार : 4/180)

========================

सवाल : हम्ज़ा बिन अम्र (रज़ि.) आप (ﷺ) से पूछते हैं कि मैं सफ़र में रोज़े रखने पर क़ादिर हूँ तो क्या मुझे इजाज़त है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह अल्लाह की तरफ़ से रुख़्सत है जो उसे ले अच्छा है और जो रोज़ा रखना चाहे उस पर कोई गुनाह नहीं।' (**मुस्लिम**/ अस्सियाम/ अत्तख़य्यीर फ़िस्सौमि वल फ़ित्रि वस्सफ़रि : 1121)

========================

रमज़ान के रोज़ों की क़ज़ा

सवाल : दारे कुत्नी में हसन सनद से मरवी है कि रसूलल्लाह (ﷺ) से रमज़ान शरीफ़ के क़ज़ा रोज़ों को पे दर पे न रखने की बाबत सवाल हुआ?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'इसका तुम्हे इख़्तियार है। देखो अगर तुम पर क़र्ज़ होता और तुम उसमें से एक दो दिर्हम अदा करते तो क्या इतना अदा न होता? याद रखो! अल्लाह तआला सबसे ज़्यादा मुआफ़ी देने वाला और दरगुज़र करने वाला है।'

(**अद्दारे कुत्नी**/ अस्सौमि/ अल कुब्लतु लिस्साइमि : 2/194)

========================

फ़ौतशुदा लोगों की तरफ़ से रोज़ा

सवाल : बुख़ारी व मुस्लिम की हदीष़ में है कि एक औरत ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, मेरी वालिदा फ़ौत हो चुकी है, उन पर नज़्र के रोज़े थे। तो क्या मैं उनकी तरफ़ से वो रोज़े पूरे कर सकती हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तेरी माँ के ज़िम्मे किसी का क़र्ज़ होता और तू अदा करती तो क्या वो अदा न हो जाता?'

उसने कहा, जी हाँ! अदा हो जाता।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसी तरह यह भी है। 'जा अपनी माँ की तरफ़ से तू रोज़े रख ले।' (बुख़ारी/ अस्सौम/ मम्माति अलैहिस्सौम : 1953, मुस्लिम/अस्सियाम/ क़ज़ा उस्सियाम अनिल मय्यित : 1148)

अबू दाऊद में है कि एक औरत समुन्दर में किसी कश्ती पर थी, वहाँ उसने नज़्र मानी कि अगर अल्लाह सलामती से पहुँचा देगा तो एक महीने के रोज़े रखूँगी। सलामती से पहुँच तो गई, लेकिन रोज़े रखने से पहले ही फ़ौत हो गई। उसकी लड़की या बहन ने नबी (ﷺ) से सवाल पूछा तो आप (ﷺ) ने उन्हें उसकी तरफ़ से रोज़े रखने का हुक्म अता फ़र्माया।

========================

नफ़्ली रोज़े की जगह नफ़ी नफ़्ली रोज़े

सवाल : हज़रत हफ़्सा और हज़रत आइशा (रज़ि.) मोअमिनों की माँओं ने नबी मुअज़्ज़म (ﷺ) से कहा कि हम आज रोज़े से थीं कुछ खाना हद्यतन् आया, हमने वो खा–पी लिया, फ़र्माइए हमारे बारे में शरीअत का क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसकी जगह और रोज़े रख लेना।' (मालिक/ अस्सियाम/ क़ज़ाउत्ततूअ/686, अबूदाऊद/अस्सौम/मन् रअ अलैहिल क़ज़ा : 2457, तिर्मिज़ी/अस्सौम/माजाअ फ़ी ईजाबिल क़ज़ा अलैहि 735, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) 6/141)

याद रहे कि दूसरी रिवायत में जो है कि, 'नफ़्ली रोज़ेदार अपनी नफ़्स का अमीर है यह उसके ख़िलाफ़ नहीं कि उसकी क़ज़ा करना फ़ज़्ल है।'

========================

फ़र्ज़ रोज़े तोड़ बैठने का कफ़्फ़ारा

सवाल : बुख़ारी व मुस्लिम में है कि एक सहाबी नबी करीम (ﷺ) के पास हाज़िर होकर अर्ज़ किया रसूलल्लाह (ﷺ) मैं तो हलाक हो गया, मैं तो हलाक हो गया, मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी पर वाक़ेअ हो गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुझ में कुदरत है कि एक गुलाम आज़ाद करे?'

उसने कहा, नहीं!

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुझमें ताक़त है कि पे दर पे दो माह के रोज़े रखे।'

उसने कहा, नहीं !

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या साठ मिस्कीनों को खाना खिला सकता है?'

उसने कहा, नहीं!

सय्यिदिना अबू हुरैरह (रज़ि.) बयान करते हैं कि वो शख़्स नबी करीम (ﷺ) के पास ठहरा रहा। हम भी अपनी उसी हालत में बैठे हुए थे कि आप (ﷺ) की ख़िदमत में एक बड़ा थैला पेश किया गया कि जिसमें ख़जूरें थीं।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'साइल कहाँ है?'

उसने कहा, मैं हाज़िर हूँ!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ ले जाओ और इसे सद्क़ा कर दो।'

वो कहने लगा, क्या मुझसे भी ज़्यादा मिस्कीन पर? अल्लाह की क़सम! या रसूलल्लाह (ﷺ) मदीने के इस सिरे से उस सिरे तक कोई घर मेरे घर से ज़्यादा मुहताज नहीं। आँहज़रत (ﷺ) हँस दिए यहाँ तक कि आप (ﷺ) की मुबारक दाढ़ीं खिल गईं, फिर फ़र्माया कि, 'अच्छा भाई जाओ तुम भी खा लेना और अपने बाल–बच्चों को भी खिला देना।' (बुख़ारी/ अस्सौम/ अल मुजामिउ फ़ी रमजानि हल युतइमु अहलहू मिनल कफ़्फ़ारति : 1936, मुस्लिम/ अस्सौम/ तग़लीज़ुल जिमाइ फ़ी रमज़ानि अलस्साइमि : 1111, तिर्मिज़ी/ अस्सौम/ माजाअ फ़ी कफ़्फ़ारतिल फ़ितरि फ़ी रमज़ान : 724)

========================

दीगर नफ़्ली रोज़े

सवाल : सोमवार के दिन के रोज़े की वजह क्या है?

जवाब : नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसी दिन मैं पैदा किया गया हूँ और इसी दिन मुझ पर

क़ुर्आन उतारा गया है।' (मुस्लिम/ अस्सियामि/ इस्तिहबाबुस्सियामिन सलाषता अय्याम मिन कुल्लि शहर : 1162)

=========================

सवाल : हज़रत उसामा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) नफ़्ली रोज़े रखते ही चले जाते हैं इस तरह कि अब गोया छोड़ेंगे ही नहीं और इस तरह छोड़ते हैं और छोड़ते ही चले जाते हैं कि गोया अब रखेंगे ही नहीं, बजुज़ दो दिन के, अगर वो रोज़ों में आ गए तो आ ही गए वर्ना उनका रोज़ा फिर भी रखते हैं। आप (ﷺ) ने दरयाफ़्त फ़र्माया, 'वोह कौनसे दो दिन है?' कहा, सोमवार और जुम्अेरात का।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ! 'इन दिनों में रब्बुल आलमीन के सामने अअ़माल पेश किये जाते हैं। पस मैं चाहता हूँ कि जब मेरे अअ़माल पेश हों तो मैं हालते रोज़े से हूँ।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/201, अबू दाऊद/ अस्सौम/ फ़ी सौमिल इस्नैनि वल ख़मीस : 2436, निसाई/ अस्सौम/ सौमुन्नबिय्यि (ﷺ) : 2222)

=========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) सोमवार और जुम्अेरात को आप (ﷺ) के रोज़े की क्या वजह है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इन दिनों में अल्लाह तआ़ला तमाम मुस्लिमीन की मग़्फ़िरत कर देता है बजुज़ उनके जो एक दूसरे को छोड़े हुए हों। फ़र्माता है, उन्हें छोड़ दो जब तक कि यह आपस में सुलह करके मिल न जाएँ।' (इब्ने माजा/ अस्सियाम/ सियामु यौमिल इस्नैनि वल ख़मीस : 1740, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=========================

सुन्नत से हटकर रोज़ों की हैषियत

सवाल : सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है, सवाल हुआ, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो हमेशा हर दिन रोज़े से रहे वो कैसा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'न उसे रोज़ा रखने का षवाब, न उसे इफ़्तार करने का। या यूँ फ़र्माया, न उसने रोज़ा रखा, न इफ़्तार किया।'

अच्छा! जो दो दिन रोज़े से और एक दिन बिना रोज़े से रहना लाज़िम कर ले?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, इसकी ताक़त किसमें है?'

अच्छा!! जो एक दिन रोज़े से रहे और एक दिन बिना रोज़े से रहे?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हज़रत दाऊद (अलैहिस्सलाम) के रोज़ों का यही तरीक़ा था।'

पूछने वाले ने कहा कि यह भी बतला दीजिए कि जो दो दिन इफ़्तार करता है और एक दिन रोज़ा रखता है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'काश कि मुझमें इतनी कुव्वत होती। फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हर महीने में तीन रोज़े और हर साल में रमज़ान का रोज़ा, इनका ष़वाब इतना है कि, गोया सारी उम्र रोज़ों में गुज़ारी। अ़र्फ़ा के दिन का रोज़ा एक साल गुज़िश्ता के और एक साल अगले के गुनाहों का कफ़्फ़ारा (प्रायश्चित) हो जाता है।' (मुस्लिम/ अस्सियाम/ इस्तिहबाबुस्सियामि षलाषतु अय्यामा मिन कुल्लिशशह्र....: 1162)

========================

सवाल : किसी ने नबी करीम (ﷺ) से पूछा, मैं जुम्आ के दिन रोज़े रखूँ? और इस दिन बोल–चाल बंद रखूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ास़ जुम्ओ के दिन का रोज़ा न रख। हाँ जिन रोज़ों की आ़दत है अगर उसमें जुम्आ आ जाए तो और बात है, बात न करने के रोज़े की निस्बत सुनो! तुम कुर्आन व ह़दीष़ की किसी बात का हुक्म दो या ख़िलाफ़े शरअ़ बात से किसी को रोको तो यह चुप रहने से कहीं ज़्यादा अफ़ज़ल है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/224)

========================

एतिकाफ़ का मसला

सवाल : हज़रत उ़मर (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा, मैंने जाहिलियत के ज़माने में नज़्र मानी थी कि मस्जिदे ह़राम में एक दिन का एतिकाफ़ करूँगा। अब फ़र्माइए आप क्या हुक्म देते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ और अपना एक दिन का एतिकाफ़ पूरा करो।' (बुख़ारी/ अल इअतिकाफ़/ मल्लम यरा अलैहि इज़ा असलमा सौमिन : 2042, मुस्लिम/ अल ईमान/ नजरुल काफ़िरि वमा यफ़अलु इज़ा असलमा : 1656, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/37)

========================

लैलतुल क़द्र के मसाइल

सवाल : अल मुस्नद अहमद में है कि हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, लैलतुल् क़द्र रमज़ान में है या और महीनों में?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रमज़ान शरीफ़ में है।'

तो क्या नबियों की ज़िंदगी तक ही वो रात क़ायम रहती है और उनकी वफ़ात पर उठ जाती है या क़यामत तक बाक़ी है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बल्कि वो क़यामत तक बाक़ी है।'

उन्होंने पूछा, अच्छा तो रमज़ान के किस हिस्से में है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पहले दस दिनों में उस रात की तलाश करो या आख़िरी दस दिनों में।'

उन्होंने फिर पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ) इन दोनों अशरों में किस अशरे में ढूंढें?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'आख़िरी अशरे में उसकी तलाश करो। अब ख़बरदार!! इसकी निस्बत कोई सवाल न करना। आख़िरी हफ़्ते में उसे तलाश करो। और ख़बरदार!! इसकी निस्बत अब कोई सवाल न करना।' (मुस्नद अल इमाम अहमद : 1/231)

========================

सवाल : अबू दाऊद में है कि रसूलल्लाह (ﷺ) से लैलतुल् क़द्र के बारे में सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे पूरे रमज़ान में तलाश करो।' (अबू दाऊद/ अस्सलात/ मन क़ाला हिय फ़ी कुल्लि रमज़ान : 1387)

========================

सवाल : सुनन अबू दाऊद में ही है कि इसी सवाल के जवाब में आप (ﷺ) ने फ़र्माया,

जवाब : 'आज कौनसी रात है?'

साइल ने कहा, 22वीं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'लैलतुल् क़द्र यही है।' फिर लौटे और फ़र्माया, 'आइन्दा रात यानी 23वीं है।' (अबू दाऊद/ अस्सलात/ फ़ी लैलतिल क़द्र : 1379, हसन, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, हम इस मुबारक रात को कब तलाश करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '23वीं रात को मस्जिद में आकर फ़रोक्श हो जाओ और इसे तलाश करो।' (अबू दाऊद/ फ़ी लैलतिल क़द्र : 1389, हसन सहीहुन/ अल

अलबानी रह.)

=========================

सवाल : एक हदीष़ में है कि उम्मुल मोअमिनीन सय्यिदा आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, अगर मैं इस रात को पा लूँ तो क्या दुआ मांगूं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '**अल्लाहुम्म इन्नक अफ़ुव्वुन करीमुन् तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी0** ऐ अल्लाह! तू मुआफ़ी देने वाला है, मुआफ़ी को ही पसंद करता है, पस मुझे भी मुआफ़ी अता फ़र्मा।' (**तिर्मिज़ी**/ अद्दअवाति/ 84:3513, **इब्ने माजा**/ अद्दुआ/ अद्दुआउ बिल अफ़ुव्वि वल आफ़िया : 3850, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/419 सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=========================

ग्यारहवाँ बाब :

हज्ज के मुतअल्लिक़ फ़तावा

हज्ज की फ़ज़ीलत

सवाल : सहीह बुख़ारी में है कि उम्मुल मोअमिनीन सय्यिदा आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम तो जिहाद को सबसे अफ़ज़ल अमल जानते हैं तो क्या हम औरतें जिहाद न करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारे लिए अफ़ज़ल व बेहतर जिहाद हज्ज है। अल मुस्नद अहमद में यह भी है कि हज्ज तुम्हारे लिए जिहाद है।' (बुख़ारी/ अल हज्ज/ फ़ज़्लुल हज्जु/ मबरूर : 1520, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/71–79, बुख़ारी/ जज़ा उस्सैद/ हज्जुन्निसा : 1863)

========================

हज्जे तमत्तो की फ़ज़ीलत

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) ने अपने सहाबा (रज़ि.) को हज्ज फ़स्ख़ करके उम्राह कर लेने के जाइज़ होने का फ़त्वा दिया। फिर इसके मुस्तहब होने का, फिर इसे ज़रूरी तौर पर कर लेने का। इसके बाद इसे मंसूख़ करने वाला कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ। हम शरीअत का मसला यही जानते हैं।

जवाब : इसके वजूब (वाजिब होने) का क़ौल इसके मनअ (इन्कार) के क़ौल से ज़्यादा क़वी और ज़्यादा सही है। बेशक व शुब्ह सहीह सनदों से नबी (ﷺ) का इर्शादे मुबारक साबित है कि, 'जो शख़्स कुर्बानी अपने साथ न लाया हो, वो उमरे का एहराम बाँध ले और जो कुर्बानी लाया हो, वो उमरे के साथ ही हज्ज का एहराम बाँध ले।' (बुख़ारी/ अल

हज्ज/ मन साक़ल बदन : 1691)

हाँ! ख़ुद नबी (ﷺ) ने हज्ज का और उमरे का मिला हुआ (हज्ज किरान के लिए) एहराम बाँधा था। यह रिवायत बीस से ज़्यादा सनदों से षाबित है। आप (ﷺ) के 16 सहाबी इसे आप (ﷺ) से नक़ल करते हैं यही हुक्म आप (ﷺ) ने उन्हें दिया था जो अपने साथ क़ुर्बानी लाए थे और जिनके साथ उनकी क़ुर्बानियाँ न थीं उन्हें उसे तोड़कर तमत्तोअ का हुक्म दिया। आप (ﷺ) का यह फ़र्मान और आप (ﷺ) का यह फ़अल हमारे नज़दीक तो इस वजाहत से षाबित है कि गोया आँखों देखी बात है। वबिल्लाहित्तौफ़ीक़!

========================

उमराह की फ़ज़ीलत

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से पूछा, कौनसा अमल आप (ﷺ) के साथ हज्ज करने के बराबर है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रमज़ान शरीफ़ में उम्राह करना हज्ज के बराबर है।'

(अहमद फ़ी किताबिहीह (अल मुस्नद) : 6/405)

========================

सवाल : क्या उम्राह वाजिब है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं ! लेकिन तुम उम्राह करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है।'

और अल मुस्नद अहमद में है कि एक अअराबी ने यही सवाल किया था और आप (ﷺ) ने यही जवाब दिया, (.........) (तिर्मिज़ी/ अल हज्ज/ माजाअ फ़िल उमरति अवाजिबतुन हिया अमला : 931, ज़ईफ़ुल अस्नाद/ लिल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत उम्मे मअक़ल (रज़ि.) कहती हैं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझ पर हज्ज फ़र्ज़ हो चुका है और अबू मअक़ल के पास एक ऊँट है। मगर वो सवारी के लिए उसे दे नहीं रहे। नबी करीम (ﷺ) ने पूछा तो) अबू मअक़ल् (रज़ि.) ने कहा हाँ! बेशक है लेकिन मैं तो उसे राहे अल्लाह कर चुका हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उन्हें दो कि यह इस पर हज्ज कर आएँ, हज्ज भी फ़ी सबीलिल्लाह है।'

चुनांचे अबू मअक़ल (रज़ि.) ने उन्हें ऊँट दे दिया।

अब वो कहने लगीं कि ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मैं बुढ़िया हो गई हूँ और बहुत बीमार रहा करती हूँ, क्या कोई अमल हज्ज के बराबर भी है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रमज़ान शरीफ़ में उम्राह करना हज्ज से किफ़ायत करता है। (अबू दाऊद/ अल हज्ज/ अल उमरतु : 1988, सहीहुन/ अल अलबानी रह.) यह हदीष अबू दाऊद में है।'

========================

दौराने हज्ज कारोबार का हुक्म

सवाल : एक साहब ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मैं किराये पर सवारियाँ देता हूँ जिन पर लोग हज्ज को जाते हैं, मैं उन्हें ले जाता हूँ तो लोग कहते हैं, तेरा अपना हज्ज इस सूरत में अदा नहीं होता। आप (ﷺ) ख़ामोश हो रहे, कोई जवाब न दिया।

जवाब : यहाँ तक कि यह आयत उतरी, **(लै-सा अलैकुम जुनाहुन् अन् तब्तग़ू फ़ज़लम्मिन रब्बिकुम्** अल बक़र : 198)'यानी तुम पर फ़ज़्ले इलाही तलाश करने में कोई गुनाह नहीं।' आप (ﷺ) ने उसी वक़्त उसे बुलवाया और यह आयत पढ़कर सुनाई और फ़र्माया, 'बेशक इस सूरत में तेरा हज्ज अदा हो जाता है।' (अबूदाऊद/ अल हज्ज/ अल करिय्यि : 1733 सहीहुन् अल्बानी रह.)

========================

सबसे अफ़ज़ल हज्ज

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ), सबसे अफ़ज़ल हज्ज कौनसा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसमें अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ बकष़रत हो और जिसमें क़ुर्बानियाँ ख़ूब हों।'

पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! यह तो फ़र्माइए कि हाजी कौन है?

आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'परागन्दा (बिखरे) बालों वाला, मैले कुचैले कपड़ों वाला।'

कहा गया, अच्छा! या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ुर्आन में है कि जो रास्ते की ताक़त रखता हो, उस रास्ते से क्या मुराद है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तौशः और सवारी।' (इब्ने माजा/ अल हज/ मायूजिबुल हज : 2896, शाफ़िई फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/283 जईफ़ुन् जिद्दन/ लिल अल्बानी)

========================

हज्जे बदल के मसाइल

सवाल : हज्जतुल् विदाअ के मौक़े पर एक औरत ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मेरे वालिद मुस्लिम हो गए हैं लेकिन हैं बड़ी उम्र के, बहुत बूढ़े जो सवारी पर सवार होने के भी क़ाबिल नहीं और हज हम पर फ़र्ज़ हो चुका है। क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर सकती हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ, तुम अपने वालिद की तरफ़ से हज्ज कर लो।' (बुखारी/ जजा उस्सैद/ अल हज्ज अमल्ला यस्ततीउम्बुबूता अलराहिलाह : 1854, मुस्लिम/ अल हज/ अल हज्जु अनिल आजिजिले जमामति व हरमिन व नहवहु : 1334, तिर्मिज़ी/ अल हज : वल् लफ़्ज़ु लिल मुस्लिम)

========================

सवाल : हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से गुज़ारिश की, मेरे वालिद बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र के शख़्स हैं, उनमें न हज की ताक़त है न उमरा की। वो तो सवारी पर सवार ही नही हो सकते।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम आप अपने अब्बा की तरफ़ से हज्ज और उमरा कर लो। (अबू दाऊद/ अल हज्ज : 1810, तिर्मिज़ी/ अल हक/ माजाअ फ़िल हज्ज अनिश्शैखिल कबीरे वल मय्यित : 930, दारे क़ुत्नी फ़ी किताबिही (अस्सुनन) : 2/283)

========================

सवाल : एक साहब ने सवाल किया कि मेरी बहन हज्ज करने से पहले ही फ़ौत हो गई, क्या उसकी तरफ़ से हज्ज अदा कर लूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तुम्हारी बहन पर क़र्ज़ होता तो तुम अदा करते?' उसने कहा, क्यों नहीं?

आप (ﷺ) फ़र्माया, 'फिर अल्लाह का क़र्ज़ अदायगी का बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ है, उसे अदा करो।' (बुखारी/ अल ईमानि वन्नुज़ूर/ मम्माता व अलैहि नज़र : 6699, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/240)

इस हदीस़ को इमाम अहमद (रह.) लाए हैं।

========================

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से कहा कि मेरी वालिदा हज्ज के बग़ैर ही दुनिया से चल दी। क्या मैं उसकी तरफ़ से हज्ज कर लूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ, तुम उनकी तरफ़ से हज्ज कर लो।' (मुस्लिम/ अस्सौम/ कज़ाउस्सियामि अनिल मय्यित : 1149, तिर्मिज़ी/ अल हज्ज/ माजाअ फ़िल हज्जि अनिश्शैखि वल कबीरि वल मय्यिति : 929, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/349) (यह हदीष़ बिल्कुल सहीह है।)

========================

सवाल : एक मर्द के इसी सवाल के जवाब में कि मेरे वालिद बग़ैर हज्ज के इंतिक़ाल कर गए हैं। उनके बारे में क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उन पर कोई क़र्ज़ होता और तुम उनकी तरफ़ से अदा करते तो क्या वो क़बूल हो जाता?'

उसने जवाब दिया, बेशक!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर जाओ तुम उनकी तरफ़ से हज्ज कर लो।' (अद्दारे क़ुत्नी/ अल हज्ज2 अल मवाक़ीतु : 2/260/ शाज़ुन)

इसकी दलालत इस बात पर है कि सवाल व जवाब का तअल्लुक़ क़ुबूलियत और सेहत के मुतअल्लिक़ था। न कि वजूब (वाजिब होने) व फ़र्ज़ के मुतअल्लिक़। वल्लाहु अअलम!

========================

सवाल : एक शख़्स को लब्बैक अन् शुब्रुमह कहता हुआ सुनकर आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तू अपना हज्ज कर चुका है?'

जवाब : उसने कहा, नहीं!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपना हज्ज अदा कर फिर शुब्रुमा की तरफ़ से हज्ज करना।' (अबू दाऊद/ अल हज्ज/ अर्रजुलु यहुज्जु अन ग़ैरिही : 1811, इब्ने माजा/ अल मनासिक/ अल हज्जु अनिल मय्यित : 3903, अश्शाफ़ेई फ़ी (मुस्नदिही) : 1/389, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

यह शुब्रुमा उनके कोई क़रीबी थे।

========================

सवाल : एक औरत ने अपना बच्चा उठाकर नबी (ﷺ) को देखकर पूछा, क्या इसका हज्ज हो जाएगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! और तुझे अज्र मिलेगा।' (मुस्लिम/ अल हज्ज/ सिहतु हज्जुस्सिबयि : 1336, इब्ने माजा/ अल मनासिक/ हज्जुस्सिबयि : 2910)

========================

सवाल : किसी शख़्स ने आप (ﷺ) से कहा कि मेरी बहन ने हज्ज की नज्र मानी थी, लेकिन हज्ज करने से पहले ही उनका इंतिक़ाल हो गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर उस पर क़र्ज़ होता तो क्या तू अदा करता?'

उसने कहा, हाँ!

आप (ﷺ) फ़र्माया, 'पस अल्लाह को भी अदा कर, वो अदायगी का सबसे ज़्यादा इस्तिहक़ाक़ रखता है।' (बुख़ारी/ जज़ाउस्सयदिका/ मम्माता व अलैहि नज़र : 6699, मुस्लिम/ अस्सौम/ क़ज़ाउस्सियामि अनिल मय्यिति : 1149)

========================

एहराम के मसाइल

सवाल : एक पूछने वाले ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ) एहराम वाला क्या पहने?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कुर्ता, अमामा, बरनिस, पायजामा, विरस या ज़ाफ़रान वगैरह से रंगा हुआ कपड़ा और जुराबें न पहनो। हाँ! जूतियाँ न होने की हालत में मौज़े पहन सकता है, लेकिन उन्हें काट कर टखनों से नीची कर ले।' (बुख़ारी/ अल हज्ज/ मा ला यलबिसुल महरिम मिनस्सियाबि : 1542, मुस्लिम/ अल हज्ज/ मा यूबाहु लिल महरिमि बि हज्जिन अव उमरतिन व मा ला यूबाहु : 1177, अबू दाऊद/ अल मनासिक : 1823, तिर्मिज़ी/ अल हज्ज : 833, निसाई/ अल हज्ज/ अन्नही अनिस्सियाबिल मसबूग़ातिन : 5/ 129)

========================

सवाल : एक साहब जो जुब्बा पहने हुए थे और ख़ुश्बू में मुअत्तर हो रहे थे, ने आँहज़रत (ﷺ) से सवाल किया, मैं जिस हालत में हूँ वो आप (ﷺ) मुलाहिज़ा कर रहे हैं और मैंने उमरे का एहराम बाँध लिया है, अब मैं क्या करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जुब्बा उतार डालो और ज़र्दी वाली ख़ुश्बू धो डालो। बअज़ तुर्क़ में है कि अपने उमरे में भी वही कर जो अपने हज्ज में करता है।' (बुख़ारी/ अल उमरतु/ यफ़अलु बिल उमरति मा यफ़अलु बिल हज्जि : 1789, मुस्लिम/ अल हज्ज/ मा यूबाहु लिल महरिमि बि हज्जिन अव उमरतिन व मा ला यूबाहु : 1180)

========================

सवाल : सय्यिदा ज़ुबाअ़ बिन्ते ज़ुबैर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि मेरा इरादा हज्ज का है और मैं हूँ बीमार?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'हज्ज को जाओ और शर्त करलो कि जहाँ मुझे बीमारी रोक दे वहीं एहराम खोल दूँगी।' (मुस्लिम/ अल हज्ज/ जवाज़ु शरतिल महरिमि : 1207)

========================

हालते एहराम में शिकार और बाज़ (कुछ) जानवरों के क़त्ल का हुक्म

सवाल : हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) ने शिकार खेला। वो उस वक़्त एहराम बाँधे हुए न थे। इस शिकार का गोश्त उनके हमराहियों ने भी खाया और वो सब उस वक़्त एहराम में थे। जब नबी (ﷺ) से मुलाक़ात हुई तो यह मसला आप (ﷺ) से पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या उस शिकार का कुछ गोश्त अब भी तुम्हारे पास है?' (बुख़ारी/ अस्सैद/ इज़ा सादल हलालु फ़ अहदा लिल महरिमिस्सैद अकलहू : 1821, मुस्लिम/ अल हज्ज/ तहरीमुस्सैदि लिल महरिमि : 1196, मालिक/ अल हज्ज/ ला यहिल्लु लिल महरिमि अकलहू मिनस्सैद : 794)

हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) को उसके शाने का गोश्त दिया जिसे आप (ﷺ) ने तनावुल फ़र्माया। उस वक़्त आप (ﷺ) ख़ुद एहराम की हालत में थे।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एहराम की हालत में किन–किन जानवरों को क़त्ल कर सकते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'साँप, बिच्छू, चूहा, काट खाने वाला कुत्ता, चील और हमला करने वाले दरिन्दे को। अल मुस्नद अहमद में इतनी ज़्यादती और भी है कि कव्वे को कंकर मार दे, उसे क़त्ल न करो।' (बुख़ारी/ जज़ाउस्सैदि मा यक़्तुलुल महरिमि मिनद्दवाब्बि : 1828, मुस्लिम/ अल हज्ज/ मा यन्दुबु लिल महरिमि वग़ैरूहू क़तलुहू मिनद्दवाब्बि : 1198)

========================

हज्ज के दौरान पेश आने वाले मसाइल

सवाल : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने ब-हालते हज्ज आप (ﷺ) से सवाल किया कि मैं बीमार हूँ, इस हालत में क्या करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सवारी पर सवार होकर लोगों के पीछे-पीछे तवाफ़ कर लो।' (बुख़ारी/ अस्सलातु/ इदखालुल बइरि फ़िल मस्जिद : 464, मुस्लिम/ अल हज्ज/ जवाज़ुत्तवाफ़ि अला बइरिन वग़ैरिही : 1276, अबू दाऊद/ अल मनासिक/ अत्तवाफ़ुल वाजिब : 1882, निसाई/ अल हज्ज/ कैफ़ तवाफ़ुल मरीज़? : 5/223, इब्ने माजा/ अल मनासिक/ अल मरीज़ु यतूफ़ु राकिबन : 2961, मालिक/ अल हज्ज/ जामिउत्तवाफ़ि : 832)

========================

सवाल : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, (बहालते हैज़) क्या मैं बैतुल्लाह शरीफ़ में दाख़िल न होऊँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हतीम में चली जाओ, यह भी बैतुल्लाह में से है।' (अबू दाऊद/ अल हज्ज/ फ़िल हुज्रि : 2028, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/92, हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत अर्वा बिन मुज़रस (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि मैं तै की पहाड़ियों से आ रहा हूँ। अपनी सवारी को थका दिया। अपनी जान को तकलीफ़ में डाल दिया। वल्लाह (अल्लाह की क़सम)! हर-हर पहाड़ पर ठहरता हुआ आया हूँ, क्या मेरा हज्ज हो गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'जिसने इस नमाज़े फ़ज्र को हमारे साथ पा लिया और इससे पहले वो रात को या दिन को अरफ़ात में पहुँचा, उसने अपना हज्ज पूरा कर लिया और अपने मैल-कुचैल से पाक-साफ़ हो गया। (अबू दाऊद/ अल हज्ज/ मल्लम युदरिक अरफ़ति : 1950, तिर्मिज़ी/ अल हज्ज/ माजाअ फ़ीमन अदरकल इमाम बि जमइन फ़क़द अदराकल हज्जा : 891, इब्ने माजा/ अल मनासिक/ मन अता अरफ़ता क़ब्लल फ़ज्रे लैलतन जमाअ : 3016, निसाई/ अल हज्ज/ फ़ी मल्लम युदरिक सलातुस्सुबहि माअल इमामि बिल मुज़दलिफ़ह : 5/263, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/261) यह हदीस बिल्कुल सहीह है।'

========================

सवाल : नज्द के रहने वाले बअज़ मुस्लिमीन ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ) हज्ज की कैफ़ियत क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'हज्ज अरफ़ात का नाम है, पस जो शख़्स 10वीं ज़िल्हिज्ज को नमाज़े फ़ज्र से पहले आ गया उसका हज्ज पूरा हो गया और जिसने ताख़ीर की उस पर कोई गुनाह नहीं। फिर आप (ﷺ) ने अपने पीछे एक सहाबी को सवार कर लिया जो इन कलिमात की मुनादी करता रहा।' (अबू दाऊद/ अल हज्ज/ मल्लम युदरिक

अरफ़ता : 1949, तिर्मिज़ी/ अल हज्ज/ माजाअ फी मन अदराकल इमाम बि जमईन फ़क़द अदराकल ह ज्ञा : 889, निसाई/ अल हज्ज/ फ़ीमन अदरका सलातुस्सुबहि माअल इमाम बि मुज़दलिफ़ह : 5/264, इब्ने माजा/ अल मनासिक/ मन अता अरफ़ता क़ब्लल फ़ज्रे लैलतन जमाअ : 3015, अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/309, सहीहुन/ अल अलबानी रह)

======================

सवाल : एक शख़्स ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ) मैंने बेख़बरी में क़ुर्बानी करने से पहले सर मुंडवा लिया। (फ़र्माइए! मेरे लिए क्या हुक्म है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क़ुर्बानी कर लो,कोई हर्ज़ नहीं।'

दूसरा शख़्स, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने बेख़बरी में शैतान को कंकर मारने से पहले ही क़ुर्बानी कर ली।

आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'कंकर अब फेंक लो, कोई हर्ज़ नहीं।'

पस जिस चीज़ की तक़दीम व ताख़ीर के बारे में आप (ﷺ) से पूछा गया आप (ﷺ) यही फ़र्माते रहे, 'कर लो कोई हर्ज़ नहीं।'

मुसनद अहमद में यह अल्फ़ाज़ हैं कि उस दिन जिस अम्र के बारे में भी आप (ﷺ) से सवाल किया गया जो भूले से हो गया हो या ना-दानिस्ता हो गया हो, कोई काम आगे पीछे हो गया हो या इसी तरह कोई और बात हो सबके बारे में यही इर्शादे मुबारक होता रहा, कर लो कोई हर्ज़ नहीं। एक सनद से यह भी मरवी है कि या रसूलल्लाह (ﷺ) मैंने क़ुर्बानी करने से पहले ही सर मुँडवा लिया?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अब क़ुर्बानी कर लो कोई हर्ज़ नही।'

एक सहाबी पूछते हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ) मैंने कंकरियाँ फेंकने से पहले ही क़ुर्बानी कर ली?

आप (ﷺ) फ़र्माते है, 'अब कंकरियाँ फेंक लो कोई हर्ज़ नहीं।'

एक रिवायत में है कि आप (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में पूछा गया जिसने सर मुंडवाने से पहले क़ुर्बानी कर ली थी या क़ुर्बानी करने से पहले सर मुंडवा लिया था।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कोई हर्ज़ नहीं। अल ग़र्ज़ लोग आते थे बाज़ तो कहते थे कि, मैंने तवाफ़ से पहले सफ़ा व मरवा की सई कर ली और फ़लाँ चीज़ बाद में की और फ़लाँ काम पहले कर लिया।

आप (ﷺ) जवाब में यही फ़र्माते थे, 'कोई हर्ज़ नहीं। हर्ज़ और हलाक़त तो उस शख़्स पर है जिसने ज़ुल्म करके किसी मुस्लिम की बेइज़्ज़ती की।' (बुख़ारी/ अल हज्ज/ इज़ा रमा बअदा मा अमसा, अव हलाक़ा क़ब्ल : 1734, मुस्लिम/ अल हज्ज/ मन हलाका

क़ब्लन्नहर, अव नहरा क़ब्लर्रमा : 1306, तिर्मिज़ी/ अल हज/ माजाअ फ़ीमन हलाक़ा क़ब्ला अय्यंज़बहा, अव नहरा क़ब्ला अय्यंरमि : 916, इब्ने माजा/ अल मनासिक/ मन क़दमा नुसुकन क़ब्ला नुसुकिन : 3049)

========================

सवाल : हज़रत कअ़ब बिन उ़ज़रः (रज़ि.) को जुओं ने बहुत सता रखा था

जवाब : आप (ﷺ) ने हुक्म दिया, 'वो एहराम की हालत में ही अपना सर मुँडवा दें और एक बकरी ज़िब्ह कर दे या छः मिस्कीनों को खाना खिला दें या तीन रोज़े रख लें' (**बुख़ारी**/ अल मुहस्सिर/ क़ूलुल्लाहि तआला (फ़मन काना मरीजन अव बिही अज़म्मिर्रासिही ...) : 1814, **मुस्लिम**/ अल हज/ जवाज़ु हल्क़ुर्रअसि लिल महरिमि इज़ा काना बिही अज़ा : 1201, **तिर्मिज़ी**/ अल हज/ माजाअ फ़िल महरिमि बि हल्कि रअसिही फ़ी एहरामिही वमा अलैहि : 953, **मालिक**/ अल हज/ फ़िद्यतुन मन हलाक़ा क़ब्ला अय्यनहर : 954)

========================

क़ुर्बानी के जानवरों के बारे में अहकाम

सवाल : एक शख़्स क़ुर्बानी का ऊँट साथ लेकर जा रहा था।

जवाब : आप (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया, 'उस पर सवार हो जाए।' (**बुख़ारी**/ अल हज/ रुकूबुल बदानि : 1689, **मुस्लिम**/ अल हज/ जवाज़ु रुकूबुल बदनति : 1322)

========================

सवाल : हज़रत नाजिया ख़ुज़ाई (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से क़ुर्बानी के जानवरों की निस्बत सवाल किया जो रास्ते में गिर जाएँ और चलने के क़ाबिल न रहें।

जवाब : आप (ﷺ) फ़र्माया, 'वहीं उन्हें ज़िब्ह कर दो और उनकी जूतियाँ उनके ख़ून में डुबोकर उनकी गर्दन पर निशान कर दो। उस जानवर को न ख़ुद खाओ न अपने साथियों में से किसी को खिलाओ बल्कि और आम लोगों को इज़्न दे दो कि वह इसका गोश्त ले जाएँ और खा लें।' (**अबू दाऊद**/ अल मनासिक/ फ़िल हदयि इज़ा अतब क़ब्ला अय्यबलगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम : 1762, **तिर्मिज़ी**/ अल हज/ माजाअ इज़ा अतबल हदिया मा यसनउ बिही : 910, **इब्ने माजा**/ अल मनासिक/ अल हद्यु इज़ा अतब अव ज़ल्ला : 862)

========================

क़ुर्बानी और ईदुल अज़्हा के मसाइल

सवाल : हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि मैंने क़ुर्बानी हज के लिए निहायत ही आला ऊँटनी तीन सौ अशरफ़ियों

की ख़रीदी है, अगर आप (ﷺ) इजाज़त दें तो मैं उसे बेच करके उस क़ीमत से बहुत से जानवर ख़रीद लूँ और उन सबकी क़ुर्बानी दे दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर्गिज़ नहीं! उसी की क़ुर्बानी दो।' (अबू दाऊद/ अल हज/ तब्दीलुल हदया : 1756, अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/ 145 जईफुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि यह क़ुर्बानियाँ क्या हैं ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) की सुन्नत हैं।'

उन्होंने पूछा, फिर या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे लिए इसमें क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर-हर बाल के बदले एक नेकी' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/368)

उन्होंने पूछा, अच्छा! तो या रसूलल्लाह (ﷺ)! उनके रोयें की निस्बत क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर-हर रोएँ के बदले में एक नेकी।'

========================

सवाल : अमीरुल मुअमिनीन हज़रत अली (रज़ि.) ने पूछा कि हज्जे अकबर का कौनसा दिन है?

जवाब : आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'बक़रः ईद का।' (तिर्मिज़ी/ अल हज/ माजाअ फी यौमिल हज्जिल अकबरि : 957, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

अबू दाऊद में सहीह सनद से है कि बक़रः ईद वाले दिन जम्रों के दरम्यान खड़े होकर हज्जतुल विदाअ में आप (ﷺ) ने सहाबा से पूछा, 'यह कौनसा दिन है?'

सबने कहा, क़ुर्बानी का!

आप (ﷺ) फ़र्माया, 'यही हज्जे अकबर का दिन है।'

क़ुर्आन फ़र्माता है, 'अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की तरफ़ से लोगों में हज्जे अकबर के दिन ऐलाने आम है कि अल्लाह तआला और रसूल (ﷺ) मुश्रिकों से बरी हैं।' इस आयत का ऐलान इसी क़ुर्बानी के ईद के दिन ही हुआ था। सहीह हदीष़ में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से मरवी है कि आप (ﷺ) ने भी यही फ़र्माया,

'(यौमल् हज्जिल् अक्बरि यौमुन्नह्र)' (अबू दाऊद/ अल मनासिक/ यौमुल हज्जिल अकबरि : 1945, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

======================

सवाल : किसी ने नबी (ﷺ) से पूछा कि अगर मैं सिवाय उस मादा के जो तोहफ़े में मिली हो और जानवर न पाऊँ तो क्या उसी की क़ुर्बानी कर दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं बल्कि अपने बाल, नाख़ून और मूँछें तरशवा ज़ेरे नाफ़ के बाल उतार लो। तुम्हारी पूरी क़ुर्बानी अल्लाह के नज़दीक यही हो जाएगी।' (अबू दाऊद/ अज़्ज़हाया/ माजाअ फ़ी इज़ाबिल अज़ाही : 2789, निसाई/ अल अज़ाही/ मन लम यजिदिल अज़ाहिय्यह : 7/: 213)

इस हदीष़ में लफ़्ज़े (मन्यहतः) है। इससे मुराद वो बकरी है जो उसे दूसरे ने बतौरे तोहफ़े के लिए इसलिए दी हो कि उसके दूध से नफ़ा उठाए, उसकी क़ुर्बानी से इसलिए उसको रोक दिया गया कि यह उसकी मिल्कियत नहीं। दूसरे ने उसे एक मुक़र्रह वक़्त तक के लिए दिया है जिसके बाद उसे पहुँचाना लाज़मी अम्र है। इसलिए भी उसकी क़ुर्बानी नहीं हो सकती।

======================

सवाल : आप (ﷺ) ने अपने सात सहाबा किराम को जो आप (ﷺ) के साथ थे हुक्म दिया, हर एक ने एक–एक दिर्हम निकाला। उनसे एक क़ुर्बानी का जानवर ख़रीदा और कहने लगे, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! बहुत महंगा पड़ा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अफ़ज़ल क़ुर्बानी वो है जो बहुत क़ीमती, बहुत उम्दा और बहुत तन्दुरूस्त हो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/423)

फिर नबी (ﷺ) के हुक्म से एक ने एक पाँव पकड़ा, दूसरे ने दूसरा, तीसरे ने अगली एक टाँग, चौथे ने दूसरी एक टाँग, पाँचवें ने एक सींग, छटे ने दूसरा सींग और सातवें ने उसे ज़िब्ह कर दिया। इस पर तक्बीर सबने मिलकर पढ़ी।

याद रहे कि उन लोगों को एक गाय की क़ुर्बानी ने घर वालों के क़ायम मुक़ाम कर दिया। एक बकरी एक घर वालों की तरफ़ से काफ़ी होती है और यह इसलिए कि यह एक ही क़ाफ़िले के एक साथ हमसफ़र थे।

======================

सवाल : एक सहाबी (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि मेरे ज़िम्मे

एक ऊँट कुर्बान करना है मुझे इसकी ताक़त भी है लेकिन मिलता नहीं कि मैं उसे ख़रीद लूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने उन्हें फ़त्वा दिया कि 7 बकरियाँ ख़रीद कर ज़िब्ह कर डालो। (**इब्ने माजा**/ अल अजाही/ कम तुजज़िउ मिनल गनमि अनिल बदनति : 3136, **अहमद** फी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/311-312, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से बकरी के छः महीने वाले बच्चे की क़ुर्बानी के बाबत सवाल किया?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'तू उसे कुर्बान कर ले कोई हर्ज नहीं।' (**अबू दाऊद**/ अज़्ज़हाया/ मा यजू मिनस्सिन्ने फ़िज़्ज़हाया : 2798, **अहमद** फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/152, सहीहुन/ अल अलबानी रह. वल्लफ़्ज़ु लि अहमद)

=======================

सवाल : हज़रत अबू बर्दा बिन नय्यार (रज़ि.) आप (ﷺ) से उस बकरी की निस्बत सवाल करते हैं जिसे ईद वाले दिन ज़िब्ह किया था।

जवाब : आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या नमाज़े ईद से पहले ज़िब्ह कर लिया?'

उन्होंने कहा, जी हाँ!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तो वो गोश्त खाने की बकरी हुई।'

उन्होंने कहा, अच्छा! मेरे पास छः माह का बच्चा है जो मुझे तो दो दाँत वाले से भी ज़्यादा पसंद है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ैर तुम्हें तो वही काफ़ी है लेकिन तुम्हारे सिवा किसी को जाइज़ नहीं।' (**बुख़ारी**/ अल अज़ाही/ क़ौलुन्नबिय्यि (स.) लि अबी बुरदह : (जह बिल जज़इ) 5556, **मुस्लिम**/ अल उज़ाही/ वक़्तुहा : 1961, **अबू दाऊद**/ अज़्ज़ुहाया/ मा यजुज़ मिनस्सिन्नि फ़िज़्ज़हाया : 1800, **अहमद** फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/45)

यह सहीह और सरीह है इस बात में कि नमाज़े ईद से पहले कुर्बानी जाइज़ नहीं ख़्वाह वक़्त हो गया हो, ख़्वाह न हो। इसके सिवा का क़ौल क़त्अन ग़लत और बे बुनियाद है। चुनाँचे सहीहैन में जुंदुब बिन सुफ़ियान बजली (रज़ि.) से मरवी है कि नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसने ईद से पहले कुर्बानी कर ली हो उसे चाहिए कि उसके बदले और कुर्बानी करे, और जिसने हमारी नमाज़ पढ़ लेने तक कुर्बानी न की हो, वो अल्लाह का नाम लेकर कुर्बानी करे।' (**बुख़ारी**/ अल उज़ाही/ बाबु मन ज़बहा क़ब्लस्सलाति अअदा/ हदीष : 5562, **मुस्लिम**/ अल अज़ाही/ वक़्तहा : 1962, **निसाई**/ अल ईदैन/ ज़ब्हुल इमामि

यौमिल ईदि व अदद मा यज़िबहु : 20/ 192)

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जो शख़्स नमाज़ से पहले कुर्बानी कर चुका हो वो दुबारा करे। अब इस फ़र्मान के ख़िलाफ़ जिसका भी फ़त्वा हो वो शुमार (गिनती) में लाने के लायक भी नहीं है क्योंकि नबी (ﷺ) के फ़र्मान के साथ और किसी का क़ौल कोई चीज़ नहीं।

========================

सवाल : हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि मैंने दुम्बा क़ुर्बानी के लिए ख़रीदा, उस पर भेड़िये ने हमला कर दिया और उसकी दुम के पास से गोश्त का लोथड़ा ले गया। (मेरे लिए क्या हुक्म है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू उसकी कुर्बानी कर लो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/32)

========================

बारहवाँ बाब :

ज़िक्रे इलाही के फ़ज़ाइल

अल्लाह के ज़िक्र की फ़ज़ीलत

जब अल्लाह तआला की ज़ाते गिरामी मुस्लिमीन के नज़दीक महबूबतरीन हक़ीक़त (सबसे प्यारी सच्चाई) है और उसके अहकाम व सिफ़ात की रोशनी में, दीन का पूरा नक़्शा तरतीब पाता है तो ज़रूरी है कि इस वाला सिफ़ात के बयान से ज़ुबान आरास्ता (सुसज्जित) रहे और दिल उसकी मुहब्बत और ज़िक्र से माअमूर रहे। इसी मुनासिबत की पेशे नज़र ज़िक्र की तल्क़ीन क़ुर्आन में मुतअद्दिद मुक़ामात (अनेक स्थानों) पर मज़कूर (वर्णित) है और अहादीष़ में भी इसके फ़ज़ाइल और ख़ूबियों का जा बजा बयान है। ज़िक्र से दिल मुजल्ला होता है, मुहब्बत व तवद्दुद के रिश्ते उस्तुवार होते हैं और इंसान शैतानी अख़लाक़ से बड़ी हद तक मुख़लिसी (शुद्धता) हासिल कर लेता है। बशर्ते कि उसके साथ शऊर व आगही के अवामिल भी शामिल हों।

मुत्लक़ ज़िक्र भी अगरचे फ़वाइद व बरकात से तही नहीं क्योंकि यह ज़िक्रे हबीब ही की एक शक्ल है ताहम जो कैफ़, जो लज़्ज़त, और जो नूरे अस्मा व सिफ़ात के तदब्बुर व तफ़क्कुर में है वो सिर्फ़ ज़िक्र में नहीं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अस्मा व सिफ़ात में फ़िक्र व तामील का एक लम्हा बसा औक़ात महीनों और बरसों के ज़िक्र पर ग़ावित होता है। ज़िक्र के लिए मसाजिद बेहतरीन जगह है।

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) मुजाहिदीन में सबसे अफ़ज़ल अज्र व ष़वाब वाला कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने वाला।'

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) रोज़ेदारों में सबसे बड़े सवाब वाला कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने वाला।'

फिर इसी तरह नमाज़ का सवाल व जवाब है। यही जवाब व सवाल ज़कात का है और हज्ज के सवाल पर भी यही जवाब इनायत फ़र्माया है।

सदक़े के सवाल पर भी आप (ﷺ) ने यही फ़र्माया, 'सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र करने वाला अफ़ज़ल अज्र वाला है।'

तब हज़रत अबू बक्र (रज़ि.) ने हज़रत उमर (रज़ि.) से फ़र्माया कि फिर तो अल्लाह का ज़िक्र करने वाला ही सारी भलाइयाँ समेट कर ले गए।

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! यह बिल्कुल दुरुस्त हैं।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/438)

========================

सवाल : मुक़र्रिबीन के बारे में आप (ﷺ) से सवाल हुआ जो सबक़त वाले हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला का बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले। एक और रिवायत में है कि जो ज़िक्र अल्लाह के साथ मशहूर हैं उनके सारे बोझ ज़िक्र अल्लाह हल्के कर देता है। क़यामत के रोज़ यह गुनाहों से ख़ाली होंगे।' (तिर्मिज़ी/अद्दअवात/फ़िल अफ़ुव्वि वल आफ़ियह : 3596 ज़ईफ़ुन/ लिल अल्बानी रह.)

========================

अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) जन्नत के बाग़ीचे क्या हैं ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसें।' (तिर्मिज़ी/ अद्दअवात/ अस्माउल्लाहिल हुस्ना : 3510 हसनुन/ लिल अल्बानी रह)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारे माँ–बाप आप (ﷺ) पर क़ुर्बान हों यह तो बताइए कि वो अहले करम कौन है जिन्हें क़यामत के दिन कहा जाएगा कि आज मैदाने महशर के सब लोग जान लेंगे कि अहले करम कौन हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'यह वो लोग हैं जो मस्जिदों में अल्लाह तआला

की इज़्ज़त और बुलन्दी का ज़िक्र किया करते थे।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/68)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) ज़िक्रे इलाही की मजलिसों का इन्आम क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मजालिसे ज़िक्र का इन्आम जन्नत है।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/177)

========================

अल्लाह का ज़िक्र करने वालों की फ़ज़ीलत

सवाल : एक जमाअत ने ग़ज़वा किया और बहुत जल्द ग़नीमत हासिल करके वापिस आए लोग आपस में कहने सुनने लगे कि इनसे ज़्यादा जल्द लौटने वाले और इनसे ज़्यादा ग़नीमत का माल हासिल करने वाले और तो हमारी नज़र से नहीं गुज़रे।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हें इनसे भी जल्द लौटने वाले और इनसे भी ज़्यादा इन्आमी रक़म पाने वाले बतलाऊँ? वो लोग जो सुब्ह की नमाज़ पढ़ें और बैठे-बैठे अल्लाह का ज़िक्र करते रहें यहाँ तक कि सूरज निकल आए। यह सबसे ज़्यादा जल्द लौटने वाले और सबसे ज़्यादा ग़नीमत का माल हासिल करने वाले हैं।' (तिर्मिज़ी/ अद्दअवात/ 109: 3561, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/175 ज़ईफ़ुन/ लिल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! यह तो फ़र्माइए कि सबसे बेहतरीन लोग कौन हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो कि उनके चेहरों पर नज़र पड़ते ही यादे इलाही आ जाए।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/459)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबसे बेहतर, सबसे पाक, सबसे बड़े दर्जे का अमल अल्लाह के नज़दीक क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला अज़्ज़ व जल्ल का ज़िक्र।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/238)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे तो कोई ऐसी बात बतलाइए कि मैं उसे मज़बूत थाम लूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हमेशा ज़िक्रे अल्लाह में जुबान तर रखा करा।' (तिर्मिज़ी/ अद् दुआ/ माजाअ फ़ी फ़ज़्लिज़िक्र : 3375, इब्ने माजा/ अल अदब : 3793, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/190 सहीहुन/ लिल अल्बानी रह.)

=========================

दुआओं के बारे में सवालात

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! सबसे ज़्यादा कौनसी दुआ सुनी जाती है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पिछली आधी रात की और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद की।' (तिर्मिज़ी/ अदअवात/ इस्तेहबाबुदुआ फ़िस्सलाषिल अख़ीरे मिनल्लैल : 3499, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/114)

=========================

सवाल : फ़र्माते है, अज़ान और इक़ामत की दुआ रद्द नहीं की जाती तो सहाबा (रज़ि.) ने अर्ज़ किया कि, फिर हम क्या दुआ करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दुनिया व आख़िरत की आफ़ियत अल्लाह तआला से तलब करो। यानी यूँ कहो, (अल्लाहुम्म इन्ना नस्अलुकल् आफ़ियति फ़िद् दुन्या वल् आख़िरति)' (अबूदाऊद/ अस्सलात/ माजाअ फ़िद् दुआ बैनल अज़ानि वल इक़ामति : 521, तिर्मिज़ी/अदअवात/ फ़िल अफ़्वि वल आफ़ियह : 3594)

=========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम दुआ के ख़ात्मे पर क्या कहें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'आमीन पर दुआ को ख़त्म करो।'

(अबूदाऊद/ अस्सलातु/ अत्तअमीनु वराअल इमाम : 938)

=========================

बाक़ियातुस्सालिहात

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! पूरी नेअ़मत क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जन्नत का मिल जाना और जहन्नम से छूट जाना।'

(तिर्मिज़ी/अदअवात 94: 3527 ज़ईफ़ुन/ लिल अल्बानी रह.)

इलाही हम तुझसे तेरी पूरी नेअ़मत तलब करते हैं कि हमें जन्नतुल् फ़िर्दौस

मिल जाए और अज़ाबे जहन्नम से छुटकारा हासिल हो जाए। इलाही तू क़बूल फ़र्मा, आमीन!

======================

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! वो जल्दी क्या है जिससे दुआ क़बूल नहीं होती?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम में से एक आदमी की दुआ इतनी देर तक कुबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी न करे और वो यूँ कहने लगे कि मैंने दुआ की फिर की लेकिन क़बूल ही नहीं हुई यह कह कर गोया थक कर बैठ जाए और दुआ माँगना छोड़ दे। एक रिवायत में है मैंने अल्लाह से माँगा, फिर माँगा लेकिन मुझे तो कुछ न मिला।' (बुख़ारी/ अद्दअवात/ युस्तजाबु लिल अब्दि मालम युअज्जिल : 6340, मुस्लिम/ अज़्ज़िक्र वद् दुआ/ बयानु अन्नहू युसतजाबु लिद्दाई मालम युअज्जिल : 2735)

======================

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! बाक़ियातिस्सालिहात क्या हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '**(ला इलाहा इल्लल लाहु, सुब्हानल्लाहि, अल् हम्दुलिल्लाहि, वल्लाहु अक्बरु, व ला–हौल व–ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि)** का पढ़ना।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/71)

======================

सवाल : हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ने पूछा कि मुझे ऐसी दुआ सिखाइए जो नमाज़ में पढ़ता रहूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया यह पढ़ो, **(अल्लाहुम्म इन्नी ज़लम्तु नफ़्सी ज़ुल्मन् कसीरंव्वला यग़्फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्ता फ़ग़्फ़िरली मग़्फ़िरतम्मिन् इन्दक वर् हम्नी इन्नक अन्तल ग़फ़ूर्रुहीम)** (बुख़ारी/ अद्दअवात/ अद् दुआउ फ़िस्सलात : 6328, मुस्लिम/ अज़्ज़िकरू वद् दुआ/ इस्तिहबाबु ख़फ़ज़ुस्सवति बिज़्ज़िक्र : 2705)

======================

सवाल : एक अअराबी को आप (ﷺ) ने यह कलिमात सिखाए, (ला इलाहा इल्लल लाहु वह्दहु ला शरीकलहु, अल्लाहु अक्बरु कबीरंव्वल् हम्दुलिल्लाहि कसीरंव्व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन, व ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल् अज़ीज़िल हकीम) तो उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो सब मेरे परवरदिगार के लिए है मुझे मेरे लिए भी कुछ सिखाइये।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, ये दुआ माँगो, **अल्लाहुम्मग़्फ़िरली वर् हम्नी वहदिनी**

वर् ज़ुक़्नी व आफ़िनी. 'यानी इलाही मुझे बख़्श दे, मुझ पर रहम फ़र्मा, मुझे हिदायत दे, मुझे रोज़ी दे, मुझे आफ़ियत (ख़ैरियत) अता फ़र्मा।'

इसके बाद आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुन! यह दुआ तेरे लिए दुनिया व आख़िरत की भलाइयाँ जमा कर देगी।' (मुस्लिम/ अज़्किरु वद् दुआ/ फज़्लुत्तहलीलि वत्तस्बीहि वद् दुआ : 2696)

========================

जन्नत की क्यारियाँ

सवाल : जन्नत की क्यारियों की बाबत आप (ﷺ) से सवाल किया गया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो मस्जिदें हैं।'

पूछा गया, फिर ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! उन क्यारियों का फल क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '(**सुब्हानल्लाहि, अल् हम्दुलिल्लाहि, वल्लाहु अक्बरु, व ला–हौल व–ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल् अलिय्यिल् अज़ीम**)'कहना। (तिर्मिज़ी/ अद्दअवात/ अस्माउल्लाहिल हुस्ना : 3509 ज़ईफुन/ लिल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मुझे क़ुर्आन में से कुछ भी याद नहीं हो सकता तो मुझे वो सिखाइये जो मुझे किफ़ायत करे।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '(**सुब्हानल्लाहि, वल् हम्दुलिल्लाहि, व लाइलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु, व ला–हौल व–ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल् अलिय्यिल् अज़ीम**)'

उसने कहा, ऐ नबी (ﷺ)! यह तो सब कुछ अल्लाह तआला के लिए हुआ मेरे लिए क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह दुआ माँगो (**अल्लाहुम्मर् हम्नी वर् ज़ुक़्नी व आफ़िनी वह्दिनी**)

उसने अपने दोनों हाथों से इस तरह इशारा किया गोया कोई शख़्स कोई चीज़ ले रहा हो। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '**उसने अपने हाथ भलाई से पुर कर लिए।**' (अबूदाऊद/ अस्सलात/ मा युज्ञउल उम्मी वल अअजमी फ़िल क़िराअति : 832 हसनुन/ लिल अल्बानी रह.)

========================

जन्नत के पेड़

सवाल : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) को दरख़्त बो रहे थे, उन्हें देखकर

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं तुम्हें इससे भी बेहतर दरख़्त बोना बतलाऊँ?

उन्होंने कहा, क्यों नहीं! ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, सुनो! **सुब्हानल्लाहि, वल् हम्दुलिल्लाहि, व लाइलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु** में से हर कलमा एक बार कहने से तेरे लिए जन्नत में एक दरख़्त बोया जाएगा।' (**इब्ने माजा**/अल अदब/ फज्लुत्तस्बीह : 3807 सहीहुन/ लिल अल्बानी रह)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कोई ऐसी सूरत भी है जिससे हम में से कोई शख़्स हर दिन में एक हज़ार नेकी हासिल कर सके?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! सौ मर्तबा सुब्हानल्लाह कहने वाले के लिए 1000 नेकियाँ लिखी जाती हैं और उसकी 1000 ख़ताएँ मुआफ़ कर दी जाती हैं।'

(**मुस्लिम**/ अज़्ज़िक्रू वद् दुआ/ फज्लुत्तहलीलि वतस्बीहिद् दुआ : 2698)

======================

क़िरअ़ते-दम के ज़रिये इलाज

सवाल : एक शख़्स को बिच्छू ने काट खाया। उसने नबी (ﷺ) से ज़िक्र किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अगर शाम को यह कलिमात कहता तो उसे यह ज़रर् न पहुँचता, **अऊ़ज़ुबिकलिमातिल्लाहित्तामाति मिन् शर्रि मा ख़लक़.**

(**मुस्लिम**/ अज़्ज़िक्रू वद् दुआ/ अत्तअव्वुज मिन सूइल कज़ाए व दरकिश्शकाए : 2709)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे तो कोई तअ़व्वुज़ सिखा दीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह कहो! **अऊ़ज़ुबि-क मिन् शर्रि सम्ई़ व शर्रि ब-स़रि व शर्रि लिसानी व शर्रि क़ल्बि व शर्रि मनिय्यी.** 'यानी या अल्लाह मैं तुझसे अपने कानों की, अपनी आँखों की, अपनी ज़ुबान की, अपने दिल की, अपनी शर्मगाह की बुराई से पनाह चाहता हूँ।' (**निसाई**/ अल इस्तिआज़ह/ अल इस्तिआज़तु मिन् शर्रिस्समइ वल बसर : 5457 सहीहुन/ अल अल्बानी रह.)

======================

नबी करीम (ﷺ) पर दरूद के अल्फ़ाज़

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) आप (ﷺ) पर दरूद किन अल्फ़ाज़ में पढ़ें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यूँ कहो! **अल्लाहुम्म स़ल्लि अ़ला मुहम्मदिन् व अ़ला आले मुहम्मदिन कमा स़ल्लै-त अ़ला इब्राहीम व अ़ला आले इब्राहीम इन्नक हमीदुम्मजीद. अल्लाहुम्म बारिक अ़ला मुहम्मदिन व अ़ला आले मुहम्मदिन कमा बारकत अ़ला इब्राहीम व अ़ला आले इब्राहीम इन्नक हमीदुम्मजीद.**

(बुख़ारी/ अद्दअवात/ अस्सलातु अलन्नबी ﷺ : 6357, मुस्लिम/अस्सलात/ अस्सलातु अलन्नबिय्यि ﷺ बअदत्तशाहुद : 406, अबूदाऊद/अस्सलात/ अस्सलातु अलन्नबिय्यि ﷺ बअदत्तशाहुद : 976, तिर्मिज़ी/अस्सलात/सिफ़ातुस्सलाति अलन्नबिय्यि ﷺ : 483, निसाई/ अस्सहव/ नवउ आख़िरि मिनस्सलाति अलन्नबिय्यि ﷺ : 3/47)

========================

तेरहवाँ बाब :

माल, कमाई, कारोबार के मसाइल

अफ़ज़ल कमाई

सवाल : आँहज़रत (ﷺ) से पूछा गया, कौनसी कमाई अफ़ज़ल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इंसान का अपने हाथ से कोई काम करना और हर एक शरअ के मुताबिक़ तिजारत' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/141)

=========================

बेटे के माल पर बाप का हक़

सवाल : किसी ने रसूलल्लाह (ﷺ) से कहा कि मेरे पास माल भी है और औलाद भी, मेरा बाप मेरा माल फ़ना कर देना चाहता है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू और तेरा माल तेरे बाप की मिल्कियत है, तू जो कुछ खाता है उसमें सबसे ज़्यादा पाक चीज़ तेरी कमाई है, तुम्हारी औलाद के अम्वाल भी तुम्हारी कमाई ही है, बस तुम उसे शौक़ से सहता बचता खा–पी लिया करो।' (अबूदाऊद/ अल इजारह/ फ़िर्रजुलि यअकुलु मिम् मालि वलदिही : 3530, इब्ने माजा/ तिजारात/ मालिर्रजुलि मिम् मालि वलदिही : 2291, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/179 सहीहुन/ अल अल्बानी (रह.) वल्लफ़्ज़ु लि अहमद)

=========================

औरतों के लिये जाइज़ माल

सवाल : एक सहाबिया (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से कहा कि हम तो अपने बाप–दादों पर, अपने लड़कों पर, अपने ख़ाविन्दों पर बोझ हैं। ये तो

फ़र्माइए कि हमारे लिए उनके मालों में से क्या–क्या हलाल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तर चीज़ जो तुम खा लो या हद्ये में दे लो।' (अबूदाऊद/अज़्ज़कात/ अल मरअतुत्तसद्दक मिम् बैति ज़वजिहा : 1686 ज़इफ़ुन/ अल अल्बानी रह.)

हदीष़ में लफ़्ज़ 'रुतब' है उसके माअ़ने हज़रत उ़क़्बा (रज़ि.) ने बयान किये हैं कि मुराद उससे वो चीज़ है जो ज़्यादा देर तक अच्छी हालत में न रह सके।

========================

किताबुल्लाह पर मज़दूरी

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम किताबुल्लाह पर उजरत ले सकते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़े उजरत (मज़दूरी योग्य) चीज़ तो किताबुल्लाह (क़ुर्आन) ही है।' (बुख़ारी/ अत्तिब/ अश्शोसतु फ़िर्रुक़यति बि फ़ातिहतिल किताब : 5737)

इस रिवायत को हज़रत इमाम बुख़ारी (रह.) ने दम करने के क़िस्से में ज़िक्र किया है।

========================

सवाल : हज़रत उ़बादा बिन स़ामित (रज़ि.) आप (ﷺ) से पूछा कि एक शख़्स ने मुझे बतौरे तोहफ़ा एक कमान दी है। मैंने उसे लिखना और क़ुर्आन सिखाया है। वो कमान कोई क़ीमती चीज़ नहीं। मैं उसे जिहाद में काम लाऊँगा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तू आग का तौक़ पहनना पसंद करता है तो उसे क़ुबूल कर ले।' (अबू दाऊद/ अल इजारहा/ फ़ी कसबिल मुअल्लिम : 3416, इब्ने माजा/ अत्तिजारातु/ अल अज्रु अला तअलीमिल क़ुर्आन : 2157, सहीह/ अल अलबानी रह.)

दूसरी हदीष़ (जो पहले गुज़र चुकी) में जो नबी (ﷺ) का फ़र्मान है, 'जिन चीज़ों पर तुम उजरत ले सकते हो उनमें से सबसे बेहतर चीज़ किताबुल्लाह है।'

(बुख़ारी/ अत्तिब/ अश्शुरूत फ़ी रुक़यति बि फ़ातिहातिल किताब : 5737)

वो इसके ख़िलाफ़ नहीं इसलिए कि वो दम करके उस पर उजरत लेने के बारे में है। तो इलाज की उजरत और चीज़ है चाहे वो क़ुर्आन से ही हो और क़ुर्आन सिखाने की उजरत और चीज़ है। इसलिये पहली (यानी इलाज की मज़दूरी) जाइज़ और दूसरी (यानी क़ुर्आन सिखाने की मज़दूरी) मना।

अल्लाह तआला अपने नबी (ﷺ) से फ़र्माता है, कुल मा अस् अलुकुम अलैहि मिन् अज्रिंव्-वमा अन मिनल मुतकल्लिफ़ीन. इन् हुव इल्ला ज़िक्रुल लिल्आलमीन. (तर्जुमा) 'कहो! कि मैं तुमसे इसकी उजरत नहीं माँगता और न मैं बनावट करने वालों में से हूँ। यह (कुर्आन) तो दुनियावालों के लिये नसीहत है।' (सूरह साद : 86-87)

दूसरी आयत में है, कुल मा सअलतुकुम मिन् अज्रिन् फ़हुवा लकुम. (तर्जुमा) 'मैं तुमसे जो उजरत चाहूँ वो तुम्हारे लिए ही है।' (सूरह सबा : 47)

एक और आयत में है, कुल मा अस्अलुकुम अलैही मिन् अज्रिन इल्ला मन् शा–अ अंय्यत्तख़िज इला रब्बिही सबीला (तर्जुमा) 'कहो! कि मैं तुमसे इस काम का कोई मुआवज़ा नहीं माँगता। हाँ! जो शख़्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ़ (जाने का) रास्ता इख़्तियार कर ले।' (सूरह फ़ुर्क़ान : 57)

अल्लाह का यह भी फ़र्मान है, इत्तबिऊ मल्ला यस् अलुकुम अज्रा. (तर्जुमा) 'उसकी पैरवी करो जो तुमसे उजरत नहीं माँगता।' (यासीन : 21)

पस तबलीग़े इस्लाम और कुर्आन पर उजरत लेना जाइज़ नहीं।

========================

बग़ैर माँगे मिलने वाला माल

सवाल : सुल्तानी माल की बाबत आँहज़रत (ﷺ) से पूछा गया तो आप (ﷺ) ने जवाब दिया कि,

जवाब : बग़ैर सवाल के, बग़ैर लालच के जो कुछ अल्लाह तआला तुझे दे वो ले ले, और उसे अपना माल जान ले। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/195)

========================

पछने लगाने वग़ैरह पर मज़दूरी

सवाल : नबी (ﷺ) से पछने लगाने वाले की उजरत की निस्बत पूछा गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'उसे अपने ऊँट के चारे में और ग़ुलामों की ख़ुराक में ख़र्च कर दो।' (मालिक/ अल इस्तिअजाज़नु/ माजाअ फ़िल हजामति व उजरतिल हज्जाम : 1823, अबूदाऊद/ अल बुयूअ/ फ़ी कस्बिल हज्जाम : 3422, तिर्मिज़ी/ अल बुयूअ/ माजाअ फ़ी कस्बिल हज्जाम : 1277, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/436)

========================

जानवरों की जुफ़्ती पर उजरत

सवाल : एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा कि नर के कुदाने की उजरत के मुतअल्लिक़ आप (ﷺ) क्या फ़र्माते हैं ?

जवाब : आप (ﷺ) ने उससे मनाअ फ़र्मा दिया।

उसने कहा, 'हमें इसमें बतौरे इकराम लोग कुछ दे दिया करते हैं।

आप (ﷺ) ने उसकी रुख़सत (छूट) दे दी।' (बुख़ारी/अल इजारह/ कस्बुल फ़ह्ल : 2284, तिर्मिज़ी/ अल बुयूअ/ माजाअ फ़ी कराहियति कस्बिल फ़ह्ल : 1274, निसाई/ अल बुयूअ/ बैउजराबुल जमल : 7/310)

यह ह़दीष़ ह़सन है, इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे रिवायत किया है।

========================

सवाल : आप (ﷺ) ने क़सामः से मनाअ किया तो पूछा गया कि क़सामः क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कोई शख़्स जो लोगों के क़बीलों पर हो, फिर उसके हिस्से में से अपना हिस्सा ले और उस हिस्से में से अपना हिस्सा ले।' (अबू दाऊद/ अल जिहाद/ फ़ी कराइल मकासमी : 2784, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

========================

ह़लाल व ह़राम के मसाइल

सवाल : ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! पालतू गधों की निस्बत क्या फ़र्मान है?

जवाब : इर्शाद हुआ, 'जो मेरी रिसालत की गवाही देता हो उसके लिए हलाल नहीं।' (बुख़ारी/ अज़्ज़बएह् वस्सैद/ लुहूमुल हुमूरिल इन्सिय्यह : 5523, मुस्लिम/ अस्सैद वज़्ज़बाएह्/ तहरीमु अक्लु लहमिल हुमुरिल इन्सिय्यह : 1407)

यानी पालतू गधों के गोश्त को खाने से आप (ﷺ) ने मना फ़र्माया है।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! लहसुन ह़राम है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं! ह़राम तो नहीं, लेकिन उसकी बदबू की वजह से वो मुझे अच्छा नहीं लगता।' (मुस्लिम/ अल अश्रिबह/ इबाहतु अक्लुस्सौम : 2053)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हमारे लिए प्याज़ हलाल है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! हलाल है लेकिन मेरे पास फ़रिश्ते आते हैं जो तुम्हारे पास नहीं आते।' (अहमद फ़ी कताबिही (अल मुस्नद) : 4/414)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) क्या जब्ब (एक क़िस्म का जानवर) हराम है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं हराम तो नहीं, लेकिन चूँकि मेरी क़ौम की ज़मीन में नहीं होता इसलिए मुझे घिन आती है।' (बुख़ारी/ अज़्ज़बएहु वस्सैद/ अज़्ज़ब : 5537, मुस्लिम/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ इबाहतुज़्ज़ब : 1945)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! घी, पनीर और मक्खन की बाबत आप (ﷺ) क्या फ़र्माते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हलाल वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हलाल किया है और हराम वो है जिसे अल्लाह ने अपनी किताब में हराम कर दिया है। जिनसे हक़ तआला ख़ामोश रहा है वो उसका मुआफ़ कर्दा है।' (इब्ने माजा/ अल अतइमहु/ अक्लुल ज़ुब्नि वस्समनि : 3367, हसन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) ज़ब्आ के बारे में आप (ﷺ) का क्या इर्शाद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या ज़ब्आ को भी कोई खाता है?' (तिर्मिज़ी/ अल अतइमहु/ माजाअ फ़ी अक्लिज़्ज़बअ : 1792, इब्ने माजा/ अस्सैदु वज़्ज़बाइहु/ अज़्ज़बअ : 3237, ज़ईफ़ अल अस्नाद/ अल अलबानी रह.)

ज़ब्आ, बिज्जू नाम के जानवर को कहते हैं जो आम तौर पर क़ब्रस्तानों में रहता है।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़ब्अ के बारे में आप (ﷺ) का इर्शादे आली क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे कौन खाता है?' (इब्ने माजा/ अस्सैदु वज़्ज़बएहु : 3235, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

यह याद रहे कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) से एक हदीष़ मरवी है जिसमें ज़ब्अ की हिल्लत (हलाल होने का ज़िक्र) है अगर वो हदीष़ ष़ाबित हो जाए और उसकी सनद से ज़रा दिल में खटका है तो दोनों हदीष़ों में तत्बीक़ यह है कि अज़रूए घिन, दिल के न चाहने

की वजह से आप (ﷺ) ने मुमानिअत फ़र्माई, यह नहीं कि हराम कर दिया हो। वल्लाहु अअ़लम!

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) भेड़िये के बारे में आप (ﷺ) क्या फ़र्माते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या कोई भलाई वाला शख़्स भेड़िये को भी खाएगा?' (तिर्मिज़ी/ अल अतइमहु/ माजाअ फी अक्लिज़्ज़बअ : 1792, इब्ने माजा/ अस्सैदु वज़्ज़बएहु/ अज़्ज़म्बु वफ़्फ़अलबु : 3235, ज़ईफुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! लोग हमारे पास गोश्त लाते हैं, क्या ख़बर ज़बीहा के वक़्त उन्होंने बिस्मिल्लाह भी कही है या नहीं?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'तुम बिस्मिल्लाह कहो और खा लो।' (बुख़ारी/ अज़्ज़बएहु वस्सैद/ ज़बीहतुल अअराबि वनह्वहुम : 5507, मालिक/ अज़्ज़बाएहु/ फ़ातिहातुल किताब : 1054)

========================

सवाल : यहूद बतौरे एतराज़ पूछते हैं कि इसकी क्या वजह है कि हम अपने हाथ से किसी जानवर की जान लें तो उसका खाना हलाल और जिसे ख़ुद अल्लाह मौत दे दे तो हराम हो जाए?

जवाब : इस पर यह आयत उतरी, (**ला तअ्कुलू मिम्मा लम्यज़्किरिस्मिल्लाहि अलैहि**) यानी नामे इलाही जिसके ज़िब्ह के वक़्त नहीं लिया गया उससे न खाओ।

इस हदीष़ में तो यहूद का ज़िक्र है लेकिन मशहूर यह है कि साइल (सवाल करने वाले) मुश्रिक थे और यही सहीह है, इसलिए कि यह सूरत मक्की है और इसलिए भी कि यहूदियों के यहाँ भी मुर्दा जानवर हराम है। जैसे मुस्लिमीन के यहाँ। फिर वो यह सवाल क्यों करते? और इसलिए भी कि अल्लाह सुब्हानहु व तआ़ला का क़ौल है, (**व इन्नश्शयातीनि .... लियुजादिलूकुम**) पस यह सवाल बतौरे मुजादले के थे और यहूद को इस मसले में मुजादले की कोई ज़रूरत ही न थी।

तिर्मिज़ी की हदीष़ से मअ़लूम होता है कि किसी मुस्लिम ने यह सवाल किया था। मुम्किन है कि असल सवाल मुश्रिक़ीन की तरफ़ से हो, किसी मुस्लिम ने भी समझने के लिए और जवाब मअ़लूम करने के लिए आप (ﷺ) से सवाल कर लिया हो, बाक़ी यहूद का ज़िक्र तो किसी रावी का वहम ही है। (अबू दाऊद/ अज़्ज़हाया/ फी ज़बाएहि अह्लुल किताब : 2819, तिर्मिज़ी/ अत्तफ़सीर/ वमिन सूरतिल अनआम : 3069) वल्लाहु अअ़लम!

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! गोश्त खाने से मेरी शहवत भड़क उठती है, इसलिए मैंने गोश्त खाना अपने ऊपर हराम कर लिया है।

जवाब : इस पर यह आयत नाज़िल हुई, (**या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रमू ....**) 'ऐ ईमान वालों! अल्लाह की हलाल कर्दा पाक चीज़ों को अपने ऊपर हराम न कर लिया करो। हद से आगे क़दम न रखो वरना अल्लाह के दुश्मन ठहर जाओगे। हलाल तय्यिब रोज़ी अल्लाह का अतिया है खाओ पियो।' (तिर्मिज़ी/ अत्तफ़सीर/ वमिन सूरतिल माएदह : 3054, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : हज़रत अबू हराम खुशनी (रज़ि.) ने नबी करीम (ﷺ) के पास हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि हम अहले किताब की बस्ती में रहते हैं। वो लोग सूअर का गोश्त खाते हैं, शराबें पीते हैं तो उनके बर्तनों को और हण्डिया को हम किस तरह इस्तेमाल में लाएँगे?

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'अगर और बर्तन तुम्हें न मिले तो उन्हें धोकर साफ़ करके उनमें पका लो। ()

पूछा गया, अच्छा! ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ) हम पर और क्या हलाल है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पालतू गधों का गोश्त न खाओ, किचलियों वाले दरिन्दे सब हराम हैं।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/193)

=======================

:: फ़त्वा :: सहीह मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से साबित है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर किचली वाले दरिन्दे का खाना हराम है।' (मुस्लिम/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ तहरीमु अक्लु कुल्लु ज़ीनाबिन मिनस्सबाई वकुल्लु ज़ी मिख़लबिम मिनत्तैरि : 1933)

इन दोनों रिवायतों से उन लोगों की तावील कट जाती है जो कहते हैं कि यह मनाअ फ़र्माना बतौरे कराहत के है न कि बतौरे हुर्मत के यह तावील बिल्कुल फ़ासिद और महज़ ग़लत है।

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) क्या ज़बीहा गले में और नर ख़रे पर ही होता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तू रान में भी चर्का लगा दे तो काफ़ी है।' (अबू दाऊद/ अज़्ज़हाया/ माजाअ फ़ी ज़बीहतिल मुतारद्दियह : 2825, मुनकर/ अल अलबानी रह.)

यह याद रहे कि यह सूरत ज़बीहे की उस जानवर के बारे में है जो कुंए में या गढ़े में गिर गया हो। जहाँ ज़रूरत हो। जहाँ कुदरत न हो।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! ऊँट, बकरी या गाय ज़िब्ह करें और उसके पेट से बच्चा निकले तो क्या हम उसे फेंक दे या खा लें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर चाहो तो खा सकते हो उसकी माँ का ज़बीहा उसका ज़बीहा है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/31, अबू दाऊद/ अज़्ज़हाया/ माजाअ फ़ी ज़कातिल जनीन : 2827, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

इससे उन लोगों की तावील बातिल हो गई जो कहते हैं खा तो लें लेकिन ज़िब्ह करके। यह ग़लत है क्योंकि आप (ﷺ) ने ख़ुद इर्शाद फ़र्माया है कि उसकी माँ का ज़बीहा उसका ज़बीहा है और इसलिए कि यह उसका एक जुज़ है तो जिस तरह इसके और अज़्ज़ा को अलग–अलग ज़िब्ह करने की ज़रूरत नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं।

========================

सवाल : जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के लिए निकले हुए सहाबा किराम में से एक सहाबी सय्यिदना राफ़ेअ बिन ख़द्दीज (रज़ि.) पूछते हैं, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम कल दुश्मन से भिड़ जाएँगे, और दौराने सफ़र हमारे पास छुरियाँ नहीं हैं, तो क्या हम शिकार के जानवरों को बांस के टुकड़ों से ज़िब्ह कर सकते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो चीज़ ख़ून बहा दे और उस पर नामे इलाही भी लिया जाए उसे खा लो, हाँ! दाँत और नाख़ून से ज़बीहा न हो, दाँत तो हड्डी है और नाख़ून हब्शी की छुरी है।' (बुख़ारी/ अज़्ज़बाएहु वस्सैद/ मा अनहरद्दमा मिनल क़सबि वल मरवति वल हदीद : 5503, मुस्लिम/ अलउज़ाही/ जवाज़ुज़्ज़बहि बि कुल्लि मा अनहरद्दमा इल्लस्सिन्न : 1968)

========================

सवाल : हज़रत अदी बिन हातिम ताई (रज़ि.) ने सवाल किया कि शिकार मिला, छुरी पास नहीं तो क्या धारदार पत्थर से ज़िब्ह कर लें और नोकदार लकड़ी से ज़िब्ह कर लें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ून बहा दे और नामे इलाही ले लो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/ 256, इब्ने हिब्बान/ अल बिर्र वल इहसान : 332)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक बकरी मरने लगी, लौण्डी ने धारदार पत्थर लेकर उसे ज़िब्ह कर दिया? क्या उसका खाना लेना जाइज़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने उसे खा लेने का हुक्म दे दिया। (बुख़ारी/ अज़्ज़बाएहु वस्सैद/ ज़बीहतुल मरअति वल अमति : 5505)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) भेड़िये ने बकरी पर पंजा मार दिया, उसे धारदार पत्थर से हमने ज़िब्ह कर लिया?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जाओ खा लो। (निसाई/ अज़्ज़हाया/ इबाहतुज़्ज़बहि बिल मरवति : 4400, इब्ने माजा/ अज़्ज़बाएहु/ मा युज़क्का बिही : 3176, सहीहुन अलबानी रह.)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) पानी हट गया और एक मुर्दा मछली वहाँ पड़ी पाई?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'शौक़ से खाओ, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रोज़ी निकाल दी है, अगर तुम्हारे पास हो तो हमें भी खिलाओ।' (बुख़ारी/ अज़्ज़बाएहु/ क़ौलुहू तआला : (उहिल्ला लकुम सैदुल बहरि) : 5494, मुस्लिम/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ इबाहतु मयतातिल बहरि : 1935)

=======================

शिकार के मसाइल

सवाल : हज़रत अबू षअलबा (रज़ि.) ने सवाल किया कि हमारे यहाँ शिकार बहुत हैं, हम तीर कमान से ही शिकार खेलते हैं और अपने सधाए हुए कुत्तों से और बिना सधाए कुत्तों से भी, तो फ़र्माइए इसमें क्या–क्या दुरुस्त है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो शिकार तीर–कमान से खेला है और नामे इलाही भी उस पर ज़िक्र किया है वो तो खा लो। जो शिकार सधाए हुए कुत्तों से किया है और नामे इलाही उस पर लिया है वो भी खा लो। और जो शिकार बिना सधाए कुत्तों से किया है अगर उसके ज़िब्ह करने का मौक़ा मिल जाए तो उसे खा लो। इस हदीष से साफ़ मअलूम होता है कि नामे इलाही हिल्लत (यानी हलाल होने) में शर्त है। यह दलालत इसकी इससे भी ज़्यादा वाजेह है जितनी दलालत बिना सधाए कुत्तों के शिकार कर्दा जानवर न खाने की है।' (बुख़ारी/ अज़्ज़बाएहु वस्सैद/ माजाअ फ़ित्तसय्यिद : 5488, मुस्लिम/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ अस्सैदु बिल किलाबिल मुअल्लमह : 1930)

=======================

सवाल : हज़रत अदी बिन हातिम (रज़ि.) रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा कि मैं अपने सधाए हुए कुत्तों को शिकार पर छोड़ता हूँ, वो मेरे लिए शिकार को रोक रखता है, मैं उसे नामे इलाही पढ़कर छोड़ता हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तू अपने सधाए हुए शिकारी कुत्ते शिकार पर छोड़े और नामे इलाही भी तूने लिया हो तो जिस जानवर को वो पकड़ ले तू उसे खा सकता है।' ()

मैंने फिर पूछा, अगर कुत्ते ने उसे मार भी डाला हो तब?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'गो मार भी डाला हो बशर्ते कि उनमें उनका ग़ैर शामिल न हुआ हो।'

मैंने कहा, जो शिकार मैं अपने नेज़े से करूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब नोक से शिकार हुआ हो तो खा सकता है और वो जब अपनी चौड़ाई से लगा हो तो न खा।' (**बुख़ारी**/ अज़्ज़बाएहु वस्सैदु/ माजाअ फित्तसय्यिद : 5487, **मुस्लिम**/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ अस्सैदु बिल किलाबिल मुअल्लमाति : 1929, वल लफ़्ज़ु लि मुस्लिम)

इस ह़दीष़ के बा'ज़ अल्फ़ाज़ सहीह़ बुख़ारी में यूँ भी है, 'अगर कुत्ते ने शिकार पकड़ कर उसे खा लिया है तो तू उसे न खा। मुझे डर है कि इस सूरत में उसने तेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए शिकार को पकड़ा है। अगर शिकार पर तेरे छोड़े हुए कुत्तों के अलावा और कुत्ते भी लिपट गए हों तो भी न खा क्योंकि तूने नामे इलाही अपने कुत्तों पर लिया है औरों पर नहीं लिया।' (**बुख़ारी**/ अज़्ज़बाएहु वस्सैदु/ माजाअ फ़िल तसय्यिद : 5487, ह. : 175, **मुस्लिम**/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ अस्सैदु बिल किलाबिल मुअल्लमा : 1929)

और इसके बाज़ अल्फ़ाज़ में है, 'जब तू अपने सधाए हुए कुत्तों को छोड़े तो उस पर नामे इलाही लो। अगर वो तेरे लिए शिकार करे और तू शिकार को ज़िंदा पा ले तो उसको ज़िब्ह कर लो और अगर क़त्ल कर दिया गया हो तो और कुत्ते ने उसमें से कुछ खाया न हो तो उस शिकार को खा सकते हो क्योंकि ऐसे कुत्ते के ले लेने से वो पाक रहता है, और अगर तेरे कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता भी मिल जाए और जानवर मारा गया हो तो फिर उसे मत खा। इसलिए कि तुझे नहीं मअ़लूम कि उस शिकार को किसने मारा है?' (**मुस्लिम**/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ अस्सैदु बिल किलाबिल मुअल्लमह : 1929, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/255, वल्लफ़्ज़ु लिमुस्लिम इल्ला : फ़इन्ना अख़ज़हु ज़कातुहू)

सहीह़ मुस्लिम के अगले अल्फ़ाज़ यूँ है, 'जब तू तीर चलाए तो अल्लाह का नाम ज़िक्र कर ले अगर शिकार तीर खाकर एक रोज़ बाद तुझे मिले तो उसमें अपने तीर के निशान

के सिवा और कोई निशान न पाए तो उसके खाने का तुझे इख़्तियार है। अगर तू उसे पानी में डूबा हुआ पाए तो न खाना क्या पता ग़र्क़ाबी (यानी पानी में डूबने) से मरा या तेरे तीर से?' (मुस्लिम/ अस्सैदु वज़्ज़बाएहु/ अस्सैदु बिल किलाबिल मुअल्लमति : 1929)

======================

सवाल : हज़रत अबू सअ़लबा ख़ुशनी (रज़ि.) आप (ﷺ) से पूछते हैं कि मेरे पास सधाए हुए शिकारी कुत्ते हैं, मैं उनसे शिकार खेलता हूँ। उनसे मुतअल्लिक़ मुझे फ़त्वा दीजिए।

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़त्वा दिया, 'जिस जानवर को वो तेरे लिए पकड़ ले तू उसे खा सकता है।'

उन्होंने पूछा, जब उसे ज़िब्ह कर सकूँ तब? या ज़िब्ह न कर सकूँ तब?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दोनों हालतो में।'

उन्होंने पूछा, अगर कुत्ते ने उसमें से कुछ खा लिया हो तब भी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! खा लिया हो तब भी।'

फिर उन्होंने पूछा, अच्छा! या रसूलल्लाह (ﷺ)!! तीर –कमान के भी शिकार का फ़त्वा इनायत फ़र्माइए।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तीर से खेला हुआ शिकार भी खा सकते हो।'

फिर उन्होंने सवाल किया, ज़िब्ह किया हुआ और बिना ज़िब्ह किया हुआ दोनों? गो तीर खाकर ग़ायब हो गया हो फिर मिले जब भी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ फिर भी लेकिन यह शर्त है कि सड़ न गया हो। और उसमें तेरे तीर के सिवा और कोई निशान न हो।' (अबू दाऊद/ अस्सैदु/ फ़िस्सैदु : 2857, हसन/ सहीहुन/ सवा : वइन अक्ला मिनहु....मुनकर/ अल अलबानी रह.)

हज़रत अदी (रज़ि.) के सवाल में जो गुज़रा है कि अगर कुत्ते ने उसमें से खा लिया हो तो न खा और उसमें है कि फिर भी खा ले। इन दोनों फ़र्मान में तत्बीक़ यह है कि जब कुत्ता सधाया हुआ न हो और खा ले तो खाना नहीं चाहिए और अगर सधा हुआ कुत्ता खा ले तो उसका वही हुक्म है जो हुक्म ज़िब्ह के बअ़द खा लेने का है।

======================

सवाल : सहीह मुस्लिम शरीफ़ में है कि आप (ﷺ) से सवाल किया गया, उस शिकार के बारे में जो तीन के बाद मिले क्या इर्शाद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तक सड़ न जाए खा सकते हो।' (मुस्लिम/ अस्सैदु/ इज़ा ग़ाब अनहुस्सैदि थुम्मा वजदहु : 1931, अबू दाऊद/ अस्सैद/फी इत्तिबाइस्सैदि : 2861)

=======================

:: फ़त्वा :: एक घर के लोग जो मदीना मुनव्वरह के मुक़ाम में रहते थे और बहुत मुहताज व मुफ़्लिस थे, उनके पास उस घराने का या किसी और घराने का ऊँट मर गया था। उन्हें नबी (ﷺ) ने उसके खा लेने की रुख़सत दी। पस उसने उनकी सर्दियाँ बचा लीं।

(अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/68)

नोट : ये मसला शदीद मजबूरी का है जब जान बचाने के लिये इसके अलावा और कोई चारा न हो।

=======================

सवाल : एक शख़्स अपने अहलो–अयाल के साथ हर्रा में उतरा। उसे किसी और ने कहा कि मेरी ऊँटनी गुम हो गई है अगर मिल जाए तो पकड़ लेना, उसे मिल गई, पकड़ ली लेकिन मालिक नहीं मिला। वो बीमार पड़ गई। उसकी बीवी ने कहा कि उसे नह्र कर डालो। लेकिन वह न माना आखिर मरकर फूल गई। उसने कहा, इसकी ख़ाल उतार लो कि हम चर्बी के टुकड़े कर लें और गोश्त खाएँ। उसने कहा, नहीं! जब तक मैं रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछ न लूँ फिर वो हाज़िरे ख़िदमते नबवी में हुआ। आप (ﷺ) से सवाल किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारे पास इतना ग़िना (मालदारी) है कि तुम्हें बेपरवाह कर दे?'

उसने कहा, नहीं!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ खाओ।' (अबू दाऊद/ अल अतइमहु/ फ़िलमुजतर्रि इलल मय्यिति : 3816, हसनुन अल अस्नाद/ अल अलबानी रह.)

उसके बाद उसके मालिक से मुलाक़ात हुई, उसने सारा क़िस्सा सुनाया, उसने कहा, तुमने उसे नह्र क्यूँ न कर डाला। उसने जवाब दिया आप के लिहाज़ से। यह हदीष़ दलील है कि मुज़तर मुरदार को अपने लिए रोक सकता है।

=======================

सवाल : एक सहाबी ने आप (ﷺ) से पूछा कि बाज़ खाने की चीज़ों से तबीयत

नफ़रत करती है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरे दिल में कोई चीज़ ऐसी न खटकनी चाहिए जिसमें तुझे नस्रानियत से मुशाबिहत (ईसाइयत से समरूपता) हो जाए।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/226)

हक़ीक़ी इल्म तो अल्लाह ही को है, बज़ाहिर इसके मअ़ने यह मअ़लूम होते हैं कि मनाही उससे है जो नस्रानियों के खाने से मुशाबिह हो। मतलब यह है कि उसमें शक न कर बल्कि उसे छोड़ दे। पस यह जवाब ख़ास है। यहूदियों को बयान न करना सिर्फ़ इसलिए है कि नसारा किसी खाने को हराम नहीं समझते बल्कि उनके यहाँ तो हाथी से लेकर मच्छर तक सब जानवर हलाल हैं।

========================

सवाल : आपसे गिरगिट के मार डालने का सवाल हुआ?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब में उसके मार डालने का हुक्म दिया। (बुख़ारी/ अहादीसुल अंबिया/ कौलुहू तआला : (वत्तख़जल्लाहु इब्राहीमा ख़लीला) : 3359, मुस्लिम/ अस्सलाम/ इस्तिहबाबू क़त्लुल वज़्ग़)

========================

सवाल : हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर हम पर ऐसे अमीर हों जो आप (ﷺ) की सुन्नतों को सुन्नत न बनाएँ। आप (ﷺ) के अहकाम को न लें तो उनके बारे आप (ﷺ) क्या फ़र्माते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो अल्लाह तआला की हुक्मबरदारी न करे उसकी कोई हुक्मबरदारी नहीं।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 179)

========================

ख़रीद व फ़रोख़्त के मसाइल

सवाल : जब रसूलल्लाह (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) को ख़बर दी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उन पर शराब, मुरदार, ख़िंज़ीर व बुतो की बैअ़ (ख़रीद–फ़रोख़्त) हराम कर दी है तो उन्होंने सवाल किया कि मुरदार की चर्बी की निस्बत क्या हुक्म है? उसमें किश्तियाँ रंगी जाती हैं, खालों पर मला जाता है, रातों को चराग़ में जलाया जाता है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं, वो हराम है।'

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला यहूद को ग़ारत करे जब उन पर

चर्बियाँ हराम हुई तो उन्होंने उन्हें पिघलाकर बेच डाला और उनकी क़ीमत खाई।' (बुखारी/ अत्तफ़सीर/ (वअलल्लज़ीना हादू हर्रमना कुल्लज़ी ज़ुफ़ुर) : 4633, मुस्लिम/ अल मसाक़ातु/ तहरीम बैउल खमरि वल मयतति वल ख़िंज़ीरि, वल असनामि : 1581)

आप (ﷺ) के इस फ़र्मान के कि वो हराम है, दो मतलब किये गए हैं, एक तो यह कि यह अफ़आल (सारे काम) हराम हैं, दूसरा यह कि यह बैअ (तिजारत) हराम है अगरचे यह ख़रीददार उसे इसीलिए ख़रीदता हो। यह दोनों क़ौल मबनी है उस पर कि उनका सवाल इस फ़ायदे के लिए बैअ करने के मुतअल्लिक़ था या उस नफ़ा से मुतअल्लिक़।

पहली बात हमारे उस्ताद (रह.) की पसंदीदा है और यही ज़्यादा ज़ाहिर है इसलिए कि आप (ﷺ) ने उन्हें पहले इस नफ़अ उठाने की हुर्मत की ख़बर नहीं दी थी कि वो अपनी हाज़त का ज़िक्र आप (ﷺ) से करते बल्कि आप (ﷺ) ने सिर्फ़ उसकी बैअ की हुर्मत बयान फ़र्माई थी तो उन्होंने बतलाया कि उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त उन अग़राज़ (कारणों) से थी फिर भी आप (ﷺ) ने उन्हें बैअ की रुख़सत नहीं दी। हाँ, उनके बयान कर्दा नफ़ा से उनकी मुमानिअत भी नहीं की। यह याद रहे कि बैअ के जवाज़ में और नफ़ा उठाने के हलाल होने में तलाज़ुम नहीं, वल्लाहु अअलम!

========================

सवाल : हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने उन यतीमों की बाबत आप (ﷺ) से सवाल किया जिन्हें विरासत में शराब मिली थी।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे बहा दो, फेंक दो।'

उन्होंने फिर कहा कि अगर नबी (ﷺ) इजाज़त दें तो उसका सिर्का बना लें?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर्गिज़ नहीं।' (अबू दाऊद/ अल अशरिबह/ माजाअ फ़िल खमरि तखल्लुल : 3675, तिर्मिज़ी/ अल बुयूअ/ अन्नही अय्यँत्तखिज़ल खमरा खल्लन : 1294, अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/119 सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत अबूतलहा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी परवरिश में जो यतीम हैं मैंने उनके लिए शराब ख़रीदी है। (फ़र्माइए! इस बारे में क्या हुक्म है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उस शराब को बहा दो और उन बर्तनों को तोड़ दो' (तिर्मिज़ी/ अल बुयूअ/ माजाअ फी बैइल खमरि वन्नही अन ज़ालिका : 1293 हसनुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत हकीम बिन हिज़ाम (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि ग्राहक मेरे पास आता है मुझसे किसी चीज़ का सौदा करता है जो मेरे यहाँ नहीं तो क्या मैं उससे दाम वग़ैरह चुकाकर बाज़ार से उसे ख़रीद कर उसे दे दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो तेरे पास नहीं उसकी बैअ न कर।'

(अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/402)

=======================

सवाल : एक शख़्स ने पूछा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं व्यापारी आदमी हूँ तो मुझे हलाल व हराम बैअ की ख़बर दीजिए।

जवाब : आप(ﷺ) ने फ़र्माया, 'भतीजे किसी चीज़ को क़ब्ज़े में लाने से पहले न बेचा करो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/402)

निसाई की एक हदीष़ में है कि मैंने तआमे सद्के में से कुछ ख़रीदा, अभी उसे अपने क़ब्ज़े में न लिया था कि इससे पहले ही उसे बहुत से नफ़अ में लेने वाले ग्राहक आ गए। मैंने नबी (ﷺ) से उसके बेचने की इजाज़त माँगी तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तक उसे क़ब्ज़े में लाओ न बेचो।'

=======================

सवाल : फलों को दरख़्तों पर बेचना किस हाल में जाइज़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब उनमें सुर्ख़ी या ज़र्दी (लाली या पीलापन) आ जाए और उनमें से कुछ खाने के क़ाबिल हो जाएँ।' (बुख़ारी/ अल बुयूअ/ बैउष्षिमारि क़ब्ला अय्यँबदु सलाहहा : 2196, मुस्लिम/ अल बुयूअ/ अन्नही अनिल मुहाक़िलाह वल मुज़ाबिनह : 1536, अबू दाऊद/ अल बुयूअ/ बैउष्षिमारि क़ब्ल अय्यँब्दु सुलाहहा : 3370, निसाई/ अल बुयूअ/ बैउष्ष़मरि क़ब्ल अय्यँब्दु सुलाहिहा : 4523)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! किस चीज़ का मनाअ करना जाइज़ नहीं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पानी का।'

उसने फिर यही सवाल किया।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नमक का।'

उसने कहा, फिर और क्या चीज़?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'आग का।'

उसने फिर यही सवाल किया?

तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू जो भलाई करे वही तेरे हक़ में बेहतर है' (अबू दाऊद/ अज़्ज़कात/ माला यजज़ु मनअहहू : 1669, इब्ने माजा/ अर्रहून/ अल मुस्लिमून शोरोकाआ फ़ी पलाप़ : 2474, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : एक सहाबी व्यापार में अमूमन धोखा खा जाया करते थे, कुछ ज़्यादा ऊँच–नीच की समझ न होने के बाइस़। तो लोगों ने रसूलल्लाह (ﷺ) से इल्तिज़ा की कि उसकी बैअ रोक दी जाए। आप (ﷺ) ने उसे मना फ़र्मा दिया लेकिन उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझसे सब्र नहीं हो सकता।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छा जब तू सौदा करे तो कह दिया कर कि कोई धोखा न हो।' (बुख़ारी/ अल बुयूअ/ मा यकरुहू मिनल ख़िदाइ फ़िल बैई : 2117, मुस्लिम/ अल बुयूअ/ मय्यख़्दआ फ़िल बुयूअ : 1533, अबू दाऊद/ अल इजारह/ फ़िर्रजुलि यक़ूलु इन्दल बैई : ला ख़लाबह : 3500, निसाई/ अल बुयूअ/ अल ख़दीअतु फ़िल बुयूअ : 4485, मालिक/ अल बुयूअ/ जामिउल बुयूअ : 2/685)

========================

सवाल : एक साहब ने एक गुलाम ख़रीदा और वो उसके पास जब तक अल्लाह ने चाहा रहा। फिर उसे उसकी ऐबदारी मअलूम हुई तो जिससे ख़रीदा था उसे वापिस कर दिया। उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसने जो नफ़ा मेरे गुलाम से उठाया है वो मुझे मिलना चाहिए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसका मुस्तह़िक़ वो है जिस पर उसकी ज़िम्मेदारी हो।' (अबू दाऊद/ अल इजारह/ फ़ीमानिश्तरा अबदन अफ़ाइसतअमलहू थुम्मा वजाद बिही ऐबन : 3508, तिर्मिज़ी/ अल बुयूअ/ माजाअ फ़ी मय्यँशतरिल अब्द वयस्तग़िल्लहु : 1285 हसन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मैं ख़रीद व फ़रोख़्त करती हूँ तो जो चीज़ मुझे लेनी होती है उसकी जो क़ीमत मैं जाँचती हूँ उससे कम लगाती हूँ फिर अगर वो इंकार करे तो बढ़ाते–बढ़ाते वहाँ तक पहुँचा देती हूँ। इसी तरह जो चीज़ बेचती हूँ उसकी जो क़ीमत मुझे लेनी होती है उससे ज़्यादा बतलाती हूँ, ग्राहक न माने तो घटाकर वही ले लेती हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐसा न करो जब ख़रीदना चाहो, आख़िरी दाम कह दो मिले या न मिले। इसी तरह बेचते हुए भी एक बात कह दो, कोई ले या न ले।'

(इब्ने माजा/ अत्तिजाराति/ अस्सीम : 2204, जईफ़/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : हज़रत बिलाल (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि रूमी ख़जूरें दो स़ाअ देकर उम्दा ख़जूरों का एक स़ाअ मैं ले लेता हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ओह! यह तो बिल्कुल ही सूद है, ऐसा न करा अपनी ख़जूरें सब बेच दे और उनकी क़ीमत से और ख़रीद ले।' (मुस्लिम/ अलमसाका/ बैउत्तआमि मषलन बि मषल : 1594)

=======================

सवाल : हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से पूछा कि मैंने और मेरे शरीक ने सर्राफ़ा किया है, कुछ तो नक़द है और कुछ उधार है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो नक़द है उसे तुम ले लो और जो उधार है उसे तुम छोड़ दो।' (बुख़ारी/ अश्शरिकत : 2497)

यह हदीष़ स़ाफ़ है कि सरफ़ि में उधार और नक़द के हुक्म में तफ़रीक़ (फ़र्क़) है। निसाई में है कि हज़रत बराअ (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैं और हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (रज़ि.) आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में तिजारत पेशा थे। हमने सोने चाँदी के तबादले की निस्वत आप (ﷺ) से सवाल किया।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नक़द हो तो कोई हर्ज नहीं और उधार हो तो दुरुस्त नहीं।' (निसाई, हा : 4576, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : हज़रत फ़ुज़ाला बिन उबैद ने ख़ैबर वाले दिन एक हार 12 दीनार में लिया। उसमें सोना भी था और ख़र मुह्रे भी थे। जब सोना अलग किया तो वो 12 दीनार से भी ज़्यादा निकला। आप (ﷺ) से पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तक ख़र् मुह्रे और सोना अलग–अलग न कर दिया जाए ख़रीद व फ़रोख़्त न की जाए।' (मुस्लिम/ अल क़सामह/ बैउलक़लादति फ़ीहा खरजुन व ज़हब : 1591)

यह हदीष़ दलालत करती है कि मद् अज्वा का मसला जाइज़ नहीं। जबकि एक तरफ़ वही इवज़ हो जो दूसरी जानिब है और कुछ ज़्यादती हो, यह सरीह सूद है। ठीक बात यही है कि मनाअ इसी स़ूरत के साथ मख़्सूस है जो इस हदीष़ में बयान हुई है और जो स़ूरतें इस जैसी और हों।

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक घोड़े को कई घोड़ों के बदले और एक ऊँटनी को कई ऊँटनियों के बदले बेचने में कोई हर्ज़ तो नहीं?

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'मुतलक़न् नहीं! लेकिन मुआमला नक़दानक़द होना चाहिए।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/109)

=======================

सवाल : हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से पूछा कि मैं सोने को चाँदी के बदले ख़रीदता हूँ तो कोई हर्ज़ तो नहीं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कोई हर्ज़ नहीं, लेकिन लेन-देन वाला मुआमला चुकाकर, साफ़ करके, ख़त्म करके अलग हों, कुछ भी दरम्यान में अटकाव या झुकाव न हो।'

एक रिवायत में है, मैं ऊँट फ़रोख़्त करता था और सोना, चाँदी के बदले और चाँदी, सोने के बदले लिया करता था। दीनार, दिर्हमों से और दिर्हम, दीनारों से बदला करता था। मैंने नबी (ﷺ) से एक बार मसला पूछा तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नक़्दानक़्दो लेन-देन हो। दोनों में से एक भी दूसरे से इस हाल में जुदा न हो कि अभी मुआमला कुछ बाक़ी हो।' (इब्ने माजा/ अत्तिजारतु/ इक्तिज़ाउज़्ज़हबि मिनल वरक़ि, वल वरकु मिनज़्ज़हबि : 2262, ज़ईफ़/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : इसी की तफ़्सीर गोया अबू दाऊद की इस हदीष के अल्फ़ाज़ में है कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं बक़ीअ में ऊँट फ़रोख़्त करता हूँ। दीनारों के बदले बेचता हूँ और दिर्हम लेता हूँ और दिर्हमों के बदले बेचता हूँ और दीनार लेता हूँ। यह इसके बदले और वो उसके बदले देता रहता हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसी दिन के भाव से लेने देने में कोई हर्ज़ नहीं। जब तक तुम दोनों इस हालत में जुदा होते हो कि तुममें कुछ भी बाक़ी न रहता हो।' (अबू दाऊद/ अल बुयूअ/ फ़ी इक्तिज़ाउज़्ज़हबि मिनल वरक़ि : 3354, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/84)

=======================

सवाल : ख़ुश्क ख़जूरों को तर खजूरों के बदले लेने की बाबत आप (ﷺ) से सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तर खजूरें ख़ुश्क होने के बाद कम हो जाती हैं?' (अबू दाऊद/ अल बुयूअ/ फ़ित्तमरि बित्तमरि : 3359, तिर्मिज़ी/ अल बुयूअ/ माजाअ फ़िन्नही

अनिल मुहाक़लति वल मुज़ाबनति : 1225, इब्ने माजा/ अत्तिजाराति/ बैउस्सौतवि बित्तमरि वग़ैरुहुम : 2264, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

लोगों ने कहा, यक़ीनन!

तो आप (ﷺ) ने इससे मनाअ फ़र्मा दिया।

========================

सवाल : एक शख़्स ने ख़जूरों का बाग़ दूसरे को अजारे में दिया। उस साल ख़जूरें पैदा ही नहीं हुईं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़ैसला किया, 'उसका माल उसे लौटा दे।'

फिर आम हुक्म दे दिया, 'जब तक ख़जूरें क़ाबिल पुख़्तगी न हो जाया करें बाग़ अजारे पर न दिये जाएँ।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/145)

==========================

सवाल : एक शख़्स ने अपना ख़जूरों का बाग़ ख़जूरें लगने से पहले ही दूसरे को अजारे पर दे दिया। इत्तिफ़ाक़ से उस साल दरख़्त फले ही नहीं। अब अजारेदार कहने लगा कि जब तक यह न फले तब तक मेरा ही है और बाग़ वाला कहने लगा कि मैंने तो तुझे केवल इसी साल के लिए दिया है। आख़िर झगड़ा रसूलल्लाह (ﷺ) के पास पहुँचा।

जवाब : आप (ﷺ) ने बाग़ वाले से पूछा, 'उसने तेरे बाग़ से कुछ लिया भी है?'

उसने कहा, कुछ नहीं!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तू किस चीज़ के बदले उसका माल हज़म कर रहा है? हुक्म दिया कि इसकी अजारे की कुल रक़म उसे वापस दे दो।'

फिर क़ानून ज़ारी फ़र्मा दिया, 'जब तक ख़जूरों की सलाहियत ज़ाहिर न हो जाए, हर्गिज़ कोई अजारे पर न चढ़ाए।' (इब्ने माजा/ अत्तिजारतु/ इज़ा असलमा फ़ी नख़्लिन बईनिही लम यत्तलिअ : 2284, जइफ़/ अल अलबानी रह.)

यह हदीष उन हज़रात की दलील है जो व्यापार की जिन्स की मौजूदगी के बग़ैर जाइज़ नहीं जानते जैसे हज़रत इमाम औज़ाई, ष़ौरी और असहाबे राय।

=======================

सवाल : एक सहाबी (रज़ि.) ने नबी (ﷺ) से कहा कि फ़लाँ क़बीले के लोगों ने यहूदों से कुछ क़र्ज़ लिया है, अब वो बिल्कुल मुफ़्लिस हो गये हैं। मुझे डर है कि वो कहीं मुर्तद न हो जाएँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कोई है जिसके पास हो?'

एक यहूद ने कहा, हाँ! मेरे पास इतनी रक़म है ग़ालिबन तीन सौ दीनार की बतलाई। मैं इस भाव से फ़लाँ बाग़ का फल ख़रीदता हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह भाव और यह फ़लाँ मुद्दत तक और फ़लाँ ही के बाग़ की क़ैद नहीं।' (इब्ने माजा/ अत्तिजारतु/ अस्सलफु फ़ी कैलि मअलूम व वज़्न मअलूम इला अजल मअलूम : 2281, ज़ईफ़/ अल अलबानी रह.)

========================

सच्चाई की फ़ज़ीलत और क़र्ज़ की मज़म्मत

सवाल : हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल् मुत्तलिब (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि मुझे किसी ऐसी चीज़ पर मुक़र्रर कर दीजिए जिससे मेरे खाने पीने का काम चलता रहे।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ हमज़ा! किसी नफ़्स का ज़िन्दा रखना तुझे पसंद है या उसका मार डालना?

उन्होंने अर्ज़ किया, ज़िन्दा रखना।'

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पस तू फिर अपने नफ़्स को लाज़िम पकड़ ले।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/175)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) जन्नत का अमल क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सच, जब बन्दा सच्चा हो जाता है और जब नेक बन जाता है तो मुअमिन हो जाता है और जब मुअमिन हो जाता है तो वो जन्नती बन जाता है।'

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! जहन्नमियों का अमल क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'झूठ बोलना, जब बन्दा झूठ बोलता है तो फ़ाजिर बन जाता है और जब फ़ाजिर, फ़ासिक़ हो गया तो काफ़िर हो जाता है और जब काफ़िर हो तो जहन्नमी बन गया।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/176)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! जन्नत के ख़ुशनुमा बालाख़ाने जिनका बाहर अंदर से और अंदर बाहर से दिखाई देता है किसके लिए हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नरम कलाम करने वालों और खाना खिलाने वालों और लोगों के सोते हुए महज़ अल्लाह की ख़ुशनुदी के लिए तहज्जुद अदा करने वालों के

लिए' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/173)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मैं सब्र और सह्हार के साथ नेकी का तालिब बनकर, आगे बढ़–बढ़कर, पीछे न हट्कर, अपने माल से और अपनी जान से राहे इलाही में जिहाद करूँ तो मैं जन्नती बन जाऊँगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'हाँ! यक़ीनन।'

दो या तीन मर्तबा यही फ़र्माया।

फिर फ़र्माया, 'हाँ यह शर्त है कि तुझ पर क़र्ज़ न हो और हो तो उसकी अदायगी का सामान भी हो, चुनाँचे क़र्ज़ की अदायगी के ज़िमन में जो सख़्ती उतरी है उसकी आपने उन्हें ख़बर दी। तो उन्होंने आप (ﷺ) से सवाल किया।

आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'क़र्ज़! उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर कोई शख़्स राहे इलाही में शहीद किया जाए, फिर जी जाए, फिर क़त्ल किया जाए, फिर जी जाए, फिर राहे इलाही में क़त्ल किया जाए, जब भी जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि उसका क़र्ज़ अदा न किया जाए।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/325)

यह दोनों ह़दीषें अल मुस्नद अह़मद में हैं।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे भाई फ़ौत हो गये हैं। उन पर क़र्ज़ रह गया है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारा भाई अपने क़र्ज़ में क़ैद है। जा! उसकी तरफ़ से अदायगी कर।'

उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने क़र्ज़ तो अदा कर दिया लेकिन एक औरत दो दीनार का दअ़वा करती है और उसके पास कोई षुबूत नहीं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दे दे वो सच कहती है।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/7)

इस ह़दीष़ में इस बात की दलील भी है कि वस़ी (या वारिष़) को जब किसी सूरत में मय्यित के ज़िम्मे किसी क़र्ज़ का पता चल जाए और वो षाबित हो जाए तो उसके ज़िम्मे उसकी अदायगी ज़रूरी है गौ कोई पुख़्ता ज़ाहिरी षुबूत न हो।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! सब चीज़ों का भाव मुक़र्रर कर दीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुनो! ख़ालिस क़ाबिज़, बासित, राज़िक़ (भाव मुक़र्रर करने वाला) अल्लाह तआला ही है। मेरी तो चाहत यह है कि अल्लाह से इस हाल में मिलूँ कि किसी के ख़ून या माल का कोई मुतालबा मेरे ज़िम्मे न हो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/156)

========================

ज़ुल्म की मज़म्मत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी ज़मीन में किसी की शिर्कत नहीं, न तक़्सीम है। हाँ! पड़ौसी है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पड़ौसी अपनी नज़दीकी के बाइस ज़्यादा हक़दार है।' (अहमद फ़ी किताहिबी (अल मुस्नद) : 4/289)

ठीक बात यही है कि इस फ़त्वे पर अमल किया जाए जब कि रास्ते में या मिल्कियत के किसी हक़ में शिर्कत हो।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबसे बड़ा ज़ुल्म क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) फ़र्माया, 'किसी की ज़मीन दबा लेना चाहे वो एक गज़ ही हो। सुनो! एक कंकर के बराबर भी दूसरे की ज़मीन नाहक़ दबा लेने वाले के गले में वहाँ से लेकर ज़मीन की तह तक का एक तौक़ बनाकर डाला जाएगा और ज़मीन की तह का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/397)

========================

सवाल : एक बकरी ज़िब्ह करके आप (ﷺ) के सामने उसका गोश्त रखा गया। उस बकरी वाले से उसके ज़िब्ह करने की इजाज़त हासिल नहीं की गई थी।

जवाब : इसलिए आप (ﷺ) ने फ़त्वा दिया, 'उसे क़ैदियों को खिला दिया जाए।' (अबू दाऊद/ फ़ी इज्तिनाबिश्शुबहात : 3332, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

रहन (गिरवी) के मसाइल

आँहज़रत (ﷺ) का फ़त्वा है, 'जो जानवर गिरवी रखा जाए उस पर जो ख़र्च हो उसके बदले जिसके पास गिरवी है वो सवारी कर सकता है। इसी तरह जबकि चारा दे रहा है तो उसका दूध भी वो पी सकता

है। ख़र्च उसके ज़िम्मे है जो सवारी ले और दूध पीये।' (बुख़ारी/ अरिंहन/ अर्रहनु मरकूबुन व महलूबुन : 2512)

इमाम अहमद वग़ैरह अईम्मा-ए-हदीष़ ने इस फ़त्वे को लिया है और ठीक और दुरुस्त भी है।

आँहज़रत (ﷺ) का फ़त्वा है, 'जिसने कोई चीज़ रहन रखी है उससे वो चीज़ बन्द न कर ली जाए, उसका नफ़ा–नुक़्सान उसी के ज़िम्मे है।' (मालिक/ अल अक़्ज़ियहु/ मा ला यजूज़ु मन ग़लकर्रहन : 1437, इब्ने माजा/ अर्रहून/ ला यग़लूक़ अरिंहन : 2441 यह हदीष़ हसन है।)

======================

सवाल : किसी ने बाग़ के फल ख़रीदे, उसमें क़ुदरती नुक़्सान आ गया और वह बहुत ही क़र्ज़दार हो गया।

जवाब : नबी (ﷺ) ने फ़त्वा दिया, 'ख़ैरात के माल से इसकी मदद की जाए।' (मुस्लिम/ अल मसाक़ात/ इस्तिहबाबुल वुज़ूइ मिनद्दैन : 1556)

लोगों ने उसे माल दिया लेकिन फिर भी पूरा क़र्ज़ अदा हो जाए इतना माल जमा न हुआ, तो आप (ﷺ) ने क़र्ज़ख़्वाहों (क़र्ज़ देने वालों) से फ़र्माया, जो मिल रहा है ले लो, बस इसके सिवा और न मिलेगा।

======================

आँहज़रत मुहम्मद (ﷺ) का फ़त्वा है, 'जो शख़्स मुफ़्लिस हो जाए और उसके पास किसी का माल बजिन्सेहि ही मौजूद निकले तो सिर्फ़ उसका मालिक ही उसका हक़दार है।' (बुख़ारी/ अल इस्तिक़राज़/ इज़ा वजद मालहू इन्दा मुफ़्लिस फ़िल बैइ......2402, मुस्लिम/ अल मसाक़ात/ मन इदरक मा बाउहू इन्दल मुश्तरिय्यि ....1559)

======================

शौहर की इजाज़त बग़ैर औरत अपना माल ख़ैरात न करे

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने अपना ज़ेवर अल्लाह की राह में दे दिया है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किसी औरत को अपने ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर अपना माल ख़ैरात करना भी जाइज़ नहीं।' (अबू दाऊद/ अल बुयूअ/ फ़ी अतयतिल मरअति बिग़ैरि इज़्नि ज़वजिहा : 3546, निसाई/ अज़्ज़कात/ अतयतिल मरअति बिग़ैरि

इब्नि ज़वजिहा : 2541, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/221, इब्ने माजा/ किताबुल हिबात : 2388)

और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़त्वा दिया, 'जब इसका मियाँ इसकी इस्मत तक का मालिक है फिर उसे अपनी मिल्क में कोई अम्र जाइज़ नहीं।'

========================

सवाल : हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) की बीवी साहिबा हज़रत ख़ैराह (रज़ि.) अपने ज़ेवरात लेकर रसूले मक़बूल (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं इन्हें बतौरे ख़ैरात दे रही हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तुमने अपने ख़ाविन्द कअब बिन मालिक की इजाज़त हासिल कर ली है?'

उन्होंने कहा, जी हाँ!

आप (ﷺ) ने हज़रत कअब (रज़ि.) के पास आदमी भेजकर पुछवाया, 'क्या तुमने अपनी बीवी को उनके ज़ेवरात राहे अल्लाह में देने की इजाज़त दे दी है?' (इब्ने माजा/ अतिय्यतुल मरअति बिग़ैरि इज़्निन ज़वजिहा : 2388, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

उन्होंने कहा, हाँ! तब आप (ﷺ) ने वो ज़ेवरात कुबूल फ़र्माए।

========================

यतीम का माल

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं मालदार आदमी नहीं हूँ, मेरी परवरिश में यतीम बच्चे हैं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम अपने यतीमों के माल से अपना पेट पाल सकते हो, इसराफ़ (फ़िज़ूलख़र्ची) और ज़्यादती न हो, माल जमा न करो, अपना माल (ऐसे) बचाओ नहीं कि उसका खा जाओ और अपना सम्भाल रखो।' (अबू दाऊद/ अल वसाया : 2872, निसाई/ अल वसाया/ मालिल वसा मिम्मालिल यतीमि इज़ा क़ाम अलैहि. : 3668, इब्ने माजा/ अल वसाया/ क़ौलुहू तआला (वमन कान फ़क़ीरन फ़ल यअकुल) : 2818, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/216, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : जब आयत (व ला तक़रबू मालल् यतीमि इल्ला बिल्लती हिय अह्सनु0 अल अन्आम : 152) उतरी, **'यानी यतीमों के माल के क़रीब भी न जाओ मगर उसी तरीक़े से जो बेहतर से बेहतर हो' सहाबा किराम ने उनका**

माल अपने माल से बिल्कुल अलग कर दिया यहाँ तक कि उनके लिए पका हुआ खाना चाहे बिगड़ जाए, गोश्त चाहे सड़ जाए लेकिन यह उससे अलग रहते थे। आख़िर रसूलल्लाह (ﷺ) से यह बात बयान करके फ़त्वा तलब किया।

जवाब : फिर यह आयत उतरी, (व इन् तुख़ालितूहुम फ़इख़्वानुकुम् व वल्लाहु यअ़लमुल् मुफ़्सिद मिनल् मुस्लिह0 अल बक़र : 220) 'यानी तुम अपने माल से उनके माल मिला लो तो कोई हर्ज नहीं। आख़िर वो भी तो तुम्हारे भाई ही हैं। अल्लाह तआ़ला फ़सादियों को और इस्लाह करने वालों को ख़ूब जानता है।' (अहमदं फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/187, अबू दाऊद/ अल वसाया/ मख़ालतहु/ लि यतीमिन फ़ित्तआम : 2871, निसाई/ अल वसाया/ मालिल वसाया फ़ी मालिल यतीमि इज़ा क़ामा अलैहि. : 3669, हसन/ अल अलबानी रह.)

=======================

गिरी-पड़ी चीज़ उठा लेने के मसाइल

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! किसी की गिरी पड़ी या खोई हुई चाँदी या सोना हम पा लें तो क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिस चीज़ में वो है उसे ख़ूब पहचान लो फिर साल भर तक उसकी शनाख़्त करवाओ, अगर कोई मालिक न मिले तो ख़ुद अपने काम में लाओ, लेकिन रहेगा यह तुम्हारे ज़िम्मे। उमर भर में किसी दिन भी उसका मालिक मिल जाए और अपनी चीज़ का सही निशान दे दे तो तुम्हें वापिस देना होगा।'

पूछा गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! गुमशुदा ऊँट की बाबत क्या फ़र्मान है?

आप (ﷺ) फ़र्माया, 'तुम्हें उससे क्या मतलब! (यानी कि उसे न पकड़ो), उसके साथ ही उसके मौज़े हैं और उसकी मश्क भी। पानी पी लिया करेगा और दरख़्तों के पत्ते खा लिया करेगा, आख़िर उसका मालिक उसे पकड़ लेगा।'

पूछा गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! गुमशुदा बकरी की निस्बत क्या इर्शाद है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे पकड़ लो कि, या तो तेरे लिए या तेरे किसी भाई के लिए या भेड़िये के लिए।'

सहीह मुस्लिम में है, 'थैली को, गिनती को, बर्तन को और सरबंद को जो पहचान ले और उसका सहीह निशान उसका मालिक दे दे तो उसे वो दे दो वरना वो तुम्हारी है।'

मुस्लिम ही की दूसरी रिवायत में है, 'फिर उसे खा लो फिर भी उसका मालिक

आ जाए तो उसे अदा करना पड़ेगा।' (बुख़ारी/ अल अदब/ मा यजूज़ु मिनल ग़ज़बि वशिद्दति लि अम्रिल्लाहि तआला : 6112 वकिताबु फ़िलुलक़तह, हा : 2426, मुस्लिम/ अल्लुक़तह : 1722)

========================

सवाल : हज़रत उबय बिन कअ़ब (रज़ि.) फ़र्माते हैं, मैंने रसूल (ﷺ) के ज़माने में एक सौ दीनार की एक थैली पाई। मैं उसे लेकर आप (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'साल भर तक शनाख़्त करवाओ।'

मैं एक साल तक शिनाख़्त कराता रहा, फिर हाज़िर होकर अ़र्ज़ किया कि इसका मालिक कोई नहीं मिला।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक साल तक और भी शनाख़्त करवाओ।'

मैंने यह भी किया। फिर आप (ﷺ) को ख़बर दी।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'और एक साल तक शनाख़्त करवाओ।'

मैंने यह भी किया लेकिन अब भी उसका मालिक नहीं आया। जब चौथी दफ़अ़ मैंने आप (ﷺ) की ख़िदमत में गुज़ारिश की तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसकी गिनती, उसका सरबन्द, उसका बर्तन निगाह में रख लो, उसका मालिक मिल जाए तो उसे दे देना वरना उससे ख़ुद फ़ायदा हासिल करना। चुनाँचे उस रक़म को मैंने अपने काम में ले लिया।' (बुख़ारी/ अल्लुक़ातह/ हल यअख़ुज़ुल्लुक़तता वला यदउहा तज़ीउ....: 2437, मुस्लिम/ अल्लुक़तहा : 1723)

यह लफ़्ज़ बुख़ारी शरीफ़ के हैं।

========================

सवाल : क़बीला मुज़ैना के एक शख़्स ने आप (ﷺ) से गुमशुदा ऊँट के बारे में सवाल किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसके साथ उसकी जुराबें हैं, उसके साथ उसकी मश्क है, वो पत्ते चरता है और पानी पी लेता है तू उसे छोड़ दे यहाँ तक कि उसका मालिक उसे ढूँढ ले।'

उसने कहा, गुमशुदा बकरी मिल जाए उसकी बाबत क्या इर्शाद है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो या तो तेरी है या तेरे किसी भाई की या भेड़िये की, उसे पकड़ ले और बाँध ले यहाँ तक कि उसका मालिक आ जाए।'

उसने कहा, रात को चराई हुई बकरी जो चारागाह में पाई जाए उसका क्या हुक्म है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, उसकी दुगुनी क़ीमत और कोड़ों की सज़ा और जो उसकी हिफ़ाजत की जगह से ले लिया जाए उसमें उसके हाथ का कटना जबकि उसकी क़ीमत ढाल की क़ीमत को पहुँच जाए।

या रसूलल्लाह (ﷺ)! फलों की बाबत क्या फ़र्मान है? और जो ख़ोशों में से तोड़े जाएँ, उनकी बाबत क्या इर्शाद है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो खा लिया जाए और झोली भरकर न ले जाए तो उस पर कुछ नहीं। और जो ले जाए उसके ज़िम्मे दुगुनी क़ीमत और सज़ा और डाँट-डपट। और जो खलिहान में से चुराया जाए उसमें हाथ कटना जबकि उतनी क़ीमत का माल चुराया गया जितनी क़ीमत ढाल की है।'

या रसूलल्लाह (ﷺ)! रास्तों में से गिरी पड़ी चीज़ किसी को मिल जाए तो इसके बारे में क्या फ़त्वा है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'साल भर तक उसे शनाख़्त करवाओ, अगर उसका मालिक मिल जाए तो एसे दे दे वरना वो तेरी है।'

या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो ग़ैर आबाद जंगल में से मिले?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसमें और दफ़ीने में पाँचवा हिस्सा ज़कात है।' (अबूदाऊद/ अल्लुकतहा/ फ़तिहातुहू : 1710, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/ 180, हसनुन/ अल अलबानी रह.)

सच्चा फ़त्वा यही है और यही क़ाबिले अमल है चाहे बाज़ लोगों ने इसके बर् ख़िलाफ़ फ़त्वा दिया है लेकिन इसके ख़िलाफ़ हदीष़ से और बात ष़ाबित नहीं जिससे यह क़ाबिले तर्क (निरस्ती योग्य) हो जाए।

========================

रसूलल्लाह (ﷺ) का फ़त्वा है, 'जिस किसी की गिरी पड़ी, भूली-भाली चीज़ मिल जाए वो दो आदिल गवाह रख ले और जिस चीज़ में वो है और जिस तरह वो बँधी हुई है उसे ख़ूब ख़याल में रख ले, फिर न छुपाए न ग़ायब करे। अगर उसका मालिक आ जाए तो वही उसका हक़दार है वरना वो अल्लाह का माल है जिसे चाहे दे।'
(अबूदाऊद/ अल्लुकतहा/ फ़तिहातुहू : 1709, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) :4/162, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : एक सहाबी (रज़ि.) आप (ﷺ) के पास आए और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं जंगल में पाखाना कर रहा था। एक चूहे ने सूराख़ में से एक दीनार निकाला, फिर गया एक और ले आया। इसी तरह 17 अशरफियाँ और निकालीं। आख़िर में एक सुर्ख़ रंग कपड़े की धजी अपने मुँह में निकाल लाया। मैंने उन सब को समेट लिया और उन्हें लेकर हाज़िर हुआ हूँ, इसमें जो ज़कात हो वो ले लीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसमें ज़कात कुछ भी नहीं तुम ख़ुद इन्हें ले जाओ। अल्लाह तआला तुम्हें इसमें बरकत दे। देखो तुमने ख़ुद ने सूराख़ में हाथ तो नहीं डाला?' (इब्ने माजा/ अल्लुक़तहा/ अल तुक़ातु मा अख़रजल जरज : 2508, शैख़ अलबानी रह. ने इस रिवायत को ज़ईफ़ कहा है।)

उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, उस अल्लाह की क़सम! जिसने हक़ के साथ आप (ﷺ) को नवाज़ा है।

चुनाँचे वो रक़म उन्हीं के पास रही और नबी (ﷺ) की दुआ से उनके आख़िरी वक़्त तक उसमें बरकत रही, वो रक़म ख़त्म ही न हुई। नबी (ﷺ) का यह पूछना कि शायद तुमने अपना हाथ सूराख़ की तरफ़ बढ़ाया हो? इससे ग़ालिबन् आप (ﷺ) की मुराद यह होगी कि अगर ऐसा किया तो फिर यह दफ़ीने के मिलने के मिलने के हुक्म में आ जाएगा। लेकिन जब यह नहीं तो उस माल को सिर्फ़ अल्लाह ने अपने फ़ज़्ल से बग़ैर तुम्हारी कोशिश के तुम्हें दिया है जैसे कि ज़मीन से और बरकतें निकलती हैं यह भी उन्हीं में दाख़िल है। सहीह इल्म तो अल्लाह तआला को है। लेकिन बज़ाहिर मअलूम होता है कि आप (ﷺ) ने उसे गिरी पड़ी चीज़ के हुक्म में नहीं रखा। इसलिए कि शायद आप (ﷺ) को कुफ़्फ़ार का दफ़ीना होना मअलूम हो गया होगा।

========================

हदिये और अतिये का बयान

अयाज़ बिन हम्माद ने अपने इस्लाम लाने से पहले नबी (ﷺ) को बतौरे हद्या एक ऊँट दिया, आप (ﷺ) उसे क़ुबूल करने से इंकार करते हुए फ़र्माया, 'हम मुश्रिकों का हदया क़बूल नहीं करते।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/162)

हदीष़ में लफ़्ज़ (ज़ैद) है। इसके मअनी जब नबी (ﷺ) से पूछे गए तो आप (ﷺ) ने (रिफ़्दुहुम व हदीय्यतुहुम) तोहफ़ा और हद्या बतलाया। उकैदर वग़ैरह अहले किताब का हद्या आप (ﷺ) ने क़बूल फ़र्माया है। मुश्रिकों के हद्ये का इंकार किया है

तो जमा व तत्वीक़ यही है कि मुश्रिक़ का हद्या ना मक़्बूल (अस्वीकार्य) और अहले किताब का मक़बूल (स्वीकार्य)।

========================

सवाल : अबू नोअ़मान बिन बशीर (रज़ि.) ने अपने लड़के को एक ग़ुलाम दिया और उस पर आप (ﷺ) को गवाह रखना चाहा।

जवाब : आप (ﷺ) गवाह नहीं बने और फ़र्माया, 'मुझे ज़ुल्म का गवाह न बना।'

और दूसरी रिवायत में है, 'यह ठीक नहीं।'

और दूसरी रिवायत में है, 'क्या तुमने अपनी और औलाद को भी इसी जैसा अ़तिया दिया है?'

उन्होंने जवाब दिया, नहीं!

तब आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह से डरो अपनी तमाम औलाद में इंसाफ करो।'

और दीगर रिवायत में है, 'उसे लौटा लो।'

एक में है, 'मेरे सिवा किसी और को इस पर गवाह कर लो।' (बुख़ारी/ अल हिबह/ अलहिबतु लिल वलदि : 2576, मुस्लिम/ अल हिबात/ कराहतु तफ़ज़ीलु बअज़िल औलादि फ़िल हिबह : 1623)

यह फ़र्मान बतौरे डाँट के है न कि जवाज़ के तौर पर। इसलिए कि आप (ﷺ) ने उसे ज़ुल्म फ़र्माया है और अ़द्ल के ख़िलाफ़ करार दिया है। ख़बर दी है कि यह दुरुस्त नहीं, हुक्म दिया है कि इस अ़तिये को वापिस ले लो। फिर कैसे हो सकता है कि बावजूद इन तमाम बातों के आप (ﷺ) हुक्म दें कि किसी और को गवाह कर लो। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़े ख़ैर दे।

========================

सवाल : हज़रत सअ़द बिन अबि वक़्क़ास (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बीमारी जिस हद तक पहुँच चुकी है वो तो आप (ﷺ) देख ही रहे हैं, मालदार आदमी हूँ और सिवाय एक लड़की के मेरा कोई वारिस़ नहीं, तो क्या आप (ﷺ) इजाज़त देते हैं कि मैं अपने माल की दो तिहाइयाँ अल्लाह के नाम पर दे दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं!

अच्छा तो आधा माल सद्क़ा कर दूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आधा भी नहीं।

उन्होंने पूछा, फिर एक तिहाई?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ैर! एक तिहाई अल्लाह के लिए दे दो। यह भी ज़्यादा है। तुम अपने वारिषों को मालदार छोड़कर जाओ, यह इससे बहुत बेहतर है कि तुम उन्हें मिस्कीन छोड़कर जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। इसमें कोई शुब्ह नहीं कि जब तुम अपनी कोई चीज़ (अल्लाह के लिए ख़र्च करोगे) तो वो ख़ैरात है हत्ताकि वो लुक़मा भी जो तुम अपनी बीवी के मुँह में डालोगे (वो भी ख़ैरात है और अभी वसीयत करने की ज़रूरत नहीं) मुमकिन है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हें शिफ़ा दे और इसके बाद तुमसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो और दूसरे बहुत से लोग (इस्लाम के मुख़ालिफ़) नुक़्सान उठाएँ।' (बुख़ारी/ अल वसाया/ अय्यंतरक वरषतहू अग़नियाउ ख़ैररम्मिन अय्यँतकफ़्फ़फ़ू.....: 2762, मुस्लिम/ अल वसिय्यतु/ अल वसिय्यतु बिष्षुलषि : 1628, वल्लफ़्ज़ु लिल बुख़ारी)

उस वक़्त सअ़द बिन अबी वक़्क़ास की सिर्फ़ एक ही बेटी थी। उस बीमारी के बाद आप तक़रीबन 50 साल ज़िन्दा रहे और तारीख़े इस्लाम में आप (रज़ि.) ने बड़े अ़जीम कारनामे सर अंजाम दिये। मुअर्रिख़ीन (इतिहासकारों) ने आप (रज़ि.) के 10 बेटे और 12 बेटियाँ गिनवाई हैं।

========================

सवाल : हज़रत अ़म्र बिन आ़स (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से फ़त्वा पूछा कि मेरे बाप ने मरते वक़्त अपनी तरफ़ से एक सौ ग़ुलाम आज़ाद करने की वसीयत की थी। उनके लड़के मेरे भाई हिशाम ने अपने हिस्से के 50 ग़ुलाम आज़ाद कर दिए, अब जो 50 मेरे ज़िम्मे हैं, उनके मुताल्लिक़ ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! आप क्या हुक्म फ़र्माते हैं कि मैं उन्हें आज़ाद कर दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तेरा बाप मुस्लिम होता तो फिर तुम उसकी तरफ़ से ग़ुलाम आज़ाद करते या ख़ैरात करते तो उसे उसका षवाब मिलता।' (अबू दाऊद/ माजाअ फ़ी वसिय्यतिल हरबि युस्लिमु वलिय्योहू : 2883 हसन/ अल अलबानी रह.)

========================

चौदहवाँ बाब :

मीराष़ के बारे में फ़तावा

बेटे की विराषत से बाप का हिस्सा

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा लड़का मर गया, मुझे उसके माल में से वरष़ा क्या मिलेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'छठा हिस्सा।'

जब वो जाने लगा तो उसे बुलाकर फ़र्माया, 'छठा हिस्सा और भी।'

फिर जब वो जाने लगा तो बुलाकर फ़र्माया, 'यह दूसरा वाला छठा हिस्सा बतौरे ख़ुराक है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/436)

=======================

कलाला का मसला

सवाल : हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से कलालः की निस्बत सवाल किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुझे इसके लिए गर्मी के मौसम में उतरी सूरह निसा की आख़िर वाली आयत काफ़ी है।' (मालिक/ अल फ़राईज़/ मीराषुल कलाला : 1122, अबू दाऊद/ अल फ़राइज़ : 2889, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : हज़रत जाबिर (रज़ि.) आप (ﷺ) से सवाल करते हैं कि मैं अपने माल का फ़ैसला किस तरह करूँ, मैं तो कलालः हूँ?

जवाब : इस पर यह आयत, (वयस्तफ़्तूनक कुलिल्लाहु युफ़्तीकुम फ़िल

कलालतिं अन् निसा : 176) उतरी। (बुख़ारी/ अल मर्ज़/ अयादतिल मग़्मा अलैहि. : 5651, अबू दाऊद/ अल फ़राइज़/ फ़िल कलाला : 2886)

इस आयत का मफ़हूम समझना ज़रूरी है, पहले तर्जुमा समझें,

'(ऐ नबी!) लोग आपसे कलालः का हुक्म पूछते हैं, तो आप कह दीजिए कि, अल्लाह तआला तुम्हें कलालः के बारे में (यूँ फ़त्वा और) हुक्म देता है कि, अगर कोई मर्द हलाक हो जाए कि जिसकी न औलाद हो (और न बाप)। अल्बत्ता उसकी एक बहन हो (चाहे हक़ीक़ी हो या अलाती) तो उसे आधा तरका मिलेगा। (यानी उस वारिष़ बहन को) और अगर उस बहन की कोई औलाद न हो (और न ही बाप जिन्दा हो) और वो फ़ोत हो जाए तो उसका भाई उसका वारिष़ बनेगा (और उसका सारा माल ले लेगा) और अगर मरने वाले मर्द (कलालः) की दो बहने हों तो उन्हें इसके तर्के में से दो तिहाई विराष़त का माल मिलेगा। (और यही हुक्म दो से ज़्यादा बहनों का है) और अगर कोई कलालः होकर मर जाए (न औलाद हो और न ही बाप) और उसके वारिष़ (मर्द और औरतें दोनों तरह के) बहन भाई हो तो मर्द (हर भाई को) दोहरा हिस्सा मिलेगा और औरत को इकहरा हिस्सा। अल्लाह तआला तुम्हारे बहकने को बुरा जानकर यह हुक्म बयान फ़र्मा रहा है जबकि अल्लाह तआला हर चीज़ का जानने वाला है।' (अन् निसा : 176)

वज़ाहत :: ऊपर जो ज़िक्र हुआ कि, अगर कोई मर्द हलाक हो जाए कि जिसकी औलाद न हो (और न ही बाप, वो कलालः होता है) तो यहाँ अक्सर सहाबा किराम, ताबईन और उनके बाद वाले अहले इल्म का मस्लक यह है कि मरने वाले की बेटी की मौजूदगी में बहन बहैषियत अस़बा अपना हिस्सा लेगी। जैसा कि नबी (ﷺ) के जमाने में जनाब मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) ने बेटी को (उसके बाप की विराष़त से) आधा और बाक़ी तरका (मरने वाले की) की बहन को बतौरे अस़्बा दिया था। और दूसरी सहीह़ ह़दीष़ में है कि नबी करीम (ﷺ) ने ख़ुद भी मरने वाले की बेटी को आधा, पोती को सुद्स (यानी 1/6) और बाक़ी मांदः बहन को दिया। पस यहाँ, इल्लम यकुल्लहू वलदुन्...में वलदुन से मुराद सिर्फ़ लड़के ही हैं। (देखिए फ़त्हुल क़दीर लिश्शुकानि। यह तफ़्सील अस ल किताब में नहीं है। इसे हमने ज़रूरत के त हत दर्ज किया है। अबू याहया)

औनुल् मअबूद शिराह सुनन अबू दाऊद में इस ह़दीष़ पर अइम्मा किराम की आरा व उ़ल्माए इ़ज़ाम की बहष़ दर्ज की गई है जिसमें से इमाम ख़त्ताबी (रह.) का दर्जे ज़ेल क़ौल सबसे षिक़ाह और सहीह़ बात के क़रीबतर है,

'इस ह़दीष़ का मफ़हूम ग़ैर वाजेह (मुबहम) है। इस ह़दीष़ में उस ह़दीष़ की वज़ाहत

नहीं है कि उस फ़ौत होने वाले नौ मुस्लिम का वारिष़ वो मुस्लिम होगा कि जिसके हाथ पर वो ईमान लाया हो और उसका कोई हक़ीक़ी वारिष़ न हो। बल्कि इस हदीष़ में तो यह बात मज़कूर है कि उस नौ मुस्लिम को दीने हक़ पर लाकर उसे मुस्लिम करने वाला मुस्लिम शख़्स बाक़ी सारे लोगों से ज़्यादा उसकी हयात व ममात (ज़िन्दगी और मौत) में ऊला होगा। तो इस इबारत के मअनी व मफ़हूम की तअय्युन में इस बात का एहतिमाल भी है कि उसकी हयात व ममात में अव्वलियत उसकी मीराष़ में होगी, और इस बात का भी एहतिमाल है कि इससे मुराद नौ मुस्लिम की अमान व हिफ़ाज़त (ज़मानत व कफ़ालत और हुर्मत व इज़्ज़त) उसके लिए ईष़ार, नेकी, भलाई और सिलारहमी जैसे उमूर की निगरानी व हिफ़ाज़त और ज़िम्मेदारी हो। और फिर नबी मुअज़्ज़म (ﷺ) का यह फ़र्मान भी इस इबारत से मुआरिज़ है 'आज़ाद कर्दा गुलाम की विलायत उसके पास ही रहेगी जिसने उसे आज़ाद किया हो।' और अक्सर फ़ुक़्हा का भी क़ौल यही है कि यह नौ मुस्लिम को मुस्लिम करने वाला उसका वारिष़ नहीं होगा।' (औनुल मअबूद शरह सुनन अबी दाऊद सफ़ा : 72, जिल्द : 8)

यहाँ औनुल् मअबूद में इस हदीष़ की अस्नाद पर भी बहष़ है कि इसकी सनद में जोअफ़ है। न मअलूम मक्तबुल् मआरिफ़ बिल् रियाज़ वालों ने अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी (रह.) के नाम से इस हदीष़ पर 'हसन सहीह' का हुक्म कैसे तिबअ कर दिया है? (अबू यह्या)

======================

नव-मुस्लिम की विराष़त का हुक्म

सवाल : हज़रत तमीम दारी (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि मुश्रिकों में से जो शख़्स किसी के हाथ पर इस्लाम क़बूल कर ले उसके बारे में सुन्नत तरीक़ा क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'उसकी मौत और ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ऊला वही है।' (अबू दाऊद/ अल फ़राइज़/ फ़िर्रुजुलि युस्लिमु अला यदर्रुजुलि : 2918, हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कलालः कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जिसका वालिद और औलाद न हो। इसे अबू अब्दुल्लाह मुक़द्दसी ने अहकाम में ज़िक्र किया है। (दारमी फ़ी किताबिही (अस्सुनन) : 2/365, अब्दुर्रज़्ज़ाक़ फ़ी किताबिही (अल मुसन्नफ़) : 1989, बैहक़ी फी किताबिही (सुननुल कुबरा) : 2/223)

======================

ख़ैरात किये हुए लौण्डी-ग़ुलामों के बारे में

सवाल : एक सहाबिया (रज़ि.) ने रसूले अकरम (ﷺ) से पूछा कि मैंने अपनी माँ को अपनी लौण्डी बतौरे ख़ैरात दी थी। माँ का इंतिक़ाल हो गया और वो लौण्डी उनके माल के तौर पर मौजूद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरा षवाब तुझे मिल गया और वो लौण्डी बतौरे मीराष के तेरी तरफ़ वापिस हो गई।' (अबू दाऊद/ अज़्ज़कात/ मन तसद्दक़ा बि सदक़तिन थुम्मा वरिषहा : 1656, हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

यह हदीष बिल्कुल ज़ाहिर है और सहीह फ़त्वा यही है कि इस सूरत में चीज़ लौट आएगी।

=========================

मय्यित की दो बेटियों, एक बीवी और भाई का हिस्सा

सवाल : हज़रत सअद की बीवी साहिबा (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से अर्ज किया कि यह हैं दोनों लड़कियाँ हज़रत सअद (रज़ि.) की, उनके वालिद हज़रत सअद (रज़ि.) आप (ﷺ) के लश्कर में उहुद वाले दिन थे और मैदाने जंग में राहे इलाही में शहीद हुए। उनके चचा ने उनके बाप का तमाम तर्का ले लिया। ज़ाहिर है कि लड़कियों के निकाह माल पर होते हैं। नबी (ﷺ) यह सुनकर ख़ामोश हो रहे यहाँ तक कि यह आयते मीराष नाज़िल हुई।

जवाब : आप (ﷺ) ने हज़रत सअद बिन रबीअ (रज़ि.) के भाई को बुलवाया और फ़र्माया, 'सअद की दोनों लड़कियों को दो तिहाई मीराष दो। इन लड़कियों की माँ को 8वाँ हिस्सा दो और जो बचे वो तुम ले लो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/352)

=========================

बेटी, पोती और बहन का हिस्सा

सवाल : हज़रत अबू मूसा अशअरी (रज़ि.) से मसला पूछा गया, एक मय्यत के वारिष यह हैं, बेटी, पोती और बहन।

जवाब : आपने फ़र्माया, 'बेटी के लिए आधा है और आधा बहन का है। तुम जाकर इब्ने मसऊद (रज़ि.) से भी फ़त्वा ले लो, वो भी मेरी मुवाफ़िक़त करेंगे।' (बुख़ारी/ अल फ़राइज़/ मीराषु इब्निति इब्ने मअ इब्निति : 6736)

जब हज़रत इब्ने मसऊद (रज़ि.) से पूछा गया और यह फ़त्वा भी उन्हें सुनाया गया तो फ़र्माते हैं, अगर मैं इसकी मुवाफ़िक़त करूँ तो गुमराह हो जाऊँ और राह याफ़्ता न हो सकूँ। मैं तो इस बारे में वही फ़त्वा दूँगा जो ख़ुद नबी (ﷺ) का है कि बेटी के लिए आधा, पोती के लिए छठा हिस्सा है ताकि दो तिहाईयाँ पूरी हो जाएँ और जो बचा वो बहन का हक़ है।

========================

क़बीले वालों का हक़

सवाल : एक शख़्स ने रसूले करीम (ﷺ) से कहा कि मेरे पास एक अज़्दी शख़्स की मीराष है। मैं क़बीले अज़्द का कोई शख़्स अब तक न पाया कि उसे मैं वो माल दे दूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'साल भर तक उस क़बीले के किसी शख़्स को तलाश करो।'

साल ख़त्म होने के बाद वो फिर आया और कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अब तक कोई अज़्दी मुझे नही मिला कि मैं उसे दे देता।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पहला शख़्स जो क़बीले ख़ुज़ाअः का मिला है उसे दे दो। जब वो जाने लगा तो आप (ﷺ) ने उसे फिर बुलवाया। (अबू दाऊद/ अल फ़राइज़/ मीराषु ज़विल अरहाम : 2903, ज़ईफ़/ अल अलबानी रह.)

जब वो आ गया तो फ़र्माया, 'ख़ुज़ाअः क़बीले के किसी बड़े आदमी को तलाश करके उसे दे आओ।'

========================

आज़ादकर्दा गुलाम के लिये मीराष

सवाल : अल मुस्नद अहमद और सुनन में एक हदीष है कि रसूले करीम (ﷺ) से सवाल हुआ कि एक शख़्स मर गया है। उसका कोई वारिष नहीं बजुज़ एक गुलाम के कि जिसको उसने आज़ाद कर दिया था।

जवाब : आप (ﷺ) ने पूछा, 'कोई नहीं ? (अबू दाऊद/ अल फ़राइज़/ मीराषु ज़विल

अरहाम : 2905, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

कहा गया, कोई नहीं। बजुज़ उस आज़ाद गुलाम के।

आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि इसकी कुल मीराष़ इसी को दे दी जाए। यही फ़त्वा हम भी लेते हैं।

========================

एक औरत के लिये एक से ज़्यादा विराषतें

अल्लाह के रसूल (ﷺ) का फ़त्वा है, 'औरत तीन शख़्सों की मीराष़ समेट लेगी। अपने आज़ाद कर्दा गुलाम की और जिसे बचपन में उसने रास्ते में पाकर ले लिया है और उसकी परवरिश की है और अपने उस बच्चे की जो उसकी गोद में था और उसने अपने ख़ाविन्द से लिआन किया।' (अबू दाऊद/ अल फ़राइज़/ मीराष़ इब्निल मलाईनह : 2906, तिर्मिज़ी/ अल फ़राइज़/ माजाअ मा युरिषुन्निसाअ मिनल विलाअ : 2115, इब्ने माजा/ अल फ़राइज़ : 2762, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/490, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

========================

अल्लाह के रसूल (ﷺ) का फ़त्वा है कि औरत अपने ख़ाविन्द की दियत की भी वारिष़ होगी और उसके माल की भी, जब तक कि इनमें से कोई अम्दन् क़त्ल न करे। हाँ! अगर ऐसा हो गया है तो दियत का वरषा क़ातिल को मिलेगा न माल का। और अगर ख़ता से ऐसा हो गया है तो माल का वरषा मिलेगा लेकिन दियत का फिर भी न मिलेगा। इसे इब्ने माजा ने ज़िक्र किया है और यही फ़त्वा हम लेते हैं। (इब्ने माजा/ अल फ़राइज़/ मीराषुल कातिल : 2736, मौज़ूउ/ अल अलबानी रह.)

========================

वलदे-ज़िना की मीराष

अल्लाह के रसूल (ﷺ) का फ़त्वा है कि 'जो शख़्स किसी आज़ाद औरत से या लौण्डी से बदकारी करे तो औलाद ज़िना की औलाद है। न यह इसका वारिष़ हो सकता है न वो इसका।' (तिर्मिज़ी/ अल फ़राइज़/ माजाअ फ़ी इब्तालि मीराष़ वलदुज़्ज़िना : 2113, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

लिआन करने वालों के बारे में

लिआन करने वाले मियाँ बीवी के बारे में आप (ﷺ) फ़ैसला सादिर फ़र्माया कि यह बच्चा अपनी माँ का वारिस होगा और माँ इसका वरसा लेगी। जो ऐसी औरत को बदकारी की तोहमत लगाए उस पर अस्सी कोड़े पड़ेंगे। जो ऐसे बच्चे को हरामी कहे उसे भी अस्सी कोड़े मारे जाएँगे। (अबू दाऊद/ अल फ़राइज़/ मीरापु इब्निल मलाईनति : 2907, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/216 सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

:: फ़त्वा :: अबू दाऊद में यह भी है कि आप (ﷺ) ने लिआन करने वाली के बच्चे की मीरास उसकी माँ के लिए कर दी है और इसके बाद उसकी माँ के वारिसों के लिए।

========================

लिआन का मतलब :

जब कभी कोई मर्द अपनी बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाए तो उसके लिये लाज़िम है कि वो चार चश्मदीद गवाह अपने इल्ज़ाम के सपोर्ट में पेश करे और अगर उसके पास अपने अलावा चार ऐसे कोई गवाह न हों तो वो चार बार अल्लाह की क़सम खाकर कहे कि वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा है और पाँचवीं बार यह कहे कि अगर वो झूठा हो तो उस पर अल्लाह की लअनत हो। ऐसा कहने पर औरत ज़िनाकारी की सज़ा की मुस्तहिक़ बन जाती है।

लेकिन अगर औरत अपने शौहर द्वारा लगाए गये इल्ज़ाम का इन्कार करे तो उसे भी चार बार अल्लाह की क़सम खाकर यह कहना होगा कि उसका शौहर झूठ बोल रहा है। पाँचवीं बार औरत यह कहे कि अगर वो झूठी हो तो उस पर अल्लाह की लअनत हो।

इस तरह दोनों मियां–बीवी में जुदाई हो जाएगी, लेकिन औरत को न तो ज़ानिया (बदकार) कहा जाएगा और न ही उसे सज़ा दी जाएगी और चूँकि मर्द ने बीवी पर बदकारी की तोहमत लगाई है और उस पर अल्लाह की क़सम खाई है इसलिये औलाद की निस्बत माँ की तरफ़ मिलाई जाएगी।

पन्द्रहवाँ बाब :

लौण्डी-गुलाम की आज़ादी

मोमिना की आज़ादी

सवाल : हज़रत शरीद बिन सुवैद (रज़ि.) ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी माँ ने एक मोमिनाः लौण्डी के आज़ाद करने की वसीयत की है। मेरे पास एक नौबियाः क़बीले की हब्शन लौण्डी है, क्या मैं उसे आज़ाद कर दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे मेरे सामने पेश करो।'

जब वो आई तो आप (ﷺ) ने पूछा, 'तेरा रब कौन है?'

उसने जवाब दिया, अल्लाह!

आप (ﷺ) पूछा, 'मैं कौन हूँ?'

उसने कहा, अल्लाह के रसूल!

आपने उसी वक़्त आज़ाद करने को कहकर यह फ़र्माया, 'यह मोमिनाः है इसे आज़ाद कर दो।' (अबू दाऊद/ अल ईमान वन्नुज़ूर/ फ़िर्रक़बतिल मुअमिनाति : 3283, निसाई/ अल वसाया/ फ़ज़्लुस्सदक़ति अनिल मय्यित : 3683, हसनुन/ सहीहुन)

========================

सवाल : एक सहाबी (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से कहा कि मेरे ज़िम्मे एक मोमिन की आज़ादी है फिर आप (ﷺ) के सामने एक अज्मी हब्शन को लाए।

जवाब : आप (ﷺ) ने उससे पूछा, 'अल्लाह कहाँ है?'

उसने अपनी शहादत की उँगली से आसमान की तरफ़ इशारा किया।

आप (ﷺ) ने उससे फिर पूछा, 'मैं कौन हूँ?'

उसने अपनी उंगली से पहले आप (ﷺ) की तरफ़ फिर आसमान की तरफ़ इशारा किया यानी आप (ﷺ) अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसे आज़ाद कर दो।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/388)

========================

सवाल : हज़रत मुआविया बिन हकम सुलमी (रज़ि.) कहते हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी लौण्डी नजद और जवाबिया की तरफ़ मेरी बकरियाँ चराया करती थी। एक दिन जो मैं गया तो क्या देखता हूँ कि एक बकरी को भेड़िया ले गया है। आख़िर मैं भी तो इंसान ही हूँ, इंसानों की तरह मुझे भी गुस्सा और अफ़सोस होता है। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। आँहज़रत (ﷺ) को यह बहुत बुरा मअलूम हुआ। मैंने कहा, फिर अगर आप (ﷺ) फ़र्माएँ तो मैं उसे आज़ाद कर दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे मेरे पास ले आओ।'

(जब वो आ गई तो) उससे पूछा, 'बतला अल्लाह कहाँ है?'

उसने कहा, आसमान में।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं कौन हूँ?'

उसने जवाब दिया कि आप (ﷺ) रसूलल्लाह हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसे आज़ाद कर दो यह ईमानवाली औरत है।'

(मुस्लिम/ अल मसाजिदु वल मवाज़िउस्सलाति/ तहरीमुल कलामि फ़िस्सलाति : 537, बैहक़ी/ अल इत्क़/ इत्कुल मोअमिनाति फ़िज़्ज़िहार : 7/387)

इमाम शाफ़ई (रह.) फ़र्माते हैं कि वस्फ़े ईमान के वक़्त उसने अल्लाह तबारक व तआला का आसमान में होना बयान किया और उससे पूछा कि अल्लाह तआला कहाँ है? तो जवाब दिया कि अल्लाह तआला आसमान में है। इस जवाब से आप (ﷺ) ख़ुश हुए। इसी से आप (ﷺ) ने हक़ीक़ते ईमान मअलूम कर ली। ख़ुद आप (ﷺ) ने भी जिसने अल्लाह तआला की निस्बत पूछा कि अल्लाह कहाँ है? उसके सवाल का इंकार नहीं किया। जहमिया के नज़दीक यह सवाल ऐसा ही है जैसे कोई अल्लाह तबारक व तआला की निस्बत उसके रंग या मज़ह या जिन्स या असल वग़ैरह का सवाल करे जो सवालात महाल और बातिल हैं।

========================

लौण्डी-ग़ुलाम का अपने अ़ज़ीज़ों को देना

सवाल : उम्मुल मोमिनीन सय्यिदा मैमूनाः (रज़ि.) कहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) को मअ़लूम नहीं कि मैंने एक लौण्डी आज़ाद की है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर तुम उस लौण्डी को अपने ननिहाल वालों को दे देतीं तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा षवाब मिलता।' (बुख़ारी/ अल हिब्त/ हिब्तुल मरअतिल ग़ैरि ज़वजुहा....: 2452, मुस्लिम/ अज़्ज़कात/ फ़ज़्लुन्नफ़क़ात वस्सदक़त अलल अक़रबीन...: 999, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/322)

=======================

क़त्ल के बदले ग़ुलाम आज़ाद करना

सवाल : बनू सुलैम के कुछ अफ़राद ने नबी (ﷺ) से अपने में से एक शख़्स की निस्बत सवाल किया जो क़त्ल की वजह से दोज़ख़ का मुस्तहिक़ हो गया था।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'उसकी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो। उस ग़ुलाम के हर–हर जोड़े के बदले उसका हर–हर जोड़ जहन्नम से आज़ाद हो जाएगा।' (अबू दाऊद/ अलइत्क़/ फ़ी षवाबिल इत्क़ : 3964, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/490, ज़ईफ/ अल अलबानी रह.)

=======================

सवाल : एक साहब किसी बड़े अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हो चुके थे। उनकी बाबत जब आप (ﷺ) से पूछा गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसकी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद कर दो, उस ग़ुलाम के हर–हर हिस्से की वजह से अल्लाह तआ़ला उसका हर–हर हिस्सा दोज़ख़ की आग से आज़ाद कर देगा।' (हाकिम फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरिक) : 2/212, इब्ने हिब्बान फ़ी : (सहीहिही) : 4307)

=======================

ग़ुलाम-नौकर को मुआफ़ करना

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! अल्लाह तआला आप (ﷺ) पर हमेशा दरूदो सलाम नाज़िल करे। मैं अपने ख़ादिम की कितनी ग़लतियों से दरगुज़र कर लिया करूँ? आप (ﷺ) ख़ामोश रहे। उसने फिर से सवाल किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'हर दिन में 70 मर्तबा।' (अबू दाऊद/ अल अदब/ हक़ुल ममलूक : 5164, तिर्मिज़ी/ अल बिर्र वस्सलात/ माजाअ फ़िल उफ़ुव्वि अनिल ख़ादिम : 1950, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

=======================

वलदे-ज़िना की आज़ादी

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! वलदे ज़िना की बाबत क्या इर्शाद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो ख़ैर से ख़ाली होता है। दो जूतियाँ जिन्हें पहनकर मैं अल्लाह की राह में जिहाद करूँ, मेरे नज़दीक तो वो भी इससे महबूब हैं कि मैं किसी वलदे ज़िना को आज़ाद कर दूँ।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/463)

=======================

फ़ौतशुदा लोगों की ओर से ग़ुलाम आज़ाद करना

सवाल : हज़रत सअद बिन उबादा (रज़ि.) आप (ﷺ) से कहते हैं कि मेरी वालिदा फ़ौत हो चुकी हैं। उनके ज़िम्मे एक नज़्र बाक़ी रह गई है। क्या मैं उनकी तरफ़ से ग़ुलाम आज़ाद करूँ तो किफ़ायत हो सकता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! अपनी वालिदा की तरफ़ से ग़ुलाम आज़ाद कर दो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/7)

मुवत्ता इमाम मालिक में है कि मेरी माँ मर गई है, क्या मैं उनकी तरफ़ से किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर दूँ तो उसे कुछ नफ़ा पहुँच सकता है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ!' (मालिक/ अलइत्क़/ इत्क़ुल हय्यि मिनल मय्यित : 13, निसाई/ अल वसाया/ फ़ज़्लुस्सदक़ति अनिल मय्यित : 3683)

=======================

आज़ादी की निस्बत

सवाल : एक सहीह हदीष में है कि हज़रत आइशा (रज़ि.) ने एक लौण्डी को ख़रीद कर आज़ाद करना चाहा लेकिन लौण्डी के मालिक ने कहा, इस शर्त पर इसे बेचता हूँ कि निस्बते आज़ादी की मेरी तरफ़ रहे।

जवाब : नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम इस बात से न रुको। विला तो उसी के लिए है जो आज़ाद करे।' (बुख़ारी/ अल बुयूअ/ अशशरउ वल बैउ मअन्निसाइ : 2169)

उल्मा की एक जमाअ़त का ख़्याल है कि शर्त और लेन–देन सहीह है और उसका पूरा करना वाजिब है लेकिन इस जमाअ़त का यह क़ौल ग़लत है और लोग कहते हैं कि यह लेन–देन और शर्त दोनों बातिल हैं। हज़रत आइशा (रज़ि.) का यह लेन–देन सहीह इसलिए रखा गया कि शर्त लेन–देन में न था बल्कि लेन–देन उस पर मुक़द्दम था। यह तो गोया क़ायम मुक़ाम वादे के था जिसे पूरा करना ज़रूरी नहीं। गोया यह क़ौल पहले से ज़्यादा क़रीब है लेकिन यह भी है ग़लत। न तो आँहज़रत (ﷺ) ने इसे इल्लत के तौर पर बयान फ़र्माया न किसी और वजह से इसकी तरफ़ कोई इशारा किया और यह भी कि शर्ते मुताक़मिद् भी मिष्ले शर्ते मुक़ारिन् के है। तीसरी जमाअ़त का क़ौल है कि हदीष में हज़फ़ भी है।

तक़दीरे इबारत यूँ है कि तू उनके लिए विला की शर्त कर या न कर शर्त करना भी बेसूद है। इसलिए तो विला का मुस्तहिक़ तो आज़ाद करने वाला ही है। गोया यह क़ौल तो दूसरे क़ौल से भी ज़्यादा क़रीब है लेकिन यह भी ग़लत है क्योंकि ज़ाहिर लफ़्ज़ों के ख़िलाफ़ है। चौथी जमाअ़त कहती है कि इसमें लाम माअ़नी अ़ला के है यानी उनके लिए विला की शर्त अपने लिए कर लो क्योंकि आज़ाद तुम ही करा रही हो और मुस्तहिक़ निस्बते आज़ादी आज़ाद करने वाला होता है। यह क़ौल चाहे इससे पहले के क़ौल से भी कम तकल्लुफ़ वाला है लेकिन है यह भी ग़लत। क्योंकि इसमें तो शर्त ही को लग़्व कर देना है पस अगर शर्त होती ही नहीं तो भी हुक्म यही था।

पाँचवीं जमाअ़त का ख़्याल है कि यह ज़्यादती आँहज़रत (ﷺ) के फ़र्मान में नहीं बल्कि हिशाम बिन उ़र्वा का अपना क़ौल है। यही जवाब ख़ुद इमाम शाफ़ई (रह.) का है। हमारे शेख़ (रह.) का फ़र्मान है कि हक़ीक़त में यह हदीष अपने ज़ाहिरी मअ़नी पर ही है। नबी (ﷺ) ने हज़रत उम्मुल् मोमिनीन शर्त कर लेने को जो फ़र्माया वो इस शर्त को सहीह करार देने के लिए या मुबाह करने के लिए न था बल्कि दर् असल शर्त करने वाले के लिए बतौरे सज़ा यह फ़र्मान सरज़द हुआ था क्योंकि वेह उस लौण्डी को माँई साहिबा के हाथ आज़ादी के लिए फ़रोख़्त करने पर बग़ैर इस शर्त के रज़ामंद ही

नहीं होता था और ख़िलाफ़े हुक्मे इलाही और ख़िलाफ़े शरअे इस शर्त के करने पर ज़िद और इसरार कर रहा था तो आप (ﷺ) ने भी रुख़सत दे दी कि इस बातिल् शर्त को अल्लाह और रसूल (ﷺ) का हुक्म ज़ाहिर करके तोड़ दें और दुनिया को मअलूम करा दे कि दीने इलाही के ख़िलाफ़ जो शराइत हों उनका पूरा करना लाज़िम नहीं बल्कि पूरा करना ही न चाहिए और ऐसी शर्तें ख़रीद व फ़रोख़्त को बातिल ही नही करतीं और यह भी कि जिसे फ़सादे शर्त मअलूम हो फिर शर्त करे तो वो शर्त लग़्व है, उसका कोई एअतिबार नहीं। अब हमारे शेख़ के इस फ़र्मान पर और इसके पहले के अक़्वाल पर ग़ौर की नज़र दोबारा डाल जाओ, वल्लाहु अअलम!

========================

सोलहवाँ बाब :

निकाह के बारे में फ़तावा

इस बाब में दो चीज़ें ख़ुसूसियत से क़ाबिले ग़ौर हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने मुग़ीरह बिन शोअ़बा को इजाज़त दी कि वो अपनी मन्सूबा को निकाह से पहले देख लें और इर्शाद फ़र्माया कि इस तरह मुहब्बत बाहमीं के रिश्ते ज़्यादा उस्तुवार (मज़बूत) हो जाते हैं। वो करे यह कि मह्र के लिए शर्त नहीं। वो नक़दी की सूरत में हो, क़ुर्आन की तअ़लीम व तद्रीस पर भी निकाह मुनअ़क़िद हो जाता है। यह है वो दीन जिसे बजा तौर पर दीने फ़ितरत (मानवीय प्रकृति के अनुरूप) कहा जा सकता है कि किसी भी मुआमले में कोई इश्काल (दुश्वारी/कठिनाई) रूनुमा नहीं। इसकी बुनियाद तस्हील (सरलता/आसानी) पर रखी गई है और इसमें इन बुनियादी और इंसानी तक़ाज़ों का लिहाज़ रखा गया है। जिनके मअ़क़ूल होने में कोई शुब्ह नहीं यानी निकाह चूँकि एक दायमी तअ़ल्लुक़ (स्थाई सम्बंध) है इसलिए शरीअ़त ने इजाज़त दे दी कि जिस औरत से उमर भर का निबाह है उसको एक नज़र देख तो लिया जाए ताकि पहले ही क़दम पर तै हो जाए कि यह रिश्ता पसंद है। शरीअ़त की इस इजाज़त से बहुत सी उन तक्लीफ़ों का सद्देबाब (निराकरण) हो जाता है जो पसंद और ना-पसंदीदगी से बनती है।

========================

महबूब और अच्छी बीवी

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसी बीवी सबसे बेहतर है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जब उसका शौहर उसकी तरफ़ देखे वो उसे ख़ुश

कर दे। जब उसका शौहर उसे कुछ हुक्म दे तो फ़ौरन बजा लाए, ख़ाविन्द के माल में और अपनी ज़ात के बारे में कोई ऐसा काम न करे जो ख़ाविन्द की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/251)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौनसा माल जमा किया जाए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'शुक्रगुज़ार दिल, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान, ईमानदार बीवी जो अम्रे आख़िरत पर अपने ख़ाविन्द की मदद करे।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/282, तिर्मिज़ी/ तफ़्सीरुल क़ुर्आन सूरह (9) : 3094)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक औरत हसब नसब वाली, ख़ूबसूरती और जमाल वाली है मुझसे निकाह करने पर भी रज़ामंद है लेकिन है बाँझ। क्या मैं उससे निकाह कर लूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, न करो।

फिर सवाल किया, तो आप (ﷺ) ने फिर मना किया।

वो फिर आया और यही सवाल किया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उन औरतों से निकाह करो जिनसे बहुत सी औलाद हों और वो हों भी बच्चों से मुहब्बत करने वालियाँ। इसलिए कि मैं अपनी उम्मत की कसरत पर बरोज़े क़यामत फ़ख़्र करने वाला हूँ।' (अबू दाऊद/ अन्निकाह/ अन्नही अन तज़वीज मल्लम यलिद मिनन्निसाइ : 2050, निसाई/ अन्निकाह/ कराहियतु तज़वीजुल अक़ीम : 3229, हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

ख़स्सी होने की मुमानअत

सवाल : हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) ने सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं जवान आदमी हूँ। हर वक़्त ख़ौफ़ लगा रहता है। इतना हैसियत नहीं कि निकाह कर लूँ तो क्या मैं ख़स्सी हो जाऊँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ अबू हुरैरह (रज़ि.)! तुझे जो मिलने वाला है वो अल्लाह के क़लम से पहले ही निकल चुका है। अब ख़्वाह ख़स्सी हो ख़्वाह न हो।' (बुख़ारी/ अन्निकाहि/ मायकरुहू मिनल तबत्तुलि वल ख़साइ : 5076)

========================

सवाल : एक और सहाबी (रज़ि.) ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! मुझे

ख़स्सी हो जाने की इजाज़त दीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मेरी उम्मत के लिए रोज़ा रखना ख़स्सी होना है।' (अहमद की किताबिही (अल मुस्नद) : 2/173)

=======================

बीवियों से जिमाअ़ करने में अज्र व ष़वाब

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मालदार अज्र व ष़वाब में हमसे बहुत ही सबक़त कर गए हैं। वो भी हमारी त़रह नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारी त़रह रोज़ा रखते हैं, साथ ही उनके पास माल की ज़्यादती है, जिसे ख़ैरात करते हैं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर क्या तुम ख़ैरात नहीं कर सकते? सुनो! हर तस्बीह, हर तकबीर, हर हम्द, अल्लाह का हर कलमा, तौहीद, हर भली हिदायत, हर ख़िलाफ़े शरअ़े अम्र से रोकना भी सद्क़ा है बल्कि तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ जिमाअ़ करना भी सद्क़ा है।'

सहाबा (रज़ि.) ने कहा, कि हमारी शहवत में अज्र कैसे हो सकता है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छा यह बताओ कि क्या अगर तुम उसको हराम में इस्तेमाल करो तो तुम पर गुनाह न होगा? इसी त़रह अगर तू उसको हलाल में इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए अज्र होगा।' (मुस्लिम/ अज़्ज़कातु/ बयानु अन् इस्मुस्सदक़ति यक़उ अला कुल्लि नवइन मिनल मअरूफ़ : 1006)

=======================

निकाह़ से पहले औ़रत को देखना

आँह़ज़रत (ﷺ) ने फ़त्वा दिया कि जो किसी औ़रत से निकाह़ करना चाहे वो उसे देख ले। (अहमद की किताबिही (अल मुस्नद) : 4/244, हाकिम की किताबिही : (अल मुस्तदरक) : 3/492)

=======================

सवाल : हज़रत मुग़ीराह बिन शेअ़बा (रज़ि.) ने एक औ़रत को शादी का पैग़ाम दिया और आप (ﷺ) से मश्विरा लिया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ उसे देख लो इससे तुम में हमेशगी की मुहब्बत हो जाएगी।' (तिर्मिज़ी/ अन्निकाह : 1087, निसाई/ अन्निकाह : 3237, इब्ने माजा/ अन्निकाह : 1865, बैहक़ी की किताबिही (अस्सुनन) : 7/86, अद्दारे कुत्नी की किताबिही (अस्सुनन) : 3/252, अहमद की किताबिही (अल मुस्नद) : 4/245, सहीहुन/ अल

अलबानी रह.)

उन्होंने आकर नबी (ﷺ) की यह हदीस लड़की के माँ–बाप को सुनाई तो गोया उन्हें अपनी लड़की का दिखाना अच्छा न लगा, लेकिन लड़की ने पसे-पर्दा यह कुल बात सुन ली, वहीं से उसने कहा कि अगर फिल वाक़ेअ रसूले करीम (ﷺ) ने तुम्हें यह फ़र्माया है तो देख लो वरना तुम्हें अल्लाह की क़सम है हरगिज़ नज़र न उठाना, गोया कि ख़ुद उसे भी यह बात बहुत बुरी मअलूम हुई थी, चुनाँचे उन्होंने उसे देखा फिर निकाह हो गया और दोनों मियाँ–बीवी में इस क़द्र मुवाफ़िक़त हुई कि घर–घर में उनकी मुहब्बत मशहूर हो गई।

======================

ग़ैर-महरम पर नज़र पड़ने का आम हुक्म

सवाल : हज़रत जरीर (रज़ि.) ने अचानक नज़र पड़ जाने की बाबत आप (ﷺ) से पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपनी निगाह फेर लो।' (मुस्लिम/ अल अदब/ नज़रुल फ़ुजअह : 2159, अबू दाऊद/ अन्निकाह/ मा युअमरू मिन ग़ज़िल बसर : 2148, तिर्मिज़ी/ अल अदब/ माजाअ फ़ी नज़रुल मफ़ाजअह : 2776, अद्दारमी/ अल इस्तिअज़ान/ फ़ी नज़रुल फ़जअह : 2643)

======================

शर्मगाह की हिफ़ाज़त

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमारी शर्मगाहों की निस्बत क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनकी हिफ़ाज़त करो मगर अपनी बीवी से और अपनी मिल्कियत की लौण्डी से।'

पूछा गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जबकि क़ौम ही के लोग आपस में हो तो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जहाँ तक हो सके इस अम्र की कोशिश करो कि किसी की निगाह न पड़े।'

पूछा गया, जबकि हम में से कोई शख़्स तन्हा हो तो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह बहुत ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसका लिहाज़ और उसकी शर्म की जाए।' (अबू दाऊद/ अल हम्माम/ माजाअ फ़ित्तअरि : 4017, तिर्मिज़ी/ अल अदब/ माजाअ फ़ी हिफ़्ज़ुल औरति : 2769, हसनुन/ अल अलबानी रह.)

======================

हक़्क़े-मह्र का हुक्म

सवाल : एक सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा फ़लाँ औरत से निकाह करा दीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, कुछ मेह्र दो अगरचे लोहे की अँगूठी ही हो। उसे वो भी न मिली तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कुछ क़ुर्आन भी पढ़ा है?'

उन्होंने जवाब दिया कि हाँ! फ़लाँ फ़लाँ सूरत।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या वो ज़ुबानी याद है?'

उन्होंने जवाब दिया कि, जी हाँ!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ मैं ने तुम्हें उस औरत का मालिक बना दिया। इस मेह्र पर जो तुम्हें क़ुर्आन याद है।' (बुख़ारी/ अन्निकाह/ अत्तज़वीजु अलल क़ुर्आन बिग़ैरि सिदाक : 5149, मुस्लिम/ अन्निकाह/ अस्सिदाक़ु वजवाज़ु कूनुहू तअलीमि क़ुर्आन व ख़ातिमु हदीद : 1425)

========================

सवाल : एक शख़्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे पास कुछ नहीं जो मैं निकाह करूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, क्या तुम्हें (क़ुल हुवल्लाहु अहद) याद नहीं?

उन्होंने कहा, वो तो (याद) है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चौथाई क़ुर्आन हो गया।'

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या (क़ुल या अय्युहल काफ़िरून) याद नहीं?'

उन्होंने कहा, हाँ (याद) है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चौथाई क़ुर्आन यह हो गया।'

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या (इज़ा ज़ुल्ज़िलति) याद नहीं?'

उन्होंने कहा, वो भी (याद) है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चौथाई क़ुर्आन यह हो गया।'

फिर आप ने फ़र्माया, 'क्या (इज़ा जाआ नस्रूल्लाहि) तुम्हें याद नहीं?'

उन्होंने कहा, वो भी (याद) है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चौथाई क़ुर्आन यह हुआ।'

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तुम्हें (आयतल कुर्सी) याद नहीं?'

उन्होंने कहा, वो भी (याद) है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चौथाई कुर्आन यह हुआ। निकाह कर ले, निकाह कर ले, तीन बार फ़र्माया।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/221)

========================

सवाल : क्या फ़र्माते हैं रसूलल्लाह (ﷺ) उस शख़्स के बारे में जिसने एक औरत से निकाह किया, मेह्र नामज़द नहीं की और मर गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़त्वा दिया, 'उसके क़बीले की दीगर औरतों के मेह्र के अंदाज़े से उसे मेह्र मिलेगा और उस पर अपने फ़ौतशुदा ख़ाविन्द की इद्दत भी है और वो उसके माल की मीराष़ भी पाएगी।'

इसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) सहीह बतलाते हैं। इस फ़त्वे के ख़िलाफ़ कुछ भी षुबूत नहीं पस इससे हटने की कोई वजह नहीं। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/280, अबू दाऊद/ अन्निकाह/ फ़ीमन तज़विजु वलम युसिम्मुस्सिदाक़ हत्ता मात : 2114, तिर्मिज़ी/ अन्निकाह/ माजाअ फ़िर्रजुलि यतज़व्वजुल मरअत फ़यमूतउ अन्हा : 1145, निसाई/ अन्निकाह/ इबाहतुत्तज़वीजु बिग़ैरि सिदाक़ : 3356, इब्ने माजा/ अन्निकाह : 3524)

========================

औरत का महरम से इलाज करवाना

:: फ़त्वा :: हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पछने लगवाने की इजाज़त तलब की तो आप ने अबू तय्यिबा को पछने लगाने का हुक्म दिया। ग़ालिबन वो माई के रज़ाई (दूध शरीक) भाई थे या नाबालिग़ थे। (मुस्लिम/ अस्सलाम/ लिकुल्लि दाइ दवाउ : 2206)

========================

ग़ैर-महरम नाबीना मर्द से पर्दा

सवाल : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, कि ऐ उम्मे सलमा! और ऐ मैमूना! तुम उम्मे मक्तूम से पर्दा करो। दोनों ने कहा, नबी (ﷺ) वो तो नाबीना हैं, न हमें देखें न हमें पहचानें।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'लेकिन तुम तो नाबीना नहीं हो, क्या तुम उन्हें नहीं देखतीं?' (अबू दाऊद/ अल्लिबास/ फी क़ौलिहि अज़्ज़ु व जल : (वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुजना) : 4112, तिर्मिज़ी/ अल अदब/ माजाअ फ़ी इज्तिनाबिन्निसाइ मिनर्रिजाल : 2778)

एक जमाअत ने तो इसी फ़त्वे को लिया है और औरत का मर्दों को देखना हराम कहा है। दूसरी जमाअत ने इसके ख़िलाफ़ हज़रत आइशा (रज़ि.) की इस हदीष़ से हुज्जत पकड़ी है कि मस्जिद में जो हब्शी बांक बनूट खेल रहे थे, वो आप (रज़ि.) देख रही थीं, लेकिन इस मुआरिज़े में नज़र है, इसलिए कि हो सकता है कि हब्शियों के उन करतबों को देखने का क़िस्सा हिजाब का हुक्म नाज़िल होने से पहले का हो। एक और जमाअत ने इसे अज़वाजे मुताह्हिरात (रज़ि.) के लिए ही मख़्सूस कर दिया है।

========================

निकाह के लिये औरत की इजाज़त

सवाल : हज़रत आइशा (रज़ि.) आप (ﷺ) से पूछती हैं कि जिस लड़की का निकाह उसके माँ–बाप करना चाहें वो क्या उस लड़की से पूछा करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! उससे इजाज़त लें।'

उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो तो बहुत शर्मीली होती है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यही उसकी इजाज़त है जबकि वो ख़ामोश हो जाए।' (बुख़ारी/ किताबुन्निकाह/ बाब : ला यन्किहुल अब व ग़ैरिहुल बकर....: हदीष़ : 5137, सहीह मुस्लिम/ किताबुन्निकाह/ हदीष़ : 1420)

हम इसी फ़त्वे को लेते हैं, कुँवारी लड़की से भी इजाज़त लेना ज़रूरी है।

चुनाँचे सहीह हदीष़ में है, 'बेवा औरत बनिस्बत अपने दिल के अपने नफ़्स की ज़्यादा हक़दार होती है और बाकिरः (कुँआरी) से उसके बारे में इजाज़त चाही जाए, उसकी इजाज़त उसका चुप रहना है।'

एक रिवायत में है, 'उसका बाप उससे उसक रज़ामंदी तलब करे। उसकी इजाज़त उसकी ख़ामोशी है।'

बुख़ारी व मुस्लिम में है, 'बाकिरः का निकाह न किया जाए जब तक कि उसकी इजाज़त न ले ली जाए।'

लोगों ने पूछा, उसकी इजाज़त की कैफ़ियत क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसका चुप रहना।'

एक कुँवारी लड़की ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा कि उसके बाप ने उसका निकाह करा दिया है और वो उसे नापसंद रखती है पस आप (ﷺ) ने उसे इख़्तियार दिया। अब ग़ौर करो कि बाकिरः से इजाज़त तलब करने का नबी (ﷺ) हुक्म दिया और उसकी

इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह़ कर देने से मना किया। जिसका निकाह़ इस त़रह़ बिना इजाज़त कर दिया गया था उसे इख़्तियार दिया गया कि अगर चाहे तो उस निकाह़ को बरक़रार रखे चाहे तो तोड़ दे। फिर इन तमाम ह़दीषों से रूगरदानी करके इसके ख़िलाफ़ कहना और दलील में नबी (ﷺ) के इस फ़र्मान, 'बेवा अपने नफ़्स की ज़्यादा ह़क़दार है बनिस्बत उसके वली के' मफ़हूम ही को लेकर इन स़ाफ़ स़रीह अह़ादीष का ख़िलाफ़ करना कैसे सह़ीह़ होगा? बावजूद यह कि इसके स़ाफ़ अल्फ़ाज़ का मतलब भी इस बात में बहुत वाजेह है कि जिसने इसका यह मफ़हूम समझा कि उसे अपने निकाह़ में कोई इख़्तियार नहीं।

यह मुराद नहीं, क्योंकि इसके बाद ही अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने फ़र्मा दिया है, 'बाकिरः से उसके नफ़्स के बारे में इजाज़त ली जाए।'

बल्कि ह़क़ तो यह है कि गोया अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने उन लोगों के कलाम को रद्द कर दिया है जिन्होंने आप (ﷺ) के कलाम का यह मफ़हूम लिया है। यही आदत नबी (ﷺ) की और कलाम में भी कि जिस ग़लत मफ़हूम के लेने का एह्तेमाल (शक) होता है, जैसाकि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किसी भी मसलमान को किसी भी काफ़िर के बदले क़त्ल न किया जाए और न ही कोई मुआह़िदा वाला अपने मुआह़िदे में।'

चुनाँचे नबी (ﷺ) ने जब एक मुस्लिम के क़त्ल की नफ़ी काफ़िर के बदले फ़र्मा दी तो इस हुक्म ने काफ़िर के ख़ून का नाहक़ गिराना शक में डाल दिया कि शायद यह जाइज़ हो गया और इसकी कोई हुर्मत न रही?....... तो रसूलल्लाह (ﷺ) ने यूँ फ़र्माकर, (वला ज़ू अह्दिन फ़ी अह्दिही) .... कि जिस काफ़िर के साथ अमन का मुआह़िदा हो उसे भी उस मुआह़िदे की पाबन्दी में क़त्ल नहीं किया जाएगा। आप (ﷺ) इसे बातिल करने के लिए इस जुम्ले के साथ ही और जुम्ला फ़र्मा देते मषलन फ़र्माया, 'क़ब्रों पर न बैठो। साथ ही फ़र्मा दिया कि उनकी तरफ़ नमाज़ भी न पढ़ो।' (बुख़ारी/ अन्निकाह/ ला यन्किहुल अब वग़ैरुहुल बिक्र.....: 5137, मुस्लिम/ अन्निकाह/ इस्तिअज़ानिष्षयबि फ़िन्निकाहि बिन्नुत्क....: 1420)

क्योंकि उन पर बैठने की मुमानिअत से लोग उनकी तअ़ज़ीम में मुबालिग़ा न करने लगें। इसलिए बतला दिया कि उन्हें क़िब्ला भी न बना लो। पस इसी त़रह़ यहाँ भी आप (ﷺ) का मक़सद बिल्कुल ज़ाहिर है कि बाकिरः से इजाज़त ज़रूर लेनी चाहिए। उसकी इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह़ न करना चाहिए। और अगर उससे पूछे बग़ैर उसका निकाह़ कर दिया गया तो वो बिल्कुल बातिल है। दरअसल इन स़ाफ़ अह़ादीष के ख़िलाफ़ कोई दलील कलामे रसूल में मुतलक़न नहीं। पस हर एक पर वाजिब है कि यही फ़त्वे दे जो इस ह़दीष में है। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ दे।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) औरतों का महर क्या होना चाहिए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो भी आपस में मुक़र्रर हो जाए।'

दारे कुत्नी ही की रिवायत में है कि, लोगों! अपनी यतीम बच्चियों का निकाह कर दिया करो।

तो आप (ﷺ) से सवाल हुआ कि उनके महर क्या होने चाहिये?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो फ़रीक़ैन में रज़ामंदी से तै हो जाएँ चाहे पीलू के दरख़्त की एक शाख़ ही हो।' (अद्दारे कुत्नी फ़ी किताबिही (अस्सुनन) : 3/442)

========================

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से फ़त्वा पूछा कि मेरे वालिद ने मेरा निकाह अपने भतीजे से कर दिया है कि उसकी ख़ुस्त मेरी वजह से दूर कर दे।

जवाब : आप (ﷺ) ने यह काम उसी को सौंपा। उसने कहा कि मेरे वालिद ने मेरे लिए जो किया है मैं उसे जाइज़ रखती हूँ। मेरा इरादा तो सिर्फ़ यह था कि औरतें यह मअलूम कर लें कि उनके वालिद के हाथ में उनका कोई अम्र नहीं। (निसाई/ अन्निकाह/ अलबिक्रु यज़वजिहा अबूहा वहिय कारिहतुन : 3271, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/136)

========================

ज़ानिया औरतों से पाकबाज़ मर्द के निकाह की मुमानिअत

मुरषद ग़नवी (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से फ़त्वा पूछा कि क्या मैं इनाक़ नामी औरत से अपना निकाह कर लूँ? यह औरत मक्का शरीफ़ में बदकार औरत थी। आप (ﷺ) ने जवाब न दिया और यह आयत (अज़्ज़ानी ला यनकिहू इल्ला ज़ानिया:.. सूरह नूर: 3) नाज़िल हुई। (ज़ानी उसी ज़ानिया से निकाह करे और ज़ानिया औरत न निकाह करे मगर ज़ानी से या मुश्रिक से।) आप (ﷺ) ने उन्हें यह आयत पढ़कर सुनाई और फ़र्माया, 'उससे निकाह न करो।' (अबू दाऊद/ अन्निकाह/ फ़ी क़ौलिह तआला : (अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला....) : 2051, तिर्मिज़ी/ अत्तफ़सीर/ फ़ी सूरतिन्नूर : 3176, निसाई/ अन्निकाह/ तज़वीजुज़्ज़ानिया : 3230, हाकिम फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 2/166, हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : एक और शख़्स आप (ﷺ) से इजाज़त चाहता है कि मैं उम्मे महज़ूल

से निकाह कर लूँ? यह भी बअस्मत न थी।

जवाब : नबी करीम (ﷺ) ने जवाब में वही ऊपर वाली आयत पढ़कर सुनाई। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/159, अबू दाऊद/ अन्निकाह/ फ़ी कौलिहि तआला : (अज़्ज़ानी ला यन्किहु इल्ला ज़ानिया) : 2051, निसाई/ अन्निकाह/ तज़वीजुज़्ज़ानिया : 6/66, हाकिम फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 2/166, हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

======================

नबी (ﷺ) का फ़त्वा है कि हद लगाया हुआ ज़ानी अपनी जैसी ही औरत से निकाह करे। हज़रत इमाम अहमद (रह.) ने और उनके मुवाफ़िक़ीन ने नबी (ﷺ) का यही फ़त्वा लिया है जिसके ख़िलाफ़ और कोई बात नबी (ﷺ) ने बयान नहीं फ़र्माई। आप (रह.) के मज़हब की ख़ूबी एक यह भी है कि वो किसी शख़्स को किसी क़ह्बा से निकाह करने की इजाज़त नहीं देते। इस मसले की ताईद कुछ ऊपर बीस दलीलों से होती है जिन्हें हमने और जगह बयान कर दिया है।

======================

एक वक़्त में सिर्फ़ चार बीवियों की इजाज़त

हज़रत क़ैस बिन हारिस़ (रज़ि.) जब मुस्लिम हुए तो उनके निकाह में आठ बीवियाँ थीं। आप (ﷺ) ने उन्हें हुक्म दिया, 'इनमें से पसंद करके चार रख लो।' (मालिक फ़ी किताबिही (अल् मौता) : 2/582, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/13, तिर्मिज़ी/ अन्निकाह/ माजाअ फ़िर्रजुलि युसल्लिमु व ईन्दहू अशर निसवह : 1128, इब्ने माजा/ अन्निकाह : 1953, हाकिम फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 2/192,193, इब्ने हिब्बान/ अन्निकाह : 4156)

======================

हज़रत ग़ैलान (रज़ि.) जब मुस्लिम हुए तो उनके निकाह में दस औरतें थीं। आप (ﷺ) ने उन्हें फ़त्वा दिया, 'इनमें से चार रख लो।'

यह दोनों रिवायतें इमाम अहमद (रह.) ने ज़िक्र की हैं। यह दोनों हदीसें साफ़ दलील हैं इस पर कि उसे इख़्तियार है इनमें से जिन्हें चाहे रखे, ख़्वाह पहले के निकाह की हो ख़्वाह बाद के निकाह की हों। (मालिक फ़ी किताबिही (अल् मौता) : 2/582, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/13, तिर्मिज़ी/ अन्निकाह/ माजाअ फ़िर्रजुलि युसल्लिमु व ईन्दहू अशर निसवह : 1128, इब्ने माजा/ अन्निकाह : 1953, हाकिम फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 2/192,193, इब्ने हिब्बान/ अन्निकाह : 3156)

======================

एक निकाह में सगी बहनें रखने की मुमानअ़त

सवाल : हज़रत फ़िरोज़ दैलमी (रज़ि.) नबी (ﷺ) से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं मुस्लिम हो गया हूँ, मेरे निकाह में दो औरतें हैं जो आपस में सगी बहनें हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इनमें से जिसे तू चाहे तलाक़ दे दे' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/232, **अबू दाऊद**/ अत्तलाक़/ फ़ीमन असलमा व ईन्दहू निसाइ अकसरु मिन अरबइन अव उख़्तान : 2243, **तिर्मिज़ी**/ अन्निकाह/अर्रजुलु यसल्लिमु व ईन्दहू उख़्तान : 1129, **इब्ने माजा**/ अत्तलाक़/ अल मुतअतुल्लति लम यफ़रुज लहा : 5035)

========================

बाज़-वक़्त जुदाई की सूरतेहाल

सवाल : हज़रत बुसरा बिन अक्तम (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से अ़र्ज़ किया कि मैंने एक पर्दानशीन बाकिरः से निकाह किया लेकिन जब दख़ूल किया तो देखा कि वो हमल से है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चूँकि तुमने उसे अपने लिए हलाल किया, उसे महर देना पड़ेगा और वो लड़का तुम्हारा गुलाम है, जब वो हमल से फ़ारिग़ हो जाए तो उसे ज़िनाकारी की हद लगाओ और उन मियाँ-बीवी में आप (ﷺ) ने जुदाई करा दी' (**सुनन अबी दाऊद**, किताबुन्निकाह, बाब फ़िर्रजुलि यतज़व्विजुल मरअत फ़यजिदहा हुबला, हाः 2131, जईफ़/ अल अलबानी रह.)

इस फ़त्वे में सिर्फ़ बच्चे को गुलाम बना लेने का इश्काल है। वल्लाहु अअ़लम!

========================

सवाल : एक औरत आप (ﷺ) के ज़माने में मुस्लिम हुई और अपना निकाह कर लिया उसके ख़ाविन्द ने नबी (ﷺ) के पास आकर कहा कि या रसूलल्लाह (ﷺ) मैं मुस्लिम हो चुका था इसे मेरे इस्लाम का इल्म था, फिर भी उसने ऐसा किया है।

जवाब : आप (ﷺ) ने उसी वक़्त उस औरत को उसके नए ख़ाविन्द से जुदा कर दिया और उसके पहले ख़ाविन्द को उसे दिला दिया। (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/232, **अबू दाऊद**/ अत्तलाक़ : 2238, **तिर्मिज़ी**/ अन्निकाह : 1144, **इब्ने माजा**/ अत्तलाक़/ अज़्ज़ौजैने यसल्लिमु अहदुहुम क़ब्लल आखरा : 2008, **हाकिम** फ़ी कताबिही (अल मुस्तदरक) : 2/200, **इब्ने हिब्बान** फ़ी (सहीहिही) : 4159, जईफ़ुल अस्नाद/ अल अलबानी रह.)

सर में नक़ली बाल लगाना

सवाल : क्या फ़र्माते हैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) उस औरत के बारे में जिसका निकाह हुआ और उसके सर के बाल झड़ गए हैं क्या उसमें और बाल मिला लिये जाएँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की लअ़नत है उस औरत पर जो बालों में बाल मिलाए और जो मिलवाए।' (बुख़ारी/ अल लिबास/ वस्लुश्शअरि : 5934, मुस्लिम/ अल लिबास/ तहरीमु फ़ेअलिल वासिलाह वल मुस्तवसिलाह : 2123)

======================

अ़ज़्ल के बारे में फ़तवा

सवाल : क्या फ़त्वा है रसूलल्लाह (ﷺ) का इस बारे में कि जिमाअ़ में अपने ख़ास पानी को बाहर गिरा दिया जाए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम लोग ऐसा करते हो? क्या तुमने यह फ़अ़ल किया है? क्या तुम इसे करते हो? सुनो! जो जान क़यामत तक पैदा होने वाली है वो तो होकर रहेगी।' (बुख़ारी/ अन्निकाह/ अल अज़्लु : 5210, मुस्लिम/ अन्निकाह/ हुक्मुल अज़्ल : 1438)

सहीह मुस्लिम में इस सवाल का जवाब यूँ है, 'तुम पर कोई हर्ज नही कि तुम ऐसा न करो। अल्लाह तआ़ला ने जिस जान का क़यामत तक पैदा होना लिख दिया है वो तो पैदा होकर ही रहेगी।'

======================

इसी सवाल के जवाब में आप (ﷺ) ने फ़र्माया है, 'हर एक पानी से औलाद नहीं हुआ करती और जब अल्लाह किसी को पैदा करना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता।' (मुस्लिम/ अन्निकाह/ हुक्मुल अज़्ल : 1438)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी लौण्डी है, मैं उससे मुबाशिरत करता हूँ लेकिन ऐन मौक़े पर अपना पानी बाहर डाल देता हूँ क्योंकि मुझे उसका हमल से हो जाना नापसंद है और जो ख़्वाहिश मर्दों की है वो मुझे भी है। मैंने सुना है कि यहूदी कहते हैं ऐसा करना ज़िन्दा दर गौर करने का छोटा फ़र्द है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यहूद बकते हैं, अगर अल्लाह किसी को पैदा करना चाहे तो तुम उसे उसके हुक्म से फेर नहीं सकते।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) :

3/51, अबू दाऊद/ अन्निकाह/ माजाअ फ़िल अज़्ल : 2171)

यह दोनों जवाबात अल मुस्नद अहमद अबू दाऊद में हैं।

=======================

सवाल : एक शख़्स ने आकर अपनी लौण्डी से इसी काम के करने का ज़िक्र आपसे किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह हमल को रोक नहीं सकता जबकि अल्लाह का इरादा हो।'

कुछ मुद्दत के बाद वही साहब फिर आए और कहा या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी वो लौण्डी हमल से हो गई है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ।' (मुस्लिम/ अन्निकाह/ हुक्मुल अज़्ल : 1439) (सहीह मुस्लिम की इससे पहले वाली हदीष में है कि : नबी करीम ﷺ ने उस शख़्स से फ़र्माया था, मैंने तुझे पहले ही ख़बर दे दी थी कि जो उसकी तक़दीर में लिखा है, वो ज़रूर आएगा। और यहाँ इस रिवायत में जो फ़र्माया कि, मैं अल्लाह का बन्दा औद उसका रसूल हूँ। तो इसका मतलब यह है कि, यह तक़दीरी मुआमिलात ख़ास अल्लाह अज्ज़ व जल के अपने इख़्तियार में हैं। उनके अंदर किसी का कोई अमल दख़ल नहीं होता। मैं तो उसकी तरफ़ से उसका पैग़ाम पहुँचाने वाला उसका बन्दा हूँ, बस। अल्लामा वहीद अज़्ज़मान यहाँ इस हदीष के हाशिये में लिखते हैं कि, 'इससे यह मअलूम हुआ कि जब आदमी की तशख़ीस बराबर पड़े तो अल्लाह तआला की बंदगी का फ़ख़्र करे, न कि अपने हुस्ने तशख़ीस और हुस्ने राय का।') (अबू याह्या)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी एक ही लौण्डी है। वही हमारी ख़िदमत गुज़ार है। वही हमारे जानवरों को पानी पिलाने वाली है, मैं उससे मुबाशिरत भी करता हूँ और यह भी नहीं चाहता कि वो हामिला हो जाए।

जवाब : आप (ﷺ) ने उसे अज़्ल करने की इजाज़त मरहमत फ़र्माई और फ़र्माया, 'अगर मुक़द्दर में है तो आ ही जाएगा चाहे तू उससे अज़्ल ही करता रहे।'

उसने कुछ अर्से के बाद ख़िदमत में हाज़िर होकर उसके हामिला होने की ख़बर पहुंचाई, तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैंने तो पहले ही तुमसे कह दिया था कि जो उसके मुक़द्दर में है वो आकर ही रहेगा।' (मुस्लिम/ अन्निकाह/ हुक्मुल अज़्ल : 1439)

=======================

सवाल : एक और साहब ने भी आप (ﷺ) से अज़्ल का हुक्म पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब में फ़र्माया, 'जिस पानी से बच्चा पैदा होता है उसे तू अगर किसी पत्थर पर भी डाल दे तो अल्लाह उसी से निकालेगा, जिस जान को वो पैदा करने

वाला है तो उसे वोह ज़रूर पैदा करेगा।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/140)

========================

सवाल : मुस्लिम में है कि किसी सहाबी ने आप (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मैं अपनी बीवी से अज़्ल करता हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने पूछा, 'ऐसा क्यूँ करते हो?'

उसने जवाब दिया, मुझे उसके बच्चे का ख़ौफ़ है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर यह काम ज़ररनाक (नुक़्सानदेह) होता तो फ़ारसियों और रोमियों को ज़रर देता।' (मुस्लिम/ अन्निकाह/ जवाजु ल ग़यलति वहिय वतउल मुरजिइ वकराहतुल अज़्ल : 1443)

और रिवायत में है, 'अगर ऐसा होता तो फ़ारसियों और रोमियों को ज़रर (नुक्सान) देता।'

========================

मियाँ-बीवी के तअ़ल्लुक़ात का बयान

सवाल : अंसारिया औरत ने आप (ﷺ) से पूछा कि क्या पीछे की तरफ़ से अगली जानिब वती करना जाइज़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने आयते कुर्आनी (निसा-उकुम हरषुल्लकुम फ़अतू हरषकुम् अन्नी शिअ़तुम0 अल बक़र : 223) पढ़कर सुनाई, 'यानी तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए खेतियाँ हैं, अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ। हाँ! लेकिन जगह एक ही हो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/319, तिर्मिज़ी/ अत्तफ़सीर/ मिन सूरह आले ईमरान : 2980, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : हज़रत उमर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया कि, 'या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो हलाक हो गया।' आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या बात हुई?' जवाब दिया कि रात मैंने उल्टी जानिब से असली जगह मुबाशिरत की।

जवाब : आप (ﷺ) ने कोई जवाब नहीं दिया हत्ताकि अल्लाह तआला ने अपने रसूल (ﷺ) की तरफ़ वह्य नाज़िल फ़र्माई कि (निसा-उकुम हरषुल्लकुम) 'तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ हैं इनमें जिस तरह चाहो आओ।'

'आगे से या आगे की जगह पीछे से। हाँ! हैज़ की हालत में न आओ और दुबर में न आओ।'

यही है जिसे अल्लाह के रसूल (ﷺ) ने मुबाह किया है यानी पीछे की तरफ़ से बच्चा होने की जगह वती करना न कि दुबर में वती करना।

इसकी बाबत तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मल्ऊन (धिक्कारणीय) है जो अपनी बीवी की दुबर में वती करे।'

और हदीष में है, 'जो हाइज़ा औरत से वती करे और दुबर में वती करे और जो काहिन के पास जाए और उसकी बात सच्ची माने, उसने उस चीज़ के साथ कुफ़्र किया जो मुहम्मद रसूलल्लाह (ﷺ) पर उतरी है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/197, तिर्मिज़ी/ अत्तफ़सीर/ मिन सूरति आले इमरान : 2980, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

और आप (ﷺ) का यह भी इर्शाद है, 'अल्लाह तबारक व तआला हक़ अम्र से शर्म नहीं करता। औरतों की दुबर में वती न करो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/214)

फ़र्मानि रसूलल्लाह (ﷺ) है, 'अल्लाह तआला उस शख़्स की तरफ़ क़यामत के दिन नज़रे रहमत से न देखेगा जो किसी मर्द या औरत की दुबर में वती करे।'

फ़र्मानि रसूल (ﷺ) है, 'छोटी लवातत (समलैंगिकता) यह है कि कोई अपनी बीवी की दुबर में करे।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/182, यह सब हदीषें मुस्नद अहमद में हैं।)

=======================

सवाल : क्या फ़र्माते हैं अल्लाह के रसूल (ﷺ) कि औरतों के हुक़ूक़ मर्दों पर क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो ख़ुद खाता हो तो औरत को भी खिलाए, जो आप पहनता हो तो औरत को भी पहनने को दे। उसके मुँह पर न मारे, उसे ग़ाली न दे, उससे तर्के तअल्लुक़ न करे मगर अपने ही मकान में।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/3, अबू दाऊद/ अन्निकाह/ फी हक्क़िल मरअति अला जवजिहा : 2142, इब्ने माजा/ अन्निकाह : 1850)

=======================

अह्कामे-रज़ाअत

सवाल : उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीक़ा ने आप (ﷺ) से पूछा कि अबू क़ैस का भाई अफ़्लह मेरे पास आने की इजाज़त तलब करता है तो क्या मैं उसे आने दूँ? उसकी बीवी ने मुझे दूध पिलाया है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्मांया, 'बेशक उसे इजाज़त दे दो। वो तो तुम्हारे रज़ाई (दूध शरीक) चचा हो गए।' (बुख़ारी/ अन्निकाह/ मा युहिल्लु मिनद्दुख़ूलि वन्नज़रि इलन्निसाइ फ़िर्रिज़ाइ : 5239, मुस्लिम/ अर्रिज़ाइ/ तहरीमुर्रज़ाअति मिम्माइल फ़हलि : 1445)

========================

सवाल : एक अअ़राबी ने नबी (ﷺ) से ज़िक्र किया कि मेरी एक पहली बीवी थी। अब मैंने दूसरा निकाह किया तो पहली बीवी कहती है कि उस नई औरत को उसने एक दो मर्तबा दूध पिलाया है। अब फ़र्माइए, क्या किया जाए?

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्मांया, 'एक दो मर्तबा के दूध पिलाने से हुर्मत साबित नहीं होती।' (मुस्लिम/ अर्रिज़ाअ/ फ़िल मस्सति वल मस्सतानि : 1451)

========================

सवाल : हज़रत सहला बिन्ते सुहैल (रज़ि.) कहती हैं कि सालिम अब बलूग़त को पहुँच गए हैं और ख़ासे जानने बूझने वाले हो गए हैं। वो हमारे यहाँ आया करते हैं। मैं गुमान करती हूँ कि मेरे ख़ाविन्द हुज़ैफ़ा उनके आने जाने से कुछ नाराज़ हो जाते हैं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्मांया, 'उन्हें अपना दूध पिला दो, उन पर तुम हराम हो जाओगी और हुज़ैफ़ा के दिल में जो है वो भी जाता रहेगा।'

(मुस्लिम/ अर्रिज़ाअ/ रज़ाअतुल क्बीरि : 1453)

वो फिर आईं और कहा, मैं उन्हें अपना दूध पिला दिया और अल्हम्दुलिल्लाह! अब मेरे शौहर के दिल में भी कोई बात नहीं रही।

सलफ़ की एक जमाअ़त का यही फ़त्वा है। इनमें से हज़रत आइशा (रज़ि.) भी हैं। अक्सर अहले इल्म ने यह नहीं लिया। इनका अ़मल इन हदीषों पर है जिनमें हुर्मत करने वाली रज़ाअ़त को दूध छूटने से पहले की उम्र और सग़ीरसिनी (बचपन) के साथ मुक़य्यद किया है और दो साल से पहले के साथ है। इसमें कई वजह हैं।

एक तो यह कि यह हदीषें बकष़रत हैं और सालिम की हदीष एक ही है। दूसरे यह कि सिवाय हज़रत आइशा (रज़ि.) के और सब उम्महातुल मोमिनीन (रज़ि.) मना की

तरफ़ हैं। तीसरे यह कि एहतियात मना ही में है। चौथे यह है कि बड़े आदमी की रज़ाअत न तो ख़ून पैदा करती है, न उससे हड्डी ही बनती है। पस बाज़िय्यत जो बाइस़ (कारण) है हुर्मत की वो इससे हासिल नहीं होती। पाँचवी वजह यह है कि मुमकिन है यह हुक्म हज़रत सालिम (रज़ि.) के साथ ही मख़्सूस हो क्योंकि उनके वाक़िये के सिवा किसी और में नहीं है।

एक वजह सुनिए हज़रत आइशा (रज़ि.) के पास रसूले अकरम (ﷺ) गये, वहाँ एक शख़्स को बैठा पाया। आप (ﷺ) पर यह गिरा गुज़रा और आप (ﷺ) नाराज़ हो गये। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह मेरे दूध शरीक भाई हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'रज़ाई भाईयों को अच्छी तरह जान पहचान लो, रज़ाअत वही मोअतबर है जो दूध पीने के ज़माने में हो।' (बुख़ारी/ अन्निकाह/ मन काल : ला रिज़ाअ बअद हवलैनि : 5102, मुस्लिम/ अर्रिज़ाअ/ इन्नमर्रिज़ाअतु मिनल मुजाअति : 1455)

यह लफ़्ज़ मुस्लिम शरीफ़ के हैं। इन छः वजूहात के सिवा हज़रत सालिम (रज़ि.) वाले क़िस्से में एक और मस्लक भी है वो यह कि यह बयान ज़रूरत के लिए था। सालिम (रज़ि.) हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़ि.) के लय-पालक लड़के थे। इन्होंने ही उनकी परवरिश की थी। उनका आना जाना ज़रूरी था तो जहाँ कोई ऐसी ही सूरत ज़रूरत आ पड़े वहाँ तो ऐसा इज्तिहादी मसला चल जाएगा। क्या अजब कि यही मस्लक सबसे ज़्यादा क़वी हो। हमारे शेख़ (रह.) भी इसी जानिब माइल थे। वल्लाहु अअ़लम!!

========================

सवाल : नबी (ﷺ) से कहा गया कि आप (ﷺ) हज़रत हमज़ा (रज़ि.) की साहबज़ादी से निकाह कर लें।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'वो मुझे हलाल नहीं कि वो मेरे रज़ाई भाई की बेटी है। रज़ाअत (दूध पिलाने) से वो रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो नसब से हराम हो जाते हैं।' (मुस्लिम/ अर्रिज़ाअ/ तहरीमु इब्नतुल अखि मिनर्रिज़ाअति : 1447)

========================

सवाल : हज़रत उक़बा बिन हारिस़ (रज़ि.) आप (ﷺ) से अर्ज़ करते हैं कि मैंने एक औरत से निकाह किया। एक हब्शन अब आई है, कहती है कि मैंने तुम दोनों को अपना दूध पिलाया है। या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो झूठी है।

जवाब : आप (ﷺ) ने उनसे मुँह फेर लिया। उसने फिर कहा, नबी (ﷺ) वो ग़लत बयान कर रही है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अब कैसे उस (बीवी) से मिलोगे जबकि वो कह रही है कि उसने तुम दोनों को दूध पिलाया है। अब तुम उस औ़रत को छोड़ दो।'

चुनाँचे उन्होंने उसे अलग कर दिया और उसने दूसरी जगह अपना निकाह़ कर लिया। दारे कुत्नी में है कि, 'इसे अलग कर दो, तेरे लिये अब इसमें कोई भलाई नहीं।' (बुख़ारी/ अन्निकाह/ शहादतुल मुरसिफ़ाति : 5104, अह़मद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/ 383, तिर्मिज़ी/ अर्रिज़ाअ/ माजाअ फ़ी शहादतिल मरअतिल वाहिदति फ़िर्रिज़ाअ : 1151)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं दूध पिलाई का ह़क़ कैसे अदा करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक जान आज़ाद करके, गुलाम हो या लौण्डी (यानी गुलाम या लौण्डी ख़रीद कर अपनी दाया को दे दो।)' (अबू दाऊद/ अन्निकाहि/ फ़िर्रज्ख़े ईन्दल इज्ञाल : 2064, तिर्मिज़ी/ अर्रिज़ाअ/ माजाअ मा यज़हबु मुज़म्मतर्रिज़ाअ : 1153, निसाई/ अन्निकाहि/ हक़्क़ुर्रिज़ाअ व हुर्मति : 6/108, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह मसला तो बताईए कि रज़ाअ़त के बारे में किन की गवाही जाइज़ है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक मर्द की या एक औ़रत की।'

(अह़मद फ़ी किताबिही (अल मुस्ननद) : 2/109)

========================

सत्रहवाँ बाब :

तलाक़ के बारे में फ़तावा

हालते हैज़ में तलाक़, ख़ुला और ज़िहार का हुक्म

सवाल : हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) रसूले करीम (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मेरे बेटे अब्दुल्लाह ने अपनी बीवी को हालते हैज़ में तलाक़ दे दी है।

जवाब : आप (ﷺ) ने उसे लौटा लेने का हुक्म देते हुए फ़र्माया, 'फिर उसे रख ले यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। फिर जब उसे हैज़ आए और उससे पाक हो जाए फिर अगर तलाक़ देना चाहे तो तलाक़ दे दे।' (बुख़ारी/ किताबुत्तफ़सीर/ हा : 4908, मुस्लिम/ अत्तलाक : 1471)

=========================

औरत की बद-ज़ुबानी पर मर्द को तलाक़ देने का इख़्तियार

सवाल : एक साहब ने रसूले करीम (ﷺ) के पास अपनी बीवी की बदज़ुबानी का बयान किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे तलाक़ दे दो।'

वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुद्दत से मेरे पास है, उससे मुझे औलाद भी है।

आप (ﷺ) फ़र्माया, 'फिर उसे नसीहत करो, अगर इसमें ख़ैर है तो मान लेगी। अपनी बीवी को इस तरह न मारो जैसे कोई अपनी लौण्डी को मारता है।' (अहमद फ़ी

फ़िताबिही (अल मुस्नद) : 4/33)

========================

मर्द को तलाक़ का मुकम्मल इख़्तियार

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बीवी किसी छूने वाले हाथ को लौटाती नहीं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर अगर तू चाहे तो उसके बदले किसी और से निकाह कर ले।'

एक रिवायत में है, 'तू उसे तलाक़ दे दे।'

वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ) मुझे ख़ौफ़ है कि फिर उसकी मुहब्बत में मैं परेशान न फिरूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर उससे नफ़ा उठाता रह।' (अबू दाऊद/ अन्निकाह/ अन्नही अन तज़वीजि मल्लम यलिद मिनन्निसाइ : 2049, निसाई/ अन्निकाह/ तज़वीजुज़्ज़ानिया : 3230, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

इस मुताशाबिहा हदीष़ के बरख़िलाफ़ बहुत सी मुहकम और सरीह हदीषें हैं जिनमें बदकार औरतों से निकाह करने की मुमानिअत आई है। अब इस हदीष़ के मतलब में भी बहुत से मस्लक हैं। एक तो यह कि टटोलने वाले हाथ से मुराद सद्क़ा या ख़ैरात के लिए फैलाने वाला है, न कि फ़ह्हाशी के लिए।

दूसरा मस्लक यह है कि दवाम (हमेशगी) के बारे में इस बात का असर नहीं, यह तो ज़ानिया से अक़्दे निकाह बाँधने के बारे में है जो हराम है।

तीसरा यह है कि इस मौक़े पर दो फ़साद थे। इनमें जो हल्का था वो मंज़ूर कर लिया गया। देखिए पहले तो आप (ﷺ) ने तलाक़ का हुक्म दे दिया, लेकिन जब देखा कि यह उस पर फ़िदा है तो डर लगा कि कहीं इसके बाद इनमें बदकारी न होने लगे जो इससे भी बुरी चीज़ है इसलिए निकाह के बाक़ी रखने का हुक्म सादिर फ़र्माया क्योंकि ज़िना से तो बहरहाल यह आसान और हल्की चीज़ है।

चौथा क़ौल यह है कि यह हदीष़ ज़ईफ़ है, षाबित ही नहीं।

पाँचवीं जमाअत कहती है कि हदीष़ में यह तो है ही नहीं जिससे उस औरत का ज़ानिया होना षाबित होता हो। इसमें तो सिर्फ़ इतना ही है कि वो छूने वाले के और उस पर हाथ रखने वाले के हाथ नहीं झटकती वग़ैरह।

पस इसमें एक क़िस्म की नरमी है, न यह कि वो बदकार हो। लेकिन चूँकि ख़तरा है कि कहीं इससे आगे न बढ़ जाए इसलिए उसे अलग कर देने का नबी (ﷺ) से हुक्म हुआ

कि क्यूँ शक़ व शुब्ह में पड़े? जब मअ़लूम हुआ कि मियाँ अपनी उस बीवी पर दीवाना है और उसकी जुदाई पर सब्र न कर सकेगा तो आप (ﷺ) ने उसको रोक रखने में ही मस्लिहत समझी और उसको छोड़ देने पर तरजीह दी क्योंकि वो उसके हाथ लगाने वाले के हाथ से अपने तईं न बचाने को मकरूह समझता था। पस आप (ﷺ) ने उसे निकाह बाक़ी रखने को फ़र्माया। इंशाअल्लाह!! सब मस्लकों में राजेह मस्लक यही है। वल्लाहु अअ़लम!!

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी मालकिन ने मेरा निकाह अपनी लौण्डी से करा दिया। अब वो हम दोनों में जुदाई कराना चाहती है तो शरई हुक्म क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने अल्लाह तआ़ला की हम्दो–सना बयान करके फ़र्माया, 'लोगों को क्या हो गया है कि वह अपने गुलामों का निकाह अपनी लौण्डियों से कर देते हैं, फिर उन्हें अलग कर देना चाहते हैं? सुनो! तलाक़ उसके हाथ में है जो रान थामता है।' (**अक़्ज़ी कुल्ली**/ फ़ी किताबिही (अस्सुनन) : 4/37)

========================

तलाक़े बाइन के बाद

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से कहा कि मेरे ख़ाविन्द ने मुझे तीसरी तलाक़ दे दी, इसके बाद मैंने और शख़्स से निकाह कर लिया, वो मेरे पास आया लेकिन उसके पास मिष्ल कपड़े के फंदने के ही है। पस वो मुझसे बजुज़ एक मर्तबा के क़रीब ही न हुआ, न वो कामयाबी के साथ कुछ कर सका है, तो क्या मैं अपने पहले ख़ाविन्द के लिए हलाल हो गई?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तू अपने अगले ख़ाविन्द के लिए उस वक़्त तक हलाल नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा ख़ाविन्द तुझसे लुत्फ़अंदोज़ न हो और तू उससे' (**बुख़ारी**/ अल लिबास/ अल इज़ारुल मुहद्दबि : 5792, **मुस्लिम**/ अन्निकाह/ ला तहिल्लुल मुतल्लकति षलाषन लि मुतल्लकिहा हत्ता तन्किहा ज़वजन ग़ैरह...: 1433)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक औरत को तीन तलाक़ें हो गई, उसने और शख़्स से निकाह कर लिया, वो विदाअ़ करके अपने घर ले गया, दरवाज़ा बंद किया, पर्दे डाल दिए, फिर दुख़ूल से पहले ही तलाक़ दे दी। तो क्या वो औरत अपने अगले ख़ाविन्द के लिए हलाल हो

जाएगी?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तक दूसरा उससे सोहबत न कर ले पहले वाले के लिए हलाल न होगी।' (निसाई/ अत्तलाक़/ इहलालुल मुतल्लकति षलाषन वन्निकाहिल्लज़ी यहलुहा : 3415, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

======================

हलाला एक लानतवाला काम है

अल्लाह के रसूल (ﷺ) का फ़तवा है, 'हलाला करने वाले और करवाने वाले पर लानत की गई है', एक और हदीष में है 'क्या मैं तुम्हें उधार के साण्ड की ख़बर दूँ? सहाबा (रज़ि.) ने कहा, 'ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! क्यों नहीं?' तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हलाला करने वाला। अल्लाह की लअ़नत है हलाला करने वाले पर और हलाला कराने वाले पर।' (तिर्मिज़ी/ अन्निकाह/ माजाअ फ़िल मुहलिल वमुहल्ल लहू : 1120, निसाई/ अत्तलाक़/ इहलालुल मुतल्लकति षलाषन वमा फ़ीहि मिनल तग़लीज़ : 3445, इब्ने माजा/ अन्निकाह/ अल मुहलल वल मुहलिल लहू : 1934, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

======================

नाशुक्री औरत

सवाल : एक औरत ने नबी करीम (ﷺ) से नेअ़मतों के बावजूद नाशुक्री करने वाले की निस्बत पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या ऐसा मुम्किन है कि तुममें से कोई अपने अकेलेपन के दिन अपने माँ-बाप के घर जिस तरह काट रही हो फिर अल्लाह करीम उसका जोड़ कहीं लगा दे। वहाँ उसे माल भी मिले, औलाद भी हो फिर किसी बात पर गुस्से हो जाए और अपने ख़ाविन्द से कह दे कि मैंने तो इस मरदूद से कभी सुख की घड़ी नहीं देखी।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/452)

======================

एक ही मजलिस में तीन तलाक़ों का हुक्म

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक शख़्स ने अपनी बीवी को तीन तलाक़ें एक साथ ही दे दी हैं।

जवाब : आप (ﷺ) गुस्से की वजह से खड़े हो गए और फ़र्माने लगे, 'मेरी मौजूदगी में ही किताबुल्लाह के साथ खेल होने लगा।' (निसाई/ अत्तलाक़/ अष्षलाषुल मजमुअतु

वमा फ़ीहि मिनल तग़लीज़ : 3401, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

यहाँ तक कि एक सहाबी कहने लगे, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे हुक्म दीजिए कि मैं उसे क़त्ल कर दूँ।

========================

सवाल : हज़रत रुकाना बिन अब्दे यज़ीद (रज़ि.) ने जो कि बनू मुत्तलिब में से था अपनी बीवी को तीन तलाक़ें एक ही मजलिस में दे दीं। फिर बड़े ही नादिम हुए।

जवाब : उनसे रसूले करीम (ﷺ) ने पूछा, 'तूने तलाक़ें कैसे दीं ?'

उन्होंने कहा तीन दे दी हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक ही मजलिस में?'

उन्होंने कहा, हाँ!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तो यह तीनों एक ही हैं। अगर तू चाहे तो रुजूअ कर लो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/265, सहीहुन)

चुनाँचे उन्होंने रुजूअ कर लिया। पस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) का मस्लक यही था कि हर तुह्र में एक तलाक़ हो। यह हदीष बरिवायत मौला इब्ने अब्बास अल मुस्नद अहमद में मरवी है कि यही वो सनद है जिसे इमाम अहमद सहीह मानते हैं और इससे दलील लेते हैं और इसी तरह इमाम तिर्मिज़ी (रह.) भी।

========================

सवाल : मुस्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ में है कि अब्दे यज़ीद ने उम्मे रुकाना को तलाक़ दे दी और क़बीले मुज़ैनाः की एक औरत से निकाह कर लिया। यह एक मर्तबा रसूलल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहने लगी कि यह तो मुझे वही फ़ायदा देता है जो फ़ायदा यह मेरे सर का बाल दे सकता है, तो आप (ﷺ) मुझमें और इसमें तफ़्रीक़ (अलगाव) करा दीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) को हमिय्यत आ गई और रुकाना, उसके बहन भाईयों को यानी अब्दे यज़ीद के बच्चों को बुलाकर अपने हम मजलिस से पूछा, 'बतलाओ इन सबमें तुम अब्दे यज़ीद की शबीह पाते हो या नहीं?'

सबने जवाब दिया कि हाँ यह बेशक उसी की औलाद है। आप (ﷺ) ने उसी वक़्त हज़रत अब्दे यज़ीद (रज़ि.) से फ़र्माया, 'तुम इसे तलाक़ दे दो।'

उन्होंने तलाक़ दे दी।

फिर आप (ﷺ) ने हुक्म दिया, 'अपनी बीवी उम्मे रुकाना से रुजूअ कर लो।'

उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो उसे तीन तलाक़ें दे चुका हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मुझे इल्म है मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि उससे रुजूअ कर लो।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ नस्खुल मुराजिअति बअद लिततलीक़ातिष्षलाषि : 2196, हसनुन/ अल अलबानी रह.)

फिर आप (ﷺ) ने क़ुर्आन की आयत (**या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्निसाअ फ़तल्लिक़ू हुन्ना लि इद्दतिहिन्ना**0 अत् तलाक़ : 1) की तिलावत फ़र्माई। यानी 'ऐ नबी! जब तुम औरतों को तलाक़ दे दो तो उनकी मियादे इद्दत में दो।'

======================

:: ख़ुलासा :: सुनन अबू दाऊद में एक और सनद से इब्ने इस्हाक़ की मुताबिअत भी आई है। इब्ने इस्हाक़ से सिर्फ़ ख़ौफ़े तदलीस है। वो जब (हद्दषना) के लफ़्ज़ से रिवायत करते हैं तो वो ख़ौफ़ भी जाता रहा। यही उनका अपना फ़त्वा है और इब्ने अब्बास (रज़ि.) के मज़हब भी दो रिवायतों में से एक में यही है। आप (रज़ि.) से सहीह सनद से मरवी है और यह भी सेहत को पहुँचा चुका है कि इस क़िस्म की तीन तलाक़ें आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में और हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) के ज़माने में और हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के शुरू के ज़माने में एक ही शुमार होती थीं। हम अगर मुख़ालिफ़ीन की सब कुछ दोराज़कार बातें भी तस्लीम कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि सहाबा (रज़ि.) में दस्तूर ही यही था कि तीन तलाक़ें जो एक साथ दी जाएँ वो एक ही शुमार होती थीं। यह और बात है कि आप (ﷺ) तक यह ख़बर न पहुँची हो। चाहे यह सख़्ततर मुश्किल ही नहीं बल्कि क़त्अन् मुहाल है इसलिए कि आप (ﷺ) की सारी उमर सहाबा (रज़ि.) का यही फ़त्वा रहा। हज़रत सिद्दीक़े अकबर (रज़ि.) की मुबारक ख़िलाफ़त में पूरे वक़्त ता ह्याते सिद्दीक़ अकबर (रज़ि.) तमाम सहाबा (रज़ि.) का यही फ़त्वा रहा बल्कि ख़ुद रसूले मुह्तरम (ﷺ) ने भी यही फ़त्वा दिया जैसे कि आप अभी ऊपर पढ़ आए हैं। पस यह है आप (ﷺ) का फ़त्वा, आप (ﷺ) के असहाब का फ़त्वा और उनका इजमाई तौर पर अमल। पस मुआमिला तो हाथ ही की तरह साफ़ और बिल्कुल वाजेह हो गया

जिसके ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं।

रहा हज़रत उमर (रज़ि.) का अपनी ख़िलाफ़त के पहले ज़माने के बाद तीनों को तीन कर देना यह सिर्फ़ ऐसा करने वालों को सज़ा देने और उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए था और फिर था भी आप (रज़ि.) का अपना इज्तिहाद। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ भी हम मुख़ालिफ़ीन की मानकर यह कह सकते हैं कि एक मस्लिहत की वजह से हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) ने तीनों को ज़ारी कर देने को फ़र्माया था लेकिन इससे रसूलल्लाह (ﷺ) का फ़त्वा, आप (ﷺ) के ज़माने का अमल, सहाबा (रज़ि.) और आप (ﷺ) के बाद पूरी ख़िलाफ़ते सिद्दीक़ी तक का सहाबा (रज़ि.) का तआमुल और ख़ुद फ़ारूक़े आज़म (रज़ि.) का ख़िलाफ़त के शुरू ज़माने का अमल तर्क नहीं किया जा सकता। यह है हक़ीक़त जो मैंने खोल दी। अब जिसका जो जी चाहे करे और कहे। अल्लाह तौफ़ीक़े ख़ैर दे। (मुस्लिम/ अत्तलाक/ तलाकुष्षलाषि : 1472, अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ नस्खुल मुराजिआत बअद मुतल्लिक़ातु ष्षलाषि : 2200, निसाई/ अत्तलाक़/ तलाक़ ष्षलाषिल मुतफ़र्रिक़ह क़ब्लल दुखुलि बिज़वजिहा : 6/145)

========================

निकाह से पहले तलाक़ का हुक्म

सवाल : क्या फ़र्माते हैं अल्लाह के सच्चे रसूल (ﷺ) कि मैंने ज़ुबान से निकाल दिया है, अगर मैं फ़लाँ औरत से निकाह करूँ तो उसे तीन तलाक़ें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उससे निकाह कर लो, तलाक़ निकाह के बाद दी जा सकती है न कि निकाह से पहले।' (इब्ने माजा/ अत्तलाक : 2049, अद्दारे कुत्नी फ़ी किताबिही (अस्सुनन) : 4/35 हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : क्या फ़र्माते है आप (ﷺ)! उस शख़्स के बारे में जिसने कहा कि जिस दिन मैं फ़लाँ औरत से निकाह करूँ तो उस पर तलाक़ है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसने उसे तलाक़ दी जिसका वो मालिक नहीं हुआ।'

(अद्दारे कुत्नी फ़ी किताबिही (अस्सुनन) : 4/16)

यह दोनों हदीषें दारे कुत्नी में हैं।

========================

ख़ुलअ़ का बयान

सवाल : ग़ाबित बिन क़ैस (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा कि अगर मैं अपनी औरत से अपना दिया हुआ कुछ माल वापिस लेकर उसे अलग कर दूँ तो कोई हर्ज तो नहीं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कोई हर्ज नहीं।'

उन्होंने कहा, मैंने उसको मेह्र में दो बाग़ दिये, जो अब तक उसके क़ब्ज़े में हैं।

नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ले लो और उसे अलग कर दो।'

बुख़ारी शरीफ़ में है कि उनकी बीवी ने नबी (ﷺ) से शिकायत की थी और उनसे अ़लैहिदगी चाहती थी। कहा मैं अपने ख़ाविन्द क़ैस का कोई ऐब तो नहीं बयान करती, न वो अख़्लाक़ में बुरे, न दीनदारी के लिहाज़ से बद हैं, हाँ! मैं मुस्लिम होकर नाशुक्री को पसंद नहीं करती।

आप (ﷺ) ने उनसे पूछा, 'फिर क्या तुम तैयार हो कि उनका बाग़ उन्हें वापिस कर दो?'

उन्होंने कहा, हाँ! मैं बिल्कुल तैयार हूँ।

आप (ﷺ) ने हज़रत क़ैस (रज़ि.) को हुक्म दिया, 'बाग़ क़ुबूल कर लो और उसे तलाक़ दे दो।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक/ फ़िल ख़ुल्अ : 2228, इब्ने माजा/ अत्तलाक/ अल मुख़्तलिअतु तअख़ुज़ु मा अअताहू : 2056, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

इब्ने माजा में है कि हज़रत क़ैस (रज़ि.) की बीवी ने यह भी कहा था कि मेरे दिल में उनकी तरफ़ से बेहद नफ़रत है। चुनाँचे आप (ﷺ) ने हुक्म दिया कि अपना बाग़ वापिस ले लें और ज़्यादा न लें।

निसाई में है कि उन्हें एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का नबी (ﷺ) ने हुक्म दिया। अबू दाऊद में भी एक ही हैज़ की इद्दत का बयान है।

=========================

:: फ़त्वा :: इब्ने माजा में रसूलल्लाह (ﷺ) का यह फ़त्वा नक़ल किया गया है, 'औरत जब यह दावा करे कि उसके ख़ाविन्द ने उसे तलाक़ दी है और एक गवाह भी पेश कर दे और गवाह भी आदिल हो तो उसके ख़ाविन्द को क़सम दी जाएगी। अगर वो तलाक़ न देने की क़सम खाए तो शाहिद (गवाह) की शहादत (गवाही) बातिल हो गई और अगर वो क़सम खाने से इंकार कर जाए तो यह इंकार

क़ायम मुक़ाम दूसरे गवाह के है और तलाक़ साबित है।' (इब्ने माजा/ अत्तलाक़/ अर्रजुल यजहदुत्तलाक़ : 2038, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

इसके रावी अम्र बिन सलमा (रज़ि.) हैं जिनसे इमाम मुस्लिम (रह.) भी अपनी सहीह मुस्लिम में हदीष़ लाएँ हैं।

========================

ज़िहार और लिआ़न

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! उस शख़्स के बारे में आप (ﷺ) का क्या फ़त्वा है जिसने अपनी बीवी से कह दिया था कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है फिर उसका कफ़्फ़ारा देने से पहले ही उसने उससे सोहबत कर ली।

जवाब : आप (ﷺ) ने उस शख़्स से पूछा, 'अल्लाह तुझ पर रहम करे तूने ऐसा क्यूं किया?'

उसने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चाँदनी रात थी, उसकी पिण्डली चमक रही थी मैं रह न सका।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़बरदार अब क़ुर्बत न करना जब तक जो अल्लाह ने फ़र्माया है बजा न लाओ।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ फ़िज़्ज़िहार : 2221, तिर्मिज़ी/ अत्तलाक़/ माजाअ फ़िल मज़ाहिरि यवाक़िउ क़ब्ल अय्युँकफ़्फ़िर : 1199, निसाई/ अत्तलाक़/ फ़िज़्ज़िहार : 3487, इब्ने माजा/ अत्तलाक़/ अल मज़ाहिरि यजामिउ क़ब्ल अय्युँकफ़्फ़िर : 2065, हसनुन सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

यह हदीष़ बिल्कुल सहीह है।

========================

:: फ़त्वा :: या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर कोई शख़्स अपनी बीवी के साथ किसी को पाए और (और यह बात) ज़ुबान से निकाले तो (चार गवाह पेश न करने की वजह से) लोग उसे कोड़े लगाएँगे, अगर वो उसी वक़्त उसका काम तमाम कर दे तो आप (ﷺ) उसे क़त्ल कर देंगे, अगर वो बिल्कुल ख़ामोश रहे तो ज़ाहिर है यह बात गुस्सा पी जाने के क़ाबिल नहीं फिर ख़ुद ही दुआ करना शुरू कर दिया, 'इलाही तू फ़ैसला फ़र्मा।' (बुख़ारी/ अत्तलाक़/ अल्लिआनु वमन तलक़ बअदल्लिआन : 5308, मुस्लिम/ अल्लिआन : 1492, तिर्मिज़ी/ अत्तलाक़/ माजाअ फ़िल्लिआन : 1202)

इस पर लिआन की आयत उतरी और वही शख़्स उस बारे में मुब्तला किया गया और मियाँ–बीवी ने आकर रसूलल्लाह (ﷺ) के सामने लिआन किया।

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी बीवी के स्याह रंग का बच्चा हुआ है और हमारे तो ख़ानदान भर में स्याह रंग का कोई नहीं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तेरे यहाँ ऊँट हैं?'

उसने कहा, बहुत से।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किस रंग के?'

उसने कहा, सुर्ख़।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'उनमें कोई चितकबरा भी है?'

उसने कहा, हाँ!

आप (ﷺ) ने पूछा, 'यह कहाँ से आया?'

उसने कहा, मुमकिन है कोई रग ख़ींच ले गई हो। (बुख़ारी/ अत्तलाक़/ इज़ा अर्रज़ा बि नफ़िल वलद : 5305, मुस्लिम/ अल्लिआन : 1500)

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर मुमकिन है कि तेरे लड़के को भी कोई रग ख़ींच ले गई हो।'

========================

:: फ़तवा :: लिआन करने वाले मियाँ–बीवी के दरम्यान आप (ﷺ) ने जुदाई का हुक्म दे दिया। और यह भी कहा कि अब यह कभी नहीं मिल सकते। औरत मेह्र ले लेगी। उस बच्चे की जो उसके हमल में है उसकी बाप से निस्बत कट जाएगी। वो अपनी माँ से मिला दिया जाएगा। जो उस बच्चे या उसकी माँ को बदकार कहे उस पर शरई हद लगेगी। उसके ख़ाविन्द पर जिसने लिआन किया है कोई हद नहीं। न उस पर नान व नफ़्क़ः और मकान का ख़र्च है जबकि फ़ुर्क़त हो चुकी। (मुस्लिम/ अल्लिआन : 1492)

========================

सवाल : हज़रत उम्मे सलमा बिन सख़र बयाज़ी (रज़ि.) ने रसूले अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया कि मैंने अपनी बीवी से ज़िहार किया है जब तक कि

रमज़ान शरीफ़ न गुज़र जाए। एक रात वो मेरी ख़िदमत में मशग़ूल थी कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा खुल गया। मैं बेताब होकर उस पर वाकेअ हो गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने पूछा, 'अबू सलमा तुमने ऐसा किया?'

मैंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझसे ऐसा हो गया। अब जो अल्लाह का हुक्म हो मैं उसे सब्र से बरदाश्त करूँगा?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक गुलाम आज़ाद करो।'

उन्होंने कहा, उस अल्लाह की क़सम! जिसने आप (ﷺ) को रसूले बरहक़ बनाकर भेजा है कि सिवाय अपनी गर्दन के मैं किसी और गर्दन का मालिक नहीं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छा दो महीने के लगातार रोज़े रखो।'

उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो हुआ है वो रोज़े से ही हुआ है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छा एक साठ मिस्कीनों को खाना खिला दो।'

उन्होंने कहा, उसकी क़सम! जिसने आप (ﷺ) को सच्चा नबी बनाया है कि रात भर मैंने और मेरे घरवालों ने बिल्कुल भूखों गुज़ारी है। हमारे पास एक दाना अनाज का नहीं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छा क़बीले बनु ज़ुरैक़ के फ़लाँ साहब के पास जाओ जो सख़ी मर्द है, वो तुझे दे देंगे। तू एक वस्क़ साठ मिस्कीनों को खिला और जो बचे वो तू और तेरे घरवाले खा लें।' (**अबू दाऊद**/ अत्तलाक़/ फ़िज़िहार : 2213, **इब्ने माजा**/ अत्तलाक़/ फ़िज़िहार : 2062, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/37, हसनुन/ अल अलबानी रह.)

वो बयान करते हैं कि मैं लौट कर अपनी क़ौम के पास गया और उनसे कहा कि मैंने तुम्हारे पास तंगी और बुराई पाई लेकिन रसूलल्लाह (ﷺ) के पास कुशादगी और नेक नज़र पाई। मुझे आप (ﷺ) ने भेजा है और तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम अपना सद्क़ा मुझे दे दो।

======================

सवाल : हज़रत ख़ौला बिन्ते मालिक (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया कि उनके ख़ाविन्द औस बिन सामित (रज़ि.) ने उनसे ज़िहार किया है। शिकायत कर थो हैं और नबी (ﷺ) हैं कि उन्हें शान्त कर रहे थे,

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह से डरो अलावा ख़ाविन्द के वो तेरे चचा का लड़का भी है।'

लेकिन वो बराबर आप (ﷺ) से गुफ़्तगू ज़ारी रखती गई यहाँ तक कि (**क़द् समीअल्लाहु0** सूरह मुजादिला : 1) से कई आयतों तक नाज़िल हुई।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो एक गुलाम आज़ाद करें।'

यह कहती हैं उनके पास गुलाम कहाँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर दो महीने के मुतस्सिल (लगातार) रोज़े रखे।'

उन्होंने कहा, वो बहुत बूढ़े और बड़ी उम्र के आदमी हैं, उन्हें रोज़े रखने की ताक़त कहाँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पस साठ मिस्कीनों का खाना खिला दे।'

कहती हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं जो किसी को ख़ैरात दें। उसी वक़्त आप (ﷺ) के पास एक बोरा ख़जूर का आया और फिर आप (ﷺ) ने उन्हें दे दिया।

उन्होंने कहा, अच्छा एक बोरा ख़जूर का उन्हें मैं अपने पास से और दूँगी।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, बहुत बेहतर जाओ। साठ मिस्कीनों को खिलाओ और अपने चचा के बेटे की तरफ़ लौट जाओ।

मुस्नद अहमद में है कि हज़रत ख़ौला (रज़ि.) कहती हैं वल्लाह! मेरे ख़ाविन्द औस बिन सामत (रज़ि.) के बारे में सूरह मुजादला के शुरू की आयतें हैं कि मैं उनके घर में थी। यह बहुत बूढ़े हो गए थे। मिज़ाज में सख़्ती और चिड़चिड़ापन आ गया था। एक रोज़ कहीं से आए, मुझे कुछ कहा, मैंने भी पलटकर जवाब दिया। बस गुस्से हो गए और कह दिया तू मुझ पर ऐसी है जैसी मेरी माँ की पीठ। फिर घर से चले गए। दो घड़ी लोगों में बैठकर वापिस आए और मुझसे ख़ास बात करनी चाही। मैंने कहा, नहीं नहीं! वल्लाह (अल्लाह की क़सम)! अब यह नहीं होने का, जबकि तुम अपनी जुबान से इतनी बड़ी बात निकाल चुके हो तो अब जब तक रसूलल्लाह (ﷺ) का हुक्म न मअलूम हो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। मुझपर ज़बरदस्ती करने लगे और दबोच लिया। आख़िर आप जानिये वो थे तो कमज़ोर बड़ी उम्र के, मैंने भी पूरी ताक़त से धक्का देकर गिरा दिया और झट घर से निकल कर पड़ौस से कपड़ा माँग कर रसूलल्लाह (ﷺ) के घर पहुँची। आप (ﷺ) के सामने बैठकर सारा वाकिआ बयान किया और उनकी बदख़ुल्क़ी की शिकायत करने लगी।

आप (ﷺ) मुझे समझाने लगे, 'ख़ौला तेरे चचा के लड़के हैं, बूढ़े हैं, अल्लाह से डर जा, उनका ख़्याल कर।'

मैं भी आप (ﷺ) से कहती सुनती रही यहाँ तक कि कुर्आन उतरना शुरू हुआ

जो हालत बवक़्ते वह्य की आप (ﷺ) की हो जाती थी वही हो गई। वह्य ख़त्म हुई तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ौला तेरे और तेरे ख़ाविन्द के बारे में क़ुर्आन नाज़िल हुआ है।'

फिर आप (ﷺ) ने (**क़द समिअल्लाह से व लिल काफ़िरीना अज़ाबुन् अलीम**) तक पढ़कर सुनाया और फ़र्माया, 'उसे कहो कि एक गुलाम आज़ाद करे (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/410, अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ फ़िज़िहार : 2214) (वग़ैरह जो तकरीबन ऊपर बयान हो चुका है)।'

इब्ने माजा में हज़रत ख़ौला (रज़ि.) के बयान में यह भी है कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो मेरा शबाब खा गये, मेरा पेट निचोड़ लिया, जब मैं बुढ़िया हो गई, औलाद होना बंद हो गई तो झट से मुझे माँ के बराबर कहकर मुझसे ज़िहार कर लिया। मेरा शिकवा तेरी तरफ़ है इलाही! मैं तेरी अदालत में फ़रयादी हूँ, यही चीख़ पुकार करती रहीं, हत्ताकि जिब्रईल (अलैहिस्सलाम) यह आयतें लेकर उतरे।

========================

इद्दत से मुतअल्लिक़ फ़तावा

सवाल : सुबैआ असलमया (रज़ि.) के ख़ाविन्द के इंतिक़ाल पर जबकि उन्हें बच्चा पैदा हो गया तो उन्होंने रसूलल्लाह (ﷺ) से ज़िक्र किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया कि बच्चा होते ही तुम इद्दत से निकल गई। अब अगर तुम चाहो तो अपना निकाह भी कर सकती हो। बुख़ारी शरीफ़ में है कि उनसे नबी (ﷺ) का यह फ़त्वा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे आप (ﷺ) ने बच्चा हो जाने के बाद निकाह कर लेने का फ़त्वा दिया है। (बुख़ारी/ अत्तलाक़/ क़ौलुहू तआला : (वऊलातिल अहमालि अजलहुन्ना....) : 5319, मुस्लिम/ अत्तलाक़/ इन्क़िजाऊ इद्दतिवफ़फ़ि अन्हा ज़वजिहा व ग़ैरुहा : 1484, निसाई/ अत्तलाक़/ ईद्दतुल हामिलल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़वजिहा इज़ा वज़अत : 3536, इब्ने माजा/ अत्तलाक़/ अल हामिलल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़वजिहा इज़ा वज़अत..... हिल्लत : 2029)

========================

सवाल : हज़रत उम्मे कुल्सुम बिन्ते उक़्बा, हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम (रज़ि.) के घर में थीं। हालते हमल में एक रोज़ अपने ख़ाविन्द से कहने लगीं कि सिर्फ़ मेरा दिल बहलाने के लिए मुझे एक तलाक़ दे दीजिए। उन्होंने दे दी। फिर नमाज़ के लिए गए। आए तो उनके यहाँ बच्चा पैदा हो गया था। कहने लगे तूने मेरे साथ धोखा किया, अल्लाह तुझसे धोखा करे। फिर आकर रसूलल्लाह (ﷺ) से यह मसला पूछा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अब क्या हो सकता है किताब अपने वक़्त को पहुँच चुकी है। अब तो मँगनी का पैग़ाम भेजो और वो कुबूल करे तो निकाह़ कर सकते हो।' (इब्ने माजा/ अत्तलाक़/ अल मुतल्लक़तुल हामिला इज़ा वज़अत ज़ा बतनुहा बानत : 2026, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

======================

सवाल : हज़रत फ़ोरै बिन्ते मालिक रज़ि.आप (ﷺ) से पूछती हैं कि हमारे गुलाम भाग गए थे, उनको ढूँढ़ने के लिए मेरे ख़ाविन्द गए। इलाक़ा क़दूम के पास वो उन्हें मिल गए, लेकिन सब ने मिलकर उन्हें क़त्ल कर डाला, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं अपने मायके चली जाऊँ, मेरे ख़ाविन्द ने मेरे रहने–सहने का कोई मकान भी नहीं छोड़ा, न खाने– पीने की कोई चीज़ छोड़ी है।

जवाब : नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! तुम जा सकती हो।'

जब वो लौटकर हुज्रे में या मस्जिद में पहुँची तो नबी (ﷺ) ने उन्हें बुलाया या बुलवाया और फ़र्माया, 'तुमने क्या पूछा था?'

उन्होंने दोबारा अपना सवाल दुहराया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपने घर में ठहरी रहो यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ फ़िल मुतवफ़्फ़ा अन्हा तनतक़िल : 2300, तिर्मिज़ी/ अत्तलाक़/ माजाअ अनी तअतदुअन्ना मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़वजिहा : 1204, निसाई/ अत्तलाक़/ मुक़ामल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़वजिहा फ़ी बैतुहा हत्ता तहिल्लु : 3528, इब्ने माजा/ अत्तलाक़/ अयन तअतदुल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़वजिहा : 2031, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

चुनाँचे उन्होंने वहीं चार माह दस दिन गुज़ार दिए। हज़रत उष्मान ज़िन्नूरैन (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के ज़माने में आपने क़ासिद भेजकर उनसे इस फ़तवे को पूछा तो उन्होंने कह सुनाया। उष्मान ग़नी (रज़ि.) ने उसी का इत्तिबाअ़ किया और उसी पर फ़ैसला स़ादिर फ़र्माया। यह ह़दीष़ बिल्कुल सह़ीह़ है और सुनन में मौजूद है।

======================

:: फतावा ::

निसाई में है कि हज़रत ष़ाबित बिन क़ैस बिन शमास (रज़ि.) की बीवी और जमीला बिन्ते अब्दुल्लाह बिन अबी ने जब अपने ख़ाविन्द से ख़ुल्अ़ा लिया तो उन्हें रसूले करीम (ﷺ) ने एक हैज़ तक इद्दत गुज़ारने को फ़र्माया और हुक्म दिया कि वो अपने घर वालों में चली जाएँ। (निसाई/ अत्तलाक़/ ईद्दतुल मुख़्तलिअति : 3497, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

तिर्मिज़ी में है कि षाबित बिन क़ैस (रज़ि.) की बीवी ने अपने ख़ाविन्द से ख़ुल्अा किया तो आप (ﷺ) ने उन्हें एक हैज़ की इद्दत बतलाई। तिर्मिज़ी में है कि उन्होंने नबी (ﷺ) के ज़माने में ख़ुल्अा किया तो आप (ﷺ) ने उन्हें एक हैज़ की इद्दत में रहने को फ़र्माया। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) इसे सहीह बतलाते हैं। (अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ फ़िल खुल्अ : 2229, तिर्मिज़ी/ अत्तलाक़/ माजाअ फ़िल खुल्अ : 1185)

========================

निसाई और इब्ने माजा में रबीअ से रिवायत है कि मैंने अपने ख़ाविन्द से ख़ुल्अा किया। फिर मैं हज़रत उ़ष्मान (रज़ि.) के पास आई और पूछा कि मुझ पर कितनी इद्दत है? आपने फ़त्वा दिया कि कोई इद्दत नहीं, लेकिन सिर्फ़ इस सूरत में कि तू उससे क़रीब के ज़माने में मिली हो। पस तू उसके पास ठहरी रह। यहाँ तक कि एक हैज़ आ जाए। कहती हैं कि आपने इस बारे में रसूलल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले की ताबेअ़दारी की जो आप (ﷺ) ने हज़रत मरयम मुग़ालिया (रज़ि.) के बारे में किया था जो हज़रत षाबित बिन क़ैस (रज़ि.) के घर थीं और उनसे ख़ुल्अा लिया था। (निसाई/ अत्तलाक़/ ईद्दतुल मुख़्तलिअति : 3497, इब्ने माजा/ अत्तलाक़/ ईद्दतुल मुख़्तलिअति :2058, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

षुबूते-नसब

सवाल : हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास़ और अ़ब्द बिन ज़म्आ एक लड़के के बारे में आँहज़रत (ﷺ) के पास झगड़ा ले गए। हज़रत सअ़द (रज़ि.) का तो यह दअ़वा था कि यह मेरा भतीजा है। उ़त्बा बिन अबी वक़्क़ास़ ने मुझे वस़ीय्यत की है कि यह उनका लड़का है। इसकी सूरत तो देखिए। अ़ब्द बिन ज़म्आ का क़ौल था कि यह मेरा भाई है। मेरे बाप के बिस्तर पर पैदा हुआ है। उनकी लौण्डी के पेट से है।

जवाब : आँहज़रत (ﷺ) ने उसकी शब्याः बअनिही उ़त्बा से मिलती-- जुलती पाई। फिर फ़र्माया, 'ऐ अ़ब्द यह तेरा भाई है इसे ले जा। सुनो! बच्चा उसका है जिसके बिस्तर पर पैदा हो। और ज़ानी के लिए तो पत्थर ही हैं। ऐ सौदा! तुम इससे पर्दा करना।'

पस हज़रत सौदा (रज़ि.) ने आख़िरी दम तक उसकी शक्ल ही न देखी। बुख़ारी में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ अ़ब्द यह तेरा भाई है।' (बुख़ारी/ अलबुयूअ/ शराउल

ममलूक मिनल हर्बी वहिब्ति वईत्किह : 2218, मुस्लिम/ अर्रिज़ाअ/ अल वलदु लिल फ़राशि, वतुक्शिबुहात : 1457)

=========================

:: फ़त्वा::

निसाई में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ सौदा तू इससे पर्दा कर यह तेरा भाई नहीं।' अल मुस्नद अहमद में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मीराष़ तो उसकी है लेकिन ऐ सौदा! तू इससे पर्दा कर क्योंकि यह तेरा भाई नहीं है।'

पस आप (ﷺ) का फ़त्वा यही है कि बच्चा स़ाहबे फ़राश को मिलेगा क्योंकि फ़राश के अ़मल का मूजिब यही है और उसकी मुशाबिहत उ़त्बा से बिल्कुल ज़ाहिर थी। इसलिए ह़ज़रत सौदा (रज़ि.) को पर्दा करने का हुक्म दिया और इसी वजह से उनसे फ़र्मा दिया कि, 'यह तेरा भाई नहीं।' (निसाई/ अत्तलाक/ इल्हाकुल वलदि बिल फ़राशि इज़ा लम यनफ़हू साहिबुल फ़िराश : 3515)

हाँ! मीराष़ के बारे में भाई क़रार दिया। आप (ﷺ) के फ़त्वे में ज़िम्नन यह बात भी है कि लौण्डी फ़राश है और अह़काम एक ही वाक़ेअ़ में शिबा की वजह से जुदागाना हो सकते हैं, जैसे कि रज़ाअ़त में उनके हिस़्से होते हैं और उसके ष़बूत में भी उससे हुर्मत और मुहरमियत भी ष़ाबित हो जाएगी, लेकिन मीराष़ और नफ़्क़ ष़ाबित नहीं। इन दोनों में वो लड़के के हुक्म में नहीं और जैसे कि वलदे ज़िना कि वो हुर्मत में लड़के का हुक्म रखते है लेकिन विरष़े के बारे में उसका यह हुक्म नहीं और यह भी कि इसकी मिष़ालें बेशुमार हैं पस लाज़मी है कि इस हुक्म और फ़त्वे को यूँ हीं तस्लीम कर लिया जाए। अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़े ख़ैर इनायत फ़र्माए, आमीन।

=========================

अठारहवाँ बाब :

मौत, मय्यित व सोग के मसाइल

इद्दतवाली औरत पर शरई पाबन्दियाँ

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ) मेरी बेटी का शौहर मर चुका है। वो इद्दत गुज़ार रही है, उसकी आँखें दुख रही हैं, क्या हम सुर्मा लगा दें?

जवाब : आप (ﷺ) ने दो–तीन बार मना फ़र्माया, 'नहीं।' (बुख़ारी/ अत्तलाक़/ मराजिअतुल हाइज़ : 5336, मुस्लिम/ अत्तलाक़/ वुजूबुल इहदादि फ़ी ईद्दतिल वफ़ात वतहरीमुहू फ़ी ग़ैर ज़ालिक : 1489)

========================

:: फ़त्वा ::

नबी (ﷺ) का फ़त्वा है कि औरत किसी मय्यत पर तीन दिन से ज़्यादा सोग न करे। हाँ! अपने शौहर पर चार महीने दस दिन तक सोग करे, न सुर्मा लगाए, न ख़ुश्बू मले, न रंगा हुआ कपड़ा पहने, हाँ! जब गुस्ल हैज़ से फ़ारिग़ हो तो क़िस्त या इज़्फ़ार का टुकड़ा रख सकती है। (बुख़ारी/ अत्तलाक़/ अलक़िस्तु लिल हादति ईन्दत्तुहर : 5341, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/85, अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ फ़ीमा तजतनिबुल मुअतदह फ़ी ईद्दतिहा : 2302, निसाई/ अत्तलाक़/ मा तजतनिबुल हादति मिनष्शियाबिल मुसबिग़ति : 3564, इब्ने माजा/ अत्तलाक़/ हल तहिद्दुल मरअति अला ग़ैर ज़वजिहा : 2087)

========================

अबू दाऊद और निसाई में है, 'मेहंदी भी न लगाएँ।'

निसाई में है, 'कँघी, चोटी वग़ैरह न करे।'

अल मुस्नद अहमद में है, 'पीले रंग का कपड़ा न पहने और दमिश्क़ा पहने न ज़ेवरात पहने, न मेहंदी लगाए न सुर्मा लगाए।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ फ़ी मा तजतनिबुल मुअतदह फ़ी ईद्दतुहा : 2302, निसाइ / अत्तलाक़/ मा तजतनिबुल हादति मिनश्शियाबिल मुसबिग़ति : 3564)

=========================

सवाल : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) अपनी आँखों पर सुर्मा लगाकर आईं। उस वक़्त वो अपने शौहर हज़रत अबू सलमा (रज़ि.) के इंतिक़ाल मे इद्दत में थीं।

जवाब : आप (ﷺ) ने उनसे फ़र्माया, 'उम्मे सलमा! यह क्या है?'

उन्होंने कहा, यह ऐलवा है, इसमें ख़ुश्बू नहीं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह चेहरे को ब-रौनक़ (आकर्षक) बना देता है। सिर्फ़ रात को लगा लिया करो। सर ख़ुश्बूदार तेल से न गूँधो, मेहंदी न लगाओ वो ख़िज़ाब है।'

उन्होंने पूछा, कि फिर किस चीज़ से साफ़ करूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बैरी के पत्तों से अपने सर पर लेप कर लिया करो।'

और अबू दाऊद में है, 'रात को लगा लो और दिन को धो लो।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ फ़ीमा तजतनिबुल मुअतदह फ़ी ईद्दतुहा : 2302, निसाई/ अत्तलाक़/ अर्रुख़सतु लिल हादति तमशुतु बिहुर्रि : 6/204, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

=========================

सवाल : हज़रत ज़ाबिर (रज़ि.) की ख़ाला (रज़ि.) ने अपनी तलाक़ की इद्दत में रसूले करीम (ﷺ) से अपने बाग़ के दरख़्तों से ख़जूरें उतारने के लिए जाने की इजाज़त तलब की।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! ख़जूरें उतार लाओ। मुम्किन है कि सद्क़ा दो या और कोई नेक काम करो।' (मुस्लिम/ अत्तलाक़/ जवाज़ु ख़ुरूजिल मुअतदतिल बाएनि वल मुतवफ़्फ़ा : 1483)

=========================

इद्दतवाली औरत के लिबास व खाने की बाबत फ़तावा

औरतों के हक़ूक़ के बारे में अहादीष़ में इतनी बात तो ष़ाबित है कि मर्द को अपनी इस्तिताअत के मुताबिक़ हर तरह की सहूलत और आसाइश बहम पहुँचानी चाहिए, जो ख़ुद खाए वो उसको खिलाए, जो ख़ुद पहने वो उसको पहनाए, लेकिन इसका मुतअय्यिन (निर्धारित) नफ़्क़ः क्या है? इसकी तश्रीह (व्याखया) हदीष़ की किताबों में नहीं पाई जाती और इसके मअनी यह हैं कि इसका तअल्लुक़ कई चीज़ों से है। मष़लन् यह है कि मर्द की इस्तिताअत (सामर्थ्य) क्या है। उर्फ़ व रिवाज क्या कहता है या यह कि औरत का मुआशरती (सामाजिक) दर्जा किस मअयारे नफ़्क़ः का तक़ाज़ा करता है। क़ुर्आनि हकीम ने (वआशिरूहुन्ना बिल् मअरूफ़) कह कर बात ख़त्म कर दी है। मअरूफ़ का इत्लाक़ इन तीनों पहलुओं पर होता है। नफ़्क़ा चाहे कुछ हो। ज़िंदगी का अस्लूब बहरहाल इस अंदाज़ का होना चाहिए कि दोनों मुतमईन हों। दोनों ख़ुश हो और दोनों मिल-जुलकर ज़िंदगी की ज़िम्मदारियों को संभाल रहे हों।

========================

सवाल : हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को उनके शौहर ने तलाक़े बिताः दी। उन्होंने अदालते मुहम्मदी में मकान और ख़र्च का दावा कर दिया लेकिन वहाँ से ख़ारिज कर दिया और फ़र्माया गया कि,

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मकान और ख़ुराक की मुस्तह़िक़ वो मुतल्लक़ा (तलाक़शुदा) है जिससे रजूअ का हक़ बाक़ी हो।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/415)

सुनन में भी ऐसे ही अल्फ़ाज़ हैं।

मुस्लिम शरीफ़ में इनसे मरवी है कि मेरे शौहर ने मुझे बिताः तलाक़ दी तो रसूलल्लाह (ﷺ) ने न तो मेरे लिए मकान का हक़ रखा और न ही ख़ुराक का। जब हक़ रज़ाअत नहीं तो मकान और ख़ुराक भी नहीं। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/417) उन्हें तीसरी तलाक़ मिली थी। उनके शौहर अबू अम्र बिन हफ़्स, हज़रत अली (रज़ि.) के साथ यमन गए थे, वहीं से एक तलाक़ आख़िरी जो बाक़ी थी भिजवा दी। इयाश बिन रबीअ और हारिष़ बिन हश्शाम को हुक्म दिया कि उसे ख़र्च दे दें, लेकिन

इन दोनों ने कहा कि यह ख़र्च की मुस्तहिक़ उस वक़्त थीं जब हमल से होतीं।

उन्होंने नबी (ﷺ) से ज़िक्र किया, आप (ﷺ) ने यही फ़ैसला दिया, 'तुम ख़र्च की मुस्तहिक़ नहीं।'

फिर उन्होंने आप (ﷺ) से मकान की तब्दीली की दरख़्वास्त की? आप (ﷺ) ने इजाज़त दे दी। उसने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! कहाँ जाऊँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उम्मे मक्तूम (रज़ि.) नाबीना के यहाँ।'

(मुस्लिम/ अत्तलाक़/ अल मुतल्लक़तुल बाएनि ला नफ़क़त लहा : 1480)

वहाँ कभी कपड़े उतारे हुए हों तो भी हर्ज नहीं। इसलिए कि उनकी आँखें नहीं। उनकी इद्दत पूरी हो जाने के बाद आप (ﷺ) ने उन्हें हज़रत उसामा बिन ज़ैद के निकाह में दे दिया। मर्वान ने अपने ज़माने में उनके पास इस वाक़िअे की तहक़ीक़ के लिए क़ुबैसा बिन ज़ुवैब को भेजा। उन्होंने सारा वाक़िआ कह सुनाया। उसने कहा, हम यह वाक़िआ सिर्फ़ एक औरत की ज़ुबानी ही सुन रहे हैं। फिर हम इस बचाव के तरीक़े को कैसे छोड़ दें जिस पर हमने सब को पाया है? जब मर्वान की यह बात हज़रत फ़ातिमा बिन्ते क़ैस (रज़ि.) को मअ़लूम हुई तो आपने फ़र्माया, आओ मेरे और तुम्हारे दरम्यान क़ुर्आन है। जनाबे बारी का फ़र्मान है (**ला तुख़्रिजूहुन्ना मिन् बुयूतिहिन्ना व ला तुख़्रुज्न ....** सूरह अत् तलाक़)

तब वे कहने लगीं कि यह उसके लिए है जिसे मुराजअत (वापस आने) का मौक़ा हो लेकिन तीन तलाक़ों के बाद कोई नया काम होने की उम्मीद ही नहीं।

=======================

:: फ़तावा ::

नबी (ﷺ) का फ़त्वा है कि मर्दों पर औरतों का हक़ है कि दस्तूर के मुताबिक़ अच्छी तरह खिलाएं– पिलाएं, पहनाएँ और ओढ़ाएं। (अबू दाऊद/ अल मनासिक/ सिफ़तु हज्जतुन्नबिय्यि (स.) : 1905, तिर्मिज़ी/ तफ़सीरुल क़ुर्आन/ वमिन सूरति त्तौबा : 3087, इब्ने माजा/ अलहज्जु/ हज्जतुर्रसूलुल्लाहि ﷺ : 3074)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप हमें औरतों के बारे में क्या फ़र्माते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो ख़ुद खाओ उसमें से उन्हें भी खिलाओ, जो ख़ुद पहनो उसमें से उन्हें भी पहनाओ, उन्हें मारो मत, उनसे गाली गलौच न करो।' (अबू

दाऊद/ अन्निकाह/ फ़ी हक़्क़ुल मरअति अला ज़वजिहा : 2144, मुस्लिम/ अल हज्ज/ हज्जतुन्नबिय्यि (स.) : 1218)

========================

सवाल : अबू सुफ़ियान (रज़ि.) की बीवी हिन्दा ने आप (ﷺ) से पूछा कि अबू सुफ़ियान बख़ील आदमी है, जो मुझे और मेरे बच्चे को किफ़ायत करे इतना देता नहीं। हाँ! उसकी बेख़बरी में मैं ले लूँ तो और बात है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मुताबिक़ दस्तूर जो तुझे और तेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो उतना ले लिया करो।' (बुख़ारी/ अन्नफ़क़ातु/ क़ौलुहू तआला : (वअलल वारिषि मिष्लु ज़ालिक.......) : 5370, मुस्लिम/ अल अक़्ज़ियात/ कज़यतु हिन्द : 1714)

इस फ़त्वे में बहुत से उमूर ज़िम्नन आ गए हैं। एक तो यह कि औरत के लिए कोई नफ़्क़ा मुक़र्रर नहीं। यह मुताबिक़ दस्तूर के होगा। इसका अंदाजा कोई मुक़र्रर नहीं। न हज़रत (ﷺ) के ज़माने में इसका कोई तक़र्रुर हुआ न सहाबा (रज़ि.) के ज़माने में, न ताबेईन और न तबे ताबेईन के दौर में।

दूसरे यह कि ख़र्च बीवी का भी बच्चे के ख़र्च की क़िस्म में से है। दोनों अच्छाई से मुताबिक़ चलन के होंगे।

तीसरे यह कि औलाद का ख़र्च सिर्फ़ बाप पर है।

चौथे यह कि शौहर बीवी को, बाप औलाद का जब हस्बे दस्तूरे ज़माना वुस्अत (सामर्थ्यानुसार) ख़र्च न दे तो यह अपनी हाजत के मुताबिक़ ले सकते हैं।

पाँचवीं यह है कि जब तक औरत अपनी हाजत के मुताबिक़ नान नफ़्क़ा शौहर के किसी माल से किसी तरह ले सकती है उसे इख़्तियारे फ़स्ख़ नहीं।

छठे यह कि यह हक़ूक़ अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) ने मुक़र्रर नहीं फ़र्माए उनका फ़ैसला उर्फ़ और दस्तूर और हालत पर छोड़ा है।

सातवीं यह कि शिकायत करने वाला जब किसी की बात बयान करे तो वो ग़ीबत में दाख़िल नहीं। न वो इससे गुनाहगार होता है, न सुनने वाले पर कोई गुनाह है।

आठवीं यह कि जिस शख़्स पर किसी दूसरे का वाजिबी हक़ हो और उसके सबब, षबूत भी बिल्कुल ज़ाहिर हो तो उस मुस्तहिक़ को हक़ है कि जब वो क़ुदरत पाए जिस पर उसका हक़ है उसका हाथ थाम ले जैसे कि हिन्दा को रसूलल्लाह (ﷺ) ने हुक्म दिया।

यही बात रसूलल्लाह (ﷺ) के इस हुक्म से भी षाबित होती है जो अबू दाऊद में है, 'मेहमानी की रात हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है जिसके यहाँ कोई मुसाफ़िर आए और सुबह तक खाने से महरूम रहे तो यह उसका फ़र्ज़ उस पर है अगर चाहे वसूल करे चाहे

छोड़ दे।' (सुनन अबी दाऊद, किताबुल अत्ईमतु, बाब माजाअ फ़िज़्ज़ियाफ़ति, हा: 3750, सहीहुन/ अल अलबानी रह. व मुस्नद अहमद : 4/130)

और रिवायत में है, 'जो शख़्स किसी क़ौम का मेहमान है, उन पर उसकी ज़ियाफ़त ज़रूरी है। अगर वो उसे न खिलाएँ तो यह ब-क़द्र अपनी मेहमानी के उन्हें सज़ा दे सकता है।' (मुस्नद अल इमाम अहमद : 4/131, सहीहुन)

अलग़र्ज़ मेहमान भी अपना हक़े मेहमानी जबरन वसूल कर सकता है। हाँ! अगर सबब, सबूत ज़ाहिर न हो तो उसे यह हक़ हासिल नहीं जैसे कि रसूले करीम (ﷺ) का इर्शाद है कि, 'जो तुझसे अमानतदारी करे तू भी उससे अमानतदारी कर और जो तुझसे ख़यानत करे तू उससे ख़यानत न कर।' (सुनन अबी दाऊद/ किताबुल बुयूअ, बाब फ़िर्रजुलि यअखुज हक़्क़हू मिन तहति यदिही, हा : 3534–3535, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

========================

सवाल : एक औरत ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा कि ज़माना जाहिलियत में बाज़ औरतों ने मेरे मर्दों पर मेरे साथ मिलकर नोहा किया था तो क्या मुझे इजाज़त है कि इस्लाम में उनके नोहे का साथ दूँ और बदला उतार दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुनो! इस्लाम में इस्आद नहीं है। इस्लाम में शिग़ार नहीं है। (इस्आद) कहते हैं मुसीबत के नोहे में दूसरी औरतों की मदद करना। (शिग़ार) कहते हैं कि एक शख़्स अपनी बेटी दूसरे के लड़के के निकाह में देना, इस शर्त पर कि दूसरा अपनी बेटी उसके बेटे के निकाह में दे (और यही तबादला एक दूसरे का मेह्र हो) (अक़र) कहते हैं कि क़ब्रों पर जानवर ज़िब्ह करने को। (जलब) कहते हैं कि घुड़–दौड़ में घोड़े को भगाने के लिए शोर मचाने को। (जनब) कहते है कि घुड़– दौड़ के मैदान में अपने घोड़े के साथ दूसरा घोड़ा रख लेने को जब यह पहला थक जाए तो उस पर सवारी कर ली जाए।' (निसाई/ अल जनाइज/ अन्नियाहतु अलल मय्यित, हा : 1852, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/197)

========================

परवरिश और उसके मुस्तहिक के बारे में

परवरिश के बारे में आप (ﷺ) के पाँच फ़ैसले है,

(1). एक तो यह है कि हज़रत हमज़ा (रज़ि.) की साहबज़ादी को आप (ﷺ) ने उनकी ख़ाला की परवरिश में दिया जो हज़रत जअफ़र बिन अबी तालिब (रज़ि.) के घर में थीं और फ़र्माया, 'ख़ाला क़ायम मुक़ाम माँ के है।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक़/ मन नअहक़्क़ा बिल वलदि : 2278,

तिर्मिज़ी/ अल बिर्रु वस्सुल्लह/ माजाअ फ़ी बिर्रुल ख़ालह : 1904, सहीहुन/ अल अलबानी रह.)

पस साबित हुआ कि ख़ाला गोया माँ है। चाहे उसने निकाह भी कर लिया हो ताहम परवरिश उसी की रहेगी जबकि उसकी भांजी बचपन ही की उम्र में हो।

(2). दूसरा फ़ैसला यह कि एक साहब अपने नाबालिग़ बच्चे को लेकर आप (ﷺ) के पास आए। उसकी माँ भी साथ थी, दोनों में इसकी बाबत झगड़ा था। आप (ﷺ) ने बाप को एक तरफ़ बिठाया और माँ को दूसरी तरफ़ बिठाया और बच्चे को इन दोनों में से एक के पास चले जाने को फ़र्माया और दुआ की, 'इलाही! इसे भली राह दिखा।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/446)

चुनाँचे बच्चा माँ के पास चला गया। यह हदीस मुस्नद अहमद में है।

(3). तीसरा फ़ैसला यह है कि हज़रत राफ़ेअ बिन सिनान (रज़ि.) मुस्लिम हो गए, उनकी बीवी ने इस्लाम क़बूल करने से इंकार कर दिया। उनकी एक लड़की थी जिसका दूध छूटा ही था या इस उम्र के क़रीब थी। माँ उसे अपनी परवरिश में लेना चाहती थी और बाप अपनी परवरिश में। रसूलल्लाह (ﷺ) ने दोनों को एक-एक कोने में अलग-अलग बिठाकर फ़र्माया, 'तुम उसे बुलाओ।' जिसके पास यह आ जाए उसकी परवरिश में रहे। चुनाँचे दोनों ने बुलाया। बच्ची अपनी माँ की तरफ़ झुकी। आप (ﷺ) ने उसकी हिदायत की दुआ की, (अल्लाहुम्मा अह्दिहा) (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/446) तो वो अपने बाप की तरफ़ माइल हो गई और उन्होंने ले लिया, यह हदीस भी मुस्नद अहमद में है।

(4). चौथा फ़ैसला यह है कि अदालते नबवी में एक औरत ने दावा कि उसका शौहर उसके लड़के को ले जाना चाहता है। वही अबू उत्बा के कुँए से मुझे पानी लाकर देता है मुझे और भी नफ़ा पहुँचाता रहता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दोनों इस पर कुरअ डाल लो।' इस पर बाप बिगड़ कर बकने लगा कि कौन है जो मुझसे मेरे बच्चे को दूर करे? आप (ﷺ) ने उस बच्चे को फ़र्माया, 'यह है तेरा बाप और यह है तेरी माँ इनमें से जिसका चाहे हाथ थाम ले।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक/ मनन अहक़्क़ा बिल वलदि : 2277, सहीहुन/ अल अलबानी रह.) उसने माँ की उँगली थाम ली और वो उसे ले गई।

(5). पाँचवा फ़ैसला यह कि नबी (ﷺ) की ख़िदमत में एक औरत आकर कहती है कि यह मेरा बच्चा है और मेरा पेट इसका बर्तन है, मेरी छाती इसकी मश्क है। मेरी गोद इसका गेह्वारा है। इसके बाप ने मुझे तलाक़ दे दी है और इसे भी मुझसे छीन लेना चाहता है। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तक तू निकाह न कर ले उसकी ज़्यादा हक़दार तू ही है।' (अबू दाऊद/ अत्तलाक/ मनन अहक्का बिल वलदि : 2276, हसनुन/ अल अलबानी रह.) यह हदीष अबू दाऊद में मज़कूर (वर्णित) है।

पस यह कुल पाँच फ़ैसले और फ़त्वे हज़ानत और बच्चों की परवरिश के बारे में ऐसी सूरतों में हैं। इन्हीं पर परवरिश औलाद के तमाम अह्काम का दारोमदार है। अल्लाह तआला से हम नेक तौफ़ीक़ व इसाबते राय (सही व शुद्ध राय) के तालिब हैं।

=======================

क़िसास की निस्बत फ़तावा

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) का उस शख़्स के बारे में क्या फ़त्वा है जो किसी को क़त्ल करने का हुक्म दे? और उसके बारे में क्या फ़त्वा है जो किसी को क़त्ल कर दे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अज़ाबे जहन्नम के 70 दर्जे हैं जिनमें से एक कम 70 को हुक्म देने के वाले लिए और एक क़त्ल करने वाले के लिए।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/362)

=======================

सवाल : एक शख़्स ने सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ) इसने मेरे भाई को क़त्ल कर दिया है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसे ले जा और जैसे इसने तेरे भाई को क़त्ल किया है तू भी उसे क़त्ल कर डाला।'

बाहर जाकर वो कहने लगा, ऐ शख़्स अल्लाह से डर मुझे मुआफ़ कर। इसमें तुझे बड़ा अज्र मिलेगा और क़यामत के दिन भी तेरे हक़ मे बेहतर होगा, उसने उसे मुआफ़ कर दिया और आकर आँहज़रत (ﷺ) को भी ख़बर दी कि इस तरह उसने कहा और मैंने उससे दरगुज़र कर लिया।

आप (ﷺ) ने उसी क़ातिल से फ़र्माया, 'यह इससे बेहतर हुआ कि क़यामत के रोज़ वो अपने ख़ून का दअ़वा करता और कहता कि इलाही इससे पूछ तो सही कि इसने

मुझे क्यूँ क़त्ल किया?' (निसाई/ अन क़सामह/ ज़िक्रे इख़्तिलाफ़िन्नाक़िलीन लिख़बरि अलक़मह बिन वाइल : 4735, ज़ईफ़ुल अस्नाद/ अल अलबानी रह.)

======================

सवाल : किसी ने सवाल किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसने मुझे तलवार मार कर मेरे दोनों बाज़ू काट दिये लेकिन जोड़ से नहीं कटे।

जवाब : आप (ﷺ) ने उसे दियत देने का हुक्म दिया।

उसने कहा मैं तो क़िसास चाहता हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दियत ले ले अल्लाह तुझे बरकत देगा।' (इब्ने माजा/ अद्दियात/ मा ला क़्वदु फ़ीहि : 2636, ज़ईफ़ुन/ अल अलबानी रह.)

और आप (ﷺ) ने क़िसास का फ़र्मान नहीं दिया।

======================

:: फ़तावा ::

दारे क़ुत्नी में रसूलल्लाह (ﷺ) का फ़त्वा है कि जब एक शख़्स पकड़े रहे और दूसरा क़त्ल कर दे तो क़ातिल को क़त्ल किया जाए और पकड़ रखने वाले को क़ैद किया जाएगा।

(अद्दारे क़ुत्नी फ़ी किताबिही : (अस्सुनन) : 3/140)

======================

एक यहूदी ने एक लौण्डी का सर पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से उसे कुचल दिया। वो मर गई। आप (ﷺ) ने उसके बारे में फ़ैसला फ़र्माया कि इसी तरह दो पत्थरों के दरम्यान इसका सर भी कुचल कर मार डाला जाए। (बुख़ारी/ अद्दियात/ मन नअक़ाद बिल हजरि : 6879, मुस्लिम/ अल क़सामह/ षबुतुल क़िसास फ़िल क़त्ल बिल हजरि वग़ैरुहू : 1672)

======================

जो क़त्ल, क़स्दन क़त्ल (इरादतन हत्या) करने के मुशाबेह (समान) हो, उसकी दियत में भी आप(ﷺ) ने रुख़सत रखी, मिस्ल क़त्ले अम्द (हत्या पर उतारू होने) के, यहाँ यह क़ातिल क़त्ल न किया जाएगा। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/183, अबू दाऊद/ अद्दियात/ दियातुल अअज़ाइ : 4565)

======================

जो बच्चा माँ के पेट में हो और बवजह किसी ज़र्ब के वो गिर पड़े इसकी बाबत नबी (ﷺ) का फ़ैसला है कि एक गर्दन दी जाए ग़ुलाम हो या लौण्डी। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ दियतुल जनीन : 4570, इब्ने माजा/ अद्दियात/ दियतुल जनीन : 2640)

=======================

जो क़त्ले ख़ता मुशाबेह क़त्ल अम्द हो (हत्या भले ही ग़ैर इरादतन हुई हो लेकिन मन में इरादा हत्या का रहा हो) तो उसकी दियत आप (ﷺ) ने सौ ऊँट मुक़र्रर फ़र्माई उनमें 40 गाभन ऊँटनियाँ हैं। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ फ़िल ख़तअ शबहुल अमद : 4547, निसाई/ अल क़सामह/ ज़िकरल् लि इख़्तिलाफ़ि अला ख़ालिदिल हज़ाअ : 4797, इब्ने माजा/ अद्दियात/ दियतु शुब्हुल अमद मुग़ल्लिज़ह : 2628)

=======================

नबी (ﷺ) का फ़त्वा है कि मुस्लिम काफ़िर के क़त्ल के बदले क़त्ल न किया जाए। (बुख़ारी/ अल ईल्म/ किताबुहुल ईल्म : 111, तिर्मिज़ी/ अद्दियात/ माजाअ ला यक़्तुलु मुस्लिमु बिकाफ़िर : 1412, निसाई/ अल क़सामह/ सक़ूतुल क़्वदि मिनल मुस्लिमि लिल काफ़िर : 4748, इब्ने माजा/ अद्दियात/ ला यक़्तुलु मुस्लिमु बिकाफ़िर : 2658)

=======================

आप (ﷺ) ने यह फ़ैसला फ़र्माया है कि बाप को बेटे के क़त्ल के बदले क़त्ल न किया जाए। (तिर्मिज़ी/ अद्दियात/ माजाअ फ़ी यक़्तुलु इब्निही युक़ादु मिन्हु अम ला : 1399, इब्ने माजा/ अद्दियात/ ला यक़्तुलुल वालिदा बिवलदिहि : 2661)

=======================

नबी (ﷺ) का फ़त्वा है कि औरत की दियत उसके अस्बा लेंगे जो भी हों। हाँ वरषा न पाएँगे बजुज़ उसके जो वारिषों से बच रहे। और अगर औरत क़त्ल कर दे तो उसकी दियत उसके वारिषों के ज़िम्मे है, वही उसके क़ातिल को क़त्ल करने के हक़दार हैं। (इब्ने माजा/ अद्दियात/ अक़्लुल मरअति अला असबतिहा व मीराषुहा लि वलदिहा : 2647)

=======================

नबी (ﷺ) का फ़ैसला है कि हामिला औरत अगर किसी को अम्दन क़त्ल कर दे तो उसे क़त्ल न किया जाएगा जब तक कि उसे बच्चा न

हो जाए और बच्चे की किफ़ालत न हो जाए। और अगर उससे बदकारी हो जाए तो उसे संगसार भी न किया जाए जब तक कि बच्चा न हो जाए और वो माँ की परवरिश से बेनियाज़ न हो जाए। (इब्ने माजा/ अद्दियात/ अलहामिला यजिबु अलैहल क़ौद : 2694)

========================

ऐलाने नबूवत (ﷺ) है कि जिनका कोई आदमी क़त्ल कर दिया जाए उन्हें दो चीज़ों में से एक का इख़्तियार है या तो फ़िद्या ले लें या तो हद्या ले लें। (बुख़ारी/ अद्दियात/ मन कत्ल लहू कतीलुन फ़हुव बिख़ैरिन्नाजिरीन : 6880, मुस्लिम/ अल हज्ज/ तहरीमु मक्कतु व सयदुहा व ख़लाहा व शजरुहा......: 1355, तिर्मिज़ी/ अद्दियात/ माजाअ फ़ी हुक्मु वलिय्यिल क़तीलु फ़िल क़िसास वल अफ़ुव्वु : 1406)

========================

फ़ैसला रसूलल्लाह (ﷺ) है कि जिसे क़त्ल किया जाए या जो ज़ख़्मी कर दिया जाए उसे तीन बातों में से एक का इख़्तियार है अगर चौथी बात करना चाहे तो उसके हाथ पकड़ लो। या तो बदले में क़त्ल कर दे या मुआफ़ कर दे और दरगुज़र कर ले या दियत यानी फ़िद्ये की रक़म ले लें। जो शख़्स इनमें से एक को करके फिर और कुछ करना चाहे तो उसके लिए जहन्नम की आग है जहाँ वो हमेशा रहेगा। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ अल इमामु यअमरु बिल अफ़्वि फ़िद्दम : 4496, इब्ने माजा/ अद्दियात/ मन क़तल लहू क़तीला फ़हुवा बिल खयारीन ....: 2623)(मसलन् दरगुज़र देने के बाद क़त्ल कर दे या दियत ले लेने के बाद ऐसी हरकत करे या क़ातिल के सिवा किसी और को क़त्ल कर दे।)

========================

फ़ैसला नबी (ﷺ) है कि ज़ख़्मों का बदला उनके अच्छा हो जाने के बाद लिया जाए। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/217)

========================

दियत के मुतअ़ल्लिक़ फ़तावा

जब नाक जड़ से काट दी जाए तू पूरी दियत वाजिब है। और अगर आधी काटी तो निस्फ़ दियत है। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/217)

========================

आँख की बाबत आप (ﷺ) ने दियत मुक़र्रर फ़र्माई है। पचास ऊँट या उनकी क़ीमत सोने से हो या चाँदी से या एक सौ गाय या एक हज़ार बकरियाँ। पैर की दियत भी आप (ﷺ) ने आधी मुक़र्रर फ़र्माई। हाथ की दियत भी इतनी ही मुक़र्रर फ़र्माई। दिमाग़ तक पहुँचने वाले ज़ख़्म में तिहाई दियत का फ़ैसला किया। हड्डी तोड़ने वाली चोट में 15 ऊँट का। हर एक दाँत के बारे में भी पाँच–पाँच ऊँट का फ़ैसला फ़र्माया। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/218)

========================

फ़ैसला नबवी (ﷺ) है कि दियत के ऐतिबार से सब दाँत बराबर हैं। दाँत हो, कुचली हो, दाढ़ हो सबकी एक दियत है।

(अबू दाऊद/ अद्दिया/ दियातुल अअज़ाए : 4559)

========================

रसूले करीम (ﷺ) का फ़ैसला है कि उँगलियाँ सब बराबर हैं। हाथ की हो या पाँव की, हर एक की दियत दस-दस ऊँट हैं। इस हदीष़ को इमाम तिर्मिज़ी (रह.) सहीह बतलाते हैं। (तिर्मिज़ी/ अद्दियात/ माजाअ फ़ी दियतिल असाबिअ : 1391, निसाई/ अल क़सामह/ अक़्लुल असाबिअ : 4847)

========================

आप (ﷺ) का फ़ैसला है कि भेंगी आँख जो अपनी जगह हो जबकि मिटा दी जाए तो तिहाई दियत है। और जो हाथ शल (लकवाग्रस्त/ विकलांग) हो जब वो काट दिया जाए तो उसकी भी तिहाई दियत है। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ दियातुल अअज़ाए : 4567, निसाई/ अल क़सामह/ अल अयनुल अवराउस्सादतुलि मकानिहा इज़ा तुमिस : 4844)

========================

आप (ﷺ) का फ़ैसला है कि ज़ुबान की पूरी दियत है। दोनों होठों की पूरी दियत है। दोनों बैज़ों की पूरी दियत है। ज़कर की पूरी दियत है। पीठ की पूरी दियत है। दोनों आँखों की पूरी दियत है। एक पाँव की आधी दियत है। मर्द औरत को क़त्ल करने के क़िसास में क़त्ल कर दिया जाएगा। (निसाई/ अल क़सामह/ ज़िक्रु हदीषि अम्रि बिनि हज़्मि फ़िल उक़ूल : 4857)

========================

आँहज़रत (ﷺ) का फ़ैसला है कि क़त्ले ख़ता (भूलवश हत्या) की दियत सौ ऊँट है। तीस दो साला ऊँटनियाँ, तीस तीन साला, तीस चार साला, दस तीन साला ऊँट। अबू दाऊद में बीस दो साल की ऊँटनियाँ और बीस दो साल के ऊँट और बीस तीसरे साल में लगी हुई ऊँटनियाँ और बीस पाँच साल के ऊँट और बीस चार साल के ऊँट। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ अद्दियतु कम हिया? : 4541, निसाई/ अल क़सामह : 4807)

======================

आप (ﷺ) का फ़ैसला है कि जो शख़्स जानबूझ कर क़त्ल के इरादे से किसी को मार डाले तो वो मक़्तूल के वारिसों के सुपुर्द कर दिया जाएगा अगर वो चाहे उसे क़त्ल कर दें, अगर चाहे दियत ले लें। दियत तीस चार साला ऊँट हैं और तीस पाँच साला ऊँट हैं और चालीस नौ साला से ऊँचे ऊँट हैं और जिस पर वो आपस में इत्तिफ़ाक़ व सुलह कर लें वो उनके लिए है। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ दियतुल अमद यरज़ा बिद्दियति : 4506, तिर्मिज़ी/ अद्दियात/ माज़ाअ फ़िद्दियति कम हिया मिनल इबिलि : 1387, इब्ने माजा/ अद्दियात/ मन क़तल अमदन, फ़र्ज़ु बिद्दियति : 2626) इसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने ज़िक्र किया है और इसे हसन कहा है।

======================

रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला किया है कि ऊँट वालों पर दियत के एक सौ ऊँट हैं। गाय वालों पर दो सौ गायें, बकरियों वालों पर एक हज़ार बकरियाँ, कपड़े वालों पर दो सौ हिले।

(अबू दाऊद/ अद्दियात/ अद्दियतु कम हिया? : 4542)

======================

नबी (ﷺ) का फ़ैसला है कि एक औरत की दियत भी एक मर्द की दियत की तरह है। यहाँ तक कि उसकी दियत की तिहाई को पहुँच जाए। (निसाई/ अल क़सामह/ अक़्लुल मरअति : 4809)

======================

नबी (ﷺ) का मुक़र्ररकर्दा क़ानून है कि अह्ले ज़िम्मे की दियत मुस्लिमीन के ज़िम्मे की दियत से आधी है। (निसाई/ अल क़सामह/ कम दियतुल काफ़िर : 4810, इब्ने माजा/ अद्दियात/ दियतुल काफ़िर : 2644)

======================

तिर्मिज़ी में है कि काफ़िर की दियत मोअमिन की दियत से आधी है। (निसाई/ अल क़सामह/ कम दियतुल काफ़िर : 4811, तिर्मिज़ी/ अद्दियात/ माजाअ फ़ी दियतुल काफ़िर : 1413) यह हदीष़ हसन सहीह है। अकष़र मुहद्दिसीन ऐसी हदीषों को सहीह कहते हैं।

=======================

फ़त्वा : अबू दाऊद में है कि आँहज़रत (ﷺ) के ज़माने में दियत की क़ीमत आठ सौ दीनार थी। दिर्हम के हिसाब से आठ हज़ार दिर्हम। अह्ले किताब की दियत आप (ﷺ) के ज़माने में मुस्लिमीन से आधी थी। हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि.) के ज़माने में मुस्लिमीन की दियत की क़ीमत बढ़ा दी गई। कुफ़्फ़ार की दियत की क़ीमत वही रही।।

(अबू दाऊद/ अद्दियात/ अद्दियतु कम हिया? : 4542)

=======================

फ़त्वा : एक औरत को दूसरे ने मारा। वो हामिला थी, उसका बच्चा कच्चा ही गिर गया तो रसूलल्लाह (ﷺ) ने फ़ैसला किया कि एक गुलाम या एक लौण्डी मारने वाली उस औरत को ख़रीद कर दे। फिर वो औरत जिसके ऊपर फ़ैसला किया गया था वो मर गई तो आप (ﷺ) ने फ़ैसला किया कि उसकी मीराष़ उसके बच्चों को और उसके शौहर को मिलेगी और दियत के ज़िम्मेदार उसके अस्बा हैं। (बुख़ारी/ अल फ़राइज़/ मीराषुल मरअति वज़वजि मअल वलदि वग़ैरुहू : 6740, मुस्लिम/ अल क़सामह/ दियतुल जनीन : 1681)

=======================

फत्वा : दो औरतें आपस में लड़ीं। दोनों शौहर व औलाद वालियाँ थीं। एक ने दूसरी को मार डाला तो आप (ﷺ) ने दियत उसके अस्बा पर रखी और उसके शौहर और औलाद को उससे बरी किया। हाँ! मीराष़ उन्हें दिलवाई तो उन्होंने कहा, उसकी मीराष़ हमें मिलनी चाहिए। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, नहीं! उसकी मीराष़ उसके शौहर और औलाद को मिलेगी। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ दियतुल जनीन : 4575, इब्ने माजा/ अद्दियात/ अक़्लुल मरअति अला अस़बतिहा, व मीराषुहा लि वलदिहा : 4648)

=======================

फ़त्वा :रसूले करीम (ﷺ) की ख़िदमत में एक गुलाम चीख़ पुकार

करता हुआ हाज़िर हुआ। आप (ﷺ) ने वजह पूछी तो उसने कहा कि मेरे मालिक ने मुझे देख लिया कि मैं उसकी लौंडी का बोसा ले रहा हूँ तो उसने मेरे बैज़ेऔर इज़ू काट दिया। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, जाओ इसके मालिक को हाज़िर करो।' लोगों ने हरचंद उसे तलाश किया लेकिन वो न मिला तो आप (ﷺ) ने उस गुलाम से फ़र्माया, 'जा तू आज़ाद है।' उसने कहा या रसूलल्लाह (ﷺ) मेरी मदद कौन करेगा? फ़र्माया, 'हर मोअमिन मुस्लिम।' (इब्ने माजा/ अद्दियात/ मम्मष़्सला बि अब्दिन फ़ हुव हुर्रुन : 2680)

=======================

एक शख़्स दूसरे के हाथ को काट रहा था। उसने झटका देकर उसके मुँह से अपना हाथ निकाला। इससे उसके दो दाँत सामने के टूट गए तो आप (ﷺ) ने कोई बदला या दियत नहीं दिलवाई। (बुख़ारी/ अल इजारह/ अल अजीरु फ़िल ग़ज़वह : 2265, मुस्लिम/ अल क़सामह/ अस्साइलु अला नफ़्सिल इंसान अव अज़्विही : 1673, अबू दाऊद/ अद्दियात/ फ़िर्रजुलि युक़ातिलुर्रजुल/ फ़यदफ़उहू अन्नफ़्सिही : 4584, निसाई/ अल क़सामह/ अल इख़्तिलाफ़ु अला अताइ फ़ी हाज़ल हदीष़ : 4769)

=======================

नबी (ﷺ) फ़र्माते हैं कि जो शख़्स किसी के घर में उनकी इजाज़त के बग़ैर झाँके, घर वाले उसे कंकरियाँ मारें, इससे उसकी आँख फूट जाए तो कोई गुनाह नहीं। मुस्लिम शरीफ़ में है कि उस घरवालों को हलाल है कि झाँकने वालों की आँख फोड़ दें। (बुख़ारी/ अद्दियात/ मन अतलआ फ़ी बैति क़वमिन फ़ फ़क़ऊ अयनुहू फ़ला दियतु लहू : 6901, मुस्लिम/ अल अदब/ तहरीमुन्नज़रि फ़ी बैति ग़ैरिही : 2158, निसाई/ अल क़सामह/ मनिक़्तसा व अख़ज़ हक़्क़ुहू दूनस्सुल्तान : 4864) अल मुस्नद अहमद की इसी रिवायत में यह भी है कि इसकी दियत है न क़िसास़।

=======================

फ़ैसला है कि दिमाग़ की चोट, भोंकने का ज़ख़्म, हड्डी तोड़ चोट में कोई दियत नहीं। (इब्ने माजा/ अद्दियात/ मा ला क़ूद फ़ीहि : 2637)

=======================

सवाल : आप (ﷺ) के पास एक शख़्स दूसरे को चमड़े के टुकड़े से बाँधे घसीटता हुआ लाया और इस्तिग़ाष़ा किया कि इसने मेरे भाई को क़त्ल किया है।

जवाब : आप (ﷺ) ने उससे पूछा, 'तूने उसे कैसे क़त्ल किया?'

उसने कहा, मैं और वो लकड़ियाँ लाने गए थे। एक दरख़्त काट रहे थे, उसने मुझे गाली दी, मुझे गुस्सा आ गया, कुल्हाड़ा उसके सिर पर दे मारा और उसे क़त्ल कर दिया।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरे पास कुछ है कि दियत दे सके?'

उसने कहा, मेरे पास बजुज़ (अतिरिक्त) इस चादर के और बजुज़ इस कुल्हाड़ी के और कुछ नहीं।

आप (ﷺ) पूछा, 'क्या तेरी क़ौम तेरे लिए चंदा इकट्ठा करके तुझे मौत से न बचा लेगी?' उसने कहा, मैं क़ौम में इतना अज़ीज़ (प्रिय) नहीं हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ फिर ले जाओ वो उसे ले चला तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर यह इसे क़त्ल कर देगा तो यह भी इसी जैसा है।'

वो जल्दी से वापिस आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ) मुझे मअलूम हुआ है कि आप (ﷺ) ने मेरे लिए यह फ़र्माया, हालाँकि आप (ﷺ) के हुक्म ही से तो मैं इसे ले चला था।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तू यह नहीं चाहता कि वो तेरे और तेरे साथी के गुनाहों का बोझ उठा ले?'

उसने कहा, ऐ नबी (ﷺ)! सचमुच? फ़र्माया, हाँ हाँ! उसने चमड़े का टुकड़ा छोड़ दिया और उसे मुआफ़ करके उसकी राह कुशादा कर दी।

इस हदीष में जो है, 'अगर यह इसे क़त्ल करेगा तो यह भी इसी जैसा है।'

इस जुम्ले के मअनी न समझने से बअज़ पर यह जुम्ला बहुत मुश्किल पड़ा है हालाँकि हक़ीक़तन् कुछ भी इश्काल (शक) नहीं। इससे यह मुराद ही नहीं कि वो इस जैसा है गुनाह में बल्कि मक़सूद यह है कि इस पर गुनाहे क़त्ल का अज्र (जो उसके भाई का हुआ) बाक़ी न रहेगा क्यों कि दुनिया में ही इसने बदला ले लिया। पस क़ातिल और मक़्तूल दोनों गुनाहों के बोझ में न होने की हैषियत से बराबर हो गए इसलिए कि वली ने हक़ पर क़त्ल किया और इसलिए कि क़ातिल को सज़ा मिल गई।

यह जो फ़र्माया, 'वो तेरे और तेरे साथी का बोझ बरदार हो जाए।' (मुस्लिम/अल क़सामह/ सिहतुल इक़रार बिल क़त्लि व तमकीनु वलिय्युल क़तील : 1680)

इसका मतलब यह है मक़्तूल के वली का बोझ उसके भाई के क़त्ल की वजह से उस पर जुल्म है और मक़्तूल का बोझ ख़ुद उसका ख़ून बहाना है। यह मुराद नहीं कि वो तेरी और तेरे भाई की ख़ताओं का मुतहम्मल हो जाएगा। वल्लाहु अअ़लम!!

यह क़िस्से इस क़िस्से के सिवा है जिसमें है कि एक शख़्स आप (ﷺ) के पास पहुँच गया। उसने किसी को क़त्ल कर दिया था। कहने लगा, वल्लाह! मैंने उसके क़त्ल का इरादा नहीं किया। आप (ﷺ) ने मक़्तूल के वली की निस्बत फ़र्माया, 'अगर फ़िल् वाक़ेअ यह सच्चा और फिर भी यह उसे क़त्ल करेगा तो जहन्नम में जाएगा।' (अबू दाऊद/ अद्दियात/ अल इमाम यअमुरू बिल अफ़्व : 4498, तिर्मिज़ी/ अद्दियात/ माजाअ फ़ी हुक्मे वलिय्यिल क़तीले फ़िल क़िसास......: 1407, निसाई/ अल क़सामह/ अल क़वदु : 4725) उसने यह सुनकर उसे छोड़ दिया। इसे इमाम तिर्मिज़ी (रह.) सहीह कहते हैं और अगर यह दोनों क़िस्से एक ही हैं, ऊपर वाले का ही यह भी क़िस्सा है तो मतलब और वाजेह है कि जब यह हाल है फिर भी यह उसे क़त्ल करेगा तो यह भी उसी जैसा है यानी गुनाह में दोनों बराबर हैं, वल्लाहु अअ़लम!

========================

क़सामा की बाबत फ़तावा

क़सामा का जो तरीक़ा जाहिलियत में था, आँहज़रत (ﷺ) ने भी वही बाक़ी रखा और अंसार ने जिस मक़्तूल के बारे में यहूदियों पर दअ़वा किया था आप (ﷺ) ने यही फ़ैसला फ़र्माया। (मुस्लिम/ अल क़सामह/ अल क़सामह : 1670)

========================

मुहैस्सा के बारे में आप (ﷺ) ने यही फ़र्माया, 'मक़्तूल के वलियों में से 50 आदमी उस शख़्स के क़ातिल होने पर क़समें खाएँ।' (बुख़ारी/ अल जिज़यति वल मवादअतु/ अल मवादिअतु वल मसालिहतु मअल मुश्रिकीना बिल माल : 3173, मुस्लिम/ अल क़सामह/ अल क़सामह : 1669, अबू दाऊद/ अद्दियात : 4520, तिर्मिज़ी/ अद्दियात : 1422, निसाई/ अल क़सामह/ ज़िक्रुल इख़्तिलाफ़ि अलफ़ाज़ु न्नाक़िलीन बिख़बरि सहलुन : 4724, इब्ने माजा/ अद्दियात/ अल क़सामह : 2677) जिसे क़त्ल का इल्ज़ाम दे रहे हैं तो क़ातिल उन्हें सौंप दिया जाएगा। उन लोगों ने इससे इंकार कर दिया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अब यहूदी अपने में से 50 आदमियों की क़सम के बाद बरी उज़् ज़िम्मा हो जाएँगे उन्होंने भी इन क़समों से इंकार कर दिया इसी का नाम क़सामा है। नबी (ﷺ) ने (झगड़ा मिटाने के लिए) अपने पास से मक़्तूल के वलियों को दियत के सौ ऊँट अदा कर दिए। मुस्लिम में है यह ऊँट सद्क़े के थे। निसाई में है नबी (ﷺ) ने उसकी

दियत उन सब पर तक़्सीम कर दी और आधी दियत की मदद ख़ुद आप (ﷺ) ने की।

=======================

आप (ﷺ) का फ़ैसला है कि किसी के गुनाह का बदला किसी और से न लिया जाए। (निसाई/ अद्दियात/ हल युअख़ज़ु अहद बिजरीदति ग़ैरिही? : 4836, इब्ने माजा/ अद्दियात/ ला यजनी अहदुन अला आहद : 2672)

=======================

आप (ﷺ) का फ़ैसला है कि बाप की ख़ता पर बेटा न पकड़ा जाए। न बाप बेटे के ज़ुर्म में माख़ूज़ हो। मुराद यह है कि यह नहीं हो सकता कि करे कोई भरे कोई। किसी का बोझ किसी पर नहीं। (इब्ने माजा/ अद्दियात/ ला यजनी अहदुन अला अहद : 2669)

=======================

फ़ैसला मुहम्मदी (ﷺ) है कि जो शख़्स अँधाधुँध लड़ाई में या आपस की संगबारी या कोड़ाबाज़ी में क़त्ल कर दिया जाए तो इसकी दियत क़त्ले ख़ता की दियत है। हाँ! जो शख़्स जान बूझकर क़त्ल के इरादे से, क़त्ल कर दिया जाए उसका क़िसास है जो उसमें हाइल हो उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लअ़नत होगी। (अबू दाऊद/ अद्दियात/ मन क़तिला फ़ी उमयाअ बयना क़ौमुन : 4539, इब्ने माजा/ अद्दियात/ मन हाला बयना वलिय्यिल मक़्तूलि व बयनल क़वदि अविल दियति : 2635)

=======================

क़ानून मुहम्मदी (ﷺ) है, 'कुएँ में गिरकर मर जाने वाला, जानवर के मारने से मर जाने वाला और ख़ान_में दबकर मर जाने वाला दियत या क़िसास का मुस्तहिक़ नहीं।' (बुख़ारी/ अज़्ज़कात/ फ़िर्रिकाज़िल ख़ुमुसि : 1499, मुस्लिम/ अल हुदूद/ जरहुल अजमाउ वल मअदिन जबार : 1710) इस रिवायत में एक जुम्ला है कि ख़ान मुआफ़ी के क़ाबिल है। इसमें दो क़ौल हैं एक यह कि जब किसी को ख़ान खोदने पर मुक़र्रर किया, वो खोद रहे हैं और खान गिर गई, वो दबकर मर गए तो उनका बदला नहीं, इस मतलब की ताईद इस हदीस़ के साथ के जुम्ले भी करते हैं, यानी कुएँ का और जानवरों का भी यही हुक्म फ़र्माया। दूसरा मअ़ना यह किया गया है कि खान में ज़कात नहीं, इस मअ़नी की ताइद में

इसी के साथ आप (ﷺ) का यह बयान फ़र्माना है कि दफ़ीना जाहिलियत में पाँचवां हिस्सा ज़कात है, पस खान में और दफ़ीने (ज़मीन से निकलने वाले ख़ज़ाने) में आप (ﷺ) ने फ़र्क़ किया। इसमें पाँचवां हिस्सा ज़कात मुक़र्रर की इसलिए कि यह तो एक साथ एक दम बग़ैर किसी तक्लीफ़ और दुश्वारी और ख़र्च के मिल जाता है। खान से ज़कात दूर कर दी इसलिए कि उसका नफ़ा बग़ैर किसी तक्लीफ़ और कोशिश और ख़र्च के हासिल नहीं हो सकता।

========================

उन्नीसवाँ बाब :

हुदूदे-शरई बाबत फ़तावा

ज़िना की सज़ा

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरा लड़का उनके यहाँ काम—काज पर मुलाज़िम था। वहाँ उनकी बीवी से बदकारी कर बैठा। मैं ने उसकी तरफ़ से एक सौ बकरियाँ और ख़ादिम फ़िद्ये में दिए और मैंने अह्ले इल्म से पूछा तो उन्होंने मुझे बतलाया कि मेरे लड़के पर सौ कोड़े हैं और एक साल की जिला-वतनी और उसकी बीवी के ज़िम्मे रजम और संगसारी है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसकी क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम दोनों में ठीक किताबुल्लाह के मुताबिक़ फ़ैसला करूँगा। तेरी सौ बकरियाँ और तेरा ख़ादिम तो तुझे वापिस कर दिया जाएगा, तेरे लड़के को सौ कोड़े लगेंगे और साल भर तक देश निकाला और ऐ उनैस! तुम उस शख़्स की बीवी के पास जाओ अगर वो इक़रार करे तो उसे रजम कर दो। उसने ऐतराफ़ कर लिया तो उसने उसे रजम कर दिया।' (बुख़ारी/अल हुदूद/ मन् अमरा ग़ैरल इमाम बिइक़ामतिल हद ग़ाएबन अन्हु : 6835, मुस्लिम/अल हुदूद/ मनिअतरफ़ अला नफ़्सिही बिज़िना : 1697)

======================

:: फ़त्वा ::

नबी (ﷺ) ने फ़ैसला किया है कि जो ज़िना करे और शादी शुदा न हो उसे साल भर की जिला-वतनी है और उस पर हद है। (बुख़ारी/ अल हुदूद/अल बिकरान यजलिदान व यनफ़ियान : 6833)

======================

आप (ﷺ) का फ़ैसला है कि, 'जब शादी शुदा मर्द व औरत बदकारी करे तो सौ कोड़े और संगसारी और दोनों बिना शादी शुदा है तो सौ कोड़े और जिलावतनी।' (मुस्लिम/अल हुदूद/हद्दुज़िना : 1690, तिर्मिज़ी/अल हुदूद/माजाअ फ़िर्रज्मि आलष्षय्यिब : 1434, इब्ने माजा/अल हूदूद /हद्दुज़िना : 2550)

======================

सवाल : कुछ यहूदियों ने हाज़िरे ख़िदमत नबी (ﷺ) होकर अर्ज़ किया कि हम में से एक मर्द व औरत ने ज़िनाकारी की है।

जवाब : आप (ﷺ) ने उनसे सवाल किया, 'तुम उनके बारे में तौरात में क्या हुक्म पाते हो? रजम की बावत उसमें क्या है? (बुख़ारी/अल हुदूद/अहकामु अहलुलज़्ज़िमह व इहसानिहिम इज़ा ज़िनू .... : 6841, मुस्लिम/अल हुदूद/रज्मु लयहूद अह्लुज़्ज़िमह फ़िज़िना : 1699)

उन्होंने कहा, हम तो ऐसे लोगों को रुस्वा और फ़ज़ीहत करते हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (रज़ि.) ने कहा कि तुम सब झूटे हो। तौरात में उनकी सज़ा संगसारी है। वो तौरात ले आए। तिलावत शुरू की, एक आयते रजम पर हाथ रख दिया और उससे पहले का और बाद का पढ़ सुनाया।

हज़रत अब्दुल्लाह (रज़ि.) इस चालाकी को देख रहे थे। उससे फ़र्माया, अपना हाथ उठा, उसने जो हाथ उठाया तो रजम की आयत मौजूद थी। अब यहूदी भी मान गए कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! आप (ﷺ) सच्चे हैं वाक़ई इसमें आयते रजम है।'

फिर रसूले मक़्बूल(ﷺ) के हुक्म से दोनों को रजम किया गया।

======================

:: फ़त्वा ::

अबू दाऊद में है कि जब उन यहूदियों में बदकारी हुई तो उन्होंने आपस में मश्विरा किया कि उस नबी (ﷺ) के पास चलो यह नरम और आसान दीन देकर भेजे गये हैं। अगर अगर वो हमें रजम के सिवा और कोई आसान फ़त्वा दे तो मान लेंगे और अल्लाह के पास भी हमारे लिए वो सनद बन जाएगी कि तेरे नबियों में से एक नबी का फ़त्वा है। पस सब मिलकर हाज़िरे ख़िदमते नबवी (ﷺ) होकर मस्जिद में सहाबा (रज़ि.) की मौजूदगी में यह वाक़िआ अर्ज़ किया। आप (ﷺ) ख़ामोश रहे और सीधे उनके मदरसे में पहुँचे, दरवाज़े पर खड़े होकर

उनसे फ़र्माया, 'मैं तुम्हें उस अल्लाह की क़सम देता हूँ जिसने मूसा (अलैहिस्सलाम) पर तौरात नाज़िल फ़र्माई है, सच बतलाओ तुम तौरात में शादीशुदा शख़्स की ज़िनाकारी की क्या सज़ा पाते हो?'

उन्होंने कहा, हम उन्हें गधे पर सवार करते हैं और उल्टा बिठाते हैं और उन्हें शहर में घुमाते हैं। सबने तो यह कहा लेकिन उनमें ऐ नौजवान था जो ख़ामोश खड़ा रहा। आप (ﷺ) ने उसे मुख़ातिब करके सख़्त क़सम दी। उसने कहा जब नबी (ﷺ) इतनी बड़ी क़सम देकर पूछ रहे हैं तो सुनिए, हम तौरात में उनके लिए रजम पाते हैं। आप (ﷺ) ने उनसे पूछा, 'फिर क्या बात है सबसे पहले तुमने इस हुक्म को क्यूँ छोड़ा?'

उसने कहा, हमारे बादशाहों में से एक बादशाह के अज़ीज़ी रिश्तेदार ने बदकारी की है। बादशाह ने उससे चश्मपोशी की और उसे रजम न किया। इसके बाद किसी और से भी यही हरकत स़ादिर हुई, बादशाह ने उसे रजम करना चाहा लेकिन उसका क़बीला उसकी हिमायत में खड़ा हो गया और कहा कि हमारे आदमी को आप रजम नहीं कर सकते जब तक कि अपने आदमी को रजम न करें इसके बाद आपस में इस बात पर सुलह हो गई कि हर ज़ानी के साथ यही किया जाए। आँहज़रत (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अब मैं तुम्हारे इस इजमाअ को तोड़ता हूँ और वो हुक्म देता हूँ जो तौरात में है।' (अबूदाऊद/अल हुदूद/फ़िर्रज्मिल यहूदिय्यीन : 4450)

लिहाज़ा आप (ﷺ) के हुक्म से उस ज़ानी मर्द व औरत को संगसार कर दिया गया। अबू दाऊद में यह भी है कि वाक़िआ के चार गवाह आप (ﷺ) ने तलब फ़र्माए जो पेश हुए और कहा कि हमने उसका वो उसकी उसमें देखा जैसे सुर्मादानी में सिलाई होती है। (अबूदाऊद/अल हुदूद/फ़ी रज्मिल यहूदिय्यीन : 4452)

======================

हज़रत माइज़ बिन मालिक (रज़ि.) हाज़िरे ख़िदमते नबवी (ﷺ) होकर अर्ज़ किया कि नबी (ﷺ) मुझे पाक कीजिए, मैंने ज़िना किया है। आप (ﷺ) ने उनकी क़ौम के आदमियों के पास अपना क़ासिद भेजकर उनसे पूछवाया, 'क्या इसकी अक़्ल में कुछ फ़ितूर है?' सबने कहा जहाँ तक हमारा इल्म है यह सहीह अक़्ल आदमी है। चुनाँचे उसने चार मर्तबा अपनी ज़िनाकारी का इक़रार किया, पाँचवीं

मर्तबा आप (ﷺ) ने ख़ुद उससे फिर पूछा, 'क्या तूने उससे पूरी पूरी मुजामिअ़त की है?' बहुत साफ़ आम लफ़्ज़ों में यह सवाल किया।

उसने कहा, जी हाँ! आप (ﷺ) ने फिर पूछा, 'ठीक उसी तरह जिस तरह सलाई सुर्मादानी में और डोल कुँए में ?'

उसने जवाब दिया, जी हाँ! आप (ﷺ) ने फिर पूछा, 'जानते भी हो, ज़िना क्या है?'

उसने कहा, हाँ! ख़ूब जानता हूँ या रसूलल्लाह (ﷺ)! जो कुछ शौहर अपनी हलाल बीवी से करता है वही मैंने हरामकारी से किया। आप (ﷺ) ने फिर पूछा, 'अब तुम चाहते क्या हो?'

उसने जवाब दिया, यही कि आप (ﷺ) मुझे पाक कर दें। आप (ﷺ) ने किसी को हुक्म दिया कि इसका मुँह तो सूँघे कोई नशा तो नहीं किया? जब इस तरफ़ से इत्मीनान हो गया कि नशे में नहीं तो आप (ﷺ) ने उन्हें रजम करने का हुक्म दे दिया।

उनके लिए गढ़ा नहीं खोदा गया। जब चारों तरफ़ से पत्थर बरसने लगे तो यह भागे और दौड़कर जाने लगे। रास्ते में एक साहब आ रहे थे जिनके हाथ में ऊँट के जबड़े की मजबूत हड्डी थी। उसने उन्हें मारा और दूसरी जानिब लोगों की मार पड़ी यहाँ तक कि रूह परवाज़ कर गई। आप (ﷺ) को जब उसके भागने की इत्तिला हुई तो फ़र्माया, 'तुमने उसे क्यों न छोड़ा, उसे मेरे पास ले आते।'

इस क़िस्से के बअ़ज़ तुर्क में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तूने अपने ख़िलाफ़ चार मर्तबा गवाही दे दी है जाओ इसे ले जाओ और रजम कर दो।'

एक सनद में यह भी है कि आप (ﷺ) ने सुना एक सहाबी दूसरे सहाबी से यह कह रहे थे कि उसे देखा? अल्लाह ने उनकी पर्दापोशी की लेकिन उन्होंने अपनी जान को न छोड़ा यहाँ तक कि कुत्ते की तरह संगसार कर दिए गए। आप (ﷺ) यह सुनकर ख़ामोश हो रहे कुछ दूर जाकर एक गधा देखा जो सड़कर फूल गया था और उसकी टाँगें ऊँची हो गई थीं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फ़लाँ फ़लाँ आदमी कहाँ है?'

उन दोनों ने कहा, यह हम दोनों मौजूद हैं। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उतरो और इस मुर्दार गधे का कच्चा गोश्त खाओ।'

उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमसे क्या तक़्सीर हुई? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुमने अभी जो अपने भाई की आबरू रेज़ी की वो इसके खाने से बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ थी। अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि हज़रत माइज़ (रज़ि.) इस वक़्त जन्नत की नहरों में गुस्ल कर रहे हैं।'

इसी की बअ़ज़ सनदों में है कि आप (ﷺ) ने उनसे यह भी फ़र्माया था, 'शायद यह ख़्वाब का क़िस्सा होगा। शायद तुम्हें इस पर मजबूर किया गया होगा।' (मुस्लिम/अल हुदूद/मनिअतरफ़ा अला नफ़्सिही बिज़िना : 1695, अबूदाऊद/अल हुदूद/रज्मु माइज़ बिन मालिक : 4419)

उन्होंने कहा, नहीं! आप (ﷺ) फ़र्माया, शायद तुझपर ज़बरदस्ती की गई होगी। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं! यह सब अल्फ़ाज़ सहीह हैं। बअ़ज़ रिवायतों में यह भी है कि उनके लिए नबी (ﷺ) के हुक्म से गढ़ा भी खोदा गया था, इसे मुस्लिम ने ज़िक्र किया है। लेकिन यह बशीर बिन मुहाज़िर रावी की ग़लती है। यह माना कि इमाम मुस्लिम (रह.) ने इनसे अपनी सहीह में हदीषें वारिद की हैं लेकिन यह तो नामुम्किन नहीं कि षिक़ा से भी ग़लती हो जाए। फिर यहाँ तो यह भी है कि इमाम अहमद और इमाम अबू हातिम राज़ी ने इन पर कलाम भी किया है। ग़लती की वजह हज़रत ग़ामदिया (रज़ि.) का क़िस्सा है। उनके लिए गढ़ा खोदा गया था। हज़रत माइज़ (रज़ि.) के क़िस्से में ग़लती से बयान हो गया। वल्लाह अअ़लम!!

========================

सवाल : ग़ामदिया (रज़ि.) आप (ﷺ) के पास आई और अपनी ज़िनाकारी पर पाकीज़गी की आप (ﷺ) से दरख़्वास्त की।

जवाब : आप (ﷺ) उसे वापिस किया तो उसने कहा कि क्या आप (ﷺ) हज़रत माइज़ (रज़ि.) की तरह मुझे वापिस करना चाहते हैं? मैं तो हमल से हूँ।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ जब हमल से फ़ारिग़ हो जाओ आना।'

जब वो फ़ारिग़ हुई तो बच्चे को लेकर आई, और अर्ज़ किया, मैंने इसको जन दिया है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसको ले जाओ यहाँ तक कि इसका दूध छूट जाए।'

जब उसका दूध छूट गया तो वो उसे लेकर आई, उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था और कहने लगीं कि इसका दूध छूट गया है और खाना खाने लगा है।

आप (ﷺ) ने उस बच्चे को किसी और मुस्लिम के सुपुर्द कर दिया और फिर हुक्म दिया कि, गढ़ा खोदा जाए, इन्हें सीने तक उसमें दाख़िल किया जाए, उन्हें सीने तक उसमें दाख़िल कर दिया गया फिर लोगों को हुक्म दिया कि पत्थर बरसाएँ। चुनाँचे पत्थर बरसाकर उनका काम तमाम कर दिया गया। हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (रज़ि.) ने एक पत्थर उनके सिर पर दे मारा, इससे ख़ून उड़कर हज़रत ख़ालिद (रज़ि.) के चेहरे पर पड़ा तो उनके मुँह से उस सहाबिया (रज़ि.) के लिए गाली निकल गई।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ालिद चुप किये रहो। उस अल्लाह की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है उसने ऐसी तौबा की है कि अगर चुँगी वाला भी अगर ऐसी तौबा करता तो उसे भी बख़्श दिया जाता।' (मुस्लिम/अल हुदूद/रज्मु माइज बिन मालिक : 1695, अबूदाऊद/अल हुदूद/अल मरअतुल्लती अम क़ालनन्नबिय्यु बिरज्मिहा फ़ी जुहैनह : 4442)

फिर आप (ﷺ) ने उनके जनाज़े की नमाज़ का हुक्म दिया, नमाज़ अदा की गई फिर दफ़न की गई।

==========================

सवाल : आप (ﷺ) के पास एक सहाबी आए और कहा कि, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने वो काम किया है जिससे मुझपर हद वाजिब हो गई है तो आप (ﷺ) वो हद ज़ारी कीजिए। आपने उस वक़्त तो उससे कोई सवाल नहीं किया, नमाज़ का वक़्त हो गया। उसने आँहज़रत (ﷺ) के साथ नमाज़ अदा की। नमाज़ के बाद फिर उस शख़्स ने अपनी दरख़्वास्त वापिस दुहराई कि मैंने हद लगने का काम किया है। किताबुल्लाह में जो हद हो वो मुझ पर जारी कीजिए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तूने हमारे साथ नमाज़ अदा नहीं की?'

उसने कहा, जी हाँ! आप (ﷺ) के साथ नमाज़ पढ़ी है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर तो यक़ीनन अल्लाह तआला ने तेरे गुनाह मुआफ़ फ़र्मा दिए या फ़र्माया, 'तेरी हद मुआफ़ फ़र्मा दी।' (बुख़ारी/अल हुदूद/इज़ा अक़र्र बिल हद्द व लम युबय्यिन : 6823, मुस्लिम/अत् तौबा क़ौलहू तआला (इन्नल हसनाति युज़हिबनस्सय्यिआत) : 2765)

इस हदीष़ की तौजीह एक तो यह है कि उसने ख़ुद किसी गुनाह को खोला नहीं। ऐसी सूरत में इमाम पर वाजिब नहीं कि उससे कुरेद कर बात पूछे। हाँ! अगर वो ख़ुद उस गुनाह को बयान कर देता है और होता भी वो हद लगने के लायक़ तो आप (ﷺ) उसे ज़रूर हद लगाते जैसे कि आप (ﷺ) ने हज़रत माइज़ (रज़ि.) को हद लगाई। दूसरी

तौजीह यह है कि उसकी तौबा की वजह से उसका गुनाह मुआफ़ हो गया। गुनाह से तौबा करने वाला मफ़्लन गुनाह न करने वाले के मिस्ल है। इसकी बिना पर ज़ाहिर यह है कि जो शख़्स इससे पहले तौबा करे कि उसे पकड़ लिया जाए तो उसके ऊपर से अल्लाह तआला का हक़ साक़ित हो जाता है जैसे जंग करने वाले से। ठीक बात यही है।

======================

सवाल : एक सहाबी (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक औरत का बोसा लिया है। इस पर आयत (अक़ीमिस्सलात .... हूद : 114) **नाज़िल हुई यानी 'दिन के दोनों हिस्सों में और रात की घड़ियों में नमाज़ क़ायम करो, नेकियाँ बुराइयों को दूर कर देती हैं। यह नसीहत उनके लिए जो नसीहत हासिल करने वाले हैं।' यह सुनकर वो शख़्स कहने लगा, क्या यह हुक्म सिर्फ़ मेरे लिए है?**

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बल्कि मेरी उम्मत में से जो भी इस पर अमल करे उसके लिए है।' (बुख़ारी/मवाक़ीतुस्सलाति/अस्सलातु कफ़्फ़ारा : 526, मुस्लिम/अत तौबा /क़ौलहू तआला (इन्नल हसनाति युज़हिबनस्सय्यिआत ......) : 2763, तिर्मिज़ी/अत तफ़्सीर व मिन् सूरति हूद : 3111)

इस हदीष़ से बाज़ लोगों ने दलील है कि तअज़ीर वाजिब नहीं। इमाम उसे मुआफ़ कर सकता है लेकिन दरअसल यह हदीष़ उनकी दलील नहीं बन सकती। आप ख़ुद ग़ौर कर लें। (जान–बूझकर किये गये गुनाह और नफ़्स के ग़ालिब आ जाने पर बे–इरादतन हुई ग़लती में बहुत बड़ा फ़र्क़ है। तफ़्सील से जानने के लिये इसी क़िस्म के एक सवाल और उसके जवाब की तशरीह (व्याख्या) के लिये पेज नं. 82 देखें —सम्पादक)

======================

:: फ़त्वा ::

एक औरत नमाज़ के लिए घर से चली, राह में एक शख़्स ने उसे पकड़ लिया और उससे हाजतरवाई करके भागा। उसके चीख़ने पर लोग दौड़े, उस वक़्त एक शख़्स जो रास्ते से जा रहा था उसको उन्होंने मुजरिम समझ कर पकड़ लिया। उन्होंने यही ख़याल किया कि यह वही शख़्स है और कहा कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। आँहज़रत (ﷺ) ने उसे संगसारी का हुक्म दे दिया। उस वक़्त वो शख़्स खड़ा हो गया जिसने दरअसल जुर्म किया था और कहने लगा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह बरी है और बुराई मैंने की है। आप (ﷺ) ने उस औरत से फ़र्माया,

'जाओ अल्लाह ने तुम्हें तो बख़्श दिया।' और उस शख़्स से आप (ﷺ) ने भलाई की बात कही और उसकी तअरीफ़ की। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या आप (ﷺ) इसे रजम न करेंगे? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं इसने ऐसी तौबा की है कि सारे मदीना पर तक़्सीम कर दी जाए तो सबके गुनाह मुआफ़ हो जाएँ।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/399, अबूदाऊद/अल हुदूद/साहिबुल हद्द फ़यक़िर्र : 4379, तिर्मिज़ी/अल हुदूद/माजाअ फ़िलमरअति इज़ा इस्तकरिहत अलज़िना : 1454 हसनुन सहीहुन/अल इमामुत् तिर्मिज़ी वशैख़ु अल्बानी रह.)

दरअसल कोई फ़त्वा और कोई हुक्म इससे बेहतर नहीं हो सकता। अगर पूछा जाए कि एक नाकर्दा गुनाह शख़्स को नबी (ﷺ) ने रजम करने को कैसे फ़र्मा दिया? तो जवाब यह है कि आप (ﷺ) ने सिर्फ़ यह फ़र्मान दिया था, जब वो इंकार करता तो आप (ﷺ) उसे हर्गिज़ रजम न करते। यहाँ तो क़राइन जमा हो गये थे जिससे यह फ़र्मान बिल्कुल बजा था। लोग उसे मुजरिम की सूरत में जाए वक़ूअ से पकड़ कर लाए हैं, औरत उसी को मुजरिम बतला रही है, वो अपनी बिराअत नहीं करता न इंकार करता है बल्कि ख़ामोश है। पस इन क़राइन से आप (ﷺ) ने फ़र्मान सादिर फ़र्मा दिया। लिआन में भी कोई गवाह नहीं होते लेकिन शौहर की क़समों के बाद अगर औरत ने ख़ामोशी इख़्तियार की तो सिर्फ़ उसी क़रीने से उसे हद लगाई जाती है, इससे तो यह क़राइन बहुत ज़्यादा क़वी हैं। आप ख़ुद ग़ौर कर लें।

========================

बीसवाँ बाब

पानी और शराब बाबत फ़तावा

तीन साँस में पानी पीना

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक साँस से मुझे आसूदगी हासिल नहीं होती?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'प्याला मुँह से दूर करके सांस लिया कर।'

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं पानी में गंदगी देखूँ तो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'गिरा दे।'

तिर्मिज़ी में है कि आप (ﷺ) ने पानी में सांस छोड़ने से मना फ़र्माया है तो एक साहब ने कहा, अगर पानी के बर्तन में कोई गंदगी नज़र आए तो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे बहा दो।'

उसने कहा, एक सांस में मैं सैर नहीं होता।

तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर बर्तन मुँह से जुदा कर दिया कर।' (तिर्मिज़ी/अल अशरिबह/माजाअ फ़ी कराहिय्यतिन्नफ़ख फ़िश्शराब : 1887 हसनुन सहीहुन/ अल अल्बानी व तिर्मिज़ी रह.) यह हदीष सहीह है।

========================

शराब, दवा के तौर पर भी हराम है

सवाल : हज़रत तारीक़ बिन सुवैद (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से शराब बनाने की इजाज़त चाही। आप (ﷺ) ने उन्हें मना फ़र्मा दिया। उन्होंने कहा मैं दवा के लिए बनाता हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो दवा नहीं बल्कि (दाअ) बीमारी है।' (मुस्लिम/ अल अशरिबह/तहरीतद्दावी बिल ख़म्र : 1984, अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/292)

=========================

नशीली चीज़ों के बारे में हुक्म

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! तुब्बअ की बाबत क्या फ़र्मान है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो पीने की चीज़ नशा लाए वो हराम है।' (बुख़ारी/ अल अशरबह/अल ख़म्रु मिनल असल व हुवत्तबअ : 5586, मुस्लिम/अल अशरबह/बयानु अन्न कुल्ल मुसकरिन ख़म्र व अन्न कुल्ल ख़म्रिन हराम : 2001)

=========================

:: फ़त्वा ::

अबू मूसा (रज़ि.) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम को दो शराबों के बारे में, जिनको हम यमन में बनाया करते थे फ़त्वा दीजिए, एक तो तुब्बअ है जो शहद से बनता है। जब वो झाग मारने लगे दूसरे मर्ज़ जो, जवार या जौ का होता है उसको भिगोते हैं यहाँ तक कि तेज हो जाए फ़र्माया, 'जो पीने की चीज़ नशा लाए वो हराम है।' (मुस्लिम/ अल अशरबिह/बयानु अन्न कुल्ल मुस्करिन ख़म्र व अन्न कुल्ल ख़म्रिन हराम : 1733, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/289)

=========================

सवाल : एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा कि हमारे यहाँ यमन में एक शराब बनती है जिसे मर्ज़ कहा जाता है, इसका क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने पूछा क्या इसमें नशा होता है?

उन्होंने जवाब दिया, जी हाँ! नशा होता है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नशे वाली हर चीज़ हराम है और हज़रते हक़ तबारक व तआला ने अह्द किया है कि जो नशे की चीज़ पीयेगा अल्लाह तआला उसे 'तीनतुल् ख़बाल' पिलाएगा।'

पूछा गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! 'तीनतुल् ख़बाल' क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जहन्नमियों का पसीना, उनका निचोड़ा' (मुस्लिम/

अल अशरबिह/बयानु अन्न कुल्लमुस्करिन खम्र व अन्न कुल्ल खम्रिन हराम : 2002)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम नबीज़ बनाते हैं, सुबह व शाम खाना खाने के बाद उसे पीया करते हैं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पीयो, लेकिन नशे से बचो।'

उन्होंने फिर सवाल किया।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नशे वाली चीज़ से अल्लाह की मुमानिअत है ख़्वाह वो थोड़ी हो या बहुत हो।' (दारे क़ुतनी फ़ी किताबिही अस्सुनन : 4/257)

=======================

सवाल : क़बीला अब्दुल क़ैस के एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा कि हम अपने यहाँ के फलों की एक शराब बनाते हैं, उसके पीने में आप (ﷺ) का क्या फ़त्वा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने उससे मुँह फेर लिया। उसने तीन बार यही सवाल किया। यहाँ तक कि आप (ﷺ) नमाज़ के लिए खड़े हो गए।

बाद अज़ फ़राग़त आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे न ख़ुद पी न अपने मुस्लिम भाई को पिला। उसकी क़सम! जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है या फ़र्माया उसकी क़सम! जिसकी ज़ात क़सम खाई जाने के लायक़ है कि जो शख़्स नशे की लज़्ज़त हासिल करने की ग़र्ज़ से उसे पिएगा वो जन्नत की शराबे तहूर (जन्नत की पाकीज़ा शराब) से महरूम रहेगा।' (तबरानी फ़ी किताबिही (अल मुअजमुल कबीर) : 8259)

=======================

शराब का सिर्का बनाना

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! शराब का सिर्का बनाया जाए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर्गिज़ नहीं!'

(मुस्लिम/अल अशरबहा तहरीमु तखलीलल खम्र : 1983)

=======================

सवाल : हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने पूछा कि चंद यतीमों को वरसे में शराब मिली है (ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ) उसका क्या करें?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे बहा दो।'

उन्होंने पूछा, सिर्का न बना लें?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर्गिज़ नहीं!' (अहमद फ़ी कित़ाबिही (अल मुस्नद) : 3/119)

========================

सवाल : एक रिवायत में है कि एक यतीम आप (रज़ि.) की परवरिश में था, उसकी तरफ़ से उसके पैसों से हज़रत अबू तलहा (रज़ि.) ने शराब ख़रीद ली थी। जब हुर्मते शराब के अहकाम नाज़िल हुए तो नबी (ﷺ) से पूछा गया, हम उसका सिर्का न बना लें?

(तिर्मिज़ी : 1293)

जवाब : आप (ﷺ) ने मना फ़र्मा दिया।

========================

किशमिश का हुक्म

सवाल : हज़रत अब्दुल्लाह बिन फ़राज़ दैलमी (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से पूछा कि हमारे यहाँ अँगूर के बाग़ात बकश्रत हैं, शराब मना हो चुकी है। अब हम क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किशमिश बना लिया करो।'

फिर किशमिश का क्या करें?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुबह को भिगो लो और शाम को पी लो और शाम को भिगो लो और सुबह को पी लो।'

या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम जिनमें से हैं आप (ﷺ) को मअलूम हैं, और जिन लोगों में हम रह रहे हैं वो भी आप (ﷺ) जानते हैं। फ़र्माइए हमारा वली कौन है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह और उसका रसूल।' (दारे कुतनी फ़ी किताबिही (अस्सुनन) : 4/258)

फिर तो राज़ी होकर कहने लगे बस या रसूलल्लाह (ﷺ)! अल्लाह काफ़ी है।

========================

इक्कीसवाँ बाब

क़स्मों और नज़र के मसाइल

ग़ैरुल्लाह की क़सम पर

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! जाहिलियत का ज़माना अभी–अभी छोड़ा है। उसी पुरानी आदत के मुताबिक़ मेरी ज़ुबान से लात व उ़ज़्ज़ा की क़सम निकल गई है तो अब क्या करना चाहिए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '(अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम) पढ़कर अपनी बाएँ जानिब तीन मर्तबा थुत्कार दो, ख़बरदार! आइन्दा ऐसा न करना। साइल ह़ज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़ि.) थे' (निसाई/अल ऐमान/अल हल्फ़ बिल्लति वल उज़्ज़ा : 3807, इब्ने माजा/अल कफ़्फ़ारात/अन्नही अंय्य हलिफ़ बि ग़ैरतिल्लाह : 2097 ज़ईफ़ुन/अल अल्बानी रह.)

========================

:: फ़त्वा ::

नबी (ﷺ) ने बयान फ़र्माया, 'जो शख़्स अपनी क़सम से किसी मुस्लिम का ह़क़ मारे उस पर जन्नत ह़राम है और उसके लिए दोज़ख़ वाजिब है।' तो सहाबा (रज़ि.) ने सवाल किया, अगरचे कोई ह़क़ीर सी चीज़ हो? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चाहे पीलू की मिस्वाक ही हो।' (मुस्लिम/अल अयमान/वइद मनिक़्तअ हक़्क़ा मुस्लिमिन बियमीनि फ़ज़िरतु बिन्नार : 137)

========================

क़सम तोड़ने पर

सवाल : एक सहाबी (रज़ि.) रात को देर तक आँहज़रत (ﷺ) की ख़िदमत में ठहरे रहे। जब अपने घर गए तो देखा कि बच्चे भूखे सो गए हैं, घरवालों ने खाना सामने लाकर रखा तो उन्होंने खाना न खाने की क़सम खा ली कि तुमने बच्चों को भूखा सुलाया, फिर कुछ देर बाद उन्होंने खा लिया। नबी (ﷺ) से वाक़िआ बयान किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो कोई शख़्स क़सम खा चुके फिर उसके उलट में कोई बेहतरी देखे तो वो बेहतरी वाला काम कर ले और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा अदा कर दे।' (मुस्लिम/अल अयमानि वन्नुजर/नदबु मन हलफ़ यमीननफरआ ग़ैरहा ख़ैरिन मिन्हा : 1650)

=======================

सवाल : मालिक बिन फ़ुज़ाला (रज़ि.) ने हाज़िरे ख़िदमत होकर अर्ज़ किया कि मेरे चचाज़ाद भाई मेरी हाजत के वक़्त मुझे कुछ देना तो दरकिनार मुझसे मुँह फेर लेते हैं फिर अपनी हाजत के वक़्त बेख़टके मेरे पास चले आते हैं, अब तो मैंने भी क़सम खाई है कि न उन्हें दूँगा, न उनसे सुलूक करूँगा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो कर जो बेहतर है और अपनी क़सम का कफ़्फ़ारा दे दे।' (निसाई/अल ऐमान/अल कफ़्फ़ारतु बअदल हिन्स : 2788 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

जाइज़ क़सम

सवाल : हज़रत सुवैद बिन हंज़ला और हज़रत वाइल् बिन हुज्र (रज़ि.) अपनी क़ौम के साथ ख़िदमते नबवी (ﷺ) के इरादे से चले। रास्ते में हज़रत वाइल (रज़ि.) को उनके दुश्मनों ने गिरफ़्तार कर लिया तो क़सम खाकर कहा कि यह मेरे भाई हैं। उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। जब नबी (ﷺ) से यह वाक़िआ बयान किया।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इन सबसे ज़्यादा नेक सुलूक और ज़्यादा सच्चा तू है मुस्लिम, मुस्लिम का भाई है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/79, अबूदाऊद/अल अयमान/अल मअरीज़ु फ़िल यमीनि : 3256, इब्ने माजा/अल कफ़्फ़ारतु मंव्वरा फ़ी यमीनिही : 2119 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

ग़लत क़सम खा लेने पर

सवाल : नबी (ﷺ) से उस शख़्स की बाबत सवाल किया जिसने नज़्र मानी थी कि धूप में ही खड़ा रहेगा बैठेगा नहीं, रोज़ा रखे चला जाएगा बिना रोज़ा रहेगा ही नहीं, साए में न बैठेगा, न किसी से बातचीत करेगा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ उसे हुक्म करो कि साया हासिल करे, बोल–चाल शुरू कर दे, बैठ जाए। हाँ! रोज़ा पूरा करो' (**बुख़ारी**/अल अयमानु वन्नजर/अन्नजर फ़ीमा ला यमलिक व फ़ी मअसियतिन : 6704, **मालिक**/अल अयमान/मा ला यजूज मिनुज़ूरि फ़ी मअसियकतल्लाह : 1029)

यह हदीष़ दलील है इस बात की कि जिसने ऐसी नज़्र मानी हो कि कुछ हिस्सा मुताबिक़ शरअ हो और कुछ ख़िलाफ़े शरअ हो तो जितना हिस्सा मुताबिक़ है उसे पूरा करे और जितना हिस्सा ख़िलाफ़ है उसे पूरा न करे। यही हुक्म वक़्फ़ की शर्तों का है।

========================

सवाल : हज़रत उमर (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि मस्जिदे हराम में एक रात के एतिकाफ़ की मैंने जाहिलियत के ज़माने में नज़्र मानी थी।

जवाब : 'आप (ﷺ) ने उन्हें नज़्र पूरी करने का हुक्म दिया।' (**बुख़ारी**/अल अयमानु वुज़ूर/इजा नज़ार अव हलाफ़ अल्ला युकल्लिमु इन्सानन .... : 6697, **मुस्लिम**/अल अयमान/नज़्रुल काफ़िर वमा यफ़अलु इज़ा असलमा : 1656, **तिर्मिज़ी**/अल अयमानु वन्नुज़ूर/माजाअ फ़ी वफ़ाइन्नुज़र : 1539)

इससे बअ़ज़ लोगों ने दलील पकड़ी है कि एतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त नहीं लेकिन उनके लिए यह रिवायत दलील नहीं बन सकती क्योंकि इसके बाज़ अल्फ़ाज़ में ज़िक्र है कि मैंने दिन–रात के एतिकाफ़ की नज़्र मानी है। उन्हें रोज़े का हुक्म न देना इसलिए था कि यह बात मअ़लूम व मअ़रूफ़ है कि शुरू एतिकाफ़ रोज़े की हालत ही में है। पस मुत्तलक़ मह्मूल होगा मशरूअ़ पर।

========================

:: फ़त्वा ::

एक औरत ने पैदल नंगे पाँव, नंगे सिर, हज्ज बैतुल्लाह करने की नज़्र मानी थी तो आप (ﷺ) ने उसे हुक्म दिया कि सवार हो ले और सिर

डंक ले और तीन रोज़े रख ले।

(अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/145)

=======================

सवाल : हज़रत उ़क़्बा (रज़ि.) से रिवायत है कि मेरी हमशीरा (बहन) ने पैदल हज्ज करने की मन्नत मानी थी फिर उसने मुझे कहा कि मैं रसूले अकरम (ﷺ) से फ़त्वा पूछ लूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो चलें भी और सवार भी हों।' (**बुख़ारी**/जज़ाउस्सैद/मिन नज़रिल मश्यि इलल कअबह : 1866, **मुस्लिम**/अन्नज़र अंय्यमशी इलल कअबह : 1644, **तिर्मिज़ी**/अन्नज़ूर वल अयमान/माजाअ फी मन यहलिफु बिल मश्यि वल यस्ततीअ : 1536)

अल मुस्नद अहमद में है कि वो कमज़ोर भी थीं। नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआ़ला तेरी बहन के पैदल चलने से बेनियाज़ है। वो सवारी पर जाए और एक कुर्बानी कर दे।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/201)

=======================

सवाल : ख़ुत्बा पढ़ते हुए रसूलल्लाह (ﷺ) की नज़र एक अअ़राबी पर पड़ी जो धूप में खड़ा हुआ था। आप (ﷺ) ने फ़र्माया, यह क्या बात है? उसने कहा, मैंने नज़्र मानी है कि जब तक रसूलल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बे से फ़ारिग़ न हो लें मैं धूप में ही खड़ा रहूँगा।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह नज़्र नहीं, नज़्र सिर्फ़ उन उमूर में होती है जिनसे अल्लाह तआ़ला की रज़ामंदी की जुस्तजू हो।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/212)

=======================

सवाल : नबी (ﷺ) ने देखा कि एक बूढ़े को दो शख़्स थामे हुए लिए जा रहे हैं। आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या बात है?' जवाब मिला कि उसने पैदल चलने की नज़्र मानी थी।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कोई अपने नफ़्स को अ़ज़ाब करे, इससे अल्लाह तआ़ला बेपरवाह है। आप (ﷺ) ने उसे सवार होने का हुक्म दिया।' (**बुख़ारी**/जज़ाउस्सैद/मन नज़ारल मश्य इलल कअबह : 1865, **मुस्लिम**/अन्नज़र/मन नज़ार यम्शी इलल कअबह : 6701)

=======================

सवाल : दो शख़्सों को मिले-जुले चलते हुए देखकर आप (ﷺ) ने वजह पूछी, मअ़लूम हुआ कि उनकी नज़्र इस तरह की है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह कोई नज़्र न हुई। नज़्र तो सिर्फ़ उसी में है जिसमें अल्लाह तआला की रज़ाजूई मत्लूब हो।' (**मुस्नद इमाम अहमद** : 2/183)

=======================

सवाल : एक काले रंग की औरत ने आप (ﷺ) से इजाज़त तलब की कि मैंने नज़्र मानी थी, अगर अल्लाह तआला आप (ﷺ) को सहीह व सालिम वापिस लाए तो आप (ﷺ) के पास दफ़ बजाऊँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर नज़्र मानी है तो पूरी कर ले वरना नहीं।'

उसने कहा, वाक़ई मैंने नज़्र मानी है।

चुनाँचे आप (ﷺ) बैठ गए और उसने अपनी नज़्र पूरी की। (**तिर्मिज़ी**/अल मनाकिब/मनाकिब उमर बिन अल खत्ताब रजि. : 3690, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/353 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

यह हदीष सहीह है। इस रिवायत की दो तौजीहात हैं एक तो यह कि आप (ﷺ) ने उसे इस मुबाह नज़्र के पूरा करने की इजाज़त इसलिए मर्हमत फ़र्माई कि उसका दिल ख़ुश हो जाए, उसके सदमे का बदला हो जाए, उसका दिल ईमान पर लग जाए, कुव्वते ईमानिया उसमें आ जाए, और उसकी जो ख़ुशी नबी (ﷺ) की सलामती में थी वो पूरी हो जाए। दूसरी तौजिया यह है कि उसकी नज़्र नेकी की थी क्योंकि उसमें ख़ुशी का इज़हार था जो रसूले करीम (ﷺ) की तशरीफ़ आवरी और आप (ﷺ) की सलामती और आप (ﷺ) के अपने दुश्मनों पर फ़त्हमंदी (विजय) के बारे में थी जो अल्लाह की तरफ़ से आप (ﷺ) को हासिल हुई थी और इसी तरह दीने इलाही की बुलंदी और ग़लबा हुआ था। पस आप (ﷺ) ने उस नज़्र को पूरा करने की इजाज़त दे दी।

=======================

इताअ़त के कामों के बारे में

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरी माँ मर चुकी है और उनके ज़िम्मे नज़्र के रोज़े रह गए हैं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसके वली अदा कर लें।' (**इब्ने माजा**/अल कफ़्फ़ारात/मम्माता व अलैहि नजर : 2133 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

:: फ़त्वा ::

यह फ़र्मान भी सहत के साथ साबित है कि, 'जो मर जाए और उसके ज़िम्मे रोज़े रह गए हों तो उसका वली उसकी तरफ़ से वो रोज़े रख ले।' (बुख़ारी/अस्सौम/मम्माता व अलैहि सौम : 1952, मुस्लिम/अस् सियाम/क़ज़ाउस्सियाम अनिल मय्यित : 1147)

पस एक गिरोह का ख़्याल है कि नज़्र के रोज़े हों या फ़र्ज़ रोज़े हों सब आम तौर पर इसी हुक्म में शामिल हैं।

दूसरी जमाअत का ख़्याल है कि दोनों क़िस्म के रोज़े वली अदा नहीं कर सकते।

तीसरी जमाअत का क़ौल है कि नज़्र के रोज़े रख सकते हैं, असली फ़र्ज़ के रोज़े नहीं रख सकते। इब्ने अब्बास (रज़ि.) और उनके सहाबा (रज़ि.) का यही क़ौल है। इमाम अहमद (रह.) और उनके अस्हाब का यही फ़त्वा है और है भी यही सहीह। इसलिए कि फ़र्ज़ रोज़े ,फ़र्ज़ नमाज़ की तरह हैं पस जिस तरह नमाज़ कोई किसी के बदले नहीं पढ़ सकता, इसी तरह रोज़े भी कोई किसी के बदले नहीं रख सकता। नज़्र तो मिष्ल क़र्ज़ के अपने ज़िम्मे एक चीज़ का लाज़िम कर लेना है। पस उसमें वली की क़ज़ा भी मक़बूल है जैसे क़र्ज़ की अदायगी में उसकी विलायत मक़बूल है। यह बिल्कुल फ़िक़ह है। इसी क़ाअदे के मुताबिक़ उसकी तरफ़ से हज्ज भी न किया जाए और ज़कात भी अदा न की जाए। सिवाए इस सूरत के कि वो ताख़ीर में मअज़ूर हों जैसे वली उन रोज़ों के बदले खाना खिला सकता है जो बवजह उ़ज़्र के छूट गए हों लेकिन जिसने क़सूर किया हो और बिला उ़ज़्र तर्क कर दिए हों उसे दूसरों की अदायगी फ़राइज़े इलाही के बारे में मुतलक़न् नफ़ा न देगी। अल्लाह का हुक्म उसी पर था और वो सिर्फ़ इम्तिहानन् और बतौरे आजमाइश था, पस एक की तौबा, दूसरे को एक का इस्लाम, दूसरे को एक की नमाज़, दूसरे को उसी तरह और फ़राइज़ एक दूसरे को फ़ायदा न देंगे जबकि मरने वाले ने क़सूर की वजह से, बेपरवाही और लाउबाली की वजह से मरते दम तक उन्हें अदा ही नहीं किया। वल्लाहु अअ़लम!!

=======================

सवाल : एक औरत ने कहा कि मैंने तो नज़्र मानी है कि आप (ﷺ) के सिर पर दफ़ बजाऊँगी।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपनी नज़्र पूरी कर ले।'

उसने कहा, मैंने नज़्र मानी कि फ़लाँ जगह जानवर ज़िब्ह करूँ, वहाँ अह्ले जाहिलियत ज़बीहा किया करते हैं।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'किसी बुत के लिए?'

उसने कहा, नहीं!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किसी और पूजे जाने की चीज़ के लिए?'

उसने कहा, नहीं!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपनी नज़्र पूरी कर लो।' (अबूदाऊद/अल अयमान वन्नुज़ूर/मा युअमर बिही मिनल वफ़ाइ बिन्नुज़ुर : 3312 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) मैंने बवाना नामी जगह एक ऊँट के नह्र् करने की नज़्र मानी है। आप (ﷺ) ने पूछा, 'वहाँ जाहिलियत के ज़माने में बुत परस्ती तो नहीं होती थी?' लोगों ने कहा, नहीं! पूछा, 'वहाँ उनका कोई मेला तो नहीं लगता था?' लोगों ने इसका भी इंकार किया।

जवाब : तब आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ अपनी नज़्र पूरी करो। याद रखो अल्लाह की नाफ़र्मानी में और जिस चीज़ का इंसान मालिक न हो उसमें नज़्र कोई चीज़ नहीं।' (अबूदाऊद/अल अयमानु वन्नुज़ूर/मा युअमिरु बिही मिनल वफ़ाइ बिन्नुज़ुर : 3313 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

========================

बाइसवाँ बाब

जिहाद के बारे में फ़तावा

क्या ज़ालिम मुस्लिम हाकिमों के ख़िलाफ़ जिहाद जाइज़ है?

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! ज़ालिम सरदारों से हम लड़ें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तक वो नमाज़ को क़ायम रखें उनसे लड़ाई न करो। तुम्हारे बेहतर सरदार वो हैं जिनसे तुम मुहब्बत रखो और वो तुमसे मुहब्बत रखें तुम उनके लिए दुआएँ करो और वो तुम्हारे लिए। तुम्हारे बदतरीन सरदार वो हैं जिन्हें तुम पसंद न करो और वो तुमसे बुग़ज़ रखें तुम उन पर लअ़नत भेजो और वो तुम पर लअ़नत भेजें।'

कहा गया, फिर या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम उन्हें अलग ही न कर दें?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं जब तक वो तुम में नमाज़ क़ायम रखें, तुम उन्हें अलग न करो।' फिर फ़र्माया, 'सुनो! जिस पर जो वली बना दिया गया हो, फिर वो उसे अल्लाह की मआसियत करते देखे तो उसकी इस नाफ़र्मानी को बुरा जाने लेकिन इताअ़त से दस्तबरदार न हो।' (मुस्लिम/अल इमारह/ख़ियारुल अइम्मह वशिरारिहिम : 1855)

========================

:: फ़त्वा ::

आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'तुम पर सरदार मुक़र्रर किए जाएँगे कि तुम उनकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ दोनों पाओगे।' पस जो शख़्स मकरूह समझे वो बरी हो गया, जो इंकार करे वो सलामती में आ गया लेकिन जो

राज़ी रहे और ताबेअ़दारी करो। तो लोगों ने पूछा, हम उनसे जंग न करें? फ़र्माया, 'नहीं जब तक वो नमाज़ पढ़ते रहें।' (मुस्लिम/अल इमारह/वुजूबुल इन्कारि अलल अमीर फ़ी मा युख़ालिफ़ .... : 1854)

मुस्नद अह़मद में है, 'जब तक वो पाँचों नमाज़ें पढ़ते रहें।' (अह़मद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/295)

==========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर हम पर अमीर व सरदार ऐसे हों कि हमें हमारे ह़क़ न दें और हमसे अपने ह़क़ तलब करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम सुनो और मानो, उन पर वो है जो उन्होंने उठाया और तुम पर वो है जो तुम पर लादा गया है।' (मुस्लिम/अल इमारह/फ़ी ताअ़तिल उमराइ व इन मनउ लहुक़ूक़ : 1846, तिर्मिज़ी/अल फ़ितन/माजाअ सतकूनु फ़ितनुन कक़तइल्लैलिल मुज़लिम : 2199)

==========================

आप (ﷺ) फ़र्माते हैं, 'मेरे बाद ह़क़दारों पर ग़ैर मुस्तह़िक़ीन को तर्जीह हो जाएगी और ऐसे काम होंगे जिन्हें तुम बुरा मानोगे।' फिर या रसूलल्लाह (ﷺ)! हम में से जो उसे पाए उसके लिए क्या हुक्म है? फ़र्माया, 'जो ह़क़ तुम पर है उसे अदा करो और जो ह़क़ तुम्हारा है उसे अल्लाह तआ़ला से तलब करो।' (मुस्लिम/अल इमारह/वुजूबुल वफ़ा बि बैअतिल ख़लीफ़ह .... : 1843)

==========================

जिहाद फ़ी-सबीलिल्लाह की फ़ज़ीलत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे वो अमल बताइये जो जिहाद के बराबर हो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैं तो ऐसा कोई अमल नहीं पाता।' फिर कहने लगे, 'क्या तुझसे यह हो सकेगा कि मुजाहिद के घर से निकलते ही तू मस्जिद चला जाए और बिना थके क़याम में मशग़ूल ही रहे, रोज़े रखता चला जाए, किसी दिन न छोड़े।'

उसने कहा, यह ताक़त किसे है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह की राह में लड़ने वाले मुजाहिद की मिसाल उस शख़्स जैसी है जो सियाम व क़याम (रोज़े और नमाज़) में और अल्लाह के अह़काम

की बजाआवरी में ही मशग़ूल रहे। बिल्कुल न थके, न ग़फ़लत करे यहाँ तक कि मुजाहिद वापिस लौटकर अपने घर पहुँच जाए।' (मुस्लिम/अल जिहाद/फ़ज्लुश्शहादति : 1878, निसाई अल जिहाद : 3115)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबसे अफ़ज़ल कौन शख़्स है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मोअमिन मुजाहिद जो जान व माल राहे इलाही में लुटा दे।'

पूछा गया, उसके बाद?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जो किसी घाटी में हो, अल्लाह से डरता हो और लोगों की ईज़ा-रसानी से अलग हो।' (बुख़ारी/अल जिहाद/अफ़ज़लुन्नासि मुअमिनुन मुजाहिदुन बि नफ़्सिही व मालिही फ़ी सबीलिल्लाह : 2786, मुस्लिम/अल इमारह/फ़ज्लुल जिहाद वर्रिबात : 1888)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैंने एक ग़ार देखा जिसमें एक पानी का चश्मा बह रहा है मेरे जी में आया कि यहीं ठहर जाऊँ, दुनिया से यक्सूई इख़्तियार करके यहाँ के पानी और इसके आस–पास के पत्तों पर अपनी ज़िंदगी बसर करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुनो! मैं यहूदियत और नस्रानियत के साथ नहीं भेजा गया, मैं यक्सूई वाले आसान दीन के साथ मबऊ़ष फ़र्माया गया हूँ। उस अल्लाह की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है कि अल्लाह की राह में सुबह या शाम को जाना सारी दुनिया से और इसमें जो है सबसे बेहतर है। तुममें से किसी का स़फ़ में खड़ा होना उसकी साठ साल की नमाज़ से बेहतर है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/266)

========================

अल्लाह की राह में शहीद होने की फ़ज़ीलत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर मैं राहे इलाही में क़त्ल किया जाऊँ, स़ब्र के साथ तलबे ष़वाब की निय्यत से आगे बढ़ता हुआ न कि पीछे हटता हुआ तो क्या रब्बुल आलमीन मेरी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ फ़र्मा देगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ!'

फिर पूछा कि तुमने क्या सवाल किया था?

उसने फिर से दोहराया।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! मगर क़र्ज़ (मुआफ़ नहीं होगा)। अभी-अभी जिब्राईल (अलैहिस्सलाम) ने मुझसे पोशीदा यह फ़र्मा दिया।' (निसाई/अल जिहाद/मन कातल फी सबीलिल्लाहि तआला व अलैहि दैन : 3157)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! आख़िर क्या वजह है कि तमाम मोअमिनों की क़ब्र में आज़माइश होती है, मगर शहीदों की नहीं होती?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तलवार की चमक ने उसकी आज़माइश पूरी कर ली है।' (निसाई/अल जनाइज/अश्शहीद : 2055 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

======================

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! तमाम शहीदों में अफ़ज़ल कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो सफ़ में आने के बाद अपना मुँह फेरे बग़ैर अल्लाह की राह में खप जाए। यह जन्नत के आला बालाखानों में होगा। अल्लाह तआला हँसकर उसकी तरफ़ देखता है और जब तेरे रब की नज़र दुनिया में हँसी के साथ किसी बंदे पर पड़ गई तो वो हिसाब व किताब से पाक-साफ़ हो गया।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/287)

======================

मुजाहिद फ़ी-सबीलिल्लाह की पहचान

सवाल : अल्लाह के रसूल (ﷺ) का क्या फ़त्वा है कि एक शख़्स बहादुरी दिखाने के लिए, दूसरा हमियत क़ौमी में, तीसरा रियाकारी से मैदाने जंग में लड़ रहा है, तो राहे अल्लाह में लड़ने वाला कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो कोई अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए जिहाद करे वो राहे अल्लाह में।' (बुख़ारी/अल जिहाद/मन क़ातला लि तकून कलिमतुल्लाह हियल उलय : 2810, मुस्लिम/अल इमारह/मन क़ातला लि तकूनू कलिमतिल्लाहि हियल उलया फ हुव फ़ी सबीलिल्लाह : 1904)

======================

सवाल : एक अअराबी ने नबी (ﷺ) से पूछा कि एक शख़्स शोहरत के लिए, एक शख़्स अपनी बड़ाई के लिए, एक शख़्स माले ग़नीमत हासिल करने के लिए, एक शख़्स अपनी बहादुरी के झंडे बुलंद करने के

लिए लड़ रहा है तो राहे इलाही का मुजाहिद कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जो कलिम-ए-इलाही को बुलंद करने के लिए लड़े वो मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह है।' (मुस्लिम/अल इमारह/मन कातला लि तकून कलिमतुल्लाहि हियल उलय फ़ हुव फ़ी सबीलिल्लाह : 1904, अबूदाऊद/अल जिहाद/मन क़ातला लि तकूनू कलिमतुल्लाहि हियल उलया : 2517, तिर्मिज़ी/फ़ज़ाइलुल जिहाद/माजाअ फ़ीमन युक़ातिलु रियाअन वलिद्दनया : 1646, निसाई/अल जिहाद/मन क़ातला लि तकून कलिमतुल्लाहि हियल उलया : 6/23, इब्ने माजा/अल जिहाद/अन्नियतु फ़िल क़िताल : 2783)

========================

सवाल : अल्लाह के रसूल (ﷺ) इस सवाल के जवाब में क्या फ़र्माते हैं कि एक शख़्स राहे इलाही का जिहाद करता है लेकिन वो दुनिया का फ़ायदा टटोल रहा है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो षवाब से महरूम है।'

लोगों को यह बात बुरी मअ़लूम हुई साइल से कहा दोबारा पूछो शायद तुम अपना मतलब वाजेह नहीं कर सके। उसने फिर पूछा, आप (ﷺ) ने यही जवाब दिया, '(ला अज्रा लह)'

लोगों ने उससे फिर यही कहा। उसने तीन बार पूछा। तीसरी बार भी नबी (ﷺ) ने यही फ़र्माया, 'उसके लिए कोई अज्र नहीं।' (मुस्लिम/अल इमारह/मन क़ातला लितकूनू कलिमतुल्लाहि हियल उलया फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाह : 1904, अबूदाऊद/अल जिहाद/मन कातला लितकून कलिमतुल्लाहि हियल उलया : 2517, तिर्मिज़ी/फ़ज़ाइलुल जिहाद/माजाअ फ़ी मन युक़ातलू रियाअन वलिद्दुनिया : 1646, निसाई/अल जिहाद/मन क़ातला लि तकून कलिमतुल्लाहि हियल उलया : 3138, इब्ने माजा/अल जिहाद/अन्नियतु फ़िल क़िताल : 2783)

========================

क़िताल के दौरान कुछ जाइज़ काम

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक मुस्लिम ने मैदाने जंग में एक मुश्रिक़ को नेज़ा मारते हुए कहा कि लेता जा मैं फ़ारस का नौजवान हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसमें कोई हर्ज नहीं, तअ़रीफ़ भी की जाएगी और अज्र भी दिया जाएगा।'

========================

जिहाद के लिये भी इख़्लास शर्त है

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक शख़्स ग़ज़वा करता है, अज्रो ज़िक्र दोनों चाहता है,उसे क्या मिलेगा?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे कुछ न मिलेगा।'

तीन मर्तबा उसने अपना सवाल दोहराया और तीनों मर्तबा यही जवाब पाया, (ला शयआ लहू)।

फिर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला उस अमल को कुबूल फ़र्माता है जो सिर्फ़ उसी के लिए ख़ालिस हो और उससे उसी की रज़ा जूई मतलूब हो।' (निसाइ/अल जिहाद/मन ग़ज़ा यलतमिसुल अज्र : 3142, हसनुन सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक शख़्स राहे इलाही में जिहाद करता है मगर उसके ज़रिए वो दुनिया के अस्बाब को तलाश करता है। (तो इस बारे में क्या हुक्म है?)

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे बिल्कुल अज्र नहीं मिलेगा।'

सहाबा (रज़ि.) को यह बात बहुत बुरी मअलूम हुई। साइल से कहा, तू फिर पूछ, शायद तू नबी (ﷺ) को अपना सहीह मतलब समझा नहीं सका। उसने फिर यह सवाल किया। आप (ﷺ) ने यही जवाब दिया, (ला अज्रा लहू)

सहाबा (रज़ि.) ने फिर कहा। उसने तीसरी मर्तबा यही सवाल किया। आप (ﷺ) ने फिर यही फ़र्माया, 'उसके लिए कोई अज्र नहीं है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/290)

======================

औरतों पर मर्दों की फ़ज़ीलत

सवाल : हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ने बारगाहे नबूवत में सवाल किया कि मर्द तो जिहाद करते हैं, औरतों के लिए जिहाद नहीं, औरतें मीराष में भी मर्दों से निस्फ़ हैं।

जवाब : तो यह आयत उतरी, (वला ततामन्न व मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिहि बअ़ज़कुम अ़ला बअ़ज़0 अन् निसा : 32) यानी 'जो फ़ज़ीलत व बुज़ुर्गी अल्लाह ने एक को एक पर दे रखी है उसकी तमन्ना न किया करो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/322, तिर्मिज़ी/तफ़्सीर/व मिन सूरतिन् निसा : 3022, हाकिम/तफ़्सीर/तफ़्सीर सूरतिन

निसाः 3195 सहीहुल इस्नाद/अल अल्बानी रह.)

========================

शहीदों की क़िस्में

सवाल : नबी (ﷺ) से शहीदों के बारे में सवाल किया गया,

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो कि राहे इलाही में क़त्ल किया जाए, जो राहे इलाही में मारा जाए वो शहीद है, जो ताऊन में मर जाए वो शहीद है, जो पेट की बीमारी में मर जाए वो शहीद है।' (मुस्लिम/अल इमारह/बयानुश्शुह्दा : 1915)

========================

मोअमिन, मुस्लिम के क़त्ल की हुर्मत

सवाल : एक सहीह हदीष में है कि आप (ﷺ) से उस शख़्स के बारे में सवाल किया गया जिसने किसी मुश्रिक पर मैदाने जंग में क़त्ल करने के लिए हमला किया लेकिन उसने उसी वक़्त कह दिया कि मैं मुस्लिम हूँ, फिर भी उसने उसे क़त्ल कर डाला, इस पर आप (ﷺ) ने सख़्त नाराज़गी के अल्फ़ाज़ फ़र्माए। उसनें कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह कलमा तो उसने सिर्फ़ जान बचाने के लिए ही कहा था।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह तआला ने किसी मोअमिन का क़त्ल मुझ पर हराम कर दिया है।' (बज़्ज़ार/अल ईमान/मा युहर्रिमु दमल अब्द : 11)

========================

सवाल : हज़रत अस्वद बिन सरीअ ने आप (ﷺ) से पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो फ़र्माइए कि अगर मैं मुश्रिकों में से किसी से मुक़ाबला करूँ, वो मुझ पर हमला करके तलवार का वार करे, वो ठीक और कारी पड़े और मेरा एक हाथ जड़ से काट दे, फिर वो किसी दरख़्त की ओट में पनाह में चला जाए और कह दे कि मैं अल्लाह के लिए इस्लाम लाया। क्या उसके कहने के बाद उसका क़त्ल करना मेरे लिए रवा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसे क़त्ल न करो।'

वो कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! उसने तो मेरा एक हाथ काट डाला, और उसने अपने इस्लाम लाने वाली बात तो मेरा एक हाथ काट डालने के बाद कही।

नबी करीम (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं उसे क़त्ल न करा अगर तू उसे क़त्ल करेगा

तो वो तेरी उस जगह होगा जहाँ तू उसके क़त्ल करने से पहले था और तू उसकी जगह होगा जहाँ वो कलिमा कहने से पहले था।' (बुख़ारी/अल मग़ाज़ी : 4019, मुस्लिम/अल ईमान/तहरीमु क़तलुल काफ़िरि बअद अन्न क़ाला ला इलाहा इल्ललल्लाह : 95)

=======================

जिहाद के लिये इस्लाम व ईमान की शर्त

सवाल : एक सहाबा ने आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! पहले मैं इस्लाम लाऊँ या दुश्मनाने दीन से जिहाद में लग जाऊँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पहले इस्लाम लाओ फिर जिहाद करो।'

चुनाँचे वो इस्लाम लाया, फिर लड़ा यहाँ तक कि वो शहीद हो गया तो नबी (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसने अमल बहुत कम किया और अज्र बहुत ज़्यादा दिया गया।' (बुख़ारी/अल जिहाद/अमिला मन स्वालिह क़बलल क़िताल : 2808, मुस्लिम/अल इमारह/सुबूतुल जन्नति लिश्शहीद : 1900)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपको मुझ पर सबसे ज़्यादा ख़ौफ़ किस चीज़ का है?

जवाब : आप (ﷺ) ने उसकी ज़ुबान पकड़ कर फ़र्माया, 'इसका।' (तिर्मिज़ी/अज़्ज़ुहद/माजाअ फ़ी हिफ़्ज़िल लिसानी : 2410 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

तेइसवाँ बाब

दवा और इलाज के बारे में

सवाल : एक अअ्राबी ने आप (ﷺ) से पूछा कि क्या हम दवा कर लिया करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ सुनो! अल्लाह तआला ने जितनी बीमारियाँ पैदा की हैं उनके इलाज भी पैदा किए हैं जो उन्हें जानते हैं जानते हैं और जो अंजान हैं अंजान हैं।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/278)

=======================

:: फ़त्वा ::

सुनन में है कि अअ्राबी के इस सवाल पर आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ अल्लाह के बंदो इलाज कराया करो, अल्लाह ने जो बीमारी रखी है उसकी शिफ़ा भी रखी है सिवाए एक बीमारी के।' या रसूलल्लाह (ﷺ)! वो बीमारी क्या है? आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बुढ़ापा।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/278), अबूदाऊद/अत् तिब्ब/माजाअ फ़िद्दवाइ वल हिष्षु अलैह : 2039, इब्ने माजा/अत् तिब्ब/मा अन्ज़लल्लाहु दाअ न इल्ला व अन्ज़लल्लाहु लहू शिफ़ाअ : 3436 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

दवा, इलाज और तक़्दीर

सवाल : नबी (ﷺ) से सवाल किया गया कि जो दम झाड़ हम करते हैं, जो दवा इलाज हम कराते हैं और जो बचाव की तद्बीरें हम करते हैं क्या उनसे तक़्दीर में कुछ रद्दोबदल हो जाता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ुद वो भी तक़्दीर में लिखा हुआ है।' (अहमद फ़ी

किताबिही (अल मुस्नद) : 3/421, तिर्मिज़ी/अत् तिब्ब/माजाअ फ़िर्रुका वल अदवियह : 2065, इब्ने माजा/अत् तिब/मा अन्ज़लल्लाहु दाअन इल्ला अन्ज़ला लहू शिफ़ाअ : 3437 हसनुन सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या दवा और इलाज कोई फ़ायदा करता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुब्हानल्लाह! वो कौनसी बीमारी है जिसकी शिफ़ा अल्लाह तआला ने मुक़र्रर न फ़र्माई हो।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/371)

=======================

अल्लाह पर भरोसा करनेवालों की शान

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! आपकी उम्मत के जो 70000 आदमी बिना हिसाब जन्नत में जाएँगे वो कौन हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो झाड़–फूँक नहीं कराते, जो शगुन नहीं लेते, जो दाग़ नहीं लगवाते, जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं।' (**बुख़ारी**/अत् तिब/लम यरक़ : 5752, **मुस्लिम**/अल ईमान/अद् दलीलु अला दुख़ूलि तवाइफ़िल मुस्लिमीन जन्नह : 220)

=======================

ग़ैर-शरई शिर्किया दम की मुमानअत

सवाल : आले अम्र बिन हज़म ने ख़िदमते नबवी (ﷺ) में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमें दम करना याद था जिससे हम बिच्छू उतारा करते थे। अब आप (ﷺ) ने दम करने से रोक दिया है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो पढ़कर दम करते थे मुझे सुनाओ।'

उन्होंने सुनाया तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसमें कोई कलिमा ख़िलाफ़ नहीं। जो अपने भाई को नफ़ा पहुँचा सके वो करो।' (**मुस्लिम**/अत् तिब/इस्तेहबबुर्रुक़्यति मिनल ऐन वन्नमलति व हुम्मह ...... : 2199)

=======================

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) से झाड़–फूँक की निस्बत सवाल किया गया।

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपने झाड़ने–फूँकने को मेरे सामने पेश करो।' फिर फ़र्माया, 'जिसमें शिर्किया कलिमात न हो उसमें कोई हर्ज नहीं।' (**मुस्लिम**/अत् तिब/इस्तेहबबुर्रुक़्यति मिनल ऐन वन्नमलति व हुम्मति वन्नज़रह : 219[illegible])

=======================

सवाल : हज़रत उष्मान बिन अबुल आस़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से इस्तिफ़सार किया कि जबसे मैं मुस्लिम हुआ हूँ मेरे बदन में इस जगह दर्द है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वहीं अपना हाथ रख लो और यह पढ़ो। तीन दफ़ा बिस्मिल्लाह और सात दफ़ा (**अऊज़ुबिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन् शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरू**)' (मुस्लिम/अत् तिब/इस्तेहबबु वजअ यदिहि अला मैवजिइल अलम : 2202)

=======================

सबसे ज़्यादा आज़माइश वाले लोग

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबसे ज़्यादा आज़माइश वाले कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अम्बिया (अ़लैहिस्सलाम), फिर इनसे कम दर्जे के लोग, फिर इनसे कम दर्जे वाले इंसान की आज़माइश उसके दीन के अंदाजे पर होती है। अगर वो कमज़ोर दीन वाला है तो वैसी ही उसकी आज़माइश भी होती है। इंसान पर मुसीबतें आती ही रहती हैं यहाँ तक कि वो ज़मीन में इस हाल में चलने– फिरने लगता है कि उसके ज़िम्मे कोई ख़ता नहीं होती।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुसनद) : 1/174, तिर्मिज़ी/अज़्ज़ुहद/माजाअ फ़िस्सबीर अलल बलाअ : 4398, इब्ने माजा/अल फ़ितना अस्सबु आलल बलाअ : 4023 हसनुन सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

सवाल : नबी (ﷺ) से सवाल किया गया कि सबसे ज़्यादा बलाओं वाले कौन हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अम्बिया (अ़लैहिस्सलाम)।'

पूछा गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! इसके बाद के कौन?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नेक स्वालेह लोग। उनमें से एक एक की फ़क़ीरी के साथ यहाँ आज़माइश होती थी कि उसे सिवाए इबादत के कोई और चीज़ मयस्सर नहीं आती थी। सुनो! वो तो बलाओं में ऐसे ख़ुश रहते थे जैसे तुम आफ़ियत में ख़ुश रहते हो।' (इब्ने माजा/अल फ़ितन/अस्सबु अलल बलाअ : 4024 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

बीमारियों पर अज्र व सवाब

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह जो बीमारियाँ हमें आती रहती हैं इनमें हमें कोई अज्र भी मिलता है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! यह तुम्हारे गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाती है।'

इस पर हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने पूछा कि चाहे थोड़ी सी ही हो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'गोया काँटा ही लगा हो या इससे भी कम हो।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/23)

हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने इस पर दुआ की कि मुझे हमेशा बुख़ार रहे लेकिन ऐसा कि हज्ज से, उमरा से, अल्लाह की राह में जिहाद से, जमाअत के फ़र्ज़ नमाज़ से मैं महरूम न रह जाऊँ। पस आपको आख़िरी वक़्त तक जो इंसान हाथ लगाता बदन में बुख़ार मौजूद पाता।

=======================

सवाल : बदवियों ने रसूलल्लाह (ﷺ) से सवालात शुरूअ किए, क्या इसमें कोई हर्ज है? क्या फ़लाँ बात में कोई हर्ज है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्लाह के बंदो! अल्लाह तआला ने सब हर्ज हटा दिए हैं, हर्ज सिर्फ़ उस पर है जो अपने भाई मुस्लिम की किसी तरह की आबरू रेज़ी करे, यह हर्ज की बात है।'

या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या दवा, इलाज में कोई गुनाह है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐ अल्लाह के बंदो! दवा इलाज करो, अल्लाह ने जो बीमारी रखी है उसकी शिफ़ा भी रखी है सिवाए बुढ़ापे के।'

फिर पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह की तरफ़ से बंदे को अता हुई हो वो क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अच्छे अख़लाक़।' (इब्ने माजा/अत् तिब/मा अन्ज़लल्लाहु दाअन इल्ला अन्ज़लल्लाहु लहू शिफ़ाअ : 3436 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

मेंढक की मुमानिअत

एक तबीब ने नबी (ﷺ) से मेंढक को दवा में डालने की बाबत सवाल किया तो आप (ﷺ) ने उन्हें उसके क़त्ल से मना फ़र्मा दिया।

(अबूदाऊद/अत् तिब/अदवियतिल मकरूहति : 3871, निसाई/अस्सयदु वज़बाएह/अज़फ़दअ : 4360, इब्ने माजा/अस्सैदा मा यनहा अन कत्लिही : 3223 सहीहुन/अल अल्बानी)

=======================

बीमारी में रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त

हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम (रज़ि.) और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से जुएँ पड़ जाने की शिकायत की तो आप (ﷺ) ने उन्हें रेशमी कुर्ता पहनने की इजाज़त दे दी।

=======================

तिब्ब में महारत का हुक्म

नबी (ﷺ) ने फ़तवा दिया कि जो तिब्ब न जानता हो और फिर इलाज करे वो ज़िम्मेदार है। इसके मफ़हूम से मअलूम होता है कि जो माहिर तबीब हो फिर उससे किसी के इलाज में ख़ता हो जाए तो उसकी पकड़ नहीं। (अबूदाऊद/अद् दियात/फ़ी मन तुतब्बिबु बिग़ैरि इल्मिन फ़ अअनत : 4586, निसाई/अल क़सामह/सिफ़तु शब्हुलअमादि वअला मिनदियतिल अजनति व शब्हुल अमद : 4834, इब्ने माजा/अत् तिब/मन तुतब्बिबु वलम युअलिम मिन्हु तिब्ब : 3466)

=======================

वर्ज़िश भी इलाज है

सवाल : हज्ज के रास्ते में पैदल चलने वालों ने आप (ﷺ) से अपने थक जाने और कमज़ोर हो जाने की शिकायत की।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'छोटे-छोटे क़दमों से कुछ देर तेज़ चल लिया करो, इससे तुम्हें कुछ मदद मिल जाएगी।' (मुस्लिम/अल हज्ज/हज्जतुन् नबिय्यि ﷺ : 1218)

चुनाँचे लोगों ने ऐसा किया और हल्कापन भी उन्हें महसूस हुआ। इब्ने मसऊद दिमश्की ने तो इस रिवायत में हवाला तो सहीह मुस्लिम का दिया है, लेकिन यह हदीष मुस्लिम शरीफ़ में नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम वाली हज़रत जाबिर (रज़ि.) की रिवायत कर्दा हदीष में ज़्यादती है जो सिफ़्ते हज्ज नबी में मरवी है। हाँ! अस्नाद इसकी भी हसन है।

=======================

नज़रे-बद पर दम की इजाज़त

सवाल : हज़रत अस्मा बिन्ते उमैस (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से कहा कि ज़फर की औलाद को तो नज़र बहुत जल्द लग जाया करती है, क्या दम करने की इजाज़त है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! अगर कोई चीज़ तक़्दीर से सबक़त कर जाने वाली होती तो नज़र सबक़त कर जाती।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 6/438, बुख़ारी/अत् तिब रुक़्यतुल ऐन : 5738)

मौता इमाम मालिक में है कि हज़रत ज़फ़र (रज़ि.) के दोनों बच्चों को लेकर उनको खिलाने वाली नबी (ﷺ) के पास आई तो आप (ﷺ) ने पूछा, 'यह बच्चे इतने कमज़ोर क्यूँ है?'

उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी (ﷺ)! इन्हें तो लपककर नज़र लगती है और हम इसलिए दम नहीं कराते कि हमें नहीं मअलूम, आप (ﷺ) की मर्ज़ी के मुताबिक़ हो या न हो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दम कर लिया करो, अगर कोई चीज़ तक़्दीर से आगे बढ़ जाने वाली होती तो नज़र होती।' (मालिक/अल ऐन/अर्रुक़्यतु मिनल ऐन : 1812)

=======================

जादू के लिये दम

सवाल : जिस पर जादू किया गया हो उस पर से जादू हटाने की बाबत रसूलल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा गया।

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह शैतानी काम है।' (अबूदाऊद/अत् तिब फ़िन्नुशरति : 3868 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

जादू का उतरवाना दो क़िस्म पर है एक तो जादू को उसी जैसे जादू से उतरवाना, यह शैतानी काम है। जादू शैतान का काम है जब उतारने वाला और उतरवाने वाला इससे नज़दीकी करता है तो वो अपना अ़मल उस पर बातिल कर देता है जिस पर जादू किया गया है। दूसरी क़िस्म यह है कि जादू को जाइज़ दम से और तअ़ऊज़ पढ़ने से और दुआओं से, और दवाओं से उतारा जाए यह जाइज़ बल्कि मुस्तहब है। हज़रत हसन (रज़ि.) का फ़र्मान है कि जादूगर ही जादू खोलता है, इससे मुराद भी पहली क़िस्म है जो बुरी क़िस्म है।

=======================

वबा (महामारी) और ताऊ़न (प्लेग)

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) से ताऊ़न की निस्बत पूछा गया।

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह वो अ़ज़ाब है जो तुमसे पहले लोगों पर भेजा गया था। उसे अल्लाह तआला ने मोअमिनों के लिए रहमत बना दिया है जो शख़्स किसी शहर में हो और वहाँ ताऊ़न आ जाए फिर भी वहीं ठहरा रहे। स़ब्र के साथ त़लब व ष़वाब की निय्यत से यह यक़ीन करके कि अल्लाह ने उसकी क़िस्मत में जो लिखा है वही उसे पहुँचेगा तो उसे शहीद का ष़वाब मिलता है।' (बुख़ारी/अत् तिब/अजरुस्साबिरि अलत्ताऊन : 5734)

======================

सवाल : हज़रत फ़र्वाह बिन मसीक (रज़ि.) ने रसूले अकरम (ﷺ) से अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! जहाँ हम रहते हैं और जहाँ हमारा काम–काज वग़ैरह है वो जगह बड़ी वबाई जगह है, वहाँ सख़्त वबाअ है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर उसे छोड़ दो, क़ुफ़्र में तो बर्बाद होना है।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/452)

• सुब्हानल्लाह! इस ह़दीष़ में तंदुरुस्ती का ज़बरदस्त गुर बतला दिया गया है। ज़मीन और हवा की सलाहियत हासिल करना समझाया गया है जैसे कि पानी और ग़िज़ा की स़लाहियत ज़रूरी चीज़ है। इन चारों की स़लाहियत से बदन भी स़लाहियत वाला हो जाता है और तंदुरुस्ती अल्लाह के फ़ज़्ल से क़ायम रहती है।

======================

फ़ाल के बारे में फ़तावा

सवाल : नबी (ﷺ) का इर्शाद है कि,

जवाब : 'शगुन कोई चीज़ नहीं। बेहतरीन शगुन नेक फ़ाली है।'

लोगों ने पूछा कि फ़ाल क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नेक कलिमा जिसे तुममें से कोई सुन ले।' (बुख़ारी/अत् तिब/अत्तियरह : 5754, मुस्लिम/अस्सलाम/अत्तियरतु वल फ़अलु वमा यकूनु फ़ीहि शुऊम : 2223)

======================

सवाल : और रिवायत में है कि,

जवाब : 'एक बीमारी दूसरे को नहीं लगती, न शगुन कोई चीज़ है, हाँ! मुझे फ़ाल अच्छी लगती है।'

सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, फ़ाल क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नेक कलिमा।' (बुख़ारी/अत् तिब/अल फ़अल : 575, मुस्लिम/अत् तिब/अत्तियरह : 2224)

======================

सवाल : जब आप (ﷺ) ने यह फ़र्माया कि, 'बीमारी में तअ़द्दी नहीं होती और शगुन भी कोई चीज़ नहीं।' न हामा कोई चीज़ है तो एक शख़्स ने आप (ﷺ) से पूछा कि ऊँटों में ख़ुजली वाला ऊँट आकर मिल जाए तो सबको ख़ुजली हो जाती है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह बीमारी का मुत्तअ़दी होना नहीं बल्कि तक़्दीर में यूँ ही था वरना बतलाओ पहले को किसने ख़ुजली की?' (बुख़ारी/अत् तिब/ला हम्मह : 5770, मुस्लिम/अस्सलाम/ला अदव व ला तिरह वला हम्मह वला सफ़र .... : 2220, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/24)

जो लोग अस्बाब के मुन्किर हैं उनके लिए यह हदीष़ दलील नहीं बन सकती इसमें तो तक़्दीर का इस्बात है और कुल अस्बाब का फ़ाइल अव्वल अल्लाह तआ़ला की तरफ़ लौटाना है इसलिए कि अगर सबब अपने से अगले सबब की तरफ़, फिर वो उससे अगले की तरफ़ इस तरह चला ही जाए तो अस्बाब का तसलसुल (क्रम) लाज़िम आएगा जो मुमतनअ़ (निषेधक/रोकने वाला) है। पस नबी (ﷺ) ने इस तसलसुल को यह फ़र्माकर तोड़ दिया कि पहले ख़ुजली वाले ऊँट पर किसकी बीमारी ने तअ़दी की? इसलिए इसका जवाब यह हो कि उसे किसी और की ख़ारिश लगी तो फिर सवाल होगा कि उसे किसकी लगी, इसी तरह तसलसुल लाज़िम आएगा जो महाल है।

======================

सवाल : एक औरत ने आप (ﷺ) से कहा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! हमने एक नए घर में रहना शुरू किया है। हमारी तअ़दाद यहाँ आने के वक़्त बहुत थी लेकिन यहाँ आकर तअ़दाद भी कम हो गई और माल में भी कमी आ गई।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर उसे बुराई वाला करके छोड़ दो।' (मालिक/अल इस्तिअज़ान/मा यत्तक़ी मिनश्शुऊम : 1884 सहीह लि ग़ैरिही तख़रीज फ़ज़ीलतुश्शैख़ सलीम

बिन ईदुल हिलाली हफिज़ुहुल्लाह, रक़मुल हदीष़ इन्दहू : 1959 व क़ाल हसनहू शैख़नल अल अल्बानी रह.)

यह ह़दीष़ उस ह़दीष़ के मुवाफ़िक़ है कि जिसमें है, 'अगर किसी चीज़ में बदशगुनी है तो वो तीन चीज़ों में है, घोड़ा, घर और औ़रत में।'

इसमें बारीक अस्बाब के अष्बात की दलील है जो अ़मूमन लोगों की निगाहों में नहीं जँचता। हाँ! जब उसका अ़मल हो जाए तब उसकी निगाह वहाँ पहुँचती है। बहुत से ऐसे अस्बाब भी हैं जिनका अस्बाब होना उस वक़्त मअ़लूम होता है जब उनका अष़र ज़ाहिर हो जाए। यह बारीक और पोशीदा अस्बाब हैं। इनके बरख़िलाफ़ ऐसे अस्बाब भी हैं जिनकी सबीत बिल्कुल ज़ाहिर है। लोगों का यह क़ौल अस्बाबे ख़फ़ी में है कि फ़लाँ मनहूस तालेअ़ का आदमी है फ़लाँ के क़दम बेबर्कत हैं। आँहज़रत (ﷺ) ने इस ह़दीष़ में उसी पोशीदा सबब की तरफ़ इशारा किया है इस शक को बातिल नहीं किया।

आप (ﷺ) के इस फ़र्मान का कि, 'अगर किसी चीज़ में बदशगुनी है तो इन तीन में है।'

मतलब यह है कि इनमें है। यह मुराद नहीं कि और किसी में नही।

जैसे आप (ﷺ) का फ़र्मान है कि, 'अगर तुम्हारी दवाओं में से किसी दवा में शिफ़ा है तो सींगी लगवाने में शह़द के शर्बत में और आग के दाग़ में है लेकिन मैं आग से दग़वाना नापसंद रखता हूँ।' (बुख़ारी/बत् तिब/अत्तियरह : 5094, मुस्लिम/अस्सलाम/अत्तियरतु वल फ़अलु वमा यकूनु फ़ीहि मिनश्शुऊम : 2225)

======================

सवाल : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो शख़्स अपने किसी काम से किसी बदशगुनी के बिना पर लौट आए वो मुश्रिक हो गया।' लोगों ने पूछा, फिर इसका कफ़्फ़ारा क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह कह देना (**अल्लाहुम्म ला त़ैरा इल्ला त़ैरुका, वला ख़ैर इल्ला ख़ैरुका, व ला इलाहा ग़ैरुका**)' 'ऐ अल्लाह! नेक फ़ाल और शगुन सिर्फ़ तेरा हो सकता है। ख़ैर और भलाई भी सिर्फ़ तेरी त़रफ़ से मिलती है और तेरे सिवा कोई मअ़बूदे बरहक़ भी नहीं।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/220)

======================

चौबीसवाँ बाब

हुक़ूक़ और आदाब के बारे में

छींक आने पर क्या कहें?

सवाल : एक स़ह़ाबी (रज़ि.) को छींक आई तो उन्होंने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे इस मौक़े पर क्या कहना चाहिए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अल्हम्दुलिल्लाह कहो।'

और एक स़ह़ाबी (रज़ि.) ने कहा फिर यह सुनकर हमें इसके लिए क्या कहना चाहिए?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यरह़मुकल्लाह।'

तो पहले स़ह़ाबी ने पूछा, फिर मैं उन्हें क्या कहूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम कहो, यह्दिकुमुल्लाहु व युस्लिह बालकुमा।' (अह़मद की किताबिही (अल मुस्नद) : 679, बुख़ारी/अल अदब/इज़ा अतस कैफ़ा युशमित : 6224)

========================

पड़ौसियों की बदसुलूक़ी पर

सवाल : एक स़ाहब ने अपने पड़ौसी की इज़ा-रसानी की शिकायत नबी (ﷺ) से की। आप (ﷺ) ने स़ब्र करने की तलक़ीन की। उसने तीन मर्तबा यही कहा। आप (ﷺ) ने तीनों मर्तबा यही जवाब दिया। उसने फिर चौथी मर्तबा शिकायत की।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जाओ अपना अस्बाब मकान से निकाल कर रास्ते पर डाल दो।'

उसने ऐसा ही किया। अब जो निकलता वो पूछता (कि ऐसा क्यों कर रहे हो?)। तो वो जवाब देते कि पड़ौसी की ईज़ाओं से तंग आ गया हूँ। तो हर एक उस पड़ौसी को लान-तान करता। आख़िर उससे न रहा गया उसी वक़्त दौड़ा हुआ आया और क़समें खा-खाकर कहने लगा कि अब न सताऊँगा मुआफ़ करो और अपना अस्बाब मकान में वापिस ले आओ। (अबूदाऊद/अल अदब/फ़ी हक़्क़िल जवार : 5153, अल हाकिम फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 4/160, इब्ने हिब्बान/फ़ी (सहीहेही) : 520 हसनुन सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

========================

फ़ौतशुदा वाल्दैन के साथ नेकी

सवाल : एक साहब ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मेरे माँ– बाप मर चुके हैं, क्या अब भी मैं उनके साथ कोई नेकी कर सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! उनके लिए दुआ माँगा कर, उनके लिए तौबा किया कर, उनके वादों को उनके बाद पूरा कर, उनके दोस्तों की इज़्ज़त कर, उनकी वजह से जो सिलाहरमी हो उसे बजा ला।'

यह सुनकर वो ख़ुश होकर कहने लगा, वाह कैसी लज़ीज़ और कैसी पाक हिदायतें हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अब इन पर अमल करा' (अबूदाऊद/अल अदब/फ़ी बिर्रिल वालिदैन : 5142, इब्ने माजा/अल अदब/ सिल मन कान अबूक यसिल : 3664 ज़ईफ़ुन/ अल अल्बानी)

========================

अच्छे व बुरे लोगों की पहचान

सवाल : इब्ने हिब्बान में है, या रसूलल्लाह (ﷺ)! हमें बतलाइए कि हम में बेहतर लोग कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बेहतर वो हैं जिनसे भलाई की उम्मीद की जाए और उनकी बुराई का ख़टका न हो। और तुम में बदतर वो लोग है जिनकी भलाई से लोग ना उम्मीद हो जाएँ और जिनसे बुराई पहुँचने का ख़तरा लोगों को लगा रहे।' (तिर्मिज़ी/अल फ़ितन : 2263, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/368, इब्ने हिब्बान फ़ी (सहीहेही) : 527 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : चंद देहातियों ने रसूलल्लाह (ﷺ) से बहुत फ़त्वे पूछे।

जवाब : आप (ﷺ) ने उनका जवाब देकर फ़र्माया, 'लोगों! अल्लाह ने तुम पर हर्ज हटा दिया है। हाँ हर्ज और हलाकत वाला वो है जो किसी मुस्लिम भाई की आबरू रेज़ी करे।'

उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या हम दवा इलाज करा सकते हैं?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! अल्लाह ने जितनी बीमारियाँ पैदा की हैं, उनकी दवाएँ भी नाज़िल फ़र्माई है सिवाए एक के।'

उन्होंने पूछा, वो क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बुढ़ापा।'

उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! सबसे ज़्यादा अल्लाह का प्यारा कौन है?

आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'सबसे अच्छे अख़्लाक़ वाला।' (इब्ने माजा/अत् तिब/मा अन्ज़ल्लाहु दाअन इल्ला व अन्ज़ल लहू शिफ़ाअ : 3436, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/278, इब्ने हिब्बान फ़ी (सहीहेही) : 486)

========================

नफ़ा बख़्श नसीहत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे थोड़ी सी बात बतलाइए जो नफ़ा भी दे और समझ भी आ जाए।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'गुस्से न हुआ करो।' (बुख़ारी/अल अदब/अल हज़्र मिनल ग़ज़ब : 1616, अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/371)

========================

अल्लाह पर भरोसा करने का मतलब

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं अपनी ऊँटनी को छोड़ दूँ और अल्लाह पर भरोसा रखूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'नहीं ! बल्कि उसे मजबूत बाँध फिर अल्लाह पर भरोसा कर।' (तिर्मिज़ी/सिफ़तुल क़ियामह : 2517, इब्ने माजा/अर्रिक़ाक़/अल वराउ वत् तवक्कल : 731 हसनुन/अल अल्बानी रह.)

========================

हुस्ने-सुलूक़ का सबसे ज़्यादा हक़

सवाल : ऐ अल्लाह के रसूल (ﷺ)! कि मेरे रिश्तेदारों में सबसे बेहतर सुलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तह्हिक़ कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरी माँ।'

पूछा गया, उसके बाद फिर कौन?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरी माँ।'

पूछा गया, उसके बाद फिर कौन?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर भी तेरी माँ।'

पूछा गया, उसके बाद फिर कौन?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरा बाप।'

सहीह मुस्लिम में है, 'फिर उनके बाद जो सबसे ज़्यादा क़रीबी हो, फिर जो उसके बाद नज़दीकी रिश्तेदार हो।' (बुख़ारी/अल अदब/मन अहक़न्नास बिहुस्निस्सहति : 5971, मुस्लिम/अल बिर्रु वस्सिलह/बिर्रुल वालिदैन व अन्नहुमा अहक़्क़ु बिही : 2548)

हज़रत इमाम अहमद (रह.) का फ़र्मान है कि तीन चौथाइयाँ सुलूक और नेकी माँ के लिए है और भी फ़र्मान है कि इताअ़त-गुज़ारी बाप की चाहिए और तीन चौथाइयाँ सुलूक की मुस्तह्हिक़ माँ है। मुस्नद अहमद में है। माँ–बाप के बाद फिर क़रीबी रिश्तेदार और वो भी अपने रिश्तेदार के एतबार से।

अबू दाऊद में है कि एक सहाबी ने पूछा, मैं किससे नेकी और सुलूक करूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बहन से, अपने भाई से और अपने गुलाम से जो तेरा अपना है। यह हक़ वाजिब है और रिश्तेदारियाँ मिला और सिलारहमी करता रह।' (अबूदाऊद/किताबुल अदबि बाबु फ़ी बिर्रिल वालिदैन हा. : 5140 ज़ईफ़ुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

सज्दा सिर्फ़ अल्लाह के लिये

सवाल : बाज़ अंसार ने हाज़िरे ख़िदमत होकर अर्ज़ किया कि हमारे एक ही ऊँट था जिससे खेती–बाड़ी वग़ैरह का काम लिया करते थे, अब वो बावला हो गया है, हमारे हाथ ही नहीं लगता, कोई काम नहीं करता हम बहुत तंग आ गए हैं, खेती– बाड़ी, बाग़–बग़ीचे सब सूख

रहे हैं।

जवाब : आप (ﷺ) ने अपने अस्हाब से फ़र्माया, 'आओ मेरे साथ चलो।'

उस बाग़ की तरफ़ जहाँ वो पागल ऊँट था आप (ﷺ) उनके साथ तशरीफ़ ले चले। वहा पहुँचकर आप (ﷺ) ऊँट की तरफ़ बढ़े तो अंसार ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! उसके पास न जाइये यह तो कटखने कुत्ते के जैसे हो गया है, इंसान पर हमला करता है, मुँह फाड़कर दौड़ता है, ऐसा न हो कि आप (ﷺ) को कोई ईज़ा पहुँचाए।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इससे तुम इत्मीनान रखो यह मुझे कुछ तक्लीफ़ न पहुँचाएगा।'

इतने में ऊँट की निगाह रसूलल्लाह (ﷺ) पर पड़ी और आप (ﷺ) की तरफ़ बढ़ा, क़रीब आकर सज्दे में गिर पड़ा। आप (ﷺ) ने उसकी पेशानी के बाल थाम लिए और वो पूरी ताबेअ़दारी के साथ इताअ़तगुज़ार बन गया। आप (ﷺ) ने उसे काम में लगा दिया और वो बदस्तूर पहले से भी ज़्यादा काम करने लगा। सहाबा (रज़ि.) ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! यह तो जानवर है जो बिल्कुल ना-समझ है, आप (ﷺ) को सज्दा कर रहा है, हम तो आ़क़िल (बुद्धिमान) हैं और हमें भी चाहिए कि आप (ﷺ) के सामने सज्दा करें।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किसी इंसान के लायक़ नहीं कि किसी इंसान को सज्दा करे, अगर कोई इंसान सज्दे किए जाने के क़ाबिल होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने शौहर को सज्दा करें क्योंकि सबसे बड़ा हक़ उनका उन पर है। उस ज़ात की क़सम! जिसके हाथ में मेरी जान है कि अगर शौहर के सर से लेकर पैर के अँगूठे तक ख़ून और पीप बह रहा हो और उसकी बीवी उसे अपनी जुबान से चाट ले तब भी उसके हक़ को पूरा अदा न कर सकती।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/158)

मुश्रिक़ों पर अफ़सोस है कि उन्होंने ऊँट के सज्दे को लेकर अपने पीरों को सज्दे करना शुरू कर दिया है और यह न देखा कि रसूल (ﷺ) ने उसी वक़्त साफ़ फ़र्मा दिया था कि किसी इंसान को दूसरे इंसान के सामने सज्दा न करना चाहिए। यह लोग दरअसल उनसे भी बदतर हैं जो मुहकम आयतों को छोड़कर मुताशाबेह आयतों के पीछे लग जाते हैं। वमा अ़लैना इल्लल बलाग़

======================

पच्चीसवाँ बाब

दीगर फ़तावा

कबीरा गुनाह से तौबा के तरीक़े

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है तो क्या मेरी तौबा की कोई सूरत है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम्हारी वालिदा ज़िन्दा हैं?'

उसने कहा, नहीं।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुम्हारी ख़ाला हैं?'

उसने कहा, जी हाँ!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हुस्ने सुलूक व एह्सान करो।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/14, तिर्मिज़ी/अल बिर्र वस्सिलह/माजाअ फी बिर्रिल ख़ालह : 1905, हाकिम फी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 4/155)

========================

सवाल : एक अंसारी मुस्लिम मुर्तद हो गया, मुश्रिकों में जा मिला, फिर नादिम होकर अपनी क़ौम वालों में मिल गया। रसूले अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में सवाल भेजा, क्या मेरी तौबा क़ुबूल हो सकती है?

जवाब : उनके सवाल पर आयत नाज़िल हुई, (**कैफ़ यह्दिल्लाहु क़ौमन् कफ़रू बअ्द ईमानिहिम व शहिदू अन्नर्रसूल हक़्क़ुंव वजाअ हुमुल बय्यिनातु. वल्लाहु ला यह्दिल क़ौमज़्ज़ालिमीन० उला-इक जज़ा-उहुम अन्ना अलैहिम् लअ्नतल्लाहि वल् मला-इकति वन्नासि अज्मईन० ख़ालिदीन फ़ीहा ला युख़फ़्फ़ु अन्हुमुल् अज़ाबु वला हुम् युन्ज़रून० इल्लल् लज़ीन ताबू मिन् बअ्दि**

ज़ालिक वस्लहू फ़इन्नल्लाह ग़फ़ूर्रुरहीम0 'अल्लाह तआला ऐसे लोगों को क्यूँ राहे हक़ पर लाएगा जो काफ़िर हो गये अपने ईमान लाने के बाद और इस बात की गवाही भी दे चुके कि अल्लाह का रसूल बरहक़ है। और उनके पास खुली–खुली और वाजेह निशानियाँ भी पहुँच चुकी हैं। अल्लाह तआला बेइंसाफ़ लोगों को सीधी राह पर नहीं लाता। उन लोगों की सज़ा यह है कि उन पर अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों और तमाम लोगों की फ़िटकार है वो हमेशा उसमें रहेंगे न उनका अज़ाब हल्का होगा और न उनको मुह्लत मिलेगी। मगर जिन लोगों ने ऐसा करने के बाद तौबा कर ली और अपना ईमान दुरुस्त कर लिया तो बिलाशुब्हा अल्लाह तआला निहायत बख़्शने वाला बड़ा मेहरबान है।' (आले इम्रान : 86–89)

आप (ﷺ) ने उसे इसकी ख़बर की, वो फिर से मुस्लिम हो गया। (निसाई/अत् तह्रीम/तौबतुल मुरद्द : 4073 सहीहुल इस्नाद अल अल्बानी रह.)

=======================

सवाल : एक साहब ने कोई ऐसा काम कर लिया जिससे जहन्नमी बन जाए। आप (ﷺ) से पूछा।

जवाब : तो आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'उसकी तरफ़ से एक ग़ुलाम आज़ाद करो।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/490)

=======================

रास्ते के हुक़ूक़

सवाल : सहाबा (रज़ि.) को आप (ﷺ) ने रास्तों में बैठने से मना फ़र्माया मगर यह कि वो उसका हक़ अदा करें। तो सहाबा (रज़ि.) ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! रास्ते के हुक़ूक़ क्या हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'निगाह रोके रखना, किसी को तकलीफ़ न देना, सलाम का जवाब देना, भली बातों का हुक्म करना और बुरी बातों से रोकना।' (बुख़ारी/अल मज़ालिम/अफ़नियतु दौरिवल जुलूसि फ़ीहा वल जुलूस फ़ी अतअमदात : 2465, मुस्लिम/फ़ी किताबिल लिबास/बाबुन्नही अनिल जुलूस फ़ित्तुरुक़ात इअताइत्तरीक़ि हक़्क़हू : 2121)

=======================

सवाल : आप (ﷺ) से (वतातूना फ़ी नादीकुमुल् मुन्कर) **की तफ़्सीर पूछी गई।**

जवाब : तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो रास्ते वालों पर कंकरियाँ फेंकते थे और उनसे मज़ाक़ करते थे यही वो बुराई है जो वो करते थे।' (मुस्नद अल इमाम अहमद : 6/341)

=======================

सच्चे मोमिन की पहचान

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या ऐसा भी हो सकता है कि मोअ़मिन बुज़दिल हो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, हाँ!

तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मोअ़मिन बख़ील हो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ!'

तो क्या ऐसा भी होता है कि मोअ़मिन झूठा हो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हर्गिज़ नहीं!' (मालिक/अल कलामु वल गीबतु वत्तक़ी/माजाअ फ़िस्सिदक़ि वल किज्ब : 1928 ज़ईफ़ुलइसनाद/तख़रीज फ़ज़ीलतुश्शैख़ अल हिलाली)

========================

सवाल : एक औरत ने नबी (ﷺ) से सवाल किया कि मेरी सौकन है तो क्या मुझे इजाज़त है कि जो मेरे शौहर ने मुझे न दिया हो वो भी मैं उसके देने में ज़ाहिर करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जो न दिया गया हो उसका ज़ाहिर करने वाला ऐसा है जैसे दो झूठ के कपड़े पहनने वाला।' (बुख़ारी/अन्निकाह/अल मुतशब्बिउ बिमा लम यनिल : 5219, मुस्लिम/अल्लिबास/अन्निसाउ वल कासियातुल आरियात : 2130)

एक रिवायत में है कि उसका सवाल यह था कि क्या मुझे जाइज़ है कि जो कुछ मेरे शौहर ने मुझे न दिया हो मैं मशहूर कर दूँ कि उसने मुझे यह दिया और वो दिया।

========================

सवाल : एक स़ाहिब ने अल्लाह के रसूल (ﷺ) से पूछा कि, क्या मैं अपनी औरत पर झूठ बात कह सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'झूठ में कोई भलाई नहीं।'

अच्छा तो क्या मैं उसे धमका सकता हूँ और बातें बना सकता हूँ?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इसमें कोई गुनाह नहीं।' (मालिक/अल कलामु वल गीबह/माजाअ फ़िस्सिदक़ि वल क़िज़्बि : 1924 मौक़ूफ़ुन सहीहुन/तख़रीज फ़ज़ीलतुश्शैख़ सलीम बिन ईदुल हिलाली वल हदीषु इन्दहू बि रक़्म : 2004)

========================

शिर्क से मुतअ़ल्लिक़ फ़तावा

फ़र्माने रिसालते मआब (ﷺ) है, 'शिर्क से होशियार रहो, इसकी चाल च्यूँटी की चाल से भी ज़्यादा पोशीदा रहती है।' तो आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि फिर हम इससे कैसे बच सकते हैं? फ़र्माया, 'यह दुआ पढ़ा करो (अल्लाहुम्म इन्ना नऊज़ुबिक अन् नुश्रिका शैअन नअ़लमुहू व नस्तग़्फ़िरुका लिमा ला नअ़लमु) **यानी 'ऐ अल्लाह हम तेरे साथ शिर्क करने से तेरी ही पनाह चहते हैं जिसे हम जानते हो और तुझसे तौबा करते हैं उससे जिसे हम न जानते हों।'** (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/403)

========================

सवाल : एक मर्तबा आप (ﷺ) की ज़ुबान से सहाबा (रज़ि.) ने सुना, 'मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर छोटे शिर्क का है।' तो पूछा गया कि छोटा शिर्क क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो रियाकारी है। उनसे जब क़यामत वाले दिन हर शख़्स को बदला दिया जाएगा अल्लाह तआला फ़र्माएगा कि जाओ जिनको दिखाने के लिए तुमने नेकियाँ की थीं, उन्हीं के पास जाओ देखो तो वहाँ से कोई बदला पाते हो?'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/428)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! अअ़माल में सबसे ज़्यादा नुक़्सान उठाने वाले कौन हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ज़्यादा माल वाले लोग सिवाय उनके जो हर वक़्त इस तरह किया करें यानी दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे यानी हर नेक काम में ख़र्च करते रहें, ऐसे लोग बहुत कम हैं।' (मुस्लिम/अज़्ज़काह/तग़लीजु मन ला युअद्दिज़्ज़काह : 990)

========================

सवाल : जब आयत उतरी, (अल्लज़ीना आमनू वलम् यल्बिसू ईमानहुम् बिज़ुल्मिन0 अल् अनआम : 82) **यानी 'जो लोग ईमान लाए और फिर अपने ईमान को ज़ुल्म से बचाए रखा उनके लिए अमन है और वही राहे याफ़्ता हैं।' तो सहाबा (रज़ि.) ने सवाल किया कि हम म से कौन ऐसा है जो गुनाह से बिल्कुल ही बचा हुआ हो?**

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'यहाँ ज़ुल्म से मुराद मुतलक़ गुनाह नहीं बल्कि

जुल्म से मुराद यहाँ शिर्क है। क्या तुमने हज़रत लुक़्मान (अलैहिस्सलाम) का अपने बेटे से यह फ़र्माना नहीं सुना, **या बुनय्या ला तुश्रिक् बिल्लाहि इन्नश्शिर्क ल-ज़ुल्मुन् अज़ीम0** 'ऐ मेरे बेटे! अल्लाह तआला के साथ शिर्क न करना, देखो शिर्क बड़ा भारी ज़ुल्म है। (सूरह लुक़्मान : 13)' (बुख़ारी/अहदीसुल अम्बिया क़ौलुल्लाहि तआला (व लक़द आतैना लुक़्मानुल हिकमता) : 3429, मुस्लिम/अल ईमान/सिदक़ुल ईमान : 124)

========================

सवाल : सहाबा किराम (रज़ि.) बैठे हुए थे। नबी (ﷺ) तशरीफ़ लाए, उस वक़्त उनमें मसीह दज्जाल की बाबत बातचीत हो रही थी, आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुनो! मेरे नज़दीक मसीह दज्जाल से भी ज़्यादा ख़ौफ़नाक चीज़ पाशीदा शिर्क है।' उन्होंने पूछा, 'यह पोशीदा शिर्क क्या है?'

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'पोशीदा शिर्क यह है कि, इंसान नमाज़ के लिए खड़ा हो और देखे कि फ़लाँ की निगाह मुझ पर है, तो बहुत अच्छी तरह सँवार कर नमाज़ अदा करे क्यों कि वो दूसरा उसे देख रहा है।' (इब्ने हिब्बान/अज़्ज़ुहद/अर्रियाउ वस्सुमआह : 4204)

========================

हाकिमों और अमीरों की इताअ़त

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या उस सरदार की भी इताअ़त की जाए जिसने लकड़ियाँ जमा कराकर, उनमें आग लगवाकर, लोगों को उसमें कूद पड़ने का हुक्म दिया हो?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर वो उसमें कूद पड़ते तो क़यामत तक उस आग में से निकल न सकते। इताअ़त तो शरई उमूर में से नेकी के कामों में है।' (बुख़ारी/अल मग़ाज़ी/सरयतु अब्दुल्लाह बिन हवाफ़ह अस्सहमी ...... : 4340, मुस्लिम/अल इमारह/वुजूबुल ताअतिउमुराए फ़ी ग़ैरि मअसियति : 1840, अबूदाऊद/अल जिहाद/अत्तअह : 2625, निसाई/अल बैअह/जज़ाउ मन अमरा बि मअसियति फ़अताअ : 4210)

और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़ालिक़ की मअ़सियत में किसी मख़्लूक़ की इताअ़त कोई चीज़ नहीं।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/131, इब्ने माजा/अल जिहाद/ला ताअता फ़ी मअसियतिल्लाह : 2863)

और रिवायत में है कि आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उन सरदारों में से जो भी अल्लाह की नाफ़र्मानी को कहे उनकी बात न मानो।'

नबी (ﷺ) के इस फ़त्वे से साफ़ षाबित हो गया कि कोई अमीर व सरदार हो, किसी भी मअ़सियत में हुक्मबरदारी हलाल नहीं इसमें किसी की कोई भी तख़सीस़ (विशिष्ठता) नहीं।

========================

माँ-बाप की नाफ़र्मानी

सवाल : अल्लाह के रसूल (ﷺ) की ज़ुबानी सहाबा (रज़ि.) ने यह ह़दीष़ सुनी, 'तमाम कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह यह है कि इंसान अपने माँ–बाप को गाली दे।' तो उन्होंने आप (ﷺ) से सवाल किया कि यह कैसे हो सकता है कि इंसान अपने माँ–बाप को गाली दे?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इस त़रह़ कि आदमी किसी के माँ–बाप को गाली देगा तो वो उसके माँ–बाप को गाली देगा।' (बुख़ारी/अल अदब/ला सयसुब्बुर्रजुलु वलिदैही : 5973, मुस्लिम/अल ईमान/बयानुल कबाएरि व अकबरुहा : 90, तिर्मिज़ी/अल बिर्र वस्सिलह/माजाअ फ़ी उक़ूक़िल वालिदैन : 1902)

========================

सवाल : फ़र्मानि रसूल (ﷺ) है, 'तमाम कबीरा गुनाहों से बड़ा गुनाह माँ–बाप की नाफ़र्मानी करना है।' तो आप (ﷺ) से सवाल किया गया कि माँ–बाप की नाफ़र्मानी क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किसी के माँ–बाप को यह गाली दे तो वो उसके माँ–बाप को गाली दे।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/217)

इस ह़दीष़ से मअ़लूम हुआ कि ज़राए का ए़तिबार शरीअ़त में है, शरीअ़त चाहती है कि बुराई के ज़राए (स्रोत) भी बंद कर दे। इस क़ाइदे के बहुत से शाहिद गुज़र चुके हैं इसलिए हम यहाँ इन्हें नहीं दोहराते।

========================

पड़ौसी के साथ बुराई

सवाल : नबी (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से पूछा, 'तुम ज़िना के बारे में क्या कहते हो?' सबने कहा, वो ह़राम है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुनो! दस औरतों से ज़िना करना इससे हल्का है कि इंसान अपनी पड़ोसन से ज़िना करे। अच्छा, बतलाओ चोरी की बाबत क्या कहते हो?'

सहाबा (रज़ि.) ने जवाब दिया कि ह़राम है।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दस घरों से चोरी करना इससे हल्का है कि आदमी अपनी पड़ोसी के यहाँ से चोरी करे।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 618)

========================

ग़ीबत (परोक्ष निन्दा)

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) ने सहाबा (रज़ि.) से पूछा, 'जानते हो ग़ीबत किसे कहते हैं?' उन्होंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल (ﷺ) ज़्यादा आ़लिम हैं।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अपने भाई मुस्लिम का इस त़रह़ ज़िक्र करना जो उसे मकरूह मअ़लूम हो।'

सहाबा (रज़ि.) ने पूछा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! अगर हमारे भाई में वो बात वाक़ई मौजूद हो तब भी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अगर वो बात तुम्हारे उस भाई में पाई जाती है और तूने उसका तज़्किरा पुश्त पीछे किया तो वो ग़ीबत है और अगर न हो तो वो बोह्तान है।'

(मुस्लिम/अल बिर्र वस्सिलह/तहरीमुल ग़ीबह : 2589)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! ग़ीबत क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तेरा किसी शख़्स का इस त़रह़ से ज़िक्र करना कि अगर वो सुने तो उसे बुरा मअ़लूम हो।'

सहाबा (रज़ि .) ने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! चाहे वो बात सच्ची हो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब ग़लत हो तो बोह्तान है।' (मालिक/बाबु माजाअ फ़िल ग़ीबह : 1919, अहमद फ़ी बिताबिही (अल मुस्नद) : 2/230 सहीहुन लि ग़ैरिही तख़रीज फ़ज़ीलतुश्शैख़ अल हिलाली)

========================

कबीरा गुनाह (महापाप)

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कबीरा गुनाह क्या हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कबीरा गुनाहों में भी बड़े गुनाह, अल्लाह के साथ शरीक करना, किसी नफ़्स को बेवजह क़त्ल करना। और माँ–बाप की नाफ़र्मानी करना।

ख़बरदार! और झूठ बोलना और झूठी गवाही देना। ग़मूस वाली क़सम खाना कि जिसके ज़रिये जान–बूझकर किसी मुस्लिम का माल मार लेने के लिए झूठी क़सम खाना हो। और जादू करना और जादू करवाना। और यतीम का माल खाना, और सूद खाना। और हमले वाले दिन मैदाने जंग से मुँह मोड़ना। और पाक–दामन, भोली–भाली मोअमिन औरतों पर तोह्मत लगाना। (यह बहुत सी अहादीष़ का मजमूआ है)' (**बुख़ारी**/अल अदब/उक़ूकुल वालिदैन मिनल कबाएर : 5977, 6675, 687, 6871, 6920, **सहीह मुस्लिम**/किताबुल ईमान हाशिया 87 से 89 तक)

========================

कबीरा गुनाहों की तादाद

(01). नमाज़ को छोड़ देना। (02). ज़कात न देना।

(03). ज़िना करना। (04). शराब पीना।

(05). चोरी करना। (06). बावजूद ताक़त के हज्ज न करना।

(07). बग़ैर उज़्र के रमज़ान शरीफ़ के रोज़े छोड़ देना।

(08). अमले–क़ौमे–लूत करना (समलैंगिक सम्बंध बनाना)।

(09). हक़ के ख़िलाफ़ हुक्म देना।

(10). फ़ैसलों और हुक्मों में रिश्वत लेना।

(11). अल्लाह के नबी (ﷺ) पर झूठ बोलना।

(12). अल्लाह के नामों, सिफ़तो, फ़अलों और हुक्मों में झूठ बोलना।

(13). अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल और उसके रसूल (ﷺ) ने जो औसाफ़ बयान फ़र्माए हैं, उनका इंकार कर देना।

(14). यह अक़ीदा रखना कि अल्लाह और उसके रसूल के कलाम से यक़ीन का फ़ायदा नहीं होता बल्कि इसका ज़ाहिर बातिल और ख़ता है बल्कि कुफ़्र व ज़लालत (गुमराही) का तश्बिया (समरूप) है।

(15). क़ुर्आन व हदीष़ को छोड़कर किसी और का क़ौल लेना।

(16). अक़्लियात को, ज़ालिमाना सियासत (अत्याचारी राजनीति) को, बातिल ख़यालात को, फ़ासिद राय व क़ियास को, ज़ौक़ व शौक़ को, वजद व कशफ़ को हदीष़ पर मुक़द्दम (श्रेष्ठ) करना।

(17). चुँगी वसूल करना।

(18). रिआया (प्रजा) पर ज़ुल्म करना।

(19). फ़ैका माल ग़ैर मुस्तहक़ीन को देना।

(20). तकब्बुर करना।

(21). फ़ख़्र करना।

(22). ग़ुरूर करना, अकड़ना।

(23). रियाकारी करना।

(24). शोहरत तलब करना।

(25). मख़्लूक़ के ख़ौफ़ को ख़ालिक़ के ख़ौफ़ पर मुक़द्दम रखना।

(26). मख़्लूक़ की मुहब्बत को ख़ालिक़ की मुहब्बत पर मुक़द्दम रखना।

(27). मख़्लूक़ की उम्मीद को ख़ालिक़ की उम्मीद पर मुक़द्दम रखना।

(28). मुल्क में सरबुलंदी और फ़साद का इरादा रखना भले वो न भी कर सके।

(29). सहाबा (रज़ि.) को बुरा कहना।

(30). डाके डालना।

(31). अपने घर में बुराई देखकर चुप रहना।

(32). चुग़ली करना।

(33). पेशाब से न बचना।

(34). मर्द का औरत की चाल चलना।

(35). औरत का मर्द से मुशाबिहत करना।

(36). औरत का अपने बाल बढ़ाने के लिए उनमें और बाल मिलाना और उसे तलब करना।

(37). ख़ूबसूरती के लिए दाँतों को अलग–अलग करना या कराना।

(38). ख़ूबसूरती के लिए जिस्म का गुदवाना।

(39). तिल लगवाना।

(40). नसब में तअना–ज़नी करना।

(41). अपने बाप से बेज़ारी करना।

(42). बाप का औलाद से बराअत करना।

(43). औरत का अपने शौहर के बच्चे के अलावा उसकी औलाद में और बच्चे को मिलाना।

(44). नौहाख़्वानी करना।

(45). तमाचे लगाना।

(46). कपड़े फाड़ना।

(47). मौत वग़ैरह की मुसीबत के वक़्त औरतों का सिर मुँडवा देना।

(48). ज़मीन के निशानात का उलट–पलट कर देना।

(49). क़त्अ रहमी करना (रिश्तेदारी तोड़ना)।

(50). वसीय्यत में ज़ुल्म करना।

(51). वारिष़ का हक़ मारना।

(52). मुर्दार खाना।

(53). ख़ून बहाना।

(54). सूअर का गोश्त खाना।

(55). हलाला कराना। (56). हलाला करना।

(57). हलाला से मुत्लिक़ा (तलाक़शुदा) औरत को हलाल जानना।

(58). अल्लाह के वाजिबात को गिराने के लिए हीलेसाज़ियाँ (बहानेबाजियाँ) करना।

(59). अल्लाह के हराम को हीलों से हलाल करना।

(60). उसके फ़राइज़ को हीलाजूई करके हटा देना।

(61). आज़ाद को गुलाम करके बेच देना।

(62). गुलाम को उसके आक़ा से मफ़रूर करा (भगा) देना।

(63). औरत को उसके शौहर के ख़िलाफ़ भड़काना।

(64). जब इल्म के ज़ाहिर करने की ज़रूरत हो उसे छुपा लेना।

(65). कमाने के लिए दीनी इल्म सीखना। (66). वजाहत तलब करना।

(67). लोगों में बुलन्दी चाहना। (68). वादा शिकनी करना।

(69). झगड़ों में गालियाँ बकना। (70). औरतों की दुबर में वती करना।

(71). हैज़ की हालत में हम बिस्तरी करना। (72). सद्क़ा देकर एह्सान करना।

(73). कोई और नेकी करके फूलना (घमण्ड करना)।

(74). अल्लाह के साथ बदगुमानी करना।

(75). तक़्दीर या दीनी एह्काम में कोई एअतिराज़ करना।

(76). क़ज़ा व क़द्र को झुठलाना।

(77). अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की सिफ़ते आलिया अलल अर्श को न मानना।

(78). अल्लाह को बन्दों के ऊपर न जानना।

(79). अल्लाह के रसूल (ﷺ) की मेअराज को न मानना।

(80). हज़रत मसीह (अलैहिस्सलाम) को अल्लाह की तरफ़ चढ़ा हुआ न मानना।

(81). पाक कलमों का उसकी तरफ़ चढ़ना न मानना।

(82). इसे न मानना कि अल्लाह ने एक किताब लिखी है कि मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर सबक़त कर गई है, वो किताब उसके पास उसके अर्श पर है।

(83). यह न मानना कि वो हर आधी रात के गुज़रने के वक़्त पहले आसमान की तरफ़ नुज़ूल फ़र्माता है और पूछता है, 'कोई है जो मुझसे तौबा करे और मैं उसे बख़्श दूँ।'

(84). इसे न मानना कि हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अल्लाह से बातें कीं।

(85). इसे न मानना कि अल्लाह ने पहाड़ पर तजल्ली डाली जिससे उसके टुकड़े उड़ गए।

(86). अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) को अपना दोस्त बनाया, इससे इंकार करना।

(87). यह भी न मानना कि उसने हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) व हव्वा को आवाज़ दी और उसने हज़रत मूसा (अलैहिस्सलाम) को पुकारा।

(88). उसने अपने दोनों हाथों से हज़रत आदम (अलैहिस्सलाम) को पैदा किया।

(89). वो अपने बंदों को क़यामत के दिन पुकारेगा।

(90). वो क़यामत के दिन तमाम आसमानों को एक हाथ में ले लेगा और ज़मीनों को दूसरे हाथ में।

(91). उन लोगों की बातें कान धर कर सुनना जो अपनी बातें न सुनाना चाहते हों।

(92). गुलाम को उसके आक़ा के ख़िलाफ़ वरगलाना।

(93). जानदार की तस्वीरें बनाना ख़्वाह उनका सियाया हो या न हो।

(94). झूठा ख़्वाब बयान करना।

(95). सूद (ब्याज) लेना।

(96). सूदी क़र्ज़ का लिखना।

(97). सूदी लेन–देन पर गवाह रहना।

(98). शराब नोशी (मदिरापान) करना।

(99). शराब बनाना।

(100). शराब बनवाना।

(101). शराब को उठाना।

(102). शराब बेचना।

(103). शराब की क़ीमत लेना।

(104). उस पर लअ़नत करना जो मुस्तहिक़े लअ़नत न हो।

(105). काहिनों (ज्योतिषियों) के पास जाना।

(106). नजूमियों के पास जाना।

(107). पेशीनगोइयाँ (भविष्यवाणी) करने वालों और ग़ैब की ख़बरें देने वालों के पास जाना।

(108). जादूगरों के पास जाना।

(109). उन्हें सच्चा जानना, उनसे जादू करवाना।

(110). उनकी बातों पर अ़मल करना।

(111). अल्लाह के सिवा दूसरों को सज्दा करना।

(112). अल्लाह के सिवा दूसरों की क़सम खाना जैसे नबी (ﷺ) का फ़र्मान है कि जिसने ग़ैरूल्लाह की क़सम खाई उसने शिर्क किया।

(113). बअज़ लोग इसे मकरूह कहते हैं यह उनकी कमज़ोरी है भला जब उसे रसूलल्लाह (ﷺ) शिर्क बतलाते हैं तो उसका मर्तबा कबीरा गुनाह से भी कम कैसे रहेगा बल्कि उसका बोझ कबीरा गुनाह से भी बहुत बड़ा है।

(114). क़ब्रों को मस्जिदें बना लेना।

(115). क़ब्रों को बुतों की तरह पूजना।

(116). क़ब्रों पर मेले और उर्स मुनअक़िद करना।

(117). उनकी तरफ़ सज्दा करना।

(118). उनकी तरफ़ नमाज़ अदा करना।

(119). उनका तवाफ़ करना।

(120). यह अक़ीदा रखना कि इन क़ब्रों के पास दुआ करना अल्लाह के उन घरों में भी दुआ करने से अफ़ज़ल है जिनमें अल्लाह का पुकारा जाना, उसकी इबादत करना, उसकी नमाज़ पढ़ना, उसके लिए सज्दा करना मशरूअ है।

(121). औलिया अल्लाह से दुश्मनी रखना।

(122). तहबंद टख़ने से नीचे लटकाना।

(123). पायजामा टख़ने से नीचे करना।

(124). इमामा वग़ैरह हद शरअ से ज़्यादा लटकाना।

(125). अकड़ कर चलना।

(126). ख़्वाहिश की इत्तिबाअ करना।

(127). दिली चाहत का मानना।

(128). अपने नफ़्स को पसंद करके अपनी अक़्ल पर भरोसा करना।

(129). जिन अक़ारिब वग़ैरह का नान व नफ़्क़ा अदा करना ज़रूरी है उन्हें बर्बाद कर देना जैसे बीवी, गुलाम, नौकर– चाकर वग़ैरह।

(130). ग़ैरूल्लाह के नाम ज़बीहा करना।

(131). मुस्लिम भाई से साल भर तक मेल–जोल तर्क रखना जैसे कि सहीह हाकिम में अबू ख़राश हुज़ली सलमी (रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माते

हैं अपने मुस्लिम भाई से साल भर तक मेल–मिलाप तर्क किये रहना उसके क़त्ल के बराबर है। हाँ! तीन दिन से ज़्यादा बोलचाल बंद रखना मुमकिन है कि कबीरा गुनाहों में से ही हो और हो सकता है कि न हो।

(132). अल्लाह की किसी हद के न जारी होने देने की शफ़ाअत करना।

(133). इब्ने उमर (रज़ि.) से मरफ़ूअ हदीष है कि जिसकी सिफ़ारिश अल्लाह की किसी हद के आगे आई उसने अल्लाह के अम्र में उसकी मुख़ालिफ़त की।

(134). निहायत बेपरवाही से अल्लाह की नाराज़गी का कोई कलाम मुँह से निकाल देना।

(135). किसी बिदअत की तरफ़ किसी को बुलाना।

(136). किसी गुमराही की दअवत किसी को देना। किसी सुन्नत के छोड़ने पर किसी को माइल करना। यह तीनों बातें अकबरूल कबाइर हैं क्योंकि इनमें अल्लाह के रसूल (ﷺ) की मुख़ालिफ़त है।

इन कबीरा गुनाहों में यह तीन हैं जो हाकिम ने अपनी सहीह में बरिवायत हज़रत मुस्तौरिद बिन शद्दाद (रज़ि.) वारिद किये हैं कि रसूले करीम (ﷺ) का फ़र्मान है कि जो किसी मुस्लिम की बुराई में कोई लुक़्मा खाए अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसे जहन्नम की आग खिलाएगा और जो कोई किसी मुस्लिम की बदी करके किसी जगह पहुँचे उसे अल्लाह तआला क़यामत के दिन दिखाने–सुनाने की जगह खड़ा करके अज़ाब करेगा और जो किसी मुस्लिम की बुराई में किसी मुस्लिम पर झूठ बाँधकर, उसका मज़ाक़ उड़ाकर, उस पर ऐबगिरी करके, उसे मलामत करके, उस पर तअना करके, उसकी आबरू रेज़ी करके, उस पर झूठी गवाही देकर, उसके किसी दुश्मन के सामने उसकी बुराई और हक़ारत करके, ग़र्ज़ किसी न किसी तरह किसी मुस्लिम के ख़िलाफ़ करके इन चीज़ों में से किसी चीज़ को पाए वो इन अज़ाबों का मुस्तहिक़ है। अफ़सोस आज बहुत से लोग इन बातों में डूबे हुए हैं। अल्लाह अपनी पनाह में रखे।

(137). अपने जैसे बदकारों में बैठकर अपने गुनाह पर फ़ख़्र व गुरूर और इज़हारे ख़ुशी करना। चाहे अल्लाह तआला गुनाहगार को जिसने अपने गुनाह को पर्दे में रखा हो मुआफ़ भी फ़र्मा दे लेकिन इस इज़हार करने वाले से दरगुज़र न फ़र्माएगा।

(138). मुनाफ़िक़ तिबाअ शख़्स जो उस जमाअत के पास उस जैसी ज़ुबान और मुँह रखता है और दूसरी जमाअत के सामने उनका सा मुँह और उन जैसी ज़ुबान कर लेता है। इस दर्जे की बदगोई और बदज़ुबानी की वजह से लोग उससे तंग आ जाए।

(139). नाहक़ पर होते हुए अकड़ना और झगड़ना बावजूद यह कि अपना बातिल पर

होना मअ़लूम है।

(140). झूठा दावा करना बावजूद यह कि उस झूठ का इल्म हो।

(141). रसूलल्लाह (ﷺ) की अह्ले बैत में दाख़िल न होने के बावजूद अपने तेईं उसमें दाख़िल करना। (जैसे आजकल हजारों लोग जाली सय्यिद बने हुए हैं)

(142). यह दावा करना कि मैं फ़लाँ का लड़का हूँ हालाँकि उसका बाप कोई और हो।

बुख़ारी व मुस्लिम की ह़दीष़ में है कि जो अपने बाप के सिवा और की औलाद होने का दावा करे उस पर जन्नत ह़राम है। सह़ीह़ैन की ह़दीष़ में है कि अपने बापों से मत फिर जो अपने बाप से फिर जाए वो काफ़िर है। बुख़ारी व मुस्लिम में है कि जो शख़्स बावजूद इल्म के अपने बाप के सिवा और पर बाप होने का दावा करे वो काफ़िर हो गया। जिसने उस चीज़ का दावा किया जो उसकी नहीं वो हमारी जमाअ़त से ख़ारिज है। उसे चाहिए कि अपनी जगह जहन्नम में मुक़र्रर कर ले।

(143). जो शख़्स दूसरे को काफ़िर कहे या अल्लाह का दुश्मन कहे और वो ऐसा न हो तो यह लफ़्ज़ उसी पर लौट आएगा। पस कबीरा गुनाहों में से उसे काफ़िर कहना है जिसे अल्लाह ने और उसके रसूल (ﷺ) ने काफ़िर न कहा हो और जबकि आँह़ज़रत (ﷺ) ने ख़ारजियों से लड़ने का हुक्म दिया और बतलाया कि जितने मक़्तूल आसमान तले हैं उन सबसे बदतर यह हैं और फ़र्माया कि यह दीने इस्लाम से ऐसे निकल जाएँगे जैसे तीर कमान में से, इनका मज़हब मुस्लिमीन को गुनाहों की वजह से काफ़िर कहना है। फिर इस पर तुर्रह यह है कि वो सुन्नत के मुन्किर तमाम मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ ह़दीष़ की निस्बत वो राय रखते हैं, न उससे फ़ैसला करना जाइज़ जानते हैं और न ही ही उसकी तरफ़ कोई फ़ैसला ले जाते हैं।

(144). इस्लाम में किसी बिदअ़त का ईजाद करना।

(145). किसी बिदअ़ती की मदद व इअ़ानत करना।

सह़ीह़ैन की रिवायत में है कि जो शख़्स बिदअ़त निकाले या किसी बिदअ़ती को जगह और पनाह दे उस पर अल्लाह की और फ़रिश्तों की और तमाम लोगों की लअ़नत है। क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला न तो उसकी तौबा क़बूल फ़र्माएगा न फ़िद्या। (सह़ीह़ मुस्लिम, ह़दीष़ 3323)

(146). किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) को मुअ़त्तल करना।

(147). और उनके ख़िलाफ़ मसाइल ईजाद करना।

(148). और ऐसे मसाइल निकालने वालों की मदद करना।

(149). इनके दुश्मनों को टालना।

(150). और किताब व सुन्नत की दअ़वत देने वालों से दुश्मनी रखना।

(151). शआइरे इलाही की हरम में और हालते एहराम में बेहुर्मती करना, जैसे शिकार खेलना और हरमे इलाही में जंग को जाइज़ समझ लेना।

(152). मर्दों का रेशम पहनना। (153). मर्दों का सोना पहनना।

(154). सोने–चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल करना।

(155). फ़र्माने रसूल (ﷺ) है कि शगुन लेना शिर्क है। पस मुम्किन है कि यह भी कबीरा गुनाह हो और मुम्किन है कि इससे हल्का गुनाह हो।

(156). माले ग़नीमत में से ख़यानत करना।

(157). इमाम और सरदार का रइयत (जनता) से धोखा करना।

(158). मुहर्रिमाते अब्दिया से निकाह करना।

(159). जानवरों से वती करना।

(160). मुस्लिमीन से मक्र (जालसाज़ी) करना।

(161). मुस्लिमीन से फ़रेब बाज़ी करना।

(162). मुस्लिमीन को ज़रर पहुँचाना। रसूलल्लाह (ﷺ) फ़र्माते हैं वो मलऊ़न है जो मुस्लिमीन से मक्र (फ़रेब) करे या उसे नुक़्सान पहुँचाए।

(163). क़ुर्आने करीम की बेहुर्मती करना।

(164). उसकी एहानत करना जैसे वो लोग करते हैं जो उसे कलाम अल्लाह नहीं जानते जैसे पैर ऊपर रख देना वग़ैरह।

(165). किसी अँधे को रास्ते से भटका देना। ऐसा करने वाला बज़ुबाने मअ़सूम (ﷺ) मलऊ़न है। पस कितना बड़ा लअ़नती और कैसे कबीरा गुनाह का मुर्तकिब वो है जो राहे इलाही सिराते मुस्तक़ीम से बंदगाने इलाही को बह्काए।

(166). किसी इंसान के मुँह पर दाग़ लगवाना।

(167). किसी जानवर के मुँह को दाग़ना।

(168). रसूलल्लाह (ﷺ) ने ऐसे शख़्सों पर लअ़नत फ़र्माई है।

(169). अपने मुस्लिम भाई पर हथियार उठाना। ऐसा करने वाले पर फ़रिश्ते लअ़नत भेजते हैं।

(170). वो कहना जो ख़ुद न करना। जनाबे बारी अज़्ज़ व जल्ल का इर्शाद है, (**कबुरा मक़्तन् इन्दल्लाहि अन् तक़ूलू मा ला तफ़्अलून**) अल्लाह को यह बात

सख़्त नापसंद है कि तुम वो कहो जो तुम ख़ुद नहीं करते।

(171). किताबुल्लाह में बेइल्म झगड़ना।

(172). दीने इलाही में बेइल्मी से झगड़ना।

(173). अपने मातहतों से सख़्ती से पेश आना। ह़दीष़ में है कि बद ख़स़लत शख़्स जन्नत में न जाएगा।

(174). अपनी हाजत की चीज़ न हो फिर हाजतमंद से रोक रखना हालाँकि वो चीज़ भी उसके हाथों की बनाई हुई न हो।

(175). जुआ खेलना।

(176). शतरंज खेलना। क्योंकि इसके खेलने वाले को ह़दीष़ में सूअर के ख़ून और गोश्त में हाथ रंगने वाले से तश्बिया दी गई है। ख़ुसूसन शतरंज में बाज़ी भी लगी हो उस वक़्त तो तश्बिया बिल्कुल पूरी हो जाती है। खेलना ख़ून में हाथ भिगोना है और माल ह़ासिल करना उसका गोश्त खाना है।

(178). नमाज़ बजमाअ़त को छोड़ना है क्योंकि नबी (ﷺ) ऐसे लोगों को जला देने का अ़ज़्म किया था। ऐसे तो आप (ﷺ) न थे कि स़ग़ीरा गुनाह के मुर्तकिब लोगों को जला दें। इब्ने मसऊ़द (रज़ि.) से ष़ाबित फ़र्मान है कि हमने तो अपने तईं देखा है जमाअ़त से पीछे वही लोग रहा करते थे जो मुनाफ़िक़ थे और जिनका निफ़ाक़ भी बिल्कुल खुला था। ज़ाहिर है कि निफ़ाक़ कबीरा गुनाह से भी ऊपर की चीज़ है।

(179). जुम्अ़े की नमाज़ का छोड़ देना।

सह़ीह़ मुस्लिम में है कि या तो लोग जुम्अ़े के छोड़ने से बअ़ज़ आएँगे या अल्लाह तआ़ला उनके दिलों पर मुहर कर देगा फिर वो बिल्कुल ग़ाफ़िलों में जा मिलेंगे। सुनन की सह़ीह़ ह़दीष़ में है कि जो शख़्स सुस्ती और काहिली से तीन जुम्अ़ छोड़ दे। अल्लाह तआ़ला उसके दिल पर मुह्र कर देता है।

(180). अपने विरष़े से अपने किसी वारिष़ को मह़रूम कर देना। या किसी को उस पर तर्जीह देना या ऐसे हीले सिखाना।

(181). मख़्लूक़ के बारे में ह़द से तजावुज़ कर जाना। यह कबीरा गुनाह वो है जो कभी शिर्क तक तरक़्क़ी कर जाता है।

(182). आँह़ज़रत (ﷺ) फ़र्माते हैं गुलू करने से बचो तुमसे अगले लोगों को इसी ने तबाह किया।

(183). हसद करना। नबी (ﷺ) फ़र्माते हैं हसद नेकियों को इस त़रह़ खा जाती है जिस त़रह़ आग लकड़ी को।

(184). नमाज़ी के सामने से गुज़र जाना। यह भी कबीरा गुनाह है। अगर यह स़गीरा गुनाह होता तो आहज़रत (ﷺ) इसके करने वाले से लड़ाई करने को न फ़र्माते, न यह फ़र्माते कि 40 साल तक उसका ठहरा रहना भी उस के ह़क़ में नमाज़ी के सामने से गुज़र जाने से बेहतर है जैसा कि अल मुस्नद बज़्ज़ार में है।

==========================

मुल्के यमन और शाम की फ़ज़ीलत

सवाल : रसूलल्लाह (ﷺ) से हिजरत की बाबत सवाल किया गया।

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'जब तू नमाज़ क़ायम रखे, ज़कात दे तू मुहाजिर है चाहे हज्रे मौत में तेरा इंतिक़ाल हो, या शहर यमन में, मुराद वत़न में मरना है।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/203)

==========================

सवाल : ह़ज़रत अब्दुल्लाह बिन हवालेह़ (रज़ि.) ने रसूलल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि आप (ﷺ) अपनी पसंदीदा जगह मेरे रहने के लिए तजवीज़ फ़र्मा दीजिए।

जवाब : तो आप (ﷺ) ने शाम के मुल्क की निस्बत फ़र्माया, 'मुल्क शाम में जा (कर) रहो। वो अल्लाह तआ़ला की ज़मीन में से है, उसे पसंदीदा है, उसके बेह्तरीन बंदे उसी की तरफ़ जाएँगे। अगर यह नहीं तो यमन में सकूनत रखो और अपने उसी हौज़ का पानी पियो। अल्लाह तआ़ला शाम और शामियों पर मेरा वकील है।' (अबूदाऊद/अल जिहाद/फ़ी सकनश्शाम : 2483 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

==========================

सवाल : ह़ज़रत बहज़ बिन हकीम (रज़ि.) के दादा ह़ज़रत मुआ़विया बिन हैदाह़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से सवाल किया कि या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे आप कहाँ का हुक्म फ़र्माते हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यहाँ का।'

(तिर्मिज़ी/अल फ़ितना/माजाअ फ़िश्शाम : 2192)

और अपने हाथ से शाम (वर्तमान में सीरिया) की तरफ़ इशारा किया।

==========================

बिजली और बादलों का कड़कना

सवाल : यहूदियों ने आप (ﷺ) से पूछा कि (रअ़द) कड़का क्या है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक फ़रिश्ता है जो बादलों का दरोग़ा है। वो अपने आतिशे कोड़ों से उन्हें जहाँ अल्लाह का हुक्म हो हाँक ले जाता है।'

पूछा गया, यह जो आवाज़ सुनी जाती है, यह क्या है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उसका बादलों को डाटना है, यहाँ तक कि जहाँ का हुक्म हो वहाँ पहुँच जाएँ।'

उन्होंने कहा, आप (ﷺ) सच्चे हैं।

यह भी बतलाया कि हज़रत इस्राईल (अ़लैहिस्सलाम) यानी हज़रत यअ़कूब ने अपने नफ़्स पर क्या चीज़ हराम कर ली थी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उन्हें अ़र्कुन्निसा का दर्द था पस कोई चीज़ उसे ठीक पड़ने वाली बजुज़ ऊँट के गोश्त और दूध के न पाई। इसलिए उसे अपने ऊपर हराम कर लिया।'

उन्होंने कहा, यह भी आप (ﷺ) ने सच फ़र्माया। (तिर्मिज़ी/तफ़्सीर/व मिन् सूरतिर्रअद : 3117 हसनुन सहीहुन/अल अल्बानी रह. व तिर्मिजी रह.)

========================

बंदर, सूअर और यहूदियों की एक नस्ल

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मौजूदा बंदर और सूअर यहूदियों की नस्ल में से हैं जिन पर अल्लाह का अ़ज़ाब आया था और उन्हें बंदर और ख़िंज़ीर बना दिया गया था?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिस क़ौम की शक्लें अल्लाह की लअ़नत से बदल जाती हैं, वो यूँ ही बिला नस्ल ग़ारत हो जाती हैं यह तो अल्लाह की अलग जुदागाना मख़्लूक़ है। यहूदियों पर ग़ज़बे इलाही नाज़िल हुआ और उन्हें उनकी शक्ल में कर दिया गया।' (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 1/395)

========================

सवाल : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया, 'तुममें मग़रिब के लोग हैं।' उम्मुल मोअ़मिनीन आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने पूछा कि वो कौन लोग हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जिनमें जिन्नात की शिर्कत होती है।' (अबूदाऊद/अल अदब/फ़िस्सब्ये यूलदु फ़ युअज़्ज़नु फ़ी उजनेही : 5107 ज़ईफ़ुल इसनाद/अल अल्बानी रह.)

इससे मुराद शैतानों की मुशारकत (भागीदारी) है। इंसानों की औलाद में मग़्रिब उन्हें इसलिए कहा गया है कि उनके नसब में और उनके उसूल में बहुत दूरी हो जाती है। अरबों का क़ौल अन्काए मग़्रिब भी इसी से माख़ूज़ (उत्पन्न) है।

========================

रसूल (ﷺ) की गुस्ताख़ी का मफ़्हूम

सवाल : मुस्नद अहमद में है कि हज़रत हज्जाज बिन इलात़ ने आप (ﷺ) से इजाज़त चाही कि मक्का में मेरा माल है, वहाँ मेरे बाल–बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ कि वहाँ से उन्हें ले आऊँ। तो क्या मुझे इजाज़त है कि कुछ आप (ﷺ) की शान में भी ज़रूरत के मौक़े पर गुस्ताख़ी कर लूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने इजाज़त दे दी और फ़र्माया कि जो चाहो कह लो।

इससे षाबित हुआ कि क़ाइले कलाम जब इसके मअ़नी मुराद न ले या तो अपने क़सद के न होने के बाइष् या उसका इल्म न होने के बाइष् या और कोई माअ़नी मुराद लेने के बाइष् तो उस कलाम के मअ़नी जो उसने मुराद नहीं लिए उस पर लाज़िम नहीं आएँगे। यही अल्लाह का वो दीन है जो उसने अपने रसूल (ﷺ) के हाथ भेजा है। यही वजह है कि ज़बरदस्ती इक्राह करके किसी की जुबान से कलमाए कुफ़्र निकलवाया जाए तो उस पर कुफ़्र लाज़िम नहीं आता। जुनून, नींद और नशे की वजह से जिसकी अक़्ल ज़ाइल सी हो गई है वो जो कुछ बक जाए उस पर लाज़िम नहीं आता। चुनाँचे हज़रत हज्जाज बिन इलात़ (रज़ि.) के कलाम पर हुक्म शरई जारी न होगा इसलिए कि उनकी मुराद इस कलाम से और ही है, दिल से बात निकली ही नहीं। ख़ुद क़ुर्आने करीम का फ़र्मान है, (**ला युआख़िज़ुकुमुल्लाहू फ़ी आयमानिकुम**0 अल माइदा : 89) 'यानी लग़्व क़समें जो तुम खा लेते हो उन पर अल्लाह तआल तुम्हें पकड़ेगा नहीं, वो तो सिर्फ़ उन्हीं क़समों पर गिरफ़्त करेगा जो तुम दिल से खाओ।'

और आयत में है, (**वला किय्युँआख़िज़ुकुम बिमा कासाबत् क़ुलूबुकुम**0 अल बक़रह : 225) बल्कि अल्लाह के यहाँ का मुआख़िज़ा उस पर है जो दिल से करें। पस दुनिया और आख़िरत के एह्काम उस पर मुरत्तब होते हैं जो दिली इरादे से हो, जो पूरे क़सद (इरादे) से हो, जिसके कलाम से उसके हक़ीक़ी मअ़नी मुराद लिए गए हों। (अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/138)

========================

तहबन्द वग़ैरह बाँधने का मसला

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! अपना तह्बंद कहाँ बाँधूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने अपनी पिण्डलियों की ऊँची हड्डी की तरफ़ इशारा करके फ़र्माया, 'मैं अपना तह्बंद यहाँ बाँधता हूँ।'

फिर फ़र्माया, 'अगर उसे न माने तो यहाँ, उससे ज़रा नीचे। अगर उससे भी इंकार करे तो यहाँ टख़ने से ऊपर, अगर इससे भी इंकार करे तो सुन ले कि अल्लाह तबारक व तआला अकड़ने वालों को पसंद नहीं करता।'

(**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/482)

=========================

सवाल : हज़रत अबूबक्र सि़द्दीक़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि मैं अगर अपना तह्बंद हर वक़्त संभालते न रहूँ तो वो नीचे सिरक जाता है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'तुम उनमें से नहीं जो घमंड और ग़ुरूर के तौर पर तह्बंद लटकाया करते हैं।' (**बुख़ारी**/अल् लिबास/मन् जर्र इज़ारहू मिन ग़ैरे ख़ुयलअ : 5784, **अबूदाऊद**/अल लिबास/माआ फ़ी इस्बालिल इज़ार : 4085, **निसाई**/अज़्ज़ीनह/इस्बालुल इज़ार : 5336)

इर्शादे मुबारक है, 'जो शख़्स अपना कपड़ा ग़ुरूर के तौर पर लटकाए क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसकी तरफ़ नज़रे रह्मत से न देखेगा।'

=========================

सवाल : तो उम्मुल् मोअमिनीन उम्मे सलमा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि औरतें अपने दामनों का क्या करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'एक बालिश्त लटका लें।'

अर्ज़ किया कि इस सूरत में उनके क़दम खुल जाएँगे।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, '(फ़युर् ख़ीनहू ज़िराअन् ला यज़िद् ना अलैहि)' (**अबूदाऊद**/अल लिबास फ़ी क़दरिल्लज़ी : 417, **तिर्मिज़ी**/अल लिबास फ़ी जर्रि ज़ुयूलिन्निसा : 5338, **इब्ने माजा**/अल लिबास/ज़यलुलमरअति कम यकूनु : 358 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

=========================

जादूगरों और काहिनों के पास जाने की मुमानअ़त

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ) काहिनों के पास जाने की निस्बत आप (ﷺ) का क्या फ़र्मान है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनके पास न जाओ।'

(**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/447)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! नेक शगुन की बाबत आपका क्या हुक्म है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'लोग उसे अपने दिलों में पाते हैं, लेकिन यह चीज़ उन्हें किसी काम से रोक न दे।' (**अबूदाऊद**/अस्सलात : 930, **निसाई**/अस्सह्व/अलल कलाम फ़िस्सलात : 1219 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! ख़त्त ख़ींचने की बाबत आप (ﷺ) का क्या फ़त्वा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, अम्बिया (अलैहिस्सलाम) में से एक नबी ख़त खींचा करते थे तो जिसका ख़त उनके ख़त से मुवाफ़िक़त कर जाए तो कर जाए। (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/448)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! ये काहिन क्या हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'कोई चीज़ नहीं है।'

लेकिन या रसूलल्लाह (ﷺ)! कभी–कभी तो इनमें से किसी की बात सच निकल आती है?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह दरअसल सच्ची ख़बर होती है जो जिन्नात उड़ा लाते हैं और किसी के कान में फूँक देते हैं फिर वो उसमें सौ झूठ अपनी तरफ़ से मिलाकर फैलाते हैं।' (**बुख़ारी**/अत तिब/अल कहानह : 5762, **मुस्लिम**/अस्सलाम/तह्रीमुल कहानह : 2228)

========================

ख़्वाब क्या हैं?

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ुर्आन शरीफ़ की आयत, (लहुमुल् बुशरा....0 यूनुस : 64) में बशारत से क्या मुराद है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ख़्वाब जिन्हें कोई नेक आदमी देखे या उसके लिए दिखाए जाएँ।' (अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/315)

========================

सवाल : उम्मुल् मोअमिनीन हज़रत ख़दीजा (रज़ि.) ने वरक़ा बिन नौफ़िल की बाबत रसूलल्लाह (ﷺ) से सवाल किया कि वो आप (ﷺ) की सदाक़त मानता था। और आप (ﷺ) के ज़ाहिर होने से पहले ही इंतिक़ाल कर गया है। इस बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का क्या फ़ैसला है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'मैंने उसे ख़्वाब में सफ़ेद कपड़े पहने हुए देखा है अगर वो जहन्नमी होता तो उस पर इसके सिवा कोई और लिबास होता।' (तिर्मिज़ी/अर्रुअया/माजाअ फिर्रुअयन्नबिय्यि ﷺ अल मीज़ान वद्दलव : 2288 ज़ईफ़ुन/अल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : एक सहाबी (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से बयान किया कि मैंने ख़्वाब देखा है कि मेरा सिर काट दिया गया, वो लुढ़कने लगा, मैं उसके पीछे–पीछे दौड़ा जा रहा हूँ।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'ऐसे खेल जो तेरे साथ नींद में शैतान खेले बयान न कर।' (मुस्लिम/अर्रुअया/ला युख़बिरु बि तलअबिश्शयतानु बिही फ़िल मनाम : 2268)

========================

सवाल : उम्मुल इलाअ (रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने ख़्वाब में उष्मान बिन मज़ऊन की मौत के बाद उनके लिए एक चश्मा देखा है।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह उसका अमल है जो जारी हुआ है।'

(बुख़ारी/अत् तअबीर/अल ऐनुल जारियह फ़िल मनाम : 7018)

========================

तश्रीही अहकाम के उसूल

सवाल : हज़रत मुआज़ (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा, मैं किससे फ़ैसला करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'किताबुल्लाह से।'

उन्होंने पूछा, अगर मैं उसमें हल न पाऊँ तो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'सुन्नते रसूलुल्लाह (ﷺ) से।'

उन्होंने कहा, अगर हल न पाऊँ तो?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'दुनिया को हकीर समझते हुए, जो अल्लाह के यहाँ उसको बड़ा समझते हुए, अपनी राय से इज्तिहाद कर, अल्लाह तुझे सीधी राह समझा देगा।' (अबूदाऊद व तिर्मिज़ी : 1327 ज़ईफ़ुन/अल अल्बानी रह.)

========================

ग़ैर-फ़ितरी कामों की मुमानअ़त

सवाल : हज़रत दह्या कल्बी (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से पूछा कि अगर आप (ﷺ) फ़र्माएँ तो हम घोड़ी पर गधा डालकर ख़च्चर की नस्ल लें और आप (ﷺ) की सवारी के लिए उसे तैयार करें?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'यह काम उनका है जो बेइल्म हों।'

(अहमद फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 4/311)

========================

मुतशाबिह आयात के बारे में

सवाल : जब आयत, (हुवल्लज़ी अन्ज़ल अ़लैकल किताब मिन्हु आयातुम् मुह्कमात0 आले इमरान : 7) **उतरी तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा (रज़ि.) ने सवाल किया।**

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब तुम उन्हें देखो तो मुतशाबेह आयतों के पीछे पड़ जाते हैं तो समझ लेना कि उन्हीं का ज़िक्र अल्लाह तआला ने किया है उनसे बचते रहना।' (बुख़ारी/तफ़्सीर/क़ौलहू तआला (मिन्हु आयातिम्मुह्कमात) : 4547)

========================

क़ौमे-यूनुस की तादाद

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क़ौमे यूनुस की गिनती की बाबत क़ुर्आन में है कि हमने उसे एक लाख बल्कि ज़्यादा की तरफ़ भेजा था। तो फ़र्माइए कि वो ज़्यादती कितनी थी?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बीस हज़ार की।' (तिर्मिज़ी/तफ़्सीर/तफ़्सीर सूरहे साफ़्फ़ात : 3229 ज़ईफ़ुल इसनाद/अल अल्बानी रह.)

अपनी ज़ात की फ़िक्र

सवाल : हज़रत अबू सअलबा (रज़ि.) ने रसूले करीम (ﷺ) से पूछा कि क्या क़ुर्आन में है, (या अय्युहल् लज़ीना आमनू अलैयकुम अन् फ़ुसाकुम....0 अल माइदा : 105) **ऐ ईमान वालों! तुम अपनी तईं संभाले रहो। इसका क्या मतलब है?**

जवाब : आप (ﷺ) ने इर्शाद फ़र्माया कि, 'अच्छी बातें लोगों को बतलाते रहो, बुरी बातों से रोकते रहो। यहाँ तक कि जब देखो, बख़ीली की इताअत, ख़्वाहिश की पैरवी, दुनिया की तर्जीह, हर एक शख़्स का अपने ख़्याल में मगन रहना शुरू हो गया है तो सिर्फ़ अपन आपको ही बचाने की फ़िक्र में लग जाओ। लोगों को छोड़ दो। याद रखो तुम्हारे पीछे सब्र का ज़माना आ रहा है उस वक़्त दीन पर सब्र करके जम जाना ऐसा कठिन होगा जैसे आग के अंगारे को थाम लेना, उस वक़्त दीन के आमिल को तुममें पचास के बराबर अज्र मिलेगा।' (**अबूदाऊद**/अल मुलाहिमा/अअमरु वन्नही : 4341, **इब्ने माजा**/अल फ़ित्ना/क़ौलहू तआला (या अय्युहल्लज़ीन आमनू अलैकुम अनफुसाकुम : 4014 ज़ईफ़ुल इसनाद लाकिन बअज़ हू साबितुन/अल अल्बानी रह.)

=======================

ख़ैरुल क़ुरून

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कौन सा ज़माना सबसे बेह्तर है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो ज़माना कि मैं जिसमें हूँ? फिर इसके बाद का दूसरा ज़माना (ताबेईन का दौर)।' (**मुस्लिम**/फ़ज़ाएलुस्सहाबह/फ़ज़्लुस्सहाबति सुम्मल्लज़ी युलव्विनुहुम सुम्मल्लज़ी युलव्विनुहुम : 2536)

=======================

नबी (ﷺ) के सबसे महबूब अफ़राद

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! सबसे ज़्यादा आपको कौन महबूब है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, आइशा (रज़ि.) (उम्मुल मोअमिनीन)।

पूछा गया, ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मर्दों में से कौन?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनके वालिद हज़रत अबूबक्र (रज़ि.)।'

फिर पूछा गया, उनके बाद?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.)।' (**बुख़ारी**/फ़ज़ाएलुस्सहाबह/

क़ौलुन्नबिय्यि ﷺ (लव कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन) : 3662, मुस्लिम/फ़ज़ाएलुस्सहाबह फ़ी फ़ी फ़ज़ाएलु अबी बक्र (रज़ि.) : 2384)

========================

सवाल : हज़रत अ़ली और हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने रसूले अकरम (ﷺ) से सवाल किया कि आपके अहल में सबसे ज़्यादा मुहब्बत आप (ﷺ) को किससे है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हज़रत फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद से।'

उन्होंने कहा, हुज़ूर (ﷺ)! सवाल का यह मतलब नहीं।

तो आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'फिर सबसे ज़्यादा मेरा महबूब मेरे अहल मे से वो जिस पर इन्आमे इलाही है और इन्आमे रसूल (ﷺ) है यानी हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़ि.)।'

उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर उनके बाद कौन?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'अ़ली बिन अबू तालिब (रज़ि.)।'

हज़रत अ़ब्बास (रज़ि.) ने फ़र्माया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! फिर तो आप (ﷺ) ने अपने चचा को सबसे ज़्यादा आख़िर में ही रखा?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हज़रत अ़ली (रज़ि.) ने हिजरत में तुम पर सबक़त की है।' (तिर्मिज़ी/अल मनाकिब/मनाकिबु उसामा बिन ज़ैद : 3819 हसनहुत्तिर्मिज़ी व जअफ़हुल अल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : या रसूल (ﷺ)! आप (ﷺ) के अहले बैत में सबसे ज़्यादा महबूब कौन है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हसन व हुसैन(रज़ि)।' (तिर्मिज़ी/अल मनाक़िब/मनाक़िबुल हसन वल हुसैन (रज़ि.) : 3772 सही लि ग़ैरिही)

========================

अल्लाह के यहाँ नेकी और बुराई का मेअ़यार

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! एक औरत थी जो नमाज़ रोज़े में ख़ूब मुस्तअ़दी थी मगर अपने पड़ौसियों को अपनी ज़ुबान से ईज़ा देती थी।

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जहन्नम में गई।'

ऐ अल्लाह के प्यारे नबी (ﷺ)! एक और थी जो रोज़े, नमाज़ और सदक़े में इतनी ज़्यादा मशहूर तो न थी लेकिन अपनी ज़ुबान से अपने पड़ौसियों को तक्लीफ़ नहीं पहुँचाती थी।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'वो जन्नती है।'

(अहमद फी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/440)

======================

माले-यतीम का हुक्म

माले यतीम के बारे में सख़्ती की तो यतीमों के वलियों ने उनका खाना–पीना अपने खाने–पीने से अलग कर दिया। जब उसमें तंगी और नुक़्सान होने लगा तो आप (ﷺ) से यह ज़िक्र किया। उस वक़्त आयत, (वयस् अलुनका अनिल् यतामा0 अल बक़रह : 220) **नाज़िल हुई 'यानी लोग तुझसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं तो जवाब दे कि उनके लिए इस्लाह हर हाल में बेह्तर है। अगर तुम अपने माल उनके माल से मिला भी लो तो वो तुम्हारे भाई हैं।' अब सहाबा (रज़ि.) ने उनका और अपना खाना एक कर दिया।** (अल वाहिदी फ़ी किताबिही (अस्बाबुन्नुज़ूल : स. 73)

======================

पड़ौसियों में ज़्यादा हक़दार कौन?

सवाल : हज़रत आइशा (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से पूछा कि या रसूलल्लाह (ﷺ) मेरे दो पड़ौसी हैं। मैं हद्या किसे दूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जिसका दरवाज़ा तुमसे ज़्यादा क़रीब हो।' (बुख़ारी/अल अदब/हक़्क़ुल जवारि फ़ी क़ुर्बिल अबवाब : 6020)

======================

वाल्दैन की ख़िदमत

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मुझे अपनी हिजरत करने और अपने साथ मिलकर जिहाद करने की इजाज़त दीजिए?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तुम्हारे माँ–बाप ज़िन्दा हैं?'

सहाबी ने अर्ज़ किया, जी हाँ! ज़िन्दा हैं।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनके पास चले जाओ और उनकी ख़ातिर और ख़िदमत

करो।' (बुख़ारी/अल अदब/ला युजाहिदु इल्ला बि इज्निही अबवान : 5972, मुस्लिम/अल बिर्र वस्सिलह/बिर्रुल वालिदैन वअन्नहुमा अहक़ु बिही : 2549)

========================

फ़त्वा : एक और सहाबी (रज़ि.) के इसी सवाल पर रसूलल्लाह (ﷺ) ने जवाब दिया था, 'तेरा बुरा हाल हो क्या तुम्हारी वालिदा ज़िन्दा हैं ?' उन्होंने कहा, जी हाँ! वो ज़िन्दा हैं। फ़र्माया, 'उनके क़दम थाम लो, वहीं जन्नत है।' (इब्ने माजा/अल जिहाद/अर्रजुलु यग़ज़ू व लहू अबवान : 2781 हसनुन सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : एक अंसारी सहाबी (रज़ि.) ने आप (ﷺ) से सवाल किया, क्या मैं अपने माँ–बाप की कोई ख़िदमत या उनसे कोई सुलूक उनके इंतिक़ाल के बाद भी कर सकता हूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'चार का करो। अव्वलन तो उनके लिए दुआ-ए इस्तिग़फ़ार करो। दूसरे उन्हों ने जिस किसी से वादा किया हो, उसे पूरा करो। तीसरे उनके दोस्तों की इज़्ज़त और तौक़ीर करते रहो। चौथे उनकी वजह से जो रिश्ते नाते क़ायम होते हैं उन्हें निभाओ और उन सबसे अच्छा सुलूक और नेकी करो। यही उनके लिए नेकी के रास्ते हैं।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 3/497, **अबूदाऊद**/अल अदब/फ़ी बिर्रिल वालिदैन : 5142, **इब्ने माजा**/अल अदब : 3664, **हाकिम** फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 4/154)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! माँ–बाप के अपनी औलाद पर क्या– क्या हक़ हैं?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'वही दोनों तेरे लिए जन्नत–दोज़ख़ हैं। (यानी उनकी ख़ुशी में जन्नत और उनकी नाराज़गी में जहन्नम है।)' (**इब्ने माजा**/अल अदब/बिर्रुल वालिदैन : 3662 ज़ईफ़ुन/अल अल्बानी रह.)

========================

सवाल : एक साहब ने आप (ﷺ) से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! मैं बड़ा गुनाहगार हूँ क्या मेरी तौबा है?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'क्या तेरे माँ–बाप हैं?'

उसने कहा, नहीं।

आप (ﷺ) ने पूछा, 'क्या तुम्हारी ख़ाला है?'

उन्होंने कहा, हाँ!

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'उनसे नेकी कर।' (तिर्मिज़ी/अल बिर्र वस्सिलह/माजाअ फ़ी बिर्रिल ख़ालह : 1904, **अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/13, **हाकिम** फ़ी किताबिही (अल मुस्तदरक) : 4/155, **इब्ने हिब्बान** (फ़ी सहीहेही) : 435 सहीहुन/अल अल्बानी रह.)

======================

बुराई के बदले नेकी का हुक्म

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं तो अपने क़राबतदारों से सुलूक करता रहता हूँ, रिश्तेदारी निभाता हूँ लेकिन वो न तो मुझसे अच्छा सुलूक करते हैं और न ही क़राबतदारी का लिहाज़ रखते हैं। मैं उनसे एह्सान करता हूँ वो मुझसे बुराई करते हैं। मैं उनसे दरगुज़र करता हूँ लेकिन वो मुझ पर ज़ुर्म करने से बअ़ज़ नहीं आते तो क्या अब मुझे इजाज़त है कि मैं उनसे बदला लूँ और जो वो मेरे साथ करते हैं मैं भी उनके साथ करूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने जवाब दिया, 'नहीं! नहीं!! ऐसा करने से तो तुम सब बराबर के हो जाओगे। फ़ज़ीलत के लिए उनसे सुलूक करता रह, रिश्तेदारी को न तोड़ जब तक तू इस नेकी पर क़ायम रहेगा अल्लाह तआ़ला की मदद तेरे साथ रहेगी।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 2/181)

मुस्लिम शरीफ़ में यह भी है, 'तब तक अल्लाह की तरफ़ से मददगार तेरे साथ बराबर रहेगा और तू उन्हें ज़क देता और शर्मिन्दा करता रहेगा।' (**मुस्लिम**/अल बिर्र वस्सिलह/सिलातुर्रहमि व तहरीमु क़तीइहा : 2558)

======================

शौहर के जिम्मे बीवी के हुक़ूक़

सवाल : ऐ अल्लाह के नबी (ﷺ)! आप (ﷺ) का इस बारे में क्या फ़त्वा है कि शौहर के ज़िम्मे औरत के हक़ क्या–क्या हैं ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'जब ख़ुद खाए उसे भी खिलाए, और जब ख़ुद पहनता है तो उसे भी पहना। उसके मुँह पर न मार, उसे गाली–गलौच न देते रहना, अगर किसी वजह से बोल–चाल छोड़नी पड़े तो अपने घर में ही रख कर छोड़ दो।' (**अहमद** फ़ी किताबिही (अल मुस्नद) : 5/3, **अबूदाऊद**/अन् निकाह/फ़ी हक़्क़िल मरअति अला ज़ौजिहा : 2142, इब्ने माजा/अन् निकाह : 1850)

======================

घरों में दाख़िल होने पर इजाज़त लेना

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! क्या मैं अपनी वालिदा के पास जाने के लिए भी उनसे इजाज़त चाहूँ?

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ।'

पूछा गया, मैं और वो एक ही मकान में रहता हैं फिर भी?

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'हाँ! फिर भी इजाज़त लिया करो।'

पूछा गया, या रसूलल्लाह (ﷺ)! मैं ही उनका तमाम काम–काज मिष्ल ख़ादिमों के करता हूँ फिर भी?

आप (ﷺ) ने फ़र्मार्या, 'हाँ! इजाज़त तलब किया करो, क्या तुम चाहते हो कि किसी वक़्त तुम उन्हें नंगा देख लो?'

उन्होंने जवाब दिया कि यह तो मैं हर्गिज़ नहीं चाहता।

आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'बस तो फिर इजाज़त तलब कर लिया करो।' (**मालिक**/अल इस्तिअज़ान/अल इस्तिअज़ान : 1862 ज़ईफ़ुल इसनाद/तख़रीज फ़ज़ीलतुश्शैख़ अल हिलाली)

========================

सवाल : या रसूलल्लाह (ﷺ)! कुर्आने करीम में जो हुक्म है कि, (हत्ता तस्तानिसू0 अन् नूर :27) **'यहाँ तक कि तुम उन्स हासिल कर लो।' इसका क्या मतलब है?**

जवाब : आप (ﷺ) ने फ़र्माया, 'इंसान का किसी मकान में जाने के लिए उनकी दहलीज पर पहुँचकर अपने पहुँचने की इत्तिला के तौर पर (सुब्हानल्लाह) या (अल्लाहु अकबर) या (अल् हम्दुलिल्लाह) कह देना या खंकार देना और घरवालों का इजाज़त देना।' (इब्ने माजा/अल अदब/अल इस्तिअज़ान : 3707 ज़ईफ़ुन/अल अल्बानी)

========================

فتاوی رسول الله ﷺ

दीन
की समझ यह है
कि आदमी दीन की क़ुर्आन व
हदीस की रहनुमाई में तहक़ीक़ करे.
सहाब-ए-किराम (रज़ि.) नबी-ए-करीम (सल्लल
लाहु अ़लैहि व सल्लम) के पास हाज़िर होकर क़ुर्आन व सुन्नत
का इल्म सीखते. आप (सल्लल लाहु अ़लैहि व सल्लम) से मसाइल
दरयाफ्त करते और आप (सल्लल लाहु अ़लैहि व सल्लम) उनका
जवाब फ़र्माते थे. इमाम इब्ने क़य्यिम अज जौज़ी (रह.) ने अहादीस के
अहम ज़ख़ीरे में से उन फ़तवों को जमा कर दिया है जिनके बारे में
सहाब-ए-किराम व सहाबियात (रज़ि.) ने आँहज़रत (सल्लल लाहु
अ़लैहि व सल्लम) से सवालात की शक्ल में वक़्तन-फवक़्तन दर्याफ्त
किया. ये मजमूआ जो इस वक़्त हिन्दी ज़बान में आपके हाथों में है, इमाम
इब्ने क़य्यिम अज् जौज़ी (रह.) की ज़ख़ीम व मअ़रूफ़ किताब 'ऐलामुल
मूक़िवईन' के आख़री हिस्से में दर्ज फ़तावा पर आधारित हैं. बैरूत के एक
मशहूर इदारे 'दारुल मआ़रिफ़' ने इस किताब को 'फ़तावा रसूलुल्लाह
(सल्लल लाहु अ़लैहि व सल्लम)' के नाम से छापा है. इसके पहले एडीशन
पर तहक़ीक़ व तख़रीजे अहादीस के लिये शैख़ ख़लील मामून का नाम दर्ज
है. फिर इसके मजीद एडीशन शाए हुए और सन् 2006 में इदारा हुदैबिया
लाहौर ने इसका जदीद एडीशन शैख़ अबू यह्या मुहम्मद ज़करिया ज़ाहिद
साहब से नज़रे-सानी करवाकर शाए कराया जिसमें अहादीस के असल
नुस्ख़ों से रुजूअ़ किया गया और कोशिश की गई कि अहादीस मुबारका के
मतन में कोई ग़लती न रहने पाए. हिन्दी में यह किताब पहली बार जमइयत
अहले हदीस सूबा राजस्थान और शहरी जमइयत अहले हदीस के तअ़वुन
से शाए की जा रही है. अल्लाह तआ़ला हिन्दी ज़बान में हमारी इस कोशिश
को शर्फ़े-क़ुबूले-आ़म फ़र्माए, आमीन!

शोबा नश्रो-इशाअ़त

जमइयत अहले हदीस, जोधपुर, राजस्थान